"भारतीय राजनीति और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके विचारों की आधुनिक समय में प्रासंगिकता"

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी0 फिल्0

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशिका
डॉ0 कृष्णा गुप्ता
रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोधकर्ता
प्रताप बहादुर पटेल
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2002

डॉ० कृष्णा गुप्ता
रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्व विद्यालय
इलाहाबाद

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

दिनाक -------

शोध निर्देशिका का प्रमाण-पत्र

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ प्रमाणित किया जाता है कि प्रताप बहादुर पटेल, शोधछात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने अपना शोध प्रबन्ध, ''भारतीय राजनीति और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके विचारो की आधुनिक समय मे प्रासगिकता" विषय मे मेरे निर्देशन मे सम्पन्न किया है। इनका यह अनुसधान अत्यन्त मौलिक एव महत्वपूर्ण है। शोधकार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि तथा उपस्थिति इनके द्वारा पूर्ण की गयी है, अत यह शोध प्रबन्ध परीक्षार्थ विश्वविद्यालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

शोध निर्देशिका

डॉ० कृष्णा गुप्ता
रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

भूमिका

भारत के देश भक्तो मे अमूल्य रत्न सरदार पटेल एक कर्मयोगी की भॉति बाते कम और काम अधिक करने मे विश्वास रखने वाले कर्मठ व्यक्ति थे, वे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अधार शक्ति स्तम्भ थे। आत्मत्याग, अनवरत सेवा तथा दूसरो को दिव्य शक्ति की चेतना देने वाला उनका जीवन सदैव प्रकाश स्तम्भ बना रहेगा।

सरदार पटेल वास्तविक अर्थो मे भारत के निर्माता थे। मितभाषी, अनुशासन प्रिय, कर्मठ, कुशल सगठनकर्ता के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता मे उनकी अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह, असीमशक्ति, और मानवीय समस्याओ के प्रति व्यवहारिक, दृष्टिकोण से उन्होने निर्भय होकर नवजात भारत की प्रारम्भिक समस्याओ का अद्‌भुत सफलता समाधान के साथ किया कि उनका विश्व के राजनीतिक मानचित्र मे अमिट स्थान बन गया।

सरदार पटेल मन, वचन तथा कर्म से सच्चे देश भक्त थे। वे वर्ण भेद के प्रबल विरोधी थे। सघर्ष को वे जीवन की व्यस्तता समझते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ''अदम्य साहस के साथ उन्होने देशी रियासतो का विलीनीकरण किया तथा भारतीय प्रशासन को निपुणता एव स्थायित्व प्रदान करने के साथ-साथ सविधान निर्माण मे भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र की समस्याओ के रामाधान मे उनके द्वारा अपनाया गया व्यावहारिक दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासगिक है।

सरदार पटेल का व्यक्तित्व विवादास्पद रहा। उन्हे प्राय असमझौता वादी, पूँजीवाद समर्थक, मुस्लिम विरोधी तथा साम्यवाद विरोधी कहा जाता है, जो नितान्त भ्रामक है जैसा कि उन पर ऐसा आरोप लगाने वाले समाजवादी नेता यथा मधुलिमये, जयप्रकाश नारायण तथा चन्द्रशेखर और सरदार पटेल के सहयोगी पूर्व काग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बाद मे उनके व्यक्तितव के बारे मे अपनी भूलो को स्वय स्वीकार कर ऐसी धारणाओ को गलत करार दिया है। प्रस्तुत शोध मे भारत की राजनीति में पटेल की भूमिका का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है तथा उनके विचारो की प्रासगिकता पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन सामग्री को सात अध्यायो मे विभाजित किया गया है। प्रथम

अध्याय मे जहा सरदार पटेल के जीवन परिचय एव व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है वही द्वितीय अध्याय मे विभिन्न सत्याग्रहो मे उनके द्वारा तैयार किये गये सगठन तथा पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से उनके द्वारा किये गये प्रशासकीय निर्णयो का उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्याय मे विभाजन के पूर्व भारतीय राजनीति मे उनके योगदानो का उल्लेख है तथा चतुर्थ अध्याय मे विभाजन के उपरान्त मत्रिमण्डल के सदस्य के रूप मे किये गये कार्यो का वर्णन किया गया है। पॉचवे अध्याय मे उनके विचारो का उल्लेख किया गया है तथा छठे अध्याय मे वर्तमान समय मे उनके चितन की प्रासगिकता का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। सातवे अध्याय मे निष्कर्ष दिया गया है।

इस शोध प्रबन्ध को निष्पक्षता के सम्पन करने का पूरा श्रेय पूजनीया डॉ० कृष्णा गुप्ता, रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को है। उन्ही के निर्देशन मे यह शोध प्रबन्ध लिखा गया है। जब-जब मेरे सामने कठिनाई आयी उन्होने सफल परिहार किया। यह प्रबन्ध उनके कुशल निर्देशन से ही इस रूप मे आकार ग्रहण कर सका है।

मै उनके प्रति प्रणाम निवेदित करता हू। राजनीति विज्ञान, विभाग इलाहाबद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मो० साहिद ने भी मेरा उत्साहवर्धन तो किया ही साथ ही बहुमूल्य सुझाव भी दिये। उनके प्रति भी मै नतमस्तक हूँ। राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ० आलोक पन्त के प्रति भी मै कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होने समय-समय पर मेरी पूर्ण सहायता की। पूज्य पिता श्रीराम सजीवन पटेल, माता इन्द्रकली की प्रबल प्रेरणा ने मेरा मनोबल बठाया। पत्नी सयोगिता पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना भी आवश्यक है जिन्होने मुझे परिवारिक जिम्मेदारी से दूर रखकर शोध कार्य को पूरा करने मे पूरा सहयोग दिया। मै अपने अन्य मित्रो एव शुभचिन्तको को भी अपनी प्रणति निवेदित करता हू जिन्होने इस शोध कार्य को पूरा करने मे सहयोग दिया।

मै विशेष रूप से 'सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन', शाही बाग, अहमदाबाद के निदेशक श्री अशोक धीरूभाई देसाई का विशेष रूप से ऋणी हूँ जिन्होने मुझे अहमदाबाद प्रवास के दौरान 24 घण्टे लाइब्रेरी, नि शुल्क आवास तथा भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी, मै हरवंश पटेल, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय

वल्लभ विद्यानगर के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होने अहमदाबाद प्रवास के दौरान समय-समय पर मेरा मार्ग दर्शन किया।

मै उपनिदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एव लाइब्रेरी तीनमूर्ति, दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार एव राष्ट्रीय् सग्रहालय, दिल्ली, लाइब्रेरी, गुजरात विद्यापीठ, लाइब्रेरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जहाँ से मुझे बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी।

अन्त मे मै उन सभी लेखको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे अपना सहयोग दिया। श्री अनिल कुमार गुप्ता (गुप्ता कम्प्यूटर्स अल्लापुर इलाहाबाद) ने शोध प्रबन्ध का टकण किया, अत वे धन्यवाद के पात्र है।

<u>शोधार्थी</u>

Pratap Bahadur Patel

प्रताप बहादुर पटेल

अनुक्रमणिका

अध्याय - 1

जीवन-परिचय

(I) जन्म एव परिवार

(II) बाल्यकाल एंव विद्यार्थी जीवन

(III) एक वकील के रूप मे

(IV) बैरिस्टर पटेल

(V) सरदार पटेल का व्यक्तित्व

जीवन एवं व्यक्तित्व

भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात प्रान्त का काठियावाद जिला प्रायद्वीप के रूप मे समुद्र मे विस्तृत है। अरब सागर की दो शाखाओ— कच्छ एव खम्भ की खाडियो के मध्य यह भाग आशीष मुद्रा मे उठे हुए हाथ की तरह भारत के मानचित्र पर अलग ही दिखाई देता है। समतल उपजाऊ भूमि और समुद्री सम्पर्क ने कृषि तथा वाणिज्य दोनो ही दृष्टियो से इसे सम्पन्न बना दिया है। 1857 ई० मे जब सम्पूर्ण उत्तरी भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक होकर खडा हो गया था तो उस समय यहाँ के 200 से अधिक छोटे-बडे नवाब अपने नाचरग और शतरज मे ही व्यस्त थे। परन्तु इसी काठियावाद ने 19वी शताब्दी मे भारत माता की गोद मे तीन ऐसे लाल डाले जिन्होने 20वी शदी मे ब्रिटिश साम्राज्य को इस देश से सदा के लिए विदा करने मे बडी भूमिका निभायी। ये थे—महर्षि दयानन्द सरस्वती, महात्मा गॉधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। महर्षि ने राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत किया और स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा गॉधी ने अहिसा का मत्र और सत्याग्रह का शस्त्र प्रदान किया, परन्तु इन सबका स्वतत्रता सग्राम मे सधा प्रयोग करके शत्रुओ के छक्के छुडाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।

जन्म एवं परिवार

स्वतत्रता आन्दोलन मे वैचारिक एव क्रियात्मक रूप से नयी दिशा देने वाले, स्वतत्रता के उपरान्त अखण्ड भारत के निर्माता, भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात राज्य के खेडा जिले मे स्थित आनन्द तालुका के नाडियाद नामक ग्राग मे हुआ था। नाडियाद सरदार पटेल का ननिहाल है। सरदार पटेल के जन्म के बारे मे निश्चित तिथि ज्ञात नही है, जैसा कि स्वय सरदार पटेल ने कहा था, "मेरे जन्म के बारे मे जो तिथि मणि बेन ने बतायी है उसे हमने मैट्रिक परीक्षा मे स्वेच्छा से अकित की थी।"[1] मणि बेन के अनुसार सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ई० को हुआ था।

१ पटेल, मणि बेन सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, खण्ड,- 1 अहमदाबाद, 1981, पृ०303

"सरदार पटेल के पिता झबेर भाई करमसद गॉव के 10-12 एकड जमीन धारण करने वाले साधारण किसान थे।"[2] अतएव कृषि द्वारा अपना जीवनयापन करते थे। वे साहसी, सयमी और वीर पुरुष के साथ-साथ धर्मपरायण व्यक्ति भी थे। वे 1829 ई० मे स्वामी सहजानन्द द्वारा स्थापित स्वामी नारायण सम्प्रदाय के भक्त थे। कहा जाता है कि "भारत को आजाद करने के प्रथम पुरुषार्थस्वरूप 1857 ई० मे जो विद्रोह हुआ उसमे झॉसी की रानी लक्ष्मी बाई तथा नाना साहब घोडोपन्त की सेनाओ मे भाग लेकर अग्रेजो के साथ युद्ध किया था।"[3] 1914 ई० मे झबेर भाई स्वर्ग सिधार गये।

"वल्लभ भाई पटेल की मॉ लाडबाई झबेर भाई की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी नि सतान स्वर्ग सिधार गयी। अतएव वश-रक्षा हेतु झबेर भाई ने दूसरा विवाह किया था।"[4] लाडबाई भी अपने पति की भॉति सयमी, धर्मपरायण, परिश्रमी और सस्कारी महिला थी, जिनका स्वर्गवास 1932 ई० मे हुआ।

वल्लभ भाई पॉच भाई व एक बहन थे। भाइयो के नाम क्रमश सोभा भाई पटेल, नरसिह भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एव काशी भाई पटेल थे। बहन डहीबा सबसे छोटी थी। पिता द्वारा शुरू किये गये स्वतन्त्रता यज्ञ को पूरा करने का सौभाग्य उनके दो पुत्रो—विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त हुआ। विट्ठल भाई ने गुलाम भारत मे भी अग्रेजी शासन काल मे भारत की केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष पद को गौरव पूर्ण ढग से पूरी आन-बान के साथ योग्यतापूर्वक सम्भाला था। वे स्वाधीन भारत के लिए अपने जीवन के अन्तिम दिनो तक यातनाये बरदास्त करते रहे। 'जिस झडे की शान रखने के लिए वे जीवन भर जूझते रहे और अनेक कष्ट सहन करते रहे, उसे दिल्ली के वायसराय भवन पर फहराते देखने का सौभाग्य उन्हे नसीब नही हुआ। सविनय कानून भग लडाई के बीच ही वे स्वर्गवासी हो गये।

बडे भाइयो सोभा भाई एव नरसिह भाई ने अपने पिता के कार्य मे हाथ बटाया और अपने पैतृक गॉव करमसद मे ही रहे। बहन डहीबा 1916 ई० मे इस ससार से चल बसी। सभी भाई अत्यन्त व्यवहारकुशल एव देशप्रेमी थे। सभी भाइयो मे एक समानता यह रही कि

---

२ सरदार साहित्य माला राम्पुट, अहमदाबाद, 1983, पृ० 22

३ दारा, सेठ गोविन्द रारदार पटेल, दिल्ली, 1969, पृ० 6

४ रणजीत सिह, सरदार वल्लभ भाई पटेल इलाहाबाद, 2000, पृ० 20

वे 30 से 40 वर्ष की आयु मे विधुर हो गये। इसलिए आपस मे "वे लोग अपने परिवार को विधुरो का परिवार कहकर आमोद-प्रमोद किया करते थे।"[5]

बाल्यकाल एवं विद्यार्थी जीवन

किसान के यहॉ जन्म लेने के कारण सरदार का लालन-पालन विशुद्ध ग्रामीण वातावरण मे हुआ। इनका बाल्यकाल अपने माता-पिता के साथ करमसद मे ही व्यतीत हुआ। पिता झबेर भाई, वल्लभ भाई को नित्य प्रात काल मे अपने साथ खेत पर ले जाते और रास्ते मे आते-जाते पहाडे याद कराते थे। यही से उनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ हुई। सरदार पटेल बाल्यकाल से ही दृढ निश्चयी रहे। एक दिन इनके पिता हल चला रहे थे जिनके पीछे-पीछे वल्लभ भाई अपना कार्य करते हुए पहाडा याद कर रहे थे कि उनके पैर मे एक डाब का कॉटा चुभ गया। वल्लभ भाई पहाडे याद करने मे इतने मग्न थे कि उन्हे पता ही नही चला। वे जब अपना कार्य करते हुए निरन्तर आगे बढ रहे थे तो अचानक पिता की दृष्टि उनके पैरो पर पडी। पैर से रक्त निकलता देखकर वे दग रह गये। उन्होने अपने पुत्र की दृढता की सराहना करते हुए कॉटा निकाला और उसे महान व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया।

सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद मे उस समय माध्यमिक शिक्षा की कोई सुविधा न थी। लडके पटेलाद पढने जाते और वहॉ चार-पॉच विद्यार्थी एक साथ रहते। एक सप्ताह की रसद घर से स्वय सिर पर उठाकर लाते और अपने हाथ से खाना बनाते। वल्लभ भाई भी उन्ही मे से एक थे। करमसद से पटेलाद के रास्ते मे एक बडा पत्थर पडा था जो सबको आते-जाते अडचन पैदा करता था। बार-बार सबको उसकी ठोकर लगती थी। वल्लभ भाई ने एक बार अपने साथियो से पीछे रहकर उस पत्थर को उखाड कर फेक दिया। साथियो के पूछने पर उन्होने कहा "अपने मार्ग मे आने वाले कॉटे को निकालकर फेक ही देना चाहिये।"[6]

सरदार पटेल ने जीवन भर दूसरे लोगो की और राष्ट्र की बाधाओ तथा रुकावटो को दूर करने का ही कार्य किया। प्रारम्भिक और अग्रेजी की तीसरी कक्षा तक की शिक्षा करमसद मे प्राप्त करने के बाद आगे की पढाई के लिए नाडियाद मे दाखिला लिया जहॉ

५ पटेल, रावजी भाई मणिभाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ०, 7-8

६ सरदार साहित्य माला सम्पुट, पूर्वो, पृ०, 10

से उन्होने 22 वर्ष की अवस्था मे 1897 ई० मे मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया। स्कूल मे शिक्षक के अत्याचार और साथी विद्यार्थियो पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर उन्हे न्याय दिलाने, कागज, पेन्सिल, रबड, नोटबुक आदि का व्यापार करने वाले और अपने ही पास से माल लेने की विद्यार्थियो पर जबरदस्ती करने वाले शिक्षक के खिलाफ विद्रोह करके उन अन्यायी आदेशो को वापस लेने के लिए बाध्य करने वाले सरदार हमेशा **हिम्मत, धीरज, उमग, परिश्रम** आदि उच्च गुणो का परिचय देते रहे।

सरदार पटेल विद्यार्थी जीवन से अन्याय को सहन नही कर रहे थे और पूरी ताकत के साथ उसका प्रतिकार करते थे। एक बार एक शिक्षक **अगरवाला** के कक्षा मे समय से न जाने पर एक विद्यार्थी ने गाना शुरू कर दिया तो कक्षा मे आने पर शिक्षक ने उस विद्यार्थी को डॉटना शुरू किया जिसका प्रतिकार करते हुए सरदार पटेल ने कहा, ''गलती आपकी है और आप हम लोगो को डॉट रहे है।'' परिणामस्वरूप शिक्षक ने दण्ड स्वरूप वल्लभ भाई को कक्षा से निकल जाने का आदेश दिया। वल्लभ भाई के कक्षा से निकलते ही पूरी कक्षा उनके पीछे हो ली। इस पर हेड मास्टर भरूचा ने सरदार से माफी मागने को कहा। वल्लभ भाई ने अपने उत्तर मे कहा ''गलती तो शिक्षक ने की है इसलिए माफी उसे मागनी चाहिये। हम क्यो माफी मॉगे।''[7] हेडमास्टर ने वस्तुस्थिति समझकर छात्रो को कक्षा मे बैठने की अनुमति दे दी।

चुनौती को स्वीकार करना सरदार पटेल का जन्मजात गुण था। उनके विद्यार्थी जीवन मे उनके एक शिक्षक नगरपालिका के चुनाव मे उम्मीदवार थे। जिनके विरुद्ध एक दादा किस्म का दम्भी व्यक्ति उम्मीदवार था, जिसने घोषणा कर रखी थी कि यदि इस मास्टर ने मुझे चुनाव मे हरा दिया तो मै अपनी मूँछे मुडवा लूँगा। ''सरदार ने इसे पूरे विद्यालय के लिए चुनौती के रूप मे स्वीकार किया और शिक्षक के पक्ष मे इतना सुव्यवस्थित एव सगठित रूप से प्रचार किया कि शिक्षक चुनाव जीत गया। फलत मूँछ मुडाई के डर से वह नेता कई दिनो तक घर से लापता रहा।''[8]

इस प्रकार अपने धर्मपरायण माता-पिता के सस्कार के परिणामस्वरूप 'परोपकाराय सता विभूतय' सूत्र को पटेल ने अपने जीवन मे चरितार्थ किया। अपने पुरुषार्थ के बल पर

---

७ पेटल, रावजी भाई मणि भाई, पूर्वो, पृ० 9-11

८ रणजीत सिह, पूर्वो, पृ० 26

अनेक कष्टो को सहते हुए भी उन्होने करमसद, पटेलाद, नाडियाद और बडौदा मे शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त इनका इरादा कानून का अध्ययन करने का था परन्तु घर की दयनीय आर्थिक स्थिति बहुत बडी बाधा थी अत अगले तीन वर्षो तक घर पर रहकर ही वल्लभ भाई ने प्लीडर की परीक्षा की तैयारी की और 1900 ई० मे अच्छे अको से उत्तीर्ण हुए की। अध्ययन हेतु वे अपने मित्र से पुस्तके मॉग कर पढते थे। ''जब वकालत की पढाई के सिलसिले मे वल्लभ भाई अपने एक मित्र के साथ बाकरोल मे रहते थे तो बगल मे एक फोडा निकल आया। साधनसम्पन्नता के अभाव मे इलाज के लिए शहर जाना सम्भव नही था। गॉव मे नश्तर लगाकर फोडे को ठीक करने का एक मात्र उपचार था। अतएव इलाज के लिए नाई बुलाया गया, जो गरम सलाख लगाने के लिये साहस न जुटा सका। वल्लभ भाई ने सलाख को लेकर स्वय फोडे को चीर कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया।''[9]

एक सफल वकील के रूप मे

सरदार पटेल की महात्वाकाक्षा एक सफल वकील बनने और धन कमाने की थी। सन् 1900 ई० मे गोधरा मे वकालत प्रारम्भ की। वल्लभ भाई के अग्रज विट्ठल भाई ने बोरसद मे अपने साथ वकालत करने के लिए आमन्त्रित किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई किसी की छत्रछाया मे रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना नही चाहते थे, अतएव बडे भाई का आग्रह ठुकरा दिया। दो वर्ष गोधरा मे वकालत करने के उपरान्त वल्लभ भाई बोरसद आ गये, पर विट्ठल भाई के साथ नही रहे। दोनो भाइयो मे बहुत कम मुलाकात होती थी। कभी-कभी तो दोनो भाई अदालत मे एक दूसरे के विरुद्ध बहस करते थे। वल्लभ भाई फौजदारी के ही मुकदमे लेते थे। वल्लभ भाई अपनी वाकपटुता के कारण शीघ्र ही एक सफल वकील के रूप मे प्रतिष्ठित हो गये। खेडा जिले की बोरसद तालुके मे सबसे अधिक फौजदारी के मुकदमे थे जिसमे से अधिकतर मुकदमो मे बचाव पक्ष की ओर से वल्लभ भाई वकील होते तथा वे सफल होते थे। अत बाध्य होकर सरकार ने अदालत बोरसद से आनन्द मे स्थानान्तरित कर दिया, परन्तु जब वल्लभ भाई ने आनन्द आकर वकालत प्रारम्भ कर दी तो पुन अदालत को बोरसद मे वापस आना पडा। ''सक्षेप मे अपने 10 वर्षो के वकालत काल मे वल्लभ भाई एक योग्य, अनुभवी और मजे हुए वकीलो की गणना मे आ गये।''[10]

---

९ पटेल रावजी भाई, पूर्वो, पृ० 7 और 8
१० दारा, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ०, 19

वल्लभ भाई आरम्भ से ही निडर तो थे ही, वे किसी मजिस्ट्रेट के प्रभाव से नही प्रभावित होते थे। इतना ही नही वे विचित्र आदतो वाले या घमण्डी मजिस्ट्रेट के घमड को उतारने की कला मे भी माहिर थे। ''मिस्टर हसबन्ड नामक मजिस्ट्रेट साथियो से गवाही लेते समय उन्हे आइने के सामने खडा होने के लिए बाध्य करते थे। मजिस्ट्रेट की इस अवाछनीय हरकत का अत सरदार पटेल ने अपनी बुद्धि, कौशल, निर्भयता एव समयसूचकता के कारण कराया।''[11]

इसी प्रकार अपनी दूरदर्शिता के कारण ''बोरसद के आबकारी विभाग द्वारा गैर कानूनी ढग से शराब बनाने वाले गिरफ्तार व्यक्ति को छुडवा दिया।''[12] सरदार पटेल की वाकपटुता तथा मजिस्ट्रेट की मन स्थिति को पहचानने की शक्ति ''दुराचार के एक केस मे देखने को मिलती है। संरदार ने इस केस मे बिना किसी बहस के मजिस्ट्रेट को अपने तर्को द्वारा प्रभावित करके अभियुक्त का बचाव किये बगैर, मुकदमे की गुण दोष की चर्चा किये बगैर, बिना किसी जॉच के तथा किसी प्रकार के गन्दे और वीभत्स प्रश्नोत्तर के बिना अपने मुवक्किल को बचा लिया।''[13]

तीन वर्ष वकालत करने के बाद वल्लभ भाई की इच्छा इग्लैण्ड जाकर बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने की हुई। यह इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई क्योकि उन्होने देखा कि धनी व्यक्ति मुकदमे की सुनवायी के लिए अहमदाबाद से बैरिस्टर बुला लेते थे। सहायक के रूप मे वल्लभ भाई को काम करना पसन्द नही था। सन् 1905 ई० मे उन्होने बैरिस्टरी की पढाई हेतु **तामस कुक एड सन्स** कम्पनी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। दोनो भाईयो द्वारा अग्रेजी मे अपना नाम वी०जे० पटेल लिखने के कारण अन्तिम पत्र सयोगवश विट्ठल भाई के हाथ लग गया। इस घटना का वर्णन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि ''वकालत का पेशा करके खर्च के बराबर कमा करके विलायत जाने का इरादा किया। मगर मैने जिस कपनी के मार्फत विलायत जाने का प्रबन्ध करने के लिए पत्र व्यवहार किया था, उसका आया हुआ जवाब मेरे बडे भाई के हाथ पड गया, तब उन्होने मुझसे कहा कि मै तुमसे बडा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो तुम्हे तो मेरे आने के बाद भी जाने का मौका मिल जायेगा। लेकिन

---

११ पटेल, रावजी भाई, पूर्वो, पृ०, 18-19

१२ वही, पृ०, 19-20

१३ वही, पृ०, 21-22

तुम्हारे आने के बाद मेरा जाना सम्भव नही होगा। इस पर मैने अपने भाई को पन्द्रह दिन का समय दिया और वे पन्द्रहवे दिन विलायत चले गये।''[14]

1908 ई० मे विट्ठल भाई बैरिस्टर बनकर भारत वापस आ गये। बम्बई के समृद्ध गुजराती समाज के बीच उनकी निर्भयता, नैतिकता एव प्रतिभा की धाक जमते देर न लगी।

बडे भाई के विलायत जाने के बाद सरदार की व्यस्तता और बढ गयी थी। इसी दौरान वल्लभ भाई अदालत मे हत्या के एक मुकदमे मे गवाह से जिरह कर रहे थे। जिरह के दौरान एक सूचना का तार आया जिसे खोलकर पढने के उपरान्त उसे अपनी जेब मे रख लिया, जिरह जारी रही और अन्तिम क्षण तक कार्यवाही गम्भीरता से चली। जिरह पूरी होने के बाद तार की सूचना उन्होने अपने मित्रो को देते हुए अपनी पत्नी के मृत्यु के समाचार से अवगत कराया। उन्होने अपने एक मित्र से कहा कि ''तार पढने के बाद मै कुछ देर के लिए किकर्तव्यविमूढ हो गया था, किन्तु मृत्यु के आघात से जीवन का कर्तव्य कैसे छोड दूॅ। यदि मै आज दृढतापूर्वक जिरह नही करता तो अभियुक्त को फॉसी की सजा हो सकती थी।''[15]

11 जनवरी, 1909 ई० को जब पत्नी की मृत्यु हुई तब उस समय वल्लभ भाई 34 वर्ष के ही थे, जबकि पुत्री मणि बेन की आयु चार वर्ष और पुत्र डाह्या भाई की आयु तीन वर्ष थी। सत्रह वर्ष के वैवाहिक जीवन मे पति-पत्नी केवल छ वर्ष तक साथ रहे। जीवन के अतिम क्षणो मे पत्नी के साथ न रह पाने का उन्हे अपार दु ख था। पत्नी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होने दोबारा विवाह न करने का निर्णय लिया।

बैरिस्टर के रूप मे

विट्ठल भाई के विलायत से वापस आने से पहले ही वल्लभ भाई ने विलायत जाने की तैयारी कर ली थी। अपने छोटे भाई काशी भाई को बच्चो के पालन-पोषण का भार सौपकर वे **10 अगस्त, 1910 ई०** को विलायत के लिए रवाना हो गये। जहाज पर पहली बार वल्लभ भाई ने अग्रेजी वेषभूषा धारण की और भोजन मे छुरी-काटे का प्रयोग सीखा।

---

१४ पारीख, नरहरि सरदार पटेल के भाषण (1918-1947 तक) अहमदाबाद 1950 पृ०, 25-26

१५ मेहरोत्रा, एन०री०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली 1997 पृ०, 14

लन्दन मे रहने के लिए उन्होने एक रास्ता बोर्डिग चुना और सितम्बर, 1910 ई० मे **मिडल टेम्पल** मे प्रवेश लिया। उन्होने कुछ ही महीनो बाद आयोजित रोमन लॉ की परीक्षा आनर्स के साथ प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की। वल्लभ भाई ने लन्दन मे एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन व्यतीत किया। वे प्रतिदिन अपने निवास से अध्ययन के लिए 10-12 मील की दूरी पैदल तय करके **मिडल टेम्पल** के पुस्तकालय जाते थे। वे सुबह 9 बजे पुस्तकालय पहुँच जाते और साय 6 बजे वापस आते थे। कभी-कभी वे सत्रह घटे तक अध्ययन करते थे। कडे परिश्रम के उपरान्त बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करके वल्लभ भाई **13 फरवरी, 1913 ई०** को बम्बई आये और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बेसिल स्कॉट से अच्छा परिचय होने के नाते उनसे मुलाकात करने गये। मुलाकात के दौरान बेसिल स्काट ने उन्हे जिला न्यायाधीश की नौकरी का निमत्रण दिया जिसे वल्लभ भाई ने अस्वीकार कर दिया। जिस पर स्कॉट महोदय ने बम्बई मे प्रैक्टिस के साथ-साथ लॉ कॉलेज मे अध्यापक बनाने का भी आश्वासन दिया, जिसे अस्वीकार कर वल्लभ भाई अहमदाबाद आ गये और वही वकालत करने लगे। वल्लभ भाई के तत्कालीन जीवन का सजीव चित्रण करते हुए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी०वी० मावलकर ने लिखा है—

''युवा बैरिस्टर पटेल ने एक प्रतिभासम्पन्न युवक के रूप मे बार मे प्रवेश किया। उनका अच्छे ढग से सिला हुआ सूट और तिरछी फेल्ट, चमकीली ऑखे और पैनी नजर बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती। वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने मुलाकातियो का मुस्कराहट के साथ स्वागत करते थे और उन्हे इस तरह से देखते थे जैसे वे उनसे कुछ ज्यादा ज्येष्ठ, श्रेष्ठ हो।''[16]

सरदार पटेल फौजदारी मामलो मे विशेष रुचि लेते थे। उनका गवाह से जिरह करने का ढग अत्यन्त ही सक्षिप्त किन्तु नजर पैनी होती थी। पहली ही नजर मे व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव को समझ लेते थे और प्रश्नो का ऐसा वार करते थे कि वह सम्भल नही पाता था। उनकी निर्भीकता की प्रशसा सभी करते थे। हत्या के मामले मे फॅसे दो भाइयो को बिना किसी सबूत के जमानत मजूर न किये जाने पर वल्लभ भाई ने जज को उसकी मर्यादा का मान कराते हुए आवेशपूर्वक कहा कि क्या इस अदालत मे खेडा जिले

१६ वही, पृ०, 15 और 16

के लोगो को बिना सबूत के ही सजा सुनाये जाने का दस्तूर है। जज ने वल्लभ भाई के आरोप से घबराकर जमानत की अर्जी को मजूर कर लिया।

इस प्रकार विद्यार्थी जीवन तथा वकालत के काल मे ही सरदार पटेल के व्यक्तित्व के अनेक गुणो जैसे स्पष्टवादिता, योग्यता नि स्वार्थ, कर्तव्य-निष्ठा, त्याग की भावना परख शक्ति, दृढ इच्छा शक्ति, निडर, बुद्धि चातुर्य आदि के प्रत्यक्ष दर्शन होते है।

सरदार पटेल का व्यक्तित्व

परम राष्ट्र भक्त, सतत् सघर्षरत, स्वतत्रता सेनानी, राष्ट्र का निष्ठावान सेवक, अखण्ड भारत के निर्माता, अनुशासनप्रिय, प्रशासक, दृढ प्रतिज्ञ राजनेता के रूप मे सरदार पटेल का नाम भारत के इतिहास मे स्वर्णाअक्षरो मे अकित है। सरदार अदम्य साहस, अद्‌भुत धैर्य और सरलता के अवतार थे। वे गॉधी जी के स्वतत्रता आन्दोलन मे समर्पित सिपाही के रूप मे सत्याग्रह मे सक्रिय रहे। इस महान व्यक्ति को सम्पूर्ण जीवन एक कर्मयोगी की निष्काम यात्रा है। उनके व्यक्तित्व मे सहगुण उजागर हुए, उन्होने अपने जीवन मे उच्च नैतिक मूल्यो एव कर्त्तव्यनिष्ठा की परम्परा स्थापित की।

सरदार पटेल का खुरदरा, बेमुलायम और करीब-करीब खूँखार बाह्य आवरण भयप्रद था, जिससे प्रतीत होता था कि मानो वे बिल्कुल ह्रदयहीन हो और मानवीय भावनाओ से उनका कोई सबध न हो। आचरण से वे कठोर, निर्मम तथा दृढनिश्चयी थे। वे मितभाषी थे। उनके शब्द प्राय तीक्ष्ण तथा अकाट्य होते थे, "व्यक्तित्व के इसी पक्ष के कारण यश और प्रसिद्धि के चरमोत्कर्ष को छूने पर भी वे लोकप्रियता के उस चरम बिन्दु को नही पहुँच सके, जहॉ नेहरू जी पहुँचे।"[17]

परन्तु इस कठोर व्यक्तित्व के पीछे एक कोमल ह्रदय छिपा था, जिसका ज्ञान बहुत कम लोगो को था। 'बापू के निवेदन' नामक समाचार पत्र के 8 मई, 1933 के अक मे **गॉधी जी** ने लिखा था, "सरदार ने मुझे अपने प्रेम मे जिस प्रकार सराबोर किया, उसके कारण मुझे अपनी प्यारी मॉ का स्मरण हो आता था। मुझे थोडी भी तकलीफ होती, तो वे तुरन्त अपना बिस्तर छोडकर उठ बैठते, मेरी सुविधा की छोटी सी बात का भी वे ध्यान रखते थे। इसके पूर्व मै यह कभी भी नही जानता था कि उनमे मॉ के गुण भी थे।"[18] **पुरुषोत्तम दास**

---

१७ दास, सेठ गोविन्द; पूर्वो, पृ० 95

१८ पटेल, दिलावर रिह जैसवार नवोदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली 2000, पृ०,184

टडन के अनुसार—"जो उनको जानते थे वे बतलाते है कि वह बहुत दयावान मनुष्य थे और मौका पडने पर बहुत कोमल प्रदर्शित होते थे। उनसे बढकर अधिक मित्र परायण और भरोसा करने वाला साथी पाना बहुत मुश्किल था।"[19]

गॉधी जी के सम्पर्क मे आने पर उन्होने उनके एकादश व्रतो को स्वीकार किया और उसके अनुसार जीवन के हर क्षेत्र मे आचरण करते हुए यह सिद्ध कर दिखाया कि ये सब व्रत केवल रटने के लिए नही, बल्कि जीवन मे आचरण करने जैसे है। गॉधी जी के आहवान पर 9 जनवरी, 1918 ई० को पटेल ने अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपनी प्रतिष्ठा सबको त्याग कर खेडा के सत्याग्रह का दायित्व ग्रहण किया। पटेल ने यह निर्णय देश की पुकार और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप किया। उनके ही शब्दो मे "महात्मा से अलग रहना अपराध होगा।"[20] पटेल ने नि स्वार्थ भाव से खेडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया।

सरदार पटेल ने ब्रह्मचर्य और शारीरिक श्रम की बाते ही नही की। उन्होने महान जीवन नियमो का अपने जीवन मे बडी कठोरता के साथ पालन किया था। 33 वर्ष की अवस्था मे विधुर होने के बावजूद दूसरी शादी नही की तथा अपने बच्चो का पालन-पोषण स्वय किया। सरदार ने अपने हाथो से खेती भी की थी। यही नही उन्होने केले की नयी प्रजातियॉ विकसित की थी। "उनके द्वारा केले की तैयार की गयी नयी-नयी किस्मे स्टीमर द्वारा बारदोली से विदेश जाया करती थी।"[21] ऐसे अनुकरणीय और प्रेरणादायक कार्य सरदार पटेल कर गये है।

सरदार पटेल के मन मे पद के प्रति कोई लिप्सा नही थी। राष्ट्र की आवश्यकता उनके निर्णय का एकमात्र आधार रही। बारदोली विजय के उपरान्त 1928 ई० को कलकत्ता अधिवेशन मे लोगो ने उनकी बडी तारीफ की, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होने कहा, "यह विजय मेरी नही है, गॉधी जी की है। जो विचार और आदर्श गॉधी जी ने दिये है, उनका अमल बारदोली के किसानो ने किया, इसलिए यह विजय गॉधी जी की है और अमल करने वाले किसान है, इसलिए यह यश उनका है। मै तो निमित्ति मात्र हूँ।"[22] मोती लाल नेहरू ने अपने भाषण मे कहा कि "सरदार ने जो किया है उससे मुझे लगता है कि

---

१९ पटेल अभिनन्दन ग्रथ लखनऊ, 1978 पृ० 46

२० देसाई, डे टु डे, 5, पृ० 161

२१ सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1986, पृ० 41

२२ वही, पृ०, 42

काग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए यही व्यक्ति अध्यक्ष के लिए उपयुक्त रहेगा। यदि किसी कारणवश यह नही आये तो जवाहर लाल आये।"[23] चौदह प्रान्तो के लोग भी सरदार को ही काग्रेस का अध्यक्ष बनाने के पक्ष मे थे। 31 दिसम्बर, 1929 ई० को भारत को यह निर्णय करना था कि वह आजादी लेकर ही रहेगा। इसलिए यह अधिवेशन और उसका अध्यक्ष पद बडा महत्वपूर्ण था। गॉधी जी की इच्छा जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने की थी, अतएव उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने अध्यक्ष पद एक खिलाडी की भॉति छोड दिया। 1936 ई० मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने कहा कि "अध्यक्ष की कुर्सी पर सरदार पटेल बैठे", किन्तु सरदार ने निस्पृह भाव से कहा कि "नेहरू को अध्यक्ष पद प्रदान किया जाय।"[24] 1946 ई० मे तीसरी बार लोगो ने मॉग की कि सरदार को अध्यक्ष बनाया जाय। इसी समय भारत को स्वराज्य मिलने वाला था अतएव जो व्यक्ति काग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत का प्रधानमत्री बनेगा, यह बात सरदार पटेल जानते हुए भी गॉधीजी की इच्छा का सम्मान करते हुए एक प्रकार से प्रधानमत्री का पद नेहरू के लिए त्याग कर एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। फरवरी 1949 ई० मे उन्होने कहा कि "मै हिन्दुस्तान का एक सैनिक हूँ, जीवन पर्यन्त उसकी सेवा करने का व्रत लिया है, अगर मै सेवा पथ से विचलित होऊँ तो मेरे जीवन का अन्त हो।"[25] सरदार पटेल ने राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत हित को कभी महत्व नही दिया।

भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सरदार पटेल एक विलक्षण शक्ति के रूप मे उभरे, जिनके साहस, स्पष्टवादिता और दूरदर्शिता को राष्ट्र हमेशा स्मरण करता रहेगा। उनका जीवन प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक खुली किताब की भॉति था। अपने स्पष्ट और निर्भीक वक्तव्य के लिए वे प्रसिद्ध थे। 1945 ई० मे बम्बई मे एक सम्मेलन मे उन्होने कहा "भारत छोडो सकल्प मे कोई बदलाव नही होगा, हमारा अगला प्रस्ताव होगा अग्रेजो एशिया छोडो।"[26] एक भाषण मे उन्होने कहा कि "मै साफ बोलने मे विश्वास करता हूँ और लघु सामग्री क्या है मै नही जानता।"[27] सरदार पटेल यथार्थवादी थे। राष्ट्रीय हित ही उनके

२३ वही पृ० 42

२४ वही पृ० 43

२५ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 28 फरवरी, 1949

२६ हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 जुलाई, 1945

२७ कुमार रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एव राजनीतिक विचार दिल्ली 1991 पृ०9-10

लिए परम लक्ष्य रहा और उसी पर आधारित उनके विचार, निर्णय तथा नीतियॉ रही। एक दार्शनिक की भॉति वे कल्पना की उडान नही लेते थे, बल्कि भारत की धरती पर खडे एक राष्ट्र भक्त, एक साहसी सैनिक और एक सरल किसान थे। राष्ट्रीयता उनका धर्म था। सरदार पटेल गॉधी जी की अहिसा मे उसी सीमा तक विश्वास करते थे जब तक वह व्यावहारिक है। **वी०पी वर्मा** के अनुसार ''अहिसा एक नीति थी, न की उनका जीवन दर्शन, क्योकि काश्मीर मे, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ वे सैनिक कार्यवाही के पक्ष मे थे।[28]

सरदार पटेल विरोधियो के हृदय को जीतने की कला मे माहिर थे। वे विरोधियो के समक्ष अपना पक्ष बडी दृढता के साथ अत्यन्त तार्किक ढग से रखते थे जिससे विरोधी भी उनका समर्थक बन जाता था। ''1927 ई० के गुजरात बाढ सकट के दौरान गुजराती जनता के अनुदान हेतु उन्होने अपने विरोधी अग्रेज सरकार से एक करोड रुपया प्राप्त किया।''[29] सुरक्षा और समृद्धि का आश्वासन देकर विलय पत्र समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार किया। रियासतो के छिन जाने के बावजूद सरदार की मृत्यु पर अनेक राजा यह कहकर रोये कि उनका मित्र तथा रक्षक चला गया।

सरदार पटेल एक सत्यप्रिय एव ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी राजनीति नैतिक स्तर पर आधारित थी। उनकी नैतिकता का सबसे बडा प्रमाण नेहरू के सबध मे गॉधी जी को दिया गया वह वचन था जिसके कारण उन्होने नेहरू को जीवन भर अपना नेता माना। सरदार काग्रेस सगठन के अनेक महत्वपूर्ण पदो पर रहे। भारत सरकार के उप प्रधान मत्री, गृहमत्री तथा रियासतो से सबधित विभाग जैसे महत्वपूर्ण मत्रालयो के मत्री थे लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नही लगा।

सरदार पटेल पश्चिम के समाजवाद के प्रति आकृष्ट नही थे। वे गॉधी जी के समाजवाद, जो इस देश की आवश्यकता से जुडा पर, को अधिक बल देते थे। भारत का समाजवाद भारत की धरती से उभरेगा, आपसी सहयोग पर आधारित होगा। वे देश के सतुलित विकास और सबको रोजगार दिलाने पर जोर देते थे। 26 जनवरी, 1948 ई० को पटना के नागरिको को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा- ''सब राजनीतिज्ञ, पूँजीपति, किसान, मजदूर, अपने-अपने धर्म का अनुपालन करे।'' 13 नवम्बर, 1949 ई० को उन्होने

---

२८ वर्मा, वी०पी०, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, खण्ड-2 आगरा, 1961 पृ0 355

२९ पटेल, राव जी भाई मणि भाई, पूर्वो, पृ० 65-66

कहा, "राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाना होगा। खाद्य और कपडा हमारी मूलभूत आवश्यकता है।"[30] इसके उत्पादन को बढाने के लिए उन्होने लोगो को अपने हितो को राष्ट्रीय हितो के सामने त्यागने को कहा। सरकारी तत्र, उद्योग और श्रम को एक जुट होकर राष्ट्र के विकास मे सक्रिय होना होगा। हमे अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यो को राष्ट्रीय कर्तव्य के सामने छोडना होगा। कम खर्च करो, अधिक से अधिक बचत करो, पूँजी निवेश करो, ये हमारे मूलमत्र बने।" 2 नवम्बर, 1948 को पटेल ने आवश्यक वस्तुओ के मूल्य पर रोक की बात कही, क्योकि उनके अनुसार महगाई हमारी आजादी पर सीधा प्रहार करती है।

सरदार पटेल अपने दृढ सकल्प और लौह नेतृत्व के लिए विख्यात है। राष्ट्रीय हित के लिए वे कठोर से कठोर कदम उठाने से नही हिचकिचाये। राष्ट्र की एकता और अखण्डता उनके जीवन का लक्ष्य था। भारत की एकता एव अखण्डता के महत्व को समझाते हुए उन्होने **17 दिसम्बर, 1947 ई०** को जयपुर मे कहा था कि—"एकता के अभाव के कारण भारत ने आजादी खोई। राजपूताना के स्त्री-पुरुषो की बहादुरी और समर्पण के बावजूद सदियो पहले भारत गुलाम बना था, हम फिर से यह भूल न दोहराये।"[31] 2 जनवरी, 1948 ई० को शिलाग मे सरदार ने कहा कि "भारत एकीकरण की दिशा मे आगे बढ रहा है। छ महीने पहले भारत मे अनेक छोटे-छोटे स्वतत्र रजवाडे खडे हो गये होते। इसके बदले हमने एकीकरण और राष्ट्रीय एकता सिद्ध की है। इसके परिणामस्वरूप उज्वल भविष्य के लिए विशाल अवसर खडे हुए है। हमारे अच्छे या बुरे भविष्य का निर्माण अब हमारे हाथ मे है। अगर हमे अपना भविष्य सुधारना है तो वह एकता के द्वारा ही सम्भव है।"[32]

सरदार पटेल एक कुशल, योग्य, अनुशासनप्रिय प्रशासक के रूप मे प्रसिद्ध हुए। अनुशासन सरदार को बहुत प्रिय था। अपने राजनीतिक जीवन मे उन्होने कभी अनुशासन भग नही किया तथा जो भी अनुशासनहीनता का आचरण करता था उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने से नही चूके। इस सदर्भ मे नारीमान और डॉ० खरे के विरुद्ध उनके द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रसिद्ध है। सरदार ने सरकारी सेवाओ को सदा उनके

३० भारत की एकता क निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50), प्रकाशन विभाग,नई दिल्ली, 1970, पृ० -133

३१ सरदार साहित्य गाला सम्पुट, अहमदाबाद, 1989, पृ०-15

३२ वही, पृ०-18

दायित्वो के प्रति सजग किया। वे स्वच्छ और सबल प्रशासन के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होने भ्रष्टाचार को मजबूती से दबाया। बिहार के गुड घपले की कडाई से छानबीन करवाई।

सरदार स्वतत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। सदैव स्वतत्र चिन्तनशील कार्य पद्धति पर चले। यद्यपि उन्हे गॉधी जी का अन्धभक्त कहा जाता है, परन्तु अनेक अवसरो पर उन्होने गॉधी जी से असहमति प्रकट की। उदाहरणार्थ, गुजरात विद्यापीठ का पुस्तकालय, जोकि गॉधी जी ने स्व० काका कालेकर की सलाह से अहमदाबाद म्युनिसपेलिटी को एक पक्षीय निर्णय से दी थी, सरदार की दृढता के कारण उसे वापस लेना पडा।

सरदार पटेल मे अद्भुत दूरदर्शिता थी। उनके जीवन के असख्य उदाहरण उनकी दूरदर्शिता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते है। सरदार पटेल काश्मीर समस्या को सयुक्त राष्ट्र सघ मे ले जाने के खिलाफ थे। यदि इस मुद्दे पर पटेल की बात स्वीकार की गयी होती तो यह गम्भीर समस्या न बनती। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व सरदार ने नेहरू को पत्र लिखकर सूचित किया कि हिन्दी चीनी भाई -भाई की तुम्हारी धारणा गलत है। इस प्रकार सरदार ने पहले ही चीन की साम्राज्यवादी नीति को पहचान लिया था।

मुस्लिमो के प्रति सरदार पटेल का दृष्टिकोण राष्ट्रहित पर आधारित था। जिसके कारण कुछ लोगो ने उन्हे मुस्लिम विरोधी के रूप मे प्रचारित किया, परन्तु वे वास्तव मे सभी अर्थो मे तटस्थ थे। 6 जनवरी, 1948 ई० को सरदार पटेल ने कहा था कि ''मै मुसलमानो का सच्चा मित्र हॅू पर मुझे उनका शत्रु करार दिया जाता है क्योकि मै स्पष्ट बात कहता हॅू।'' उन्होने मुसलमानो को स्पष्ट शब्दो मे कहा कि उन्हे एक राष्ट्र का चुनाव करना है, दो नावो पर एक साथ सवार नही हो सकते।''[33]

सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ने ससद मे कहा कि ''आज सवेरे 9 37 को एक महान जीवन का अन्त हो गया। भारत का इतिहास उन्हे राष्ट्र निर्माता एव कुशल सगठनकर्ता के रूप मे याद करेगा। वे हमारे स्वतत्रता आदोलन के महान नायक थे, जिन्होने हमे कठिनाइयो मे सही सलाह दी, विजय के क्षणो मे एक मित्र व सहयोगी रहे। शक्ति के स्त्रोत के रूप मे गिरते मनोबल को ऊपर उठाया।''[34]

३३ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50), प्रकाशन विभाग नई दिल्ली 1970, पृ०- 68

३४ कृष्णा बी, इण्डियाज आयरन मैन नयी दिल्ली, 1995, पृ०-513

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि कोई अग्नि सरदार के यश को जला नही सकती। चक्रवती राजगोपालाचारी ने कहा कि वल्लभ भाई प्रेरणा, आत्मबल और शक्ति का जीवन्त स्वरूप थे। मौलाना आजाद के शब्दो मे पटेल की दिलेरी और वीरता पहाडो की तरह ऊँची थी उनका निर्णय लौह समान था।''[35]

अशोक मेहता ने सरदार को 'इस्पात का व्यक्ति' बताया जिनमे चट्टान की तरह आत्मविश्वास था।''[36] वे जरा भी जल्दबाज नही थे। उनमे सयम था, वे रुकना जानते थे और रुक कर, समय और साधनो की प्रतीक्षा कर एक बार कदम आगे बढा देते थे, तो बढे हुए कदमो को पीछे खीचना तो दूर रहा, उसे रोकना नही जानते थे। अपने उद्देश्य मार्ग के अवरोधो को हटाने मे वे एक ऐसे अभिजात आक्रमणकारी थे जिनके हृदय मे लेशमात्र भी दया भाव नही रहता।''[37]

*****

---

३५ गाधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, अहमदाबाद, 1973, पृ०- 533

३६ मेहता, अशोक, सरदार पटेल, एक शब्द चित्र पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ०- 49

३७ दास, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ०- 94-98

अध्याय - 2

कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता के रुप मे सरदार पटेल

(i) सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश

(ii) अहमदाबाद म्युनिसपेलिटी मे योगदान

(iii) गुजरात सभा के सचिव

(iv) खेडा सत्याग्रह

(v) रौलेट एक्ट का विरोध

(vi) नागपुर झडा सत्याग्रह

(vii) बोरसद सत्याग्रह

(viii) बारदोली सत्याग्रह

(x) काग्रेस मन्त्रिमडल के पथ प्रदर्शक

(ix) पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष

(xi) 1945-46 के चुनावो के प्रमुख

कुशल प्रशासक एव संगठनकर्ता के रूप में सरदार पटेल

1915 ई० तक वल्लभ भाई पूरे तरीके से वकालत के पेशे से जुडे रहे तथा राजनैतिक क्षेत्र मे प्रवेश नही किया। उन्होने बैरिस्टरी की शुरूआत अहमदाबाद से की, जबकि उनके बडे भ्राता विट्ठल भाई पटेल बम्बई मे वकालत करने के साथ-साथ अपना अधिकाश समय सार्वजनिक कार्यो मे व्यतीत करते थे। इसलिए वल्लभ भाई ने परिवार का खर्च उठाने की जिम्मेदारी स्वय अपने कंधो पर ले ली तथा भाई को सार्वजनिक कार्यो के लिए खुली छूट दे दी। सन् 1921 ई० मे वल्लभभाई ने दोनो भाइयो के मध्य हुए समझौते की रोचक चर्चा करते हुए कहा, ''हमने तय किया कि दोनो मे से एक देश की सेवा करे और दूसरा कुटुम्ब सेवा करे।तबसे मेरे बडे भाई ने अपना धडाके से चलता हुआ पेशा छोडकर देश सेवा का कार्य शुरूकर दिया और मैने घर चलाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कार्य किया। इस प्रकार पुण्य का कार्य मेरे बडे भाई के हिस्से मे आया और मेरे हिस्से मे आया पाप का कार्य। परन्तु मै यह समझकर मन को खुश कर लेता कि उनके पुण्य मे मेरा भी हिस्सा है। वकालत का धन्धा करते हुए मेरे मन मे मेरा भी हिस्सा है।[1] 1913 ई० मे विट्ठल भाई के बम्बई विधान परिषद् मे चुने जाने के उपरान्त वल्लभभाई राजनीति की ओर आकर्षित हुए। 1915 ई० मे गुजरात सभा द्वारा आयोजित बम्बई प्रेसीडेन्सी राजनीतिक सभा मे विट्लभाई के साथ भाग लेकर सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश किया। तदुपरान्त भारतीय राजनीति मे एक कुशल प्रशासक एव सगठनकर्ता के रूप मे विख्यात हुए।

(I) सार्वजनिक जीवन मे प्रवेश

1915 ई० मे दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर आश्रम स्थापित कर वही बस गये। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गॉधी जी द्वारा चलाये गये आन्दोलन मे अपनाये गये सत्य और अहिसा का सिद्धान्त गुजरात क्लब मे चर्चा का विषय बन गया। गुजरात क्लब के अधिकाश सदस्यो के आग्रह पर गॉधी जी

१ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 26

को क्लब मे आमन्त्रित किया गया। गॉधी जी अपना विचार व्यक्त करने के लिए आये। श्री जी०डी० मावलकर ने तत्कालीन घटना की चर्चा करते हुए लिखा है, "जब गॉधी जी क्लब मे आये उस समय वल्लभ भाई अपने मित्र ठाकोर के साथ ब्रिज खेल रहे थे और मै साथ बैठा खेल देख रहा था। जब मै गॉधी के पास जाने के लिए उठने लगा तो वल्लभाई ने मुझे वहॉ जाने से रोकने के लिए मुझ पर व्यग्य किया कि वहॉ जाकर क्या सुनोगे, वे तो गेहूॅ मे से ककड बीनने की ही बात कहेगे। ऐसा करने से क्या देश स्वतत्र होने वाला है? क्या उस समय किसी ने ऐसा सपने मे भी सोचा था कि यह व्यक्ति एक दिन गॉधी जी के दर्शन, कार्य पद्धति एव नेतृत्व मे दृढ विश्वास रखने वाला बनेगा।"[2]

उस समय देश के नेता माने जाने वाले व्यक्तियो की दिनचर्या उनके अस्पष्ट विचार अनिश्चित व्यवहार, आदि देखकर वल्लब भाई के मन मे तत्कालीन राजनीतिज्ञो के प्रति घृणा हो गयी थी। इसी बीच गॉधी जी द्वारा गुजरात सभा का सदस्य बनने के लिए रखी गयी यह शर्त "गुजरात सभा प्रजा को सत्ताधारियो से भीख मॉगने की सलाह न दे, परन्तु प्रजा को इस प्रकार शिक्षा दे कि उसमे सरकार से अपने उचित अधिकार प्राप्त करने की शक्ति पैदा हो।" बल्लबभाई को प्रभावित किया। साथ ही विट्ठल भाई की सफलता तथा राजनीति मे सक्रिय लोगो से सम्पर्क के कारण वल्लभभाई ने एक साथ दो क्षेत्रो- प्रथम अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी और द्वितीय गुजरात सभा मे प्रवेश किया।

(ii) अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी मे योगदान

प्रजातान्त्रिक मूल्यो के विरुद्ध सरकार ने 1914 ई० मे म्युनिसिपल एक्ट मे सशोधन करके अधिक आबादी वाले नगरो की म्युनिसिटिपेलिटियो मे एक म्युनिसिपल कमिश्नर रखने की व्यवस्था की। म्युनिसिपल कमिश्नर पद पर आई०सी०एस अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। साथ ही उसे और अधिक अधिकार सौपे गये। इस सशोधन के पीछे सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन पर सरकार का नियत्रण बढाना और उसके अधिकार सीमित करना था। जन विरोधी इस सशोधन का जनता ने विरोध किया। एम० ए० जिन्ना की अध्यक्षता मे अहमदाबाद मे हुए सम्मेलन मे इस प्रतिक्रियावादी सशोधन का विरोध किया

---

२ उद्धत, काग्रेस वर्णिका, भारतीय राष्ट्रीय काग्रेरा के 100 वर्ष, नई दिल्ली, 1985, पृ० 225

गया तथा इसे म्युनिसिपेलिटी के सीमित आर्थिक साधनो पर अनुचित बोझ की सज्ञा दी गयी।''[3] सम्मेलन मे इस सशोधन को रद्द करने की भी मॉग की गयी जिसे सरकार ने अस्वीकार कर जॉन शिडली नामक म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति की, जो बहुत ही घमडी और निष्ठुर व्यक्ति था। इस पद पर नियुक्ति पाते ही उसने अपने आतक का राज्य कायम कर लिया।

अहमदाबाद के वकील समुदाय के निवेदन पर वल्लभ भाई ने म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। सयोगवश दरियापुर बोर्ड के म्युनिसिपल सदस्य की मृत्यु के कारण उप चुनाव हुआ, जिसमे वल्लभ भाई पटेल (17 मई, 1917) निर्विरोध चुन लिये गये। चालीस सदस्यीय म्युनिसिपल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष सर रमण भाई मैन थे। म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनने के उपरान्त सरदार पटेल ने सर्वप्रथम म्युनिसिपल एक्ट के नियमो एव उपनियमो का अध्ययन किया और प्रयास किया कि किस प्रकार से निर्वाचित सदस्यो एव म्युनिसिपल के कर्मचारियो मे सामजस्य पैदा किया जाय और उन्हे जनता के प्रतिनिधियो के निकट लाया जाय। इसके उपरान्त वल्लभ भाई ने म्युनिसिपल कमिश्नर जॉन शिडली की अमानुषिक मनोवृत्ति पर अकुश लगाने का निश्चय किया।

म्युनिसिपल बोर्ड ने अपनी सीमा के अन्दर एक सील भरवाने का प्रस्ताव किया जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को पचास हजार वर्ग गज भूमि विकास हेतु मिल सकती थी। परन्तु कमिश्नर शिडली ने बोर्ड के प्रस्ताव के विरुद्ध उस क्षेत्र को फतेह मोहम्मद गुशी नामक व्यक्ति को दिया सिलाई की फैक्ट्री हेतु पट्टे पर देने का निर्णय किया। पुराने अभिलेखो का अध्ययन करके वल्लभ भाई पटेल ने सिद्ध किया कि कमिश्नर मे व्यक्तिगत हितो के लिए सार्वजनिक हितो की उपेक्षा की। सरदार पटेल ने बोर्ड से एक प्रस्ताव पास करवाया कि शिडली ने सील के सबध मे बम्बई सरकार को गलत सूचना दी, अत वे अपने पद के योग्य नही है। वल्लभ भाई के प्रयासो से शिडली को अपने पद से हटना पडा।''[4] यह वल्लभ भाई की सार्वजनिक क्षेत्र मे पहली विजय थी।

---

३ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, रारदार वल्लभभाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997 पृ० 19

४ वही, पृ०20

शिडली की जगह मि० मास्टर कमिश्नर बनकर आये। वे स्वभाव से तो नरम अवश्य थे किन्तु काम मे अत्यन्त ढीले थे। उनका एकमात्र उद्देश्य जनता का शोषण करना एव अपनी जेब गर्म करना था। आते ही उन्होने वेतन के अतिरिक्त कुछ भत्तो की मॉग की। सरदार वल्लभभाई पटेल को जैसे ही इसकी सूचना मिली उन्होने तुरन्त जवाब दिया कि सरकार ने जो वेतन वगैरह निश्चित करके उनकी नियुक्ति की है उन्हे स्वीकार हो तो रहे अन्यथा चले जॉय। फलत उन्हे बाध्य होकर वापस जाना पडा।

उत्तरी क्षेत्र के क़मिश्नर फ्रैडरिक प्रैट जिनकी इच्छा थी कि म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ-साथ म्युनिसिपल इजीनियर एव स्वास्थ्य अधिकारी भी अग्रेज होना चाहिए, का विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सयोगवश उसी समय अहमदाबाद मे म्युनिसिपल इजीनियर की जगह खाली हुई। यद्यपि इस पद के लिए दो भारतीय उम्मीदवार भी खडे किये गये जो काफी योग्य थे, परन्तु मि० प्रैट ने मेकासे नामक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और अपनी कूटनीति से म्युनिसिपल इजीनियर भी बना दिया। उनकी नियुक्ति होते ही म्युनिसिपैलिटी मे असतोष का वातावरण छा गया। सयोगवश उन्ही दिनो शहर मे पानी की कमी हुई जिससे जनता बहुत त्रस्त हो गयी। गुजरात सभा की ओर से महात्मा गॉधी की अध्यक्षता मे एक आम सभा बुलाई गयी जिसमे प्रस्ताव पारित किया गया तथा उसकी एक-एक प्रति म्युनिसिपेलिटी के अध्यक्ष, कलक्टर तथा कमिश्नर तीनो को भेजी गयी। कमिश्नर साहब ने गुजरात सभा के मत्रियो से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अत मत्री की हैसियत से श्री शिवाभाई मोतीभाई पटेल और दादा साहब मावलकर उनसे मिलने गये। मुलाकात के दौरान मि० प्रैट ने म्युनिसिपल एक्ट को सामने रखकर तार्किक उत्तर दिये। उन्होने कहा कि, "कानून मे म्युनिसिपैलिटी शब्द है इसमे चुने गुए म्युनिसिपल अग और मनोनीत म्युनिसिपल अग का कोई भेद नही किया गया है। इसलिए आपको जो कुछ भी शिकायत हो उसके लिए म्युनिसिपल हाल मे जाइये और आप जो चाहते है न मिले तो म्युनिसिपल कमेटी को चैन न लेने दीजिये। वहॉ ढोल पीटिये। इतने पर भी पानी न मिले तो, मेम्बरो के घर जाइये और उनके घरो मे आग लगा दीजिये।"[5] कुछ दिनो बाद पानी की स्थिति की जॉच के लिए सरकार के सलाहकार इजीनियर डायर अहमदाबाद भेजे गये। सेनिटरी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सरदार पटेल ने भी डायर और प्रैट के साथ पानी

५ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग-एक, अहमदाबाद, 1950, पृ० 55

की वास्तविक स्थिति की जॉच के लिए शहर का भ्रमण किया। बातचीत के दौरान मि० प्रैट ने मुस्कराते हुए सरदार साहब से कहा कि परिस्थिति से मुकाबला करने का सर्वोत्तम तरीका तो यह है कि आपकी कमेटी म्युनिसिपल इजीनियर के साथ सहयोग करे।''[6] मि० प्रैट अपनी बात पूरी भी नही कर पाये थे कि पटेल ने गुस्से मे उत्तर दिया, ''उत्तम उपाय तो इस नालायक व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना है। आपने इसे म्युनिसिपेलिटी पर थोप दिया है। इस इजीनियर ने हमारी कमेटी से जो कहा उसे क्या हमने नही किया? इन्ही से पूछिये क्या ऐसा एक भी उदाहरण दे सकते है? जब गुजरात सभा के मत्री आपसे मिलने गये तब आपने उन्हे यह सलाह देने की घृष्टता की कि जाकर हमारे घर फूँक दे? हमारे घर क्यो जलने चाहिये? सारे फसाद की जड तो यह आदमी (मैकासे) है। इसका बगला जलना चाहिये।''[7] सरदार पटेल का उत्तर सुनकर मैकासे को वापस बुला लिया गया। इस घटना के बाद सरदार पटेल ने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ वकालत करना ही नही बल्कि अपने आपको मानव कल्याण के लिए समर्पित कर देना है।

1920 ई० मे सम्पन्न हुए म्युनिसिपेलिटी के त्रिवर्षीय चुनाव मे सरदार पटेल के प्रयास से उनके नेतृत्व मे विश्वास करने वाले अधिकतर सदस्य चुने गये। सरदार पटेल स्थानीय स्वशासन के मार्ग मे अवरोधक कानूनो को व्यर्थ मानते थे। सेनिट्ररी कमेटी के सभापति होने के कारण सरदार साहब ने पानी की उचित व्यवस्था तथा नालियो की सफाई आदि क्षेत्रो मे क्रान्तिकारी सुधार किये। गॉधीजी के नेतृत्व मे चलाये गये असहयोग आन्दोलन के समर्थन मे अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रबध मे चलने वाले विद्यालयो ने सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन का समर्थन किया। परिणामस्वरूप सरकार ने ग्राण्ट बन्द कर दिया लेकिन इसके बावजूद सरदार पटेल के प्रयासो से शिक्षातत्र व्यवस्थित और सुचारू रूप से पुन चलने लगा। 1921 ई० मे सरदार ने म्युनिसिपल एक्ट की धारा 178 बी के आधार पर म्युनिसिपल स्कूलो का प्रबन्ध तब अपने एक हाथ मे ले लिया और उसे डिप्टी इसपेक्टर ऑफ स्कूल के अधीन कर दिया तथा इम्पीरियल बैक के खाते से भी धन डिप्टी इसपेक्टर ऑफ स्कूल के खाते मे हस्तान्तरित करने के आदेश दिये। जनवरी 1922 ई० मे समस्या और विकट हो गयी जब म्युनिसिपल बोर्ड के एक सदस्य राव साहब हरिलाल भाई ने बैक

---

६ पटेल, आई०जे०, वल्लभ भाई पटेल, पब्लिकेशन डिवीजन, 1986 पृ० 46

७ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई,-भाग-एक, अहमदाबाद, 1950, पृ० 56

द्वारा धन वापस न करने पर इम्पीरियल बैक पर मुकदमा दायर करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति मे सरकार ने अहमदाबाद और सूरत म्युनिसिपैलिटिया बद कर दी।[8] सरदार पटेल ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए लिखा, ''स्थानीय स्वशासन की नीति पर माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित होने के बाद मई 1918 ई० मे एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था। उसमे केन्द्रीय सरकार ने जो नीति घोषित की है, उसमे बम्बई म्युनिसिपेलिटी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव बिल्कुल विरुद्ध है।''[9] वल्लभ भाई की नजरो मे ''अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी का झगडा सहयोग असहयोग के बीच नही था, बल्कि अन्धे सहयोग और स्वाभिमान के बीच था।''[10]

सरदार पटेल के प्रयासो से सस्था के कर्मचारियो एव म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यो के बीच सहकारिता का सुमेल हो गया। सरदार साहब की नजरो मे असहयोग का सच्चा अर्थ पाप के साथ असहयोग एव पुण्य के साथ सहयोग करना है। उनके अनुसार यदि पाप के साथ असहयोग करने के साथ ही यदि पुण्य कार्य के साथ सहयोग न किया जाय तो पाप के साथ किया हुआ असहयोग अपूर्ण माना जायेगा।

सरदार पटेल ने अपनी बुद्धि, चतुराई, कुशलता और शुद्ध सेवा भावना के प्रताप से अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी जैसी स्थानीय स्वराज्य की सस्था को सरकार के नागपास से मुक्त करके उसे शुद्ध प्रजातान्त्रिय सस्था बना दिया। ब्रिटिश सत्ता की फौलादी चहारदिवारी से और उस शासन के आदी बने हुए भारतीय कर्मचारियो को मानसिक गुलामी से मुक्त कराकर अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को कार्यक्षेत्र और जनता का सेवा केन्द्र बना दिया।

वल्लभ भाई केवल प्रबन्ध कार्य मे ही कुशल नही थे। शहर के सास्कृतिक विकास, स्वास्थ्य सुधार, सुन्दर स्थाप्य कला तथा जनता के शारीरिक, मानसिक एव बौद्धिक विकास की सुविधाये खडी करने मे भी उनकी कुशलता के दर्शन होते है। आज का विशाल बाडी लाल साराभाई अस्पताल और सेठ चिनाई प्रसूति गृह पटेल के भागीरथ प्रयत्न के ही परिणाम है। शहर की घनी बस्ती छोडकर शहर के बाहर खुले हवा, पानी का लाभ उठाने के लिए उन्होने नागरिको को सोसायटियॉ खडी करने की प्रेरणा दी। बदबू फैलाने वाले तालाबो के

---

८ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 20

९ नवजीवन, 19 फरवरी, 1992

१० वही

स्थान पर विशाल दृष्टि रखने वाले इजीनियरो को बुलाकर आज के काकरिया जैसे रमणीय स्थल की योजना तैयार कराई। शहर के आसपास जहॉ पानी इकट्ठा हो जाता था वहॉ सुन्दर बगीचे लगवाये। धनी लोगो की तिजोरी मे कैद लक्ष्मी को मुक्त कराकर, उसस शिक्षा, कला तथा सस्कृति का प्रसार करने वाली सस्थाये खडी करवाई। इस प्रकार सरदार ने अहमदाबाद की जनता की शुद्ध मन से सेवा की।

सन् 1924 ई० मे सम्पन्न हुए बोर्ड के चुनाव मे स्थानीय काग्रेस ने वल्लभ भाई के नेतृत्व मे चुनाव लडा। 60 सदस्यीय बोर्ड मे 12 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत थे। शेष 48 मे 10 स्थान मुसलमानो के लिए आरक्षित थे। काग्रेस ने 48 स्थानो पर चुनाव लडा जिसमे उसे 35 स्थानो पर सफलता मिली। वल्लभ भाई को बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अपने अध्यक्षकाल मे वल्लभ भाई ने म्युनिसिपल क्षेत्र मे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।

6 जुलाई, 1927 ई० को सूरत मे गुजरात स्थानीय निकाय के सम्मेलन मे अपने अध्यक्षीय भाषण मे पटेल साहब ने स्थानीय निकायो की कठिनाइयो का उल्लेख करते हुए सरकार की नीति की तीखी आलोचना मे कहा, ''पूरे प्रान्त मे 157 म्युनिसिपेलिटियॉ है जिसमे से लगभग सभी की आर्थिक स्थिति बुरी है।[11] अहमदाबाद सुधार हेतु सरदार पटेल ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सरदार पटेल के व्यक्तित्व के अनुसार अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी को छोडना उनता ही नाटकीय और महत्वपूर्ण था जितना कि उनका प्रवेश। 13 अप्रैल, 1928 ई० को पटेल साहब ने म्युनिसिपेलिटी से त्याग पत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के पीछे निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कारण थे। .

1 अध्यक्ष होने के पश्चात् उनकी इच्छा अपने सहयोगियो के की सहायता से म्युनिसिपेलिटी के प्रशासन को अत्यधिक कुशल बनाने की थी लेकिन सितम्बर 1926 ई० से वे म्युनिसिपेलिटी की् कार्य पद्धति से असन्तुष्ट चले आ रहे थे।

2 बारदोली सत्याग्रह तथा गुजरात प्रान्त की काग्रेस को सशक्त बनाने हेतु भी सरदार पटेल स्थानीय स्वशासन से विमुख होने लगे।

म्युनिसिपल क्षेत्र मे सरदार पटेल के नेतृत्व और उनके योगदान की चर्चा करते हुए पाठक एव सेठी ने लिखा है, ''अपने प्रथम कार्यकाल (1917-1920 ई०) मे पटेल ने सघर्ष

११ पारीख, नरहरिं, रारदार वल्लभ भाई, भाग 1, अहमदाबाद 1950, पृ०, 109

की भूमिका अपनाई और द्वितीय कार्यकाल तथा उसके उपरान्त उनका उद्देश्य सकारात्मक कार्यो द्वारा स्थानीय स्वशासन की जडो को मजबूत करना था।''[12] स्थानीय स्वशासन के बारे मे अपने अनुभवो की चर्चा करते हुए स्वय पटेल के कहा है, ''मैने अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी की अपनी क्षमतानुसार सेवा की, नगर की सेवा करने मे हमे जो सन्तोष होता था, उसे मै दूसरे क्षेत्र मे प्राप्त नही कर सकता था। इसके अलावा नगर की गन्दगी दूर करना राजनीति मे गन्दगी दूर करने से भिन्न है। प्रथम से आपको रात मे अच्छा आराम प्राप्त होगा जबकि दूसरा आपको चिन्तित रखेगा तथा आपकी नीद खो देगा।''[13]

(iii) गुजरात सभा के सचिव

सन् 1917 ई० मे चलाये गये चम्पारण आन्दोलन के कारण गॉधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र मे विशेष प्रभाव डाला। जुलाई 1917 ई० मे गॉधीजी को सभी लोगो ने एक स्वर से गुजरात सभा का अध्यक्ष चुना। उनके सहयोगी के रूप मे वल्लभ भाई सचिव पद पर, साथ ही हरिलाल देसाई भी सचिव और जी०वी० मावलकर को सयुक्त सचिव पद पर चुना गया। इसी वर्ष यह भी निश्चित किया गया कि प्रतिवर्ष गुजरात मे एक राजनैतिक परिषद् की बैठक की जाये। प्रथम परिषद् के लिए सर्वसम्मति से गोआ शहर को उपयुक्त समझा गया। महात्मा गॉधी की अध्यक्षता मे प्रथम बैठक नवम्बर 1917 ई० मे हुई जिसमे देश के अनेक नेताओ ने भाग लिया। गॉधीजी द्वारा सभा मे अपना भाषण अग्रेजी मे न दिये जाने के कारण जिन्ना ने गुजराती तथा बाल गगाधर तिलक ने मराठी मे अपना भाषण दिया। वल्लभ भाई ने कोई भाषण नही दिया। गॉधी जी ने इस परिषद् मे तीन महत्वपूर्ण सुधार किये। प्रथम प्रत्येक वक्ता को या तो हिन्दी मे या गुज़राती मे भाषण देना होगा, द्वितीय किसी भी प्रस्ताव मे ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी नही दिखाई जायेगी, तृतीय परिषद् की ओर से एक कार्य समिति का गठन किया जाय जो दूसरे वर्ष दूसरी परिषद् के गठन तक कार्य करे।

परिषद् द्वारा बनायी गयी कार्यसमिति के अध्यक्ष महात्मा गॉधी बने। इसके प्रधान मत्री वल्लभ भाई पटेल बनाये गये, जबकि इन्दु लाल पारिक इसके सयुक्त मत्री बनाये गये। समिति की केन्द्र भूमि अहमदाबाद को बनाया गया।

---

१२ पाठक, देवव्रत एन०, प्रवीण सेठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फ्राम सिविल टू नेशनल लीडर शिप अहमदाबाद, 1980, पृ० 361

१३ तहमनकर, डी०वी, सरदार पटेल, लन्दन 1970, पृ० 63

गोधरा परिषद् की कार्यसमिति के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, वह थी बेगार प्रथा का उन्मूलन। बेगार प्रथा के बारे मे नरहरि पारीख ने लिखा है, ''उस समय जब सरकारी अधिकारी गॉवो मे जाते थे तो गॉव के विभिन्न प्रकार के पेशे के लोगो से बेगार लेते थे। गॉव के कुम्हार, नाई वगैरह लोगो को अधिकारी तथा उनकी कचहरी के आदमियो की तमाम सुविधाओ के लिए अलग-अलग काम मजबूरन करने पडते थे और उसके लिए पूरे दाम नही मिलते थे और कई बार तो बिल्कुल नही मिलते थे। बढई को साहब के तम्बू खडे करने के लिए लकडी की खूॅटिया तैयार कर देनी पडती थी, कुम्हार को मिट्टी के बर्तन मुहैया कराने पडते थे और पानी भरना पडता था, नाई को बुहारने, झाडने और दिया बत्ती का काम करना पडता था, गाव के बनिये को जो चाहिये सो खाना सामग्री जुटा देनी होती थी और जब अफसरो का डेरा उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तब किसानो को तमाम सामान पहुॅचाने के लिए गाडियॉ जोतनी पडती थी। इस प्रकार गॉव के हर एक आदमी को कुछ न कुछ करना पडता था। इन सब बातो की व्यवस्था गॉव का मुखिया पटेल करता था।''

बेगार प्रथा के दुष्परिणामो से व्यथित होकर गुजरात परिषद् ने बेगार विरोधी आन्दोलन चलाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। जिसमे कहा गया कि बेगार की प्रथा अत्यन्त अन्यायपूर्ण एव कष्टप्रद है। इसका कोई वैधानिक आधार नही मालूम पडता। परिषद् की दृष्टि से यह विशुद्ध, गैरकानूनी है किन्तु गुजरात के कई जिलो मे यह प्रथा प्रचलित है और बहुत पहले से लोग इसे मान्यता देते चले आ रहे है, अत परिषद् यह निवेदन करती है कि यदि इस अमानुषिक प्रथा का कोई कानूनी आधार नही है तो शीघ्रातिशीघ्र इसके उन्मूलन की घोषणा की जाय। सरकार और जनता के कल्याण को दृष्टि मे रखते हुए परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया कि बेगार प्रथा को रोक कर कानून के उल्लघन को रोका जाय।

प्रस्ताव की एक प्रति कमिश्नर प्रैट को भेजा गया किन्तु अपनी निरकुश मनोवृत्ति के कारण मि० प्रैट ने उस पर कुछ भी ध्यान नही दिया और क्रोधावेश मे आकर कचरे की टोकरी मे फेक दिया। इसी बीच गॉधी जी चम्पाराण चले गये, अत आन्दोलन का पूरा भार सरदार पटेल के कधे पर आ गया। उन्होने गॉधी जी के परामर्श से मि० प्रैट के पास दूसरा पत्र भेजा और प्रथम पत्र के मसविदे की याद दिलायी। परन्तु मि० प्रैट ने दूसरे पत्र का भी कोई उत्तर नही भेजा। बाध्य होकर पटेल ने अपने तीसरे पत्र मे स्पष्ट किया कि बेगार

प्रथा अवैधानिक है और चेतावनी दी कि दस (10) दिन के बाद परिषद् बेगार प्रथा को पूर्णत गैरकानूनी घोषित करने के लिए जनता को पैम्फलेट द्वारा सूचित करेगी। यदि आपको कोई आपत्ति है तो 10 दिन के अन्दर ही अपना सुझाव दे।

तीसरा पत्र पढने के बाद मि० प्रैट घबराया और उसने सरदार पटेल को विचार विमर्श हेतु अपने निवास पर बुलाया पर पटेल ने इन्कार कर दिया और दस दिन के उपरान्त पम्फलेट वितरित कर परिषद् की ओर से यह घोषणा कर दी गयी कि बेगार प्रथा अन्याय पूर्ण और गैरकानूनी है जिसका जनता को खुलकर विरोध करना चाहिए। इस योजना से जनता मे नयी जागृति पैदा हुई। यद्यपि इस घटना से बेगार प्रथा का पूर्ण रूप से अन्त नही हुआ। किन्तु जनता के हृदय पर जो आतक की कालिमा छायी थी उसका अन्त अवश्य हो गया। जनता को अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया। महात्मॉ गॉधी ने इस घोषणा से प्रसन्न होकर सरदार साहब को बधाई सन्देश भेजा। यह सरदार साहब के सार्वजनिक जीवन की प्रथम विजय थी।

(IV) खेडा सत्याग्रह

खेडा सत्याग्रह सरदार पटेल के जीवन का प्रथम सत्याग्रह था। सन् 1917 मे अतिवृष्टि के कारण खेडा जिले में औसतन 30 इच वर्षा के स्थान पर 70 इच वर्षा हुई जिससे सारी फसल नष्ट हो गई। यहॉ तक कि मवेशियो के लिए घास-चारा आदि भी उत्पन्न नही हुई। सामान्यतया जब कभी वर्षा ऋतु मे बरसात अधिक हो जाती है तो यह उम्मीद की जाती है कि शरद ऋतु की रबी की फसल अच्छी होगी। किन्तु इस समय चूहो ने भारी उत्पात मचाया जिससे फसलो मे तमाम प्रकार के रोग लग गये और फसले बेकार हो गयी। इस प्रकार किसानो को पूरे वर्ष दोहरीमार झेलनी पडी। उनके सामने लगान चुकाने का सकट आ गया। लगान के सबध मे कानून यह था कि "हर वर्ष फसल का अनुमान लगाया जाय, यदि फसल छ आने से कम मालूम पडती है तो आधा लगान स्थगित कर दिया जाय और यदि चार आने से कम दिखती है तो सारा लगान स्थगित कर दिया जाय साथ ही अगर उसमे अगले वर्ष भी फसल न हो तो पिछले साल का स्थगित लगान माफ कर दिया जाय।"[14]

---

१४ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग-एक, अहमदाबाद, 1972, पृ० 49

17 नवम्बर, 1917 ई० को श्री पाण्डया जी ने कठलाल गॉव के किसानो की तरफ से एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से सरकार से मॉग की, कि पूरे साल मे अतिवृष्टि के कारण चार आने से भी कम फसल पैदा हुई है इसलिए लगान स्थगित कर दिया जाय। इसी प्रकार नाडियाद की होमरूल लीग शाखा ने अलग-अलग गॉवो से 18 हजार किसानो, बठलाल की शाखा ने चार-हजार किसानो के हस्ताक्षर वाला प्रार्थना पत्र बम्बई सरकार के पास भेजा और उसकी प्रतियॉ जिला कलेक्टर, उत्तरी विभाग के कमिश्नर, बम्बई प्रान्त के राजस्व सदस्यो, महात्मॉ गॉधी जी, गोकुल दास पारीख, माननीय विट्ठल भाई पटेल तथा गुजरात सभा के सचिवो के नाम भेजी। सरदार साहब उस समय गुजरात सभा के सचिव थे। बम्बई सरकार ने यह जवाब दिया कि "लगान के मामले मे सारा अधिकार जिला कलेक्टर को है और प्रार्थना पत्र मे जो मुद्दे बताये गये है उस पर वे ध्यान भी दे रहे है।"[15]

सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिलने से मध्य दिसम्बर मे विट्टल भाई पटेल तथा गोकुल दास पारीख ने किसानो के एक प्रतिनिधि मडल के साथ कलेक्टर से मुलाकात करके अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप 22 दिसम्बर 1917 ई० को जिला कलेक्टर ने "अहमदाबाद, नाडियाद और कपडबग ताल्लुके के 104 गॉवो मे कुल मिलाकर एक लाख पिचछत्तर हजार आठ सौ अडसठ (1,75,868 रु०) को रकम की लगान स्थगित किया जबकि जिले मे कुल (23) तेईस लाख रु० लगान था यानी कुल 74 प्रतिशत लगान वसूल करना ही स्थागित किया।"[16] आदेश प्रकाशित होते ही पटवारी लोग जबरदस्ती वसूली करने पर उतर आये और तरह-तरह के जुल्म ढाने लगे। उनके अत्याचार से लोगो ने घर त्यागना शुरू कर दिया। "पटवारी लोग अत्याचारो के साथ-साथ बेइज्ज़ती करने पर भी उतारू हो गये थे। महिलाओ के सामने गन्दी-गन्दी गालियॉ देते थे वे कहते थे कि घर बेचो, भूमि बेचो, पशुओ को बेचो और फिर स्त्रियो और बच्चो को बेचो लेकिन सरकारी लगान का भुगतान करो।"[17]सरकार ने कठोरता की और शह भी दी, जिससे एक प्रकार का किसानो के जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो गया।

इसी समय महात्मा गॉधी अहमदाबाद पहुँचे और गुजरात सभा के सदस्यो की बैठक

१५ पटेल, राजीव भाई, मणि भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1972 पृ० 49

१६ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 85

१७ वही, पृ० 85

सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पर हुई। जिसमे यह तय किया गया कि जब तक बम्बई सरकार की ओर से लगान सबधी प्रार्थना पत्र का उत्तर नही आ जाता तब तक कमिश्नर से मिलकर लगान स्थगित करने को कहा जाय। गुजरात सभा की ओर से सर्वसम्मति के आधार पर गॉधी जी किसानो को नयी दिशा देने के लिए तैयार हुए। साथ ही अपने सहायक के रूप मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया। सरदार पटेल द्वारा गॉधी के सहायक के रूप मे काम करने के लिए तैयार होने पर गॉधी जी बहुत खुश हुए। इसके उपरान्त सभा ने तीन प्रस्ताव पास किये।

(1) पहली तारीख (1 1 1918) को गुजरात सभा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का निर्णय होने तक सरकार से लगान स्थगित करने की प्रार्थना की जाये।

(2) निर्णय सूचना किसानो को दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(3) कमिश्नर से मुलाकात के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल का चयन किया जाय।''[18]

सभा की बैठक के उपरान्त गॉधी जी पुन चम्पारण चले गये। अत सत्याग्रह का पूरा भार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कधे पर आ गया। प्रस्ताव के अनुरूप सभा की ओर से गुजरात के उत्तरी डिवीजन के कमिश्नर एफ०जी० प्रैट से मिलने एक शिष्टमडल 10 जनवरी, 1918 ई० को गया तो कमिश्नर ने केवल दो सदस्यो (कृष्ण लाल देसाई व जी०वी० मावलकर) से मिलना स्वीकार किया तथा गुजरात सभा को अवैधानिक घोषित करने की धमकी दी। ''इसी बीच गॉधी जी ने तार द्वारा सरदार पटेल को सूचित किया कि लगान स्थगित करने और वसूली का कार्य बन्द करने के लिए जबरदस्त आन्दोलन छेडा जाय। यह सत्याग्रह है और इसी से स्वराज्य मिलेगा। सम्भव है कि वह अभी न मिले। मौका पडते ही अपनी शक्ति के अनुसार सत्याग्रह की महिमा दिखाना परम धर्म है।''[19] गॉधी जी की सूचना के प्रतिक्रियास्वरूप खेडा जिले के कलेक्टर ने 14 जनवरी, 1918 ई० को आदेश निकाल कर यह चेतावनी दी कि ''लगान वसूल करने या उसको स्थगित का अधिकार पूरी तरह से जिला के कलेक़्टर को है। कलेक्टर के इस आदेश की पुष्टि 16 जनवरी, 1918 ई० को बम्बई सरकार ने भी कर दी।''[20]

---

१८ कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का रात्याग्रही जीवन, मुजफ्फरपुर, 1987 पृ० 17

१९ वही, पृ०18

२० वही, पृ०18

खेडा जिले के किसानो को उनके कष्टकारी जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए सत्याग्रह का मार्ग चुना तो उनके सहयोगी के रूप से सरदार साहब ने अग्रेजी वेशभूषा को त्याग कर धोती कुर्ता ग्रहण किया और ग्रामो के भ्रमण पर चल दिये। गॉधी जी ने समस्या के समाधान हेतु गवर्नर का भी दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई नतीजा नही निकला। इस प्रकार सारे प्रयत्न के असफल हो जाने के बाद 22 मार्च, 1918 ई० को शाम के छ बजे गॉधी जी ने नाडियाद मे खेडा जिले के किसानो की विशाल सभा मे सत्याग्रह का मगलाचरण करते हुए कहा कि ''असल मे जो पैदावार हो उसमे लगान किया जाता है, पैदावार न होने पर भी सरकार दवाब डालकर लगान ले, यह सहन नही किया जा सकता, परन्तु इस देश मे यह नियम ही बन गया है कि, सरकार की बात ही रहनी चाहिये। लोग कितने ही सच्चे हो, तो भी उनकी बात न मानकर सरकार को अपने ही मन की करनी है परन्तु बात तो न्याय की ही टिक सकती है। अत उसके सामने अन्याय का फैसला बदलना ही पडेगा।'[21] इसी दिन लगभग200 किसानो ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये दिन प्रतिदिन यह सख्या बढती ही गयी।

महात्मा गॉधी के प्रथम सहायक मे रूप मे सरदार पटेल ने सत्याग्रह का खूब जोर शोर से प्रचार-प्रसार किया। गॉधी जी की अनुपस्थिति मे सरदार पटेल ही सत्याग्रह का नेतृत्व करते थे। यद्यपि गॉधी जी इस आन्दोलन के सचालक थे पर सरदार पटेल ने इस आन्दोलन का क्षेत्र घटाने के लिए अपने ढग के गॉव-गॉव जाकर किसानो को हिम्मत बधाई। सरदार पटेल मे तो सत्याग्रह के गुण जन्मजात थे पर गॉधी जी के सैनिक के रूप मे उन्होने जो कमान सम्भाली उससे किसानो को विशेष हिम्मत आयी। वे लगातार कुर्कियॉ, जारी रहने पर भी अहिसक बने रहे। सरदार पटेल की प्रेरणा से स्त्रियो ने पुरुषो के साथ बराबर की भागीदारी करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक अखबार ने तो लिखा कि, ''जिस ढग से रैयत लड रही है वह अपने मे आश्चर्यवान है।''[22] दूसरे प्रान्तो मे भी सत्याग्रह के समर्थन मे सभाये होने लगी और सरदार पटेल के पास बधाई सन्देश आने लगे। गॉधी जी की छत्रछाया मे सरदार पटेल ने इतना सगठित आन्दोलन चलाया कि उसकी गूँज

२१ होम पोलिटिकल डिपार्टमेट 1918 डी०एन०/ एफ० एन० 26-12-18, नेशनल आर्चिब्स आफ इण्डिया न्यू, देल्ही

२२ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार पटेल, आणद 1974, पृ० 40

'हाऊस ऑफ कामन्स' तक सुनायी दी। सरदार पटेल ने निम्न मत्र खेडा के किसानो को सत्याग्रह की सफलता के लिए बताये।

1 ''सरदार पटेल ने किसानो से कहा कि ''यदि कानून गलत हो या उसका अमल सही ढग से सरकार न कर रही हो तो कानून का उचित ढग से पालन कराने के लिए प्रजा को कानून के विरुद्ध जाकर भी सत्याग्रह करना पडता है। यह प्रजा का अधिकार है।''[23] उन्होने स्पष्ट किया कि अगर अन्याय कि विरुद्ध भी सत्याग्रह नही किया गया तो उसका परिणाम अच्छा नही होगा। सरदार पटेल ने कहा कि ''आप जानते है कि एक कुम्हार भी गधे पर पहले एक मन बोझा रखता है, यदि उसे वह ले जाय तो आधा मन और बढा देता है और इस तरह करते-करते उससे दो मन बोझा खिचवाता है। इसी प्रकार आप सरकार के आस-पास बोझा जैसे-जैसे सहन करते जायेगे वैसे-वैसे सरकार आप पर ज्यादा बोझा डालती जायेगी। आपने जो बोझा अभी तक सहन किया है उसे उतार फेकिए और निर्भीक होकर बैठिये।''[24]

(2) किसानो का नेतृत्व वही कर सकता है जो उनके बीच रहकर उन जैसा हो जाय। इसके लिए वह अपना निवास अहमदाबाद से उठाकर नाडियाद किसानो के बीच ले गये।

(3) सरदार पटेल ने किसानो को अहिसक रहकर कष्ट सहने की प्रेरणा दी। उन्होने कहा कि, ''सरकार ने सत्ता की जोर से जमीन का लगान वसूल करने का निश्चय किया है। लोगो ने प्रतिज्ञा की है कि सरकार के अनुचित आदेशो का आदरपूर्वक वहिष्कार किया जाये और सरकार उसमे अगर सत्ता का प्रयोग करे तो आने वाले सभी दु ख सहन कर लिये जाय मगर लगान न अदा किया जाये।'' किसानो ने सरदार पटेल की बातो को मानकर सरकारी क्रूरता तथा दु खो को सहन किया, किन्तु लगान अदा नही किया।

(4) सरदार पटेल ने किसानो को एकता का मत्र देते हुए कहा कि, ''आपस मे जो जोश है उसे न्याय के लिए लडने के काम मे लीजिये। मारने के लिए हॅसिया उठाना छोड दीजिये। विनय और विवेक से चलिये।''[25] सरदार पटेल का कथन था कि यदि जन-बल

२३ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ०19
२४ वही, पृ० 23
२५ वही, पृ० 27

एकत्रित हो जाय तो कोई भी सरकार उसकी शक्ति नही तोड सकती। उन्होने दृढतापूर्वक कहा कि, "किसान एक है, उसका काम एक है, आदर्श एक है तथा मार्ग एक है।"[26]

इस प्रकार आदोलन अहिसक मार्ग से किसानो को कष्ट सहन करने कि प्रेरणा देते हुए गॉधी जी की छत्रछाया मे सरदार पटेल के व्यावहारिक नेतृत्व मे सफलता की ओर बढ चला था कि उसी बीच (3) तीन जून, 1918 ई० को गॉधी जी जैसे ही नाडियाद पहुँचे तहसीलदार उनके निवास पर पहुँच गया और उसने कहा कि, यदि अच्छी स्थिति वाले लोग लगान चुका दे तो गरीब लोगो का लगान स्थगित कर दिया जायेगा।"[27] इस पर गॉधी जी ने लिखित रूप से ऐसा देने के लिये कहा। तहसीलदार ने ऐसा ही किया। इसके उपरान्त गॉधी जी कलेक्टर से मिले और कहा कि यदि ऐसा आदेश सारे जिले मे लागू कर दिया जाय और अन्य प्रकार के दण्ड जो किसानो को कुर्की के दौरान दिये गये है उन्हे रद्द कर दिया जाय तो आन्दोलन का कोई अर्थ नही रह जायेगा।" कलेक्टर ने गॉधी जी की बात मानकर आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया।

"इस सत्याग्रह से जो भी सफलता मिली उसका सेहरा गॉधी जी ने सरदार पटेल के सिर पर रखते हुए कहा कि "सेनापति की चतुराई अपनी कार्य समिति चुनने मे होती है। बहुत से लोग मेरी सलाह मानने के लिए तैयार थे लेकिन उप सेनापति के रूप मे मैने वल्लभभाई को चुना। वल्लभभाई ने अपनी चलती हुई वकालत को छोडकर मेरे विचारो की लडाई मे शामिल हो गये। यदि वल्लभभाई न मिले होते तो जो काम आज हुआ वह कभी नही होता।"[28] खेडा आन्दोलन मे अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण सरदार पटेल गुजरात प्रान्त की सक्रिय राजनीति मे प्रवेश का अवसर दिया। सरदार पटेल 1920 से 1942 ई० तक गुजरात प्रान्त की काग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार गाधी जी गुजरात प्रान्त की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौप कर बडे कार्यो के लिए मुक्त हो गये।

---

२६ वही, पृ० 28

२७ पटेल, ईश्वर भाई, पूर्वो, पृ० 42

२८ प्रभाकर, विष्णु, रारदार वल्लभ भाई पटेल, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 9

रौलेट एक्ट का विरोध

प्रथम विश्व युद्ध मे इग्लैण्ड जर्मनी के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड रहा था। अत वायसराय ने भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए 29 अप्रैल, 1918 ई० को दिल्ली मे कुछ बडे नेताओ से मिलकर सहायता की मॉग की। सहायता सबधी वायसराय के प्रस्ताव का, 'मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है'' कहकर गॉधी जी ने समर्थन किया और अपने दिये हुए वचन के अनुसार उन्होने सहायता के लिए सैनिक भर्ती का काम अपने हाथ मे लिया। उनके इस कार्य मे सरदार पटेल साथ रहे। ''दोनो ने बडी कठिनाई से केवल सौ व्यक्तियो को ही भर्ती कर सके।''[29] गॉधी जी ने पूर्व मे ही घोषणा कर दी थी कि पहले सेनापति के रूप मे वे स्वय और उप सेनापति के रूप मे वल्लभभाई जायेगे। साथ ही उन्होने यह भी घोषणा कर दी कि वे युद्ध क्षेत्र मे नि शस्त्र ही आगे रहेगे। 9 नवम्बर 1918 ई० को जर्मनी द्वारा आत्म समर्पण कर देने के कारण वे दोनो सैनिक भर्ती के अपने दायित्व से मुक्त हो गये।

इन्ही दिनो सर माण्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारो के नाम पर नागरिक स्वतन्त्रता पर आघात करने वाला जो रोलेट एक्ट देश के सामने आया उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। इरा एक्ट द्वारा किसी भी सन्देहास्पद व्यक्ति को बिना किसी जॉच के जेल मे डाल देने की शक्ति पुलिस को प्रदान की गयी। देश के सभी बडे नेताओ ने इस एक्ट का विरोध किया। गॉधी जी ने इसे 'काला कानून' की सज्ञा दी और उनके मन से सरकार के प्रति श्रद्धा टूट गयी। स्वतन्त्रता, न्याय और व्यक्ति के मूल अधिकारो के विपरीत इस काले कानून का विरोध करने के लिए 24 फरवरी, 1919 ई० को गॉधी जी ने सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह शपथपत्र पर गॉधी जी के बाद दूसरे नम्बर पर सरदार पटेल के हस्ताक्षर थे। गॉधी जी ने निश्चय किया कि सत्याग्रह की लडाई आत्म शुद्धि की होने के कारण उसका आरम्भ उपवास और हडताल से किया जाय। ''हिन्दू लोगो के लिए 36 घटे तथा रोजे के कारण मुसलमानो के लिए 24 घटे का उपवास निश्चित किया गया। 30 मार्च 1919 का दिन उपवास और हडताल के लिए निश्चित किया गया। लेकिन कम समय मे

---

२९ दास, सेठ गोविन्द, रारदार पटेल दिल्ली, 1969, पृ० 38

यह खबर सारे देश मे नही जा सकेगी, यह सोचकर बाद मे उसे 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। परन्तु इस परिवर्तन की सूचना ठीक से सबको न मिल सकी। इसलिए 30 मार्च को दिल्ली मे अभूतपूर्व हडताल की गयी। हिन्दू मुस्लिम एक जुट हो उसमे सम्मिलित हुए। स्वामी श्रद्धानन्द तथा हकीम उल्ला ने हडताल का नेतृत्व किया। "स्वामी श्रद्धानन्द को जामा मस्जिद मे भाषण देने के लिए आमत्रित किया गया।"[30]

6 अप्रैल को सारे देश मे काला दिवस मनाया गया। उस दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अहमदाबाद मे सरदार पटेल के नेतृत्व मे एक विशाल जुलूस निकाला गया जो बाद मे जनसभा मे तब्दील हो गया। जन सभा को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने प्रतिक्रियावादी रोलेट एक्ट की आलोचना की। सभा विसर्जन के उपरान्त कानून भग का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इसके लिए सरकार द्वारा जब्त गॉधी जी की पुस्तके 'हिन्द स्वराज्य और सर्वोदय' को सरदार पटेल ने सार्वजनिक रूप से बेचा तथा सरकार की अनुमति के बगैर गुजराती भाषा मे सर्वोदय पत्रिका प्रकाशित की। पत्रिका का सारा कार्य वे अपने घर पर ही करते थे।

दिल्ली मे हुए भीषण दगे के कारण दिल्ली जा रहे गॉधी जी को 9 अप्रैल 1919 ई० को रास्ते मे ही गिरफ्तार कर लिया गया जिससे जनता भडक उठी और देश के अन्य भागो मे भी दगे होने लगे। अहमदाबाद मे भी यह आग भडकी और 10 अप्रैल, 1919 को भारी दगा हो गया। दगे मे उत्तेजित लोगो ने पुलिस थानो, तारघर आदि सरकारी इमारतो को जलाने के प्रयत्न किये। परिणामस्वरूप अहमदाबाद मे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इन दिनो सरदार साहब कुछ अन्य सहयोगियो के साथ दगा शान्त कराने, घायलो को अस्पताल पहुँचाने, दगा पीडितो को अनाज आदि मुहैया कराने का कार्य किया। उधर वल्लभ भाई के मकान पर पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया जिसके कारण उन्हे अनेक असुविधाओ एव कठिनाइयो से गुजरना पडा। किन्तु वे बडी शान्ति एव सहिष्णुतापूर्वक परिस्थितियो का सामना करते रहे। इस दगे के दौर मे नाडियाद इलाके मे रेल लाइन भी उखाडी गयी थी जिसके अपराध मे कुछ निरपराध व्यक्तियो को पकडा गया था। वल्लभ भाई ने इन व्यक्तियो के बचाव मे तन, मन और धन तीनो प्रकार से सहायता की। सरदार

---

३० पारीख, नरहरि सरदार वल्लभ भाई, भाग-एक, अहमदाबाद, 1950, पृ० 209

साहब ने उनका मुकदमा लडा और उन्हे मुक्ति दिलाई। मधु लिमये के अनुसार, "यह अतिम अवसर था जब कि पटेल काला चोगा पहन कर वकील के रूप मे न्यायालय मे उपस्थित हुए।"[31]

6 अप्रैल, 1919 को प्रारम्भ घटनाओ का अन्त 13 अप्रैल, 1919 ई० को जलियावाला बाग हत्याकाड के रूप मे हुआ, जिसने सारे देश की आत्मा और उसके स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। गॉधी जी ने इस बर्बरता का अन्त करने के लिए असहयोग आन्दोलन चलाने की घोषणा की।

अहमदाबाद मे दगे के दौरान कुछ लोगो ने सरदार पटेल पर सम्पत्ति को जलाने व नष्ट करने का आरोप भी लगाया तथा सी०आई०डी० ने जॉच भी शुरू कर दी परन्तु "कलेक्टर ने स्वय यह कहकर जॉच रोकवा दी कि सरदार ने शान्ति स्थापना मे अमूल्य योगदान दिया है।"[32] अहमदाबाद के पुलिस अधीक्षक मि० हेली का उन पर इतना विश्वास जम गया कि दस वर्ष उपरान्त भी उन्होने सरकार को यह सलाह दी थी कि, "वल्लभ भाई के बिना बारदोली मे शान्ति स्थापित नही हो सकती।"[33] इस प्रकार वास्तव मे अहमदाबाद के दगे मे सरदार साहब ने शान्ति स्थापित करने का ऐसा कार्य किया जो साम्राज्य की शक्ति से भी सम्भव नही था।

इस प्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल ने रोलेट एक्ट के दमन के विरुद्ध अहिसक मार्ग से गुजरात मे अपने कुशल नेतृत्व मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तथा स्वतत्रता सेनानियो के प्रेरणा स्रोत बन गये।

नागपुर झंडा सत्याग्रह

1923 ई० मे वल्लभभाई के नेतृत्व मे चलाये गये नागपुर झडा सत्याग्रह का भारतीय स्वतत्रता सग्राम मे महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। यद्यपि इसका सूत्रपात जबलपुर से हुआ था। अगस्त, 1922 ई० मे जब सविनय जॉच भग समिति जबलपुर गयी तो उस समय वहॉ कि म्युनिसिपेलिटी ने एक प्रस्ताव पास कर हकीम अजमल खॉ को मानपत्र भेट किया और

३१ लिमये, मधु प्राइम मूवर्स, दिल्ली, 1985 पृ० 85

३२ कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, मुजफ्फरनगर, 1987, पृ० 27

३३ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 376

म्युनिसिपल हाल पर झडा फहराया। सरकार ने इसे अपने झण्डे 'यूनियन जैक' का अपमान घोषित किया और राष्ट्रीय झडा नही फहराये जाने के लिए म्युनिलिपेलिटी पर धारा 144 लागू कर दी गयी।

18 मार्च, 1923 ई० को गॉधी जी के कारावास का कार्यकाल एक वर्ष पूरा हो गया उस दिन प० सुन्दर लाल के नेतृत्व मे राष्ट्रीय झडे के साथ एक जुलूस निकाला गया था। परिणामस्वरूप सुन्दर लाल जी बन्दी बना लिये गये तथा उन्हे 6 माह के कारावास की सजा सुनायी गयी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप 13 अप्रैल, 1923 को जालियावाला बाग दिवस पर नागपुर मे राष्ट्रीय झडे के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसे सरकार ने सिविल लाइन्स पर रोक दिया। नागपुर मे पुलिस ने धारा 144 लगाकर एक मई (1 मई) 1923 से सिविल लाइन्स मे राष्ट्रीय झडे समेत जुलूस पर प्रतिबध लगा दिया। इस घटना के साथ ही नागपुर झडा सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ।

नागपुर काग्रेस प्रान्तीय कार्य समिति ने 1 मई, 1923 ई० को राष्ट्रीय झडे के सम्मान हेतु आन्दोलन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव पास किया और सेठ जमना लाल बजाज के नेतृत्व मे झण्डा सत्याग्रह चलाने की घोषणा की गयी।सेठ जमना लाल ने राष्ट्रध्वज के साथ सिविल लाइन्स जाकर सरकार की आज्ञा का उल्लघन किया। सरकार ने अन्य लोगो के साथ उन्हे भी गिरफ्तार कर लिया।''[34] अब मध्य प्रान्त की सरकार ने राष्ट्र ध्वज के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस पर काग्रेस कार्य समिति ने इस प्रश्न को गम्भीरता से लेते हुए राष्ट्रध्वज की लडाई के सचालन का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई को सौपा। वल्लभभाई ने कार्यकारिणी की बात मानकर इसे धर्म कार्य के रूप मे स्वीकार किया और सफलता से इस सत्याग्रह का सचालन किया।

सत्याग्रह के लिए धन एव स्वयसेवको हेतु पटेल ने एक वक्तव्य दिया जिसमे उन्होने कहा कि ''नागपुर की लडाई अकेले मध्य प्रान्त की नही बल्कि सारे देश की लडाई है। हर प्रान्त ने सैनिक भेजकर इस लडाई का स्वागत किया है। अब यदि हम इस लडाई को व्यक्तिगत रूप से जारी न रखे तो देश की इज्जत जाती है।''[35]

---

३४ पटेल, राजीव भाई मणिभाई, हिन्द के रारदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 5

३५ नवजीवन 17 फरवरी, 1922

सरदार साहब ने सत्याग्रह हेतु नागपुर मे अपना पडाव डाला। वहॉ की परिस्थितियो को अच्छी तरह समझकर विभिन्न प्रान्तो की कार्यसमितियो को पत्र भेजकर उनसे स्वयसेवक भेजने की अपील की। इसी समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ जिसके सदस्य सत्याग्रह कार्यक्रम मे रूचि नही ले रहे थे। इस विषम परिस्थिति तथा गॉधी जी की अनुपस्थिति मे सरदार साहब को तो सत्याग्रह कार्यक्रम चलाना ही था, उन्होने कुशलतापूर्वक अपनी योजना तैयार की। सभी प्रान्तो से सत्याग्रही आने लगे। नागपुर और जबलपुर के अधिकारियो ने दुष्टतापूर्वक वह सघर्ष खडा किया था जो उन्ही पर भारी पडने लगा। सारे देश से सत्याग्रहियो का प्रवाह नागपुर की ओर चल पडा जिसे मध्य प्रान्त की सरकार सहन नही कर पायी। "वल्लभ भाई ने स्त्रियो के सत्याग्रही दलो की भी व्यवस्था की। पूज्यनीया कस्तूरबा के नेतृत्व मे गुजरात की स्त्रियो का एक दल तैयार हुआ।"[36] राष्ट्रध्वज सबधी मध्य प्रान्त की सरकार की आज्ञा की अवधि 17 अगस्त, 1923 ई० को पूरी हो रही थी। अब सरकार के सामने दो रास्ते थे। प्रथम यह कि आज्ञा की अवधि बढा दिया जाय और द्वितीय खामोश रहा जाय। इन दोनो स्थितियो मे सत्याग्रह जारी रखना सत्याग्रहियो का काम था इसलिए सरदार पटेल ने एक निवेदन निकाला जिसके सार निम्न थे—"मध्य प्रान्त के गर्वनर साहब जैसे लोग भी यह मानते है कि हम राष्ट्र ध्वज के साथ ऐसे जुलूस किसी भी स्थान पर निकालना चाहते है जिसके कारण यात्रियो को असुविधा हो। काग्रेस कार्यसमिति ने मुझे बताया कि यह बिल्कुल असत्य है। झडा सत्याग्रह जनता के कानून सम्मत और मूल अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्र ध्वज की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए किया जा रहा है, जनता के किसी वर्ग की भावना को ठेस पहॅुचाने के लिए नही। मुझे इस बात की भी सूचना मिली है कि होम सेक्रेट्री का कहना है कि झडे के साथ जुलूस ब्रिटिश यूनियन जैक का अपमान करने के लिए निकाले जाते है यह भी बिल्कुल झूठ है। राष्ट्र ध्वज के साथ जुलूस निकालने के पीछे सिर्फ भारतीय जनता के मूलाधिकार को सिद्ध करने का प्रश्न है।"[37]

सरदार साहब के उपरोक्त निवेदन से सरकार बुरी स्थिति मे फॅस गयी। यदि वह कुछ न करे तो सत्याग्रहियो की विजय होती है और यदि कोई कदम उठाती है तो सारे

३६ कुमार, रवीन्द्र, पूर्वो, पृ० 40

३७ पटेल, राजीव भाई पूर्वो, पृ० 52 व 53

देश मे सत्याग्रह का सामना करने को तैयार रहे। साढे तीन महीने की लम्बी लडाई के उपरान्त समझौता करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। होम सेक्रेटरी वल्लभ भाई से मिले जिसमे उन्होने सिविल लाइन्स इलाके मे राष्ट्र ध्वज के साथ जुलूस निकालने और सत्याग्रही कैदियो को जेल से मुक्ति की बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार 18 अगस्त, 1923 ई० को नागपुर झडा सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया गया।

सत्याग्रह का अन्त होने पर सरदार साहब ने कहा कि राष्ट्रीय झडे के साथ आम रास्ते पर व्यवस्थित रूप से जुलूस निकालने का अपना मूल अधिकार हमने स्थगित किया है। इसे मै सत्य, अहिसा और हमारे भोगे हुए दु खो की विजय मानता हूँ।

इस प्रकार नागपुर झडा सत्याग्रह मे सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व मे रची गयी व्यूह रचना तथा उनके प्रशासकीय क्षमता के जो दर्शन होते है उससे भावी भारतीय प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ प्रेरणा ग्रहण करके अपने क्षेत्र मे सफलता प्राप्त कर सकते है।

बोरसद सत्याग्रह

खेडा जिले की बोरसद ताल्लुके मे हत्या, लूटपाट और अपराधो की मात्रा खूब बढ गयी थी। डाकुओ का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। डाकू बाबर देवा और डाकू अली जैसे डाकुओ के कई गिरोह सक्रिय थे। नवम्बर 1923 ई० मे सरकार ने बोरसद तालुके की जनता पर अराजक, विकृत मस्तिष्क वाली और नीच कार्य करने वाले डाकुओ को आश्रय देने तथा उन्हे दड दिलाने मे सहायता न करने का आरोप लगाकार वहॉ अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति की गयी और इस पुलिस के व्यय का दो लाख चालीस हजार रुपये (2,40,000) का सारा भार बोरसद ताल्लुके से वसूल करने का आदेश जारी कर दिया गया।''[38] इसके लिए सोलह वर्ष की उम्र के अन्दर के सभी लूले-लगडे, अनाथ, स्त्री पुरुष पर प्रति व्यक्ति दो रुपये सात आने दड लगा दिया गया।[39] इस दड विधान के खिलाफ जनता मे आक्रोश फैल गया। जनता ने सरदार पटेल के समक्ष जाकर न्याय की गुहार लगाई।

सरदार पटेल ने समस्या के समाधान हेतु प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई तथा घटना की जॉच हेतु मोहन लाल पाड्या और रवि शकर महराज की दो सदस्यीय समिति

---

३८ दारा, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1960, पृ० 64

३९ कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, मुजफ्फरपुर, 1987, पृ० 45

गठित की। जिन्होने हर गॉव मे घूम-घूम कर सही तथ्यो की जॉच की, सरदार पटेल न इनसे भिन्न तरीके से भी सही तथ्यो की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ताल्लुका परिषद् का बोरसद मे अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन मे रखी गयी अपनी रिपोर्ट मे महाराज व पाडया समिति ने जनता के अधिकाश भाग को निर्दोष बतलाया। रिपोर्ट मे यह भी कहा गया कि डाकू लोग रात मे डकैती करते है लेकिन पुलिस वाले दिन दहाडे लूटते है। पुलिस डाकुओ से मिली हुई है। वह डाकुओ को बन्दूके देती है, गोलियॉ देती है और लूट के माल मे अपना हिस्सा ले कर जेबे भरती है। "सरदार पटेल ने बैठक मे इस रहस्य की जानकारी दी कि डाकू अली ने सरकार को डाकू बाबर को पकडवाने का वचन दिया है। बदले मे उसे लूटपाट करने की पूरी छूट दी गयी है। इस प्रकार सरदार साहब ने पुलिस पर डॉकुओ के आश्रय का आरोप लगाया।"[40]

इस परिषद् के उपरान्त सरदार साहब ने बोरसद मे एक दिसम्बर 1923 को प्रान्तीय समिति की बैठक बुलाई। समिति की बैठक मे प्रस्ताव किया गया कि जनता की रक्षा करना तथा उसके हेतु आवश्यक पुलिस का प्रबन्ध करना यह सरकार का फर्ज है। उस फर्ज का पालन करने के स्थान पर निर्दोष जनता पर झूठे आरोप लगाकार यह जो कर लगाया गया है वह सर्वथा अन्यायपूर्ण तथा अनुचित है साथ ही यह अत्याचारपूर्ण है। अत यह समिति इस अन्याय के विरुद्ध लडने व प्रजा को दड न देने की तथा वैसा करने पर दु ख भी उठाना पडे तो शाति से दु ख उठाने की, तथा अपने सम्मान की रक्षा की सलाह देती है। जनता को दॅडात्मक कर ने देने की सलाह देते हुए पटेल ने कहा कि, "डाकुओ के साथी कहलाकर सरकार को ढाई रुपये देने के बजाय डाकू ले जाय तो अच्छा है। हम ईमानदार और इज्ज़त वाले लोग है डाकुओ के डर से बचने के लिए हम डाकुओ के साथी होने की स्वीकृति पत्र अपने हाथो से लिख कर नही देगे।"[41] परन्तु पुलिस व कर अधिकारियो ने जनता से पूरी शान्ति के साथ कर वसूलना प्रारम्भ कर दिया।

सघर्ष की प्रगति के विषय मे जानकारी देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि यह महात्मा गॉधी के मार्ग पर लडी जाने वाली लडाई है। यह धर्म की लडाई है। धर्म के खातिर दु ख

४० पटेल, राजीवभाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 58

४१ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950 पृ०90

सहन करने मे बडप्पन है। लडाई शुरू करने के पूर्व उन्होने स्वयसेवको के लिए अपील की। प्रत्येक गॉव मे प्रशिक्षित स्वयसेवको की छावनिया तैयार की गयी। हर गॉव मे पचायतो ने प्रस्ताव पास किया कि वे नीलाम के काम मे मदद नही देगे। गॉव की एकता तथा शौर्य मे वृद्धि हेतु बोरसद से पत्रिका भी निकाली गयी जिसमे आन्दोलन के समाचारो के अलावा सलाह एव सूचनाये भी दी जाती थी।

सरकार ने कुर्की का दौर शुरू किया लेकिन फिर भी जनता ने कर देने से इन्कार कर दिया। ''सरदार पटेल के नेतृत्व मे जनता सरकारी गीदडभभकी से अब डरने वाली नही थी। उनका सीधा जवाब होता था कि सरदार की आज्ञा के बिना हम कुछ नही कर सकते।''[42] जब्ती का माल उठाने से लोगो ने इकार कर दिया। गॉव के बाहर एक नगाडा रखा गया। जब्ती वालो के आते ही नगाडा बजता और सब लोग अपने घरो मे ताला मार देते। बोरसद जैसे गॉवो मे दिन मे सन्नाटा रहता। रात को दिये जलाकर बाजार लगाया जाता था। रात को पनिहारिन पानी भरती थी। नीलाम से बचने के लिए मिट्टी के बर्तनो मे पानी भरा जाता था और रसोई की जाती थी।''[43] किसानो ने वल्लभभाई के इस अनुसरण और उनके सगठन से सरकार हैरान और परेशान थी। डाकू बाबर देवा भी सरदार से बहुत प्रभावित था। वह रात को सभा मे कभी-कभी खादी टोपी और सफेद कुर्ता पहने हुए कन्धे पर बगल मे थैला लटकाये हुए उपस्थित रहता था।''[44] दूसरे प्रान्तो की पुलिस भी इस आदोलन मे जनता के साथ सहानुभूति रखने लगी थी। इसी समय वल्लभ भाई ने कोकोनाडा कांग्रेस के अधिवेशन से लौटते समय बम्बई मे एक सार्वजनिक सभा मे ''सरकार पर एक डाकू को पकडने के लिए उतने ही खूखार दूसरे डाकू की मदद लेने और उसे जरूरी हथियार, बदूक आदि मुहैया कराने तथा मनमाने ढग से लूटपाट करने की छूट देने, प्रजा को सताने और हत्या करने आदि का खुला इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होने सरकार पर भी धोखा देने का इल्जाम लगाया और न्याय की अदालत मे मुकदमा चलाने की धमकी भी दी।''

---

४२ दारा, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ० 64

४३ दारा, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ० 64

४४ . पटेल, राजीव भाई पूर्वो, पृ० 59

सरदार पटेल का यह भाषण बम्बई के हर अखबारो ने मुख्य पृष्ठ पर बडे-बडे शीर्षका मे छापा। जिससे उस पर बम्बई के नये गर्वनर सर लेस्ली विल्सन का ध्यान गया। उन्होन होम मेम्बर को खुद जॉच के लिए भेजा और तद्उपरान्त स्वय ग्रामवासियो से मिलने का निर्णय किया। दो-तीन हजार ग्रामवासियो को साथ लेकर उनके प्रतिनिधि के रूप मे राम भाई पटेल ने वार्ता की।

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल व्यूह रचना तथा मजबूत सगठन एव उच्च प्रशासनिक क्षमता के सामने सरकार नतमस्तक हो गयी। पॉच माह तक चले इस आन्दोलन का अन्त सरकार द्वारा 7 फरवरी, 1924 ई० को अतिरिक्त पुलिस बल सेवा लेने और दण्डात्मक कर समाप्त कर दिये जाने के बाद हुआ।

बोरसद सत्याग्रह के विजयोत्सव के निमित्त बोरसद मे हुई सभा को सबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि 'सत्य, अहिसा और तप की' एक बार फिर विजय हुई है। हमारी लडाई जितनी न्याय की थी उतनी जल्दी ही यह विजय हुई है। यह विशेष आनन्द की बात है। यह विजय अपूर्व है क्योकि इसमे दोनो पक्षो की विजय हुई है। सरकार ने अपनी भूल खुले दिल से और हिम्मत के साथ स्वीकार कर ली है।"[45] सरदार पटेल ने नये गर्वनर सर लेस्ली विल्सन का भी आभार प्रकट किया।

गॉधी जी अपनी अनुपस्थिति मे सरदार पटेल द्वारा कुशलता के साथ उनके नेतृत्व मे चलाये गये सफल आन्दोलन पर उनका स्वागत एव अभिनन्दन 'आओ बोरसद के राजा' नामक शब्दो से किया और प्रसन्नता व्यक्त की।

बारदोली सत्याग्रह

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे बारदोली सत्याग्रह का विशिष्ट स्थान है जिसके कुशल सचालन एव सफलता के लिए वल्लबभाई पटेल को सरदार की उपाधि से सुशोभित किया गया। बारदोली के किसान आदोलन के उपरान्त पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप मे उभर कर सामने आये। विनोबा भावे के अनुसार, "पटेल के दो महत्वपूर्ण कार्यो ने उन्हे भारतीय इतिहास मे अमर बन दिया। प्रथम था बारदोली की आदोलन और द्वितीय देशी

४५ नवजीवन, 13 जनवरी, 1924

रियासतो का एकीकरण।"[46] पट्टाभिसीतारमैया ने इसकी तुलना "इजराइलियो का मिस्र से कैनान को बर्हिगमन तथा तार्तारो का जार की निरकुशता के विरुद्ध विद्रोह से किया है।"[47]

बारदोली की जनता के स्वभाव एव चरित्र के कारण 1921 ई० के असहयोग आन्दोलन के समय ही उसे मुख्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन चौरी-चौरा के हिसक काड के कारण उन्होने अपना निर्णय स्थगित कर दिया। तभी से बारदोली ताल्लुका सरकार की नाराजगी का शिकार बन गया।" 19 जुलाई, 1927 को बारदोली ताल्लुके का रिवीजनल सेटेलमेण्ट करके भूतकाल का बदला लेने के लिए लगान मे 21-97 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी।"[48] लगान मे की गयी इस भारी वृद्धि से ताल्लुके मे खलबली मच गयी। इस अन्याय के विरुद्ध जनता ने सरकार से शिकायत की परन्तु सरकार ने कोई ध्यान नही दिया। "गवर्नर जनरल ने कहा कि माल विभाग के निर्णयो मे कोई हस्तक्षेप नही कर सकता। उसका निर्णय अतिम है।"[49]

सरकार की नीतियो और नीयत से लोग तग आ गये थे अत उन्होने लगान वृद्धि के विरोध के लिए एक बार फिर वल्लभभाई के सहयोग की मॉग की। वल्लभ भाई यद्यपि अभी बाढ सकट निवारण के कार्यो मे लगे हुए थे, किन्तु किसानो की कठिनाइयो मे निष्क्रिय बने रहना अथवा उन पर विपत्ति के समय कोई सहायता न देना, न केवल उनके स्वभाव के विपरीत था, अपितु वे इसे उपेक्षा का पाप समझते थे। एक स्थान पर अपनी अर्न्तवेदना व्यक्त करते हुए अपने भाषण मे जो शब्द कहे, उनको उनकी कृषक हित परायण प्रवृति का पूरा परिचय मिल जाता है। उनका कथन था कि, "किसान डरकर दु ख उठाए और जालिमो की लात खाये, उससे मुझे शर्म आती है। मेरे जी मे आता है कि किसानो को कगाल न रहने देकर खडा कर दू और स्वाभिमान से सिर ऊँचा करके चलने वाला बना दूँ। इतना करके मरू तो अपना जीवन सफल समझूँगा।"[50] सरदार पटेल ने किसानो का नेतृत्व ग्रहण करने के पूर्व काग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओ-कल्याण जी मेहता, कुनबेर जी

---

४६ नन्दूरकर , जी०एम०, दिस वाज सरदार-दि कमोमेरेटिव वाल्यूम, अहमदाबाद, 1974, पृ 104

४७ वही, पृ०, 131

४८ बन्दोबस्त अधिकारी की टिप्पणी, होमफाइल, 178-1928, एन०ए०आई०

४९ पटेल, राजीव भाई,' हिन्द के रारदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 68

५० दास, सेठ गोविन्द, रारदार पटेल, दिल्ली, 1969, पृ० 72

मेहता तथा खुशहाल भाई मेहता से स्पष्ट कहा कि पहले वे बारदोली जाकर यह जॉच करे कि किसान सत्याग्रह करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए तैयार है या नही। बारदोली काग्रेस के जॉच रिपोर्ट मिलने पर वल्लभ भाई स्वय बारदोली गये। वहॉ उन्होने एक सार्वजनिक सभा मे जनता से सीधा प्रश्न किया कि वे प्रतिरोध के लिए कहॉ तक तैयार है। उन्होने इस सभा मे सत्याग्रह की सफलता का आश्वासन न देकर किसानो के चरित्र, उनकी निष्ठा और लगन को चुनौती देते हुए स्पष्ट शब्दो मे कहा कि, "मेरे साथ खेल न किया जाय। मै ऐसे काम मे हाथ नही डालता जिसमे जोखिन न हो। जो लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हो, मेरे साथ आये मै उनका साथ दूॅगा।"[51]

इस प्रकार बहुत स्पष्ट शब्दो मे अपनी बात कहकर तथा उन्हे सात दिनो की मोहलत देकर वल्लभभाई अहमदाबाद लौट आये। इसके बाद उन्होने गर्वनर जनरल को एक विस्तृत, विनम्र एव मार्मिक पत्र लिखकर लगान वसूली स्थगित करने की मॉग की पत्र मे स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया कि सम्भव है यह लडाई तीव्र रूप धारण कर ले जिसे रोकना आपके हाथ मे है। इस पत्र के जवाब मे गवर्नर के सेक्रेटरी ने कहा कि आपका पत्र निर्णय के लिए माल विभाग के पास भेज दिया गया है? किसानो की दी हुई सात दिन की अवधि पूरी होने के पश्चात् पटेल पुन बारदोली पहुचे। वहॉ उन्होने लोगो से अलग-अलग बात कर, सबकी राय मालूम कर, लोगो से घुमा-फिरा कर, तर्क-वितर्क ,कर उनके चेहरो, ऑखो और दिलो मे गहराई से झॉककर देखा तो उन्हे विश्वास और निश्चय दिखाई दिया। वे लोगो के सयम, उत्साह, निश्चय और दृढता से प्रभावित हुए। फिर भी उन्होने लोगो को एक बार फिर सत्याग्रह मे आने वाले सकटो के प्रति अगाह करते हुए कहा कि—"यह लडाई जबरदस्त खतरो से भरी पडी है। जोखिम भरा कार्य किया जाना तो अच्छा है किन्तु किया जाय तो किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना चाहिये। हारोगे तो देश की लाज जायेगी और जीतोगे तो आपका भविष्य बनेगा। देश की इज्ज़त बढेगी। इसलिए सोच विचार कर जो करना चाहो सो करो।"[52]

इस प्रकार भली भॉति जॉच परखकर जब उन्हे लगा कि किसान आन्दोलन के लिए

---

५१ वही, पृ० 72

५२ वही, पृ० 73

तैयार है तब सरदार साहब गॉधी जी का आर्शीवाद लेने के लिए अहमदाबाद गये। गॉधी जी परिस्थितियो और वल्लभ भाई के निश्चय दोनो से परिचित थे अत उन्होने तत्काल कहा "अब तो मेरे लिए सिर्फ इतनी इच्छा करना बाकी रह गया है कि विजयी गुजरात की जय हो।"[53]

गॉधी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद आन्दोलन का समस्त भार सरदार पटेल के कन्धो पर था। अत व्यक्तिगत जानकारी हेतु 4 फरवरी, 1928 ई० को बारदोली ताल्लुके के समस्त किसानो की एक सभा बुलायी गयी। "सभा मे 80 गॉवो के प्रतिनिधि उपस्थित थे।"[54] इसके अतिरिक्त सभा मे बम्बई धारा सभा के तीन सदस्य भीमभाई नाईक, दादूभाई देसाई तथा डॉ० दीक्षित भी थे। सभा की अध्यक्षता करते हुए सरदार पटेल ने किसानो को सत्याग्रह का अर्थ, उसकी गम्भीरता तथा होने वाले कष्टो से अवगत कराया।

सरदार पटेल ने सत्याग्रह की शुरूआत 12 फरवरी, 1928 ई० को बारदोली ताल्लुके के समस्त प्रतिनिधियो ,की सभा के साथ की। सभा को सम्बोधित करते हुए पटेल ने प्रतिनिधियो को लगान न देने की सलाह दी। पटेल ने कहा "याद रखिये इस लडाई को छोडकर आप कही हार गये तो सारे देश की नाक नीची हो जायेगी और यदि जीत गये तो सारे ससार मे तुम्हारे देश का मस्तक ऊँचा होगा।"[55] सरकार के विरुद्ध एक होकर मुकाबला करने की सलाह देते हुए पटेल ने कहा कि "सरकार के पास तो तोपे है, बन्दूके है, और हुकुमत है पर आपके पास सत्य का बल है, दु ख सहने की शक्ति है। अब इन दो शक्तियो का सामना है। यदि आपको यह निश्चय हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका सामना करना हमारा धर्म है। जालिम से जालिम सत्ता भी उस प्रजा के सामने नही टिक सकती जिसमे एकता है।"[56] सरदार साहब ने प्रतिनिधियो को स्वय के बल पर विश्वास करने की सलाह दी। सभा मे सर्वसम्मति से लगान न देने का प्रस्ताव पास किया गया।

५३ वही, पृ० 74

५४ पटेल, राजीव भाई, पूर्वो, पृ० 70

५५ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, रारदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एक विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 41

५६ वही, पृ० 41

प्रस्ताव पास होने के उपरान्त आन्दोलन की सफलता या असफलता का समस्त भार सरदार पटेल के ऊपर था। किसानो को जाग्रत करने के लिए सरदार पटेल ने बाकानेर, बराड, बडे कुऑ, बालोड आदि अनेक स्थानो का भ्रमण किया तथा जोशपूर्ण भाषण दिये। अपने भाषणो मे पटेल ने विशेष रूप से दो बातो पर बल दिया। प्रथम सरकार जनता मे मतभेद करके उन्हे विभाजित करने का प्रयास करेगी जिससे जनता को सतर्क रहना होगा। और द्वितीय सरकार नेताओ को गिरफ्तार करेगी तथा भूमि कुर्क करेगी। सरदार साहब ने कहा, हमारा अनुशासन ही जीत की कुजी है। सरकार के हर गॉव मे केवल दो ही आदमी एक पटेल और दूसरा तलाही होते है जबकि हमारे पक्ष मे सम्पूर्ण गॉव है।''

सरदार पटेल ने आन्दोलन की सफलता के लिए एक सुदृढ सगठन का निर्माण किया। जिसके तहत सम्पूर्ण ताल्लुके को पॉच मुख्य भागो मे बॉटा गया और उन पर एक-एक मुख्य विभागापति रखा गया। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह छावनियो की स्थापना की गयी। प्रत्येक छावनी एक या दो मुख्य कार्यकर्ताओ के अधीन रखी गयी।''

नोट - कुछ प्रमुख छावनियो तथा उनके प्रमुखो का विवरण इस प्रकार है।

1 बराड गो[illegible] लाल पाडया

2 बालदा—अम्बा लाल देसाई

3 बाकानेर—लाल भाई अमीन, शाह व अब्बास तैयब जी

4 स्यादला—फूलचन्द बाबू जी

5 बारदोली—डॉ० घिया व चीनाई

6 मोटा—बलवन्त राय

7 बाजीपुरा—नर्मदा शकर पाडया

8 सीकर—कल्याण जी बाल जी

9 आफबा—रतन जी भगाभाई पटेल

10 बुहारी—नारायण भाई पटेल

11 सरभण—रविशकर व्यास व डॉ० सुमन मेहता

12 बापजी—दरबार गोपाल दास भाई

13 बालोत—चन्दुलाल देसाई।'

सरदार द्वारा निर्मित यह सगठन कठोर अनुशासन मे बधा था। प्रत्येक स्वय सेवक अपने नायक या विभागापति के आदेशो का पालन करता था। जो स्वय सेवक आचरण मे शिथिल पाया जाता था उसे तत्काल हटा दिया जाता था। अनुशासन की यह कठोरता मात्र स्वय सेवको तक ही सीमित न होकर वल्लभ भाई तथा विभागापति को भी अपने अधीन रखती थी।

सत्याग्रह की घोषणा के साथ ही बारदोली मे एक प्रकाशन विभाग की स्थापना के साथ सत्याग्रह कार्यालय की भी स्थापना की गयी। सत्याग्रह कार्यालय द्वारा अधीन गॉवो के समाचार विभागापति द्वारा जाने लगे। प्रधान कार्यालय से प्रतिदिन सूचनाये भेजी जाती जिसे विभागाध्यक्ष के कार्यालयो द्वारा प्रतिदिन गॉव-गॉव मे पहुॅचा दी जाती। प्रकाशन विभाग प्रतिदिन 'सत्याग्रह खबर तथा सत्याग्रह पत्रिका' प्रकाशित करता था जो नि शुल्क वितरित की जाती थी। प्रकाशन विभाग आन्दोलन को तीव्र गति देने का महत्वपूर्ण साधन था। सरदार पटेल तथा विभागापति गॉव-गॉव जाकर स्फूर्तिजनक भाषणो द्वारा जनता को उत्साहित करते थे।

वल्लभभाई की इस व्यूह रचना को तोडने के लिए सरकार ने किसानो को झुकाने हेतु कुर्की की नीतियॉ जारी किये और सर्वप्रथम यह नोटिस बनियो को दिये गये। यह चुनाव शायद इसलिए किया गया कि बनिया कमजोर और डरपोक होते है। जब्ती की नोटिस पाते ही वे घुटने टेक देगे। परन्तु उन्होने भी अन्य जातियो की भॉति साहस का परिचय देते हुए धुटने टेकने से साफ इन्कार कर दिया। मात्र तीन व्यक्तियो ने लगान जमा किया जो बाद मे पछताये भी। 17 फरवरी 1928 को रेवन्यू विभाग के सेक्रेटरी जे०डब्लू० स्मिथ ने सरदार पटेल को पत्र लिखा। उसने सरदार के सुझावो को अस्वीकार करते हुए कहा कि सरकार अब बढे हुए लगान को स्थगित नही कर सकती और न ही वह नये बन्दोबस्त पर किसी तरह की रियासत देने के लिए तैयार है। पत्र मे पटेल तथा अन्य सत्याग्रहियो पर बाहरी व्यक्ति होने का आरोप भी लगाया गया। गॉधी जी ने इस आरोप को अपमान की सज्ञा दी। सरदार साहब ने सरकार को उनके गलत होने को सिद्ध करने की चुनौती दी।

जब सरकार द्वारा जारी कुर्की के आदेश की तामील नही हुई तो उसने सगठित रूप से भैसे या चल सम्पत्ति जब्त करना प्रारम्भ किया। जनता को आतकित करने के लिए पठानो को बाहर से बुलाया गया। बारदोली जैसे हिन्दू बाहुल इलाके मे मुसलमान अफसरो

तथा पठानो को बुलाकर जनता मे फूट डालने का कुचक्र रचा गया। लोगो को झूठे मुकदमे मे फसाये गये तथा सजाये दी गयी। इस प्रकार सरकार का दमनचक्र कठोर होता जा रहा था तो जनता मे दिन प्रतिदिन नवीन उत्साह पैदा हो रहा था। सरदार पटेल के भाषण ही मुर्दो मे भी जान डाल देते थे। पुरुष और स्त्रिया उन्हे अपना इष्ट देव समझने लगे थे। महादेव जोशी ने अपनी 'बारदोली की कहानी' मे इन अविस्मरणीय सभाओ तथा भाषणो का वर्णन किया है। उस समय पटेल के भाषणो मे सिह जैसी गर्जना थी। एक भाषण मे उन्होने कहा कि "आज सरकार तो जगल मे घूमने वाली हाथी जैसे मदमस्त हो गयी है जो अपनी चपेट मे आने वाले हर किसी को कुचल देना चाहती है। पागल हाथी मद मे यह मानता है कि उसने शेर चीते को मार डाला है तो उसके सामने मच्छर की क्या गिनती। परन्तु शक्तिशाली हाथी भी मच्छर के कान मे घुस जाने पर तडप-तडप कर सूढ पछाडते हुए जमीन पर लोटने लगता है।[57] मै आपकी प्रकृति का नियम बताता हूँ आप सब किसान होने के कारण जानते है कि जब थोडे से बिनौले जमीन मे गडकर व सडकर नष्ट हो जाते है तब खेत मे कपास पैदा होती है।"[58] बालोड मे एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि "सरकार यदि 15 रुपये के वेतन पर भाडे के सिपाही भरती करके फौज खडी करती है और वे ही सिपाही किसी समय और स्वार्थ के बिना लडाई के मैदान मे जाकर टपाटप मरते है तो आप लोग तो हजारो रुपयो के खातेदार है और आपको अपने वतन के खातिर, अपने बाल बच्चो की रोटी की खातिर लडना है। कौन अभागा होगा, जो यह लडाई नही लडेगा? मै तो चाहता हूँ कि यह लडाई लम्बी चले। यहाँ बैठे-बैठे हम सारे गुजरात को सत्याग्रह का पाठ पढाये।"[59] इस प्रकार वल्लभ भाई बारदोली की जनता को सत्याग्रह की भट्ठी मे तपाया।

प्रारम्भ मे वल्लभ भाई नही चाहते थे कि बारदोली सत्याग्रह को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया जाय। इसलिए उन्होने किसी भी राष्ट्रीय नेता को बारदोली आने का निमन्त्रण नही दिया। 8 मई 1928 ई० को उन्होने देशवासियो से धन के लिए अपील की। महात्मा गॉधी ने सरदार की अपील का समर्थन किया। परिणामस्वरूप देश, विदेश से चन्दा आने लगा। 12 जून 1928 ई० को पूरे देश मे बारदोली दिवस मनाने का निर्णय किया

५७ पारीख, नरहरि सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 145
५८ वही, पृ० 145
५९ पटेल, राजीव भाई, पूर्वो पृ० 76

गया। महात्मा गाधी ने लोगो से आग्रह किया कि 12 जून को आत्मशुद्धि यज्ञ करे। स्वेच्छा से अपना सामान्य काम-काज और धन्धा बन्द रखे और बारदोली की लडाई मे सहायता देने के लिए धन का सग्रह करे। "काग्रेस अध्यक्ष डॉ० एम०ए० अन्सारी ने समस्त प्रान्तीय काग्रेस समितियो को अपने-अपने क्षेत्र मे सार्वजनिक सभाये करने तथा चन्दा जमा करके बारदोली दिवस मनाने का परामर्श दिया।"[60] 12 जून को पूरे देश मे बारदोली दिवस मनाया गया। बम्बई के समस्त बाजार बन्द रहे। सरदार पटेल के साहसिक कदम की सर्वत्र प्रशसा की गयी और धन एकत्रित करके भेजा गया। वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर 11 जून तक 60 पटेलो तथा 8 तलाटियो ने अपने त्याग पत्र देकर सरकार को गम्भीर स्थिति का आभास कराया।

बम्बई धारा सभा के सदस्य के०एम० मुशी ने गवर्नर से बारदोली समस्या पर पत्र व्यवहार किया। गवर्नर के उत्तर से निराश होकर उन्होने 17 जून को धारा सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया तथा वास्तविक स्थिति की जॉच के लिए बारदोली का भ्रमण किया। बम्बई इडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स का एक शिष्टमडल एच०पी० मोदी की अध्यक्षता मे गवर्नर जनरल से मिलकर समस्या के समाधान हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। साथ मे यह भी कहा ऐसे सम्मेलन मे गॉधी और पटेल को अवश्य बुलाया जाय। गवर्नर ने सम्मेलन बुलाने के लिए शर्त के रूप मे कहा कि पहले बढी हुई लगान किसी तीसरे पक्ष के पास जमा कर दिया जाय तो सम्मेलन बुलाया जा सकता है। पटेल ने गवर्नर की शर्त को अस्वीकार कर दिया। "पटेल ने बाम्बे क्रानिकल के सम्वाददाता को बताया कि निकट भविष्य मे समझौते की कोई आशा नही है। वह बारदोली की जनता के लिए न्याय चाहते है और जब तक सरकार जनता के आन्दोलन को कठोरता से दबाती रहेगी कोई समझौता सम्भव नही हो सकता।"[61]

बारदोली मे जैसे-जैसे लोकमत शक्तिशाली होता गया वैसे-वैसे सरकार की स्थिति नाजुक होती गयी। सरकार यदि आन्दोलन का दमन करे तो उसकी बदनामी होती क्योकि आन्दोलनकारी अहिसक थे। यदि वह मॉग को स्वीकार कर लेती तो उसकी सार्वभौमिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता। तथा उसका सारा आतक, प्रभाव एव प्रतिष्ठा खत्म हो जाती जाता

---

६० बाम्बे क्रानिकल, 29 मई, 1928

६१ शिष्ट मडल की गर्वनर से वार्ता, 22 जून 1928 विस्तृत जानकारी हेतु बाम्बे क्रानिकल 23 जून, 1928

दि टॉइम्स ऑफ इडिया के सम्वाददाता कुछ समय के लिए बारदोली मे रहे। उन्होने सूचना भेजी की बारदोली के बोलशेलिज्म का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है। पटेल वहॉ के लेनिन है।''[62] सत्याग्रहियो के सरकारी प्रशासन को पूर्णतया पगु बना दिया है। जुलाई के मध्य तक स्थिति अत्यन्त विष्फोटक हो गयी।

18 जुलाई, 1928 ई० मे सूरत को गवर्नर जनरल तथा उनके सलाहकारो ओर पटेल व उनके सहयोगियो के मध्य वार्ता हुई। वार्ता मे सरकार की ओर से गवर्नर लेस्ली विल्सन कमिश्नर डब्लू डब्लू स्मार्ट तथा सूरत जिले के कलेक्टर हार्ट शोन उपस्थित थे। सत्याग्रहियो की ओर से सरदार पटेल के अलावा, अब्बास तैयब, शारदा बेन मेहता, भक्ति लक्ष्मी, गोपाल दास देसाई, मीठू बेन पेटिट और कल्याण जी मेहता थे। ''सरकार की ओर से शर्त रखी गयी कि पुराना लगान जमा कर दिया जाय और बढा हुआ लगान तीसरे पक्ष द्वारा सरकारी खजाने मे जमा करवा दिया जाय और वर्तमान आन्दोलन बन्द कर दिया जाय तो सरकार जॉच समिति नियुक्त करने का आश्वासन देगी।''[63] ''जबकि वल्लभ भाई की ओर से शर्त रखी गयी कि बन्दी सत्याग्रहियो को बिना शर्त छोड दिया जाय, जिन लोगो के मवेशी बेचे गये है उन्हे मुआवजा दिया जाय, जो जमीने कुर्क की गयी है उन्हे मालिको को वापस दी जाये, जो पटेल व तलाटी नौकरी से निकाले गये है उन्हे नौकरी मे रखा जाय तथा सरकार लगान वृद्धि के सबध मे एक निष्पक्ष जॉच समिति नियुक्त करे।''[64] सरदार द्वारा प्रस्तुत शर्ते गवर्नर ने अस्वीकार कर दी अत वार्ता असफल हो गयी। सरदार पटेल अपनी ओर से वार्ता तोडने के पक्ष मे नही थे अत उन्होने विनम्र भाषा का पत्र लिखकर अपनी शर्ते को दोहराया साथ ही आग्रह किया। जब उन्हे उनसे मिलने से कुछ लाभ प्रतीत हो तो मुझे सूचित करे। परन्तु पटेल को कोई सफलता नही मिली।

सूरत वार्ता की असफलता के लिए समाचार पत्रो ने सरकारी नीति की आलोचना की। पायनियर ने लिखा कि ''किसानो द्वारा बढा हुआ लगान जमा करना तथा पुन वापस मॉगना अन्यायपूर्ण है।''[65] स्वराज्य के अनुसार ''गवर्नर समझौते की मनोदशा मे नही है।''[66] हिन्दू के शब्दो मे, ''गवर्नर ने समझौते का एक अवसर खो दिया।''[67]

इसी बीच 23 जुलाई, 1928 ई० को गवर्नर जनरल ने धारा सभा मे भाषण करते हुए

---

६२ टाइम्स ऑफ इडिया, 3 जुलाई, 1928
६३ बाम्बे क्रानिकल, 20 जुलाई, 1928
६४ वही, 21 जुलाई, 1928
६५ वही, 25 जुलाई, 1928
६६ वही, 25 जुलाई, 1928
६७ वही, 25 जुलाई, 1928

अपनी पुरानी शर्तो को पुन दोहराया और जनता को 14 दिनो का समय देते हुए स्पष्ट किया कि यदि ये शर्ते न मानी गयी और समझौता न हो सका तो अपने कानून का पालन करवाने के लिए सरकार को जो उचित प्रतीत होगा। वह कदम उठाने से नही हिचकिचायेगी। अपने अधिकारो की रक्षा के लिए वह समस्त शक्ति का प्रयोग करेगी।"[68] गवर्नर के भाषण का जनता तथा प्रेस मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरी ओर इग्लैण्ड मे सहायक सचिव भारत मत्री अर्थ विटरटन ने कामन सभा मे कहा कि "लेस्ली ने जो शर्तो रखी है यदि वे पूरी न हुई तो बम्बई सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि वह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करे।"[69]

गवर्नर की धमकी का सत्याग्रहियो पर कोई प्रभाव नही पडा बल्कि सम्पूर्ण देश की सहानुभूति सत्याग्रहियो के प्रति बढ रही थी। गॉधी जी के शब्दो मे "गवर्नर की धमकी और विटरटन द्वारा उसका पूर्ण अनुमोदन भी बारदोली के लोगो पर कोई असर नही छोड सकेगा। इतना ही नही, सुनता तो यह हूँ, कि धमकी से लोग और दृढ हो गये है।" इसी बीच बम्बई के एक व्यापारी राम चन्द्र भट्ट ने बढी हुई। लगान की सारी रकम अपने खजाने से जमा करने की इच्छा प्रकट की जिस पर गाधी जी ने कहा कि यदि ऐसी भेट से सरकार के मन का समाधान हो जाय तो हमे कोई शिकायत नही है। देश मे गरम दल के लोगो ने गवर्नर के इस धमकी भरे भाषण का हर्षपूर्वक स्वागत किया। गरम पथी लोगो मे इस बात का हर्ष और उत्साह था कि अब उन्हे स्वराज्य की बडी लडाई लडने का अवरार मिलेगा। "सरदार शार्दूल सिह कवीश्वर ने पत्र लिखकर गॉधी जी से आग्रह किया कि वल्लभ भाई ने बारदोली सत्याग्रह को मर्यादित रखा है जो अव्यावहारिक जान पडता है अत अब सारे देश मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर देना चाहिये।"[70] गॉधी जी ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। इसके बाद वे 2 अगस्त 1928 ई० को बारदोली गये जहॉ उन्होने अफवाहो एव आशकाओ के बावजूद बारदोली निवासियो द्वारा वल्लभ भाई के आदेश का पालना करने को उत्सुक देखकर उनके मन मे आत्मसन्तोष हुआ।

---

६८ मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रजना, पूर्वो पृ० 48

६९ वही, पृ० 49

७० दास, सेठ गोविन्द, पूर्वो पृ० 84

सरकार ने सारे प्रयत्न कर लिये, सभी प्रकार के हथकडो का सहारा लिया लेकिन सत्याग्रही झुकने को तैयार नही हुए तो ऐसी स्थिति मे सरकार को सद्बुद्धि आयी। गवर्नर जनरल ने बातचीत के लिए सरदार साहब को आमन्त्रित किया। इस बातचीत मे गवर्नर ने इस आश्वासन के साथ, कि सरकार योग्य मामलो की जॉच करके बढे हुए लगान को माफ कर देगी, यह मॉग की कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय और लोग पहले के समान कर देना आरम्भ कर दे। वल्लभ भाई ने गवर्नर की इस मॉग को स्वीकार कर लिया किन्तु साथ ही उन्होने आन्दोलन के दौरान बन्दी बनाये गये लोगो को रिहा करने, सरकारी कर्मचारियो को पुन काम पर लेने, कुर्क किये गये माल और जमीन वापस करने की मॉग की। सरकार ने वल्लभ भाई की सारी बाते मान ली। इस प्रकार सरकार और वल्लभ भाई के मध्य समझौता हो गया। समझौते का स्वागत करते हुए सरदार पटेल ने 11 अगस्त, को बारदोली की जनता के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमे उन्होने कहा कि, "ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पूर्ण रूप से पालन हो चुका है। हम लोगो पर बढाये गये लगान के सबध मे हम जैसी जॉच चाहते थे, सरकार ने उसी प्रकार की जॉच समिति नियुक्त करना स्वीकार कर लिया है। जब्त की हुई जमीने किसानो को वापस मिलेगी। जेल मे बन्द सत्याग्रही छोड दिये जायेगे। पटेल और तलातियो को पुन नौकरी पर रखा जायेगा और जो छोटी-मोटी मॉगे हमने रखी थी, उनकी भी स्वीकृति हो गयी है।"[71] इस प्रकार वल्लभभाई ने बारदोली आन्दोलन मे सफलता प्राप्त की।

देश के राष्ट्रीय नेताओ ने इसे अभूतपूर्व सफलता माना। गॉधी जी ने सफलता का श्रेय वल्लभभाई, गर्वनर, सरकारी अधिकारियो तथा विधानसभा के सदस्यो को दिया। उन्होने कहा कि "जिन्होने शुद्ध मन से चाहा कि समझौता हो जाय वे सब इस विजय मे हिस्सेदार है।" गॉधी के अनुसार वल्लभ भाई जैसे नेता के अथक प्रयत्नो से यह विजय मिली है। सरदार पटेल को मान पत्र देते हुए गॉधी जी ने कहा "ऐसा स्वार्थ त्यागी सरदार तुम्हे दूसरा नही मिलेगा। वे मेरे सगे भाई जैसे है किन्तु उन्हे यह प्रमाण पत्र देते हुए मुझे सकोच नही होता।"[72]

---

७१ बाम्बे, क्रानिकल, 12 अगस्त, 1928

७२ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 51

राष्ट्रीय नेताओ मे लाला लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, सरोजनी नायडू, एम० बी कोठारी, मौलाना शौकत अली, विश्वनाथन, राजाराम पाडया, सत्यमूर्ति आदि ने पटेल को अभिनन्दन पत्र भेजे। के०एम० मुशी ने बारदोली की घटना को भारतीय सार्वजनिक जीवन के इतिहास मे महत्वपूर्ण विजय बतलाया।'' बारदोली, सूरत एव गुजरात के अन्य हिस्सो मे विजयोत्सव मनाया गया।

सरदार पटेल ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि ''बारदोली के लिए आप लोग मुझे श्रेय देते है लेकिन मै उसका पात्र नही हूँ। कोई असाध्य रोग से पीडित बीमार पलग पर पडा हो, और उसे कोई सन्यासी मिल जाये, जडी बूटी दे दे और उसकी मात्रा घिसकर पिलाने से रोगी स्वस्थ हो जाये ऐसी दशा हिन्दुस्तान के किसान की है। मै तो सिर्फ जडी-बूटी घिसकर पिलाने वाला हूॅ जो एक सन्यासी ने मुझे दी। श्रेय अगर किसी को है तो उस जडी बूटी देने वाले को है। दूसरे अगर कोई सम्मान के पात्र है तो वे मेरे साथी है। जिन्होने चकित करने वाले अनुशासन का परिचय दिया।''[73]

समझौते के तहत 18 अक्टूबर 1928 ई० को जॉच समिति की नियुक्ति सरकार ने कर दी। समिति ने 12 अप्रैल, 1929 ई० को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने किसानो की शिकायतो को सही माना और लगान वृद्धि की सस्तुति के आधारो को दोषपूर्ण माना। समिति ने पुराने लगान पर 6 03 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की।[74]

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल सगठन, दृढ निश्चय और जबदस्त प्रशासकीय क्षमता के सामने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार बौनी साबित हुई।

पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष

सात अप्रैल, 1934 ई० को काग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस ले लिया जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने काग्रेस महासमिति तथा उसकी सभी शाखाओ पर से प्रतिबध हटा लिया। पटना मे इसी समय काग्रेस महासमिति ने बैठक कर चुनाव के लिए एक पार्लियामेण्टरी बोर्ड का गठन किया। जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को

---

७३ पारीख, नरहरिं, रारदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 160

७४ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 74

बनाया गया जो अपने स्वर्गवास तक इस पद पर बने रहे। बोर्ड के अन्य सदस्य मोलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ० असारी तथा पडित मदन मोहन मालवीय बनाये गये। अक्टूबर, 1934 ई० के बम्बई अधिवेशन मे इस बोर्ड को विधिवत मान्यता प्रदान कर दी गयी।

''1934 ई० के ब्रिटिश सरकार के साम्प्रदायिक निर्णय से बोर्ड के दो सदस्यो डॉ० असारी तथा मदन मोहन मालवीय मे मतभेद पैदा हो गये।''[75] मालवीय जी का कहना था कि चुनाव के घोषणा पत्र मे इस निर्णय की निन्दा की जावे जबकि डॉ० असारी की इच्छा थी कि काग्रेस इस सबध मे तटस्थ नीति अपना ले। इस मतभेद के कारण मालवीय जी ने पार्लियामेण्टरी बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिनो बाद डॉ० असारी का भी देहान्त हो गया। अत पार्लियामेण्टरी बोर्ड मे कुल तीन सदस्य सरदार पटेल, मौलाना कलाम आजाद, और राजेन्द्र प्रसाद ही रह गये।

काग्रेस पार्लियमेण्टरी बोर्ड ने सरदार पटेल के नेतृत्व मे नवम्बर 1934 ई० मे हुए केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव मे भाग लिया। ''सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व मे काग्रेस ने 44 स्थानो पर विजय प्राप्त की। काग्रेस ने भी झूलाभाई देसाई को असेम्बली मे अपना नेता बनाया। काग्रेस ने काग्रेस नेशलिस्ट सदस्यो सहित अन्य दलो के साथ मिलकर कई बार सरकार को पराजित भी किया।''[76]

ब्रिटिश ससद द्वारा पारित गवर्नमेण्ट ऑफ इडिया ऐक्ट 1935 के अनुसार प्रान्तीय धारा राभाओ का चुनाव होना था। इसके लिए 1935 ई० मे मतदाताओ की नयी सूची बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। 'सरदार पटेल के निर्देशन मे काग्रेस कार्यकर्ताओ ने मतदाता सूची के निर्माण मे बढ-चढ कर हिस्सा लिया। 13 अप्रैल, 1936 ई० को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुए 9वे काग्रेस के अधिवेशन मे प्रान्तीय धारा सभाओ के चुनाव मे भाग लेने का निर्णय लिया। जुलाई 1936 ई० मे पार्लियामेण्टरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष के रूप मे सरदार पटेल तथा सचिव के रूप मे गोविन्द वल्लभ पन्त नियुक्त किये गये। सरदार पटेल की प्रेरणा से प्रान्तीय पार्लियामेण्टरी बोर्डो का भी गठन किया गया। चुनाव के उम्मीदवारो का चयन बडा कठिन कार्य था। ''उम्मीदवारो का चयन पहले

---

७५ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता रारदार पटेल, दिल्ली , 1963, पृ० 65

७६ वही, पृ० 66

तो प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी करती थी परन्तु यदि कोई कार्यकर्ता प्रान्त के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह उसकी अपील पार्लियामेण्टरी बोर्ड के पास करता था।''[77] उम्मीदवारो के चयन मे दो बातो का ध्यान रखा जाता था प्रथम-उम्मीदवार मे काग्रेस के कार्यक्रमो एव सिद्धान्तो मे निष्ठा हो और द्वितीय उसके सफल होने की सम्भावना हो। पटेल के कुशल नेतृत्व मे अनेक मामलो मे पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने सन्तोष जनक हल निकाल लिया पर उम्मीदवारो के चयन के मामले मे उन पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाये गये। ऐसे आरोपो से बिना विचलित हुए सरदार पटेल ने अनुशासन बनाये रखने के अपने कर्तव्य को पूरा किया।

स्वास्थ्य अच्छा न होते हुए भी सरदार पटेल ने चुनाव मे बढ-चढ कर हिस्सा लिया और चुनाव प्रचार मे बहुत सक्रिय रहे। चुनाव प्रचार हेतु उन्होने पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, महाराष्ट्र, मद्रास सहित अन्य क्षेत्रो का दौरा किया। चुनाव प्रचार मे सरदार पटेल ने कार्यकर्ता से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की। उन्होने कहा कि ''यदि हम अवसर को देखकर नही चलेगे और अपनी महत्वाकाक्षाओ को देश के आगे गौण नही समझेगे, तो हम जीत की बाजी हार जायेगे और इससे हमारी सस्था की अपूर्णनीय बदनामी होगी।''[78] असन्तुष्ट सदस्यो को चेतावनी देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि ''पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते अपने अनुभव मे एक दो बाते मेरे सामने आयी। मैने देखा कि जब कुछ काग्रेसियो को उम्मीदवारँ नही चुना गया तो उन्हे लगा की उनकी उपेक्षा की गयी है। कुछ को ऐसा महसूस होने लगा है कि उम्मीदवार चुने जाने का उनका वश परम्परागत अधिकार है। कुछ यह मानते है कि अगर इस मौके पर उन्हे उम्मीदवार नही चुना गया तो उन्हे काग्रेस के खिलाफ बलवा करने का अधिकार है। मुझे और आपको चाहिए कि काग्रेस की ताकत का आधार केवल लोगो की मर्जी पर नही है बल्कि इस बात पर है कि काग्रेस के तमाम सदस्य और खासतौर पर कार्यकर्ता काग्रेस के आदेशो और प्रस्तावो को खुशी से स्वीकार करे और उनका पालन करे। यदि हम लोगो मे अनुशासन न हो तो धारा सभाओ

---

७७ मेहरत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997 पृ० 69

७८ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 328 एव 329

मे जाने का हक नही है।"[79] आपसी एकता पर बल देते हुए पूना के अपने भाषण मे सरदार पटेल ने कहा कि---"याद रखो जो आज हमारा विरोध कर रहे है। उन्हे कल हमारे साथ मिलकर कार्य करना है क्योकि वे हमसे है। इस समय सबसे बडी आवश्यकता एकता की है। हमारी गुलामी का कारण हमारी कमजोरी है। यह कमजोरी हमारे आपसी मतभेद से है।"

सरदार पटेल के अथक प्रयास से एव तूफानी दौरे के परिणास्वरूप फरवरी 1937 मे सम्पन्न हुए चुनावो के परिणाम काग्रेस के लिए उत्साहवर्धक रहे। ग्यारह प्रान्तो मे से छ प्रान्तो मे काग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। स्पष्ट बहुमत प्रान्तो मे सयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, मद्रास, बिहार, उडीसा और बम्बई शामिल थे। इसके अलावा असम और सीमा प्रान्त मे भी काग्रेस सबसे बडे दल के रूप मे उभर कर सामने आयी। बगाल, पजाब और सिन्ध मे काग्रेस अल्पमत मे रही।

काग्रेस की इस भारी सफलता का विश्वास उन दिनो सरकार को तो क्या स्वय काग्रेस को भी नही था। इस सफलता से उत्साहित काग्रेस ने 15 से 22 मार्च 1937 तक दिल्ली मे एक बहुत बडा राष्ट्रीय महोत्सव मनाया। उस अवसर पर 17 एव 18 मार्च को महासमिति की बैठक बुलायी गयी। बैठक के पूर्व राष्ट्र के नाम सदेश मे सरदार पटेल ने कहा कि—"हमारे काम की पहली मजिल पूरी हो गयी है अब दूसरी मजिल पर हमे अग्रसर होना है। उसमे हमे सारा समय और शक्ति खर्च करनी होगी। चुनाव जीतने मे जो निश्चय और एकता हमने दिखायी वह धारा सभाओ के कार्यक्रमो भले वह कुछ भी तय हो, अमल मे लाने मे दिखायेगे, तो मुझे सदेह नही कि हम विरोधियो को मात देगे और स्वराज का दिन निकट ला सकेगे।"[80]

अखिल भारतीय महासमिति ने 70 के विरुद्ध 127 मतो से निश्चय किया कि "जिन प्रान्तो मे काग्रेस का स्पष्ट बहुमत है वहॉ गवर्नर द्वारा विशेषाधिकारो के प्रयोग न किये जाने के स्पष्ट वचन लेकर मन्त्रिमडल का निर्माण किया जा सकता है।"[81] इस अधिवेशन मे उसके सभी सदस्यो ने काग्रेस के विधान एव अनुशासन का पालन करने की शपथ ली।

---

७९ बाम्बे क्रानिकल, 22 जनवरी, 1937

८० पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग-दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 266

८१ शास्त्री आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 71

पद ग्रहण करने का प्रस्ताव राजेन्द्र प्रसाद ने रखा था जिसके विरोध मे जय प्रकाश नारायण ने प्रस्ताव रखा था।'

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल प्रशासन एव सगठन सचालन की क्षमता तथा कठोर परिश्रम की प्रान्तीय असेम्बली के चुनावो मे सफलता का श्रेय दिया जाता है।

काग्रेस मत्रिमडल के पथ प्रदर्शक

प्रान्तीय असेम्बलियो के काग्रेसी नेताओ को मत्रिमडल के गठन का गवर्नरो के निमत्रण 20 मार्च, 1937 ई० को दिल्ली मे ही मिल गये। जिसके फलस्वरूप 6 प्रान्तो क काग्रेसी नेताओ ने अपने प्रान्त के गवर्नरो से वार्तालाप करके काग्रेस के इस दृष्टिकोण को रखा कि गवर्नर द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाय की यह अपने विशेषाधिकारो का प्रयोग नही करेगे। गवर्नर ऐसा कोई आश्वासन नही दे सके अतएव 26 और 27 मार्च को काग्रेसी नेताओ ने मत्रिमडल बनाने से इन्कार कर दिया।

6 मई, 1937 ई० को लार्ड स्नेल ने लदन के हाउस ऑफ लार्ड्स मे एक प्रस्ताव रखा कि "वायसराय की ओर से महात्मा गॉधी को इस आशय का आश्वासन दिलाया जाय कि विशेषाधिकार केवल अनिवार्य परिस्थितियो के लिए है, काम लेने के लिए नही और गवर्नर लोग काग्रेस मत्रियो के वैध कार्यो मे हरगिज रोडा नही अटकायेगे"[82] भारत मे लार्ड गेटलैण्ड ने प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि "वर्तमान एक्ट का आशय बिल्कुल नही है और इसलिए जिन काग्रेसी प्रान्तो मे अल्पमत के मत्रीमडल बनाये गये है वहॉ भी उनके कार्यो मे हस्तक्षेप नही किया गया है।"[83] 20 जून, 1937 ई० को वायसराय ने एक ब्राडकास्ट भाषण मे इस बात का आश्वासन दिया कि विशेषाधिकार वैधानिक है काम लेने के लिए नही। इसके बाद वायसराय ने अपने 21 जून के वक्तव्य पर विशेष प्रकाश डाला।

7 जुलाई, 1937 ई० को काग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा मे वायसराय के वक्तव्य को सन्तोषजनक मानते हुए छ प्रान्तो मे काग्रेसी मत्रिमडल के गठन का निर्णय लिया। 14 से 19 जुलाई तक मध्य प्रान्त मे डॉ० एन० पी० खरे ने और मद्रास मे सी०वी० राजगोपालाचारी ने, सयुक्त प्रान्त मे प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने, उडीसा मे श्री विश्वनाथ दास ने और बिहार

---

८२ वही, पृ० 71

८३ वही, पृ० 71

मे बाबू श्री कृष्ण सिह ने काग्रेसी मत्रिमडली का निर्माण किया। साथ ही बम्बई मे श्री बालगगाधर खेर ने काग्रेसी मत्रिमडल का निर्माण किया। कुछ समय पश्चात् पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त मे डॉ० खान साहिब ने अन्य दलो के कुछ सदस्यो को तोडकर अपना मत्रिमडल बनाया। इसी प्रकार असम मे काग्रेसी पार्लियामेन्ट नेता श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने वहॉ के तत्कालीन प्रधानमत्री सर मुहम्मद सादुल्ला के कुछ सदस्यो को तोडकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर 17 सितम्बर, 1937 ई० को असम मे काग्रेस मत्रिमडल का गठन किया।

इस प्रकार ग्यारह प्रान्तो मे से आठ प्रान्तो मे काग्रेस की सरकार स्थापित हो गयी। काग्रेसी नेताओ को सरकार चलाने का अनुभव प्राप्त नही था और न ही शासन की जाटिलताओ का ज्ञान था। दूसरी ओर जनता को काग्रेसी सरकारो से बहुत आशाये थी। सरकारो की किसानो को राहत, शराब बन्दी, गैर कानूनी वसूली पर रोक, उद्योग धन्धो का विकास शिक्षा का पुर्नगठन, ग्राम पचायतो की स्थापना, सस्ता न्याय, हरिजनो तथा पिछडी जातियो का उत्थान आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने थे। राजनैतिक बन्दी लोग काग्रेस द्वारा मुक्त होने की प्रतिक्षा कर रहे थे।

अतएव काग्रेस कार्यसमिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद व अब्दुल कलाम की एक नवीन सदस्यीय उपसमिति का गठन प्रान्तो मे काग्रेसी मत्रिमडल तथा धारा सभा के सदस्यो के कार्यो को नियत्रित, अनुशासित एव दिशा निर्देश देने के लिए किया। यद्यपि उपसमिति मे तीन सदस्य रखे गये लेकिन उपसमिति के कार्यो के सचालन का मुख्य भार सरदार पटेल को सौपा गया। सरदार पटेल ने अपने कार्यो को निष्पक्ष एव विवेक के साथ किया तथा अनुशासनप्रिय होने के कारण अनुशासनहीन व्यक्तियो को उनके पदो से हटाने मे उन्होने सकोच नही किया। कुछ विवादास्पद मामलो पर उनके निर्णय इस प्रकार रहे—

नरीमान काड—के० एफ० नरीमान बम्बई के एक प्रतिष्ठित वकील थे जो बम्बई प्रात की पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा वे स्वराज दल के समय धारा सभा के नेता रह चुके थे। अपने दीर्घकालीन काग्रेसी होने के कारण वे यह आशा रखते थे कि धारा सभा के सदस्य उन्ही को अपना नेता चुनेगे। लेकिन 12 मार्च, 1937 ई० को बम्बई मे हुई धारा

सभा की बैठक मे बाला साहब खेर को सर्वसम्मति से बम्बई प्रान्त की धारा सभा का नेता चुन लिया गया। नरीमान को इस बात का आभास था, इसलिए वे धारा सभा की बैठक मे उपस्थित नही हुए। दूसरे ही दिन बम्बई मे गुजराती मे निकलने वाले पारसी समाचार पत्रो तथा अग्रेजी पत्र बाम्बे सेटीनल ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा की "नरीमान के साथ अन्याय हुआ है। धारा सभा के सदस्य नरीमान को अपना नेता चुनना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने सदस्यो पर अनुचित दबाव डालकर तथा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नरीमान को नेता चुनने नही दिया।"[84]

इसी समय दिल्ली मे काग्रेस कार्यसमिति की बैठक 15 मार्च से शुरू हुई। इसलिए बहुत से धारा सदस्य दिल्ली पहुँच गये। बम्बई के अखबारो द्वारा सरदार पटेल के विरुद्ध मिथ्या दोषारोपण देखकर, 16 मार्च को बम्बई प्रान्त के दिल्ली मे उपस्थित 47 सदस्यो ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमे उन्होने कहा कि, "सरदार की तरफ से किसी भी सदस्य पर कोई अनुचित दबाव नही डाला गया यह बात सर्वथा निराधार एव झूठी है।"[85] इसी बीच यह शिकायत करने वाले कुछ पत्र काग्रेस अध्यक्ष और कार्यसमिति के नाम आये कि नरीमान के साथ अन्याय हुआ है। कार्यसमिति ने मामले की पूरी जॉच करने के बाद प्रस्ताव किया कि, "समिति को विश्वास हो गया है कि धारा सभा के सदस्यो के स्वतत्र रूप से बिना किसी अनुचित दबाव के सर्वसम्मति से अपने नेता का चुनाव किया है।" कार्यसमिति ने यह भी कहा कि धारा सभा मे अनुपस्थित 47 सदस्यो ने लिखित रूप से सूचना दी है, कि उन्होने खेर का चुनाव स्वतत्र रूप से किया है।"[86] 23 मार्च, को नरीमान ने एक वक्तव्य द्वारा कार्यसमिति के निर्णय को स्वीकार करने तथा विवाद को समाप्त करने घोषणा की।

इतना सब होने के बावजूद बम्बई के कुछ अखबारो ने अपना विषैला प्रचार जारी रखा। इसी बीच 12 मई, 1937 ई० को नरीमान ने काग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर पुन इस मुद्दे को जीवित कर दिया। पत्र मे उन्होने कहा कि "विवाद के सबध मे उन्हे कुछ नये तथ्यो का पता चला है। चुनाव के चार दिन पहले अर्थात् 8 मार्च

---

८४ पारीख नरहरि, पूर्वो भाग 2 पृ० 274

८५ वही, पृ० 275

८६ वही, पृ० 275 एव 276

को धारा सभा के 30 सदस्यो ने उन्हे चुनने का निश्चय किया जो मराठी पत्र 'नवाकाल' मे प्रकाशित हुआ। 9 मार्च, को सरदार साहब ने जब यह खबर पढी तो उन्होने अहमदाबाद से शकरराव देव तथा गगाधर राव को तार देकर अच्युत के साथ 11 मार्च, को बम्बई बुलाया।[87] ये तार अभी हमारे हाथ लगे है हमारी वल्लभ भाई के अनुचित व्यवहार का प्रमाण हमारे हाथ लगा है और इसकी तरफ आपका ध्यान खीचता हूँ। बम्बई के समाचार पत्रो ने इन तारो के आधार पर तरह-तरह के आरोप सरदार पटेल पर लगाने प्रारम्भ कर दिये। 17 जून के नेहरू ने नरीमान को पत्र का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि जिस दिन उन्होने तार दिये थे उस दिन उन्होने मुझे भी पत्र लिखा था कि महाराष्ट्र मे कुछ और जिम्मेदराना चर्चाये हो रही है और उन्हे रोकने के लिए मैने गगाराव देश पाडे वगैरह को बम्बई बुलाया है।''[88]

5 से 8 जुलाई तक वर्धा मे हुई काग्रेस कार्यसमिति की बैठक मे नरीमान के आरोपो को निराधार पाया। कार्य समिति की बैठक समाप्त हो जाने के बाद गॉधी जी की सलाह पर सरदार पटेल ने निम्न वक्तव्य निकाला—

''उन्होने कहा कि अभी तक मै जान बूझकर मौन रहा परन्तु अब जनता को जानकारी देना आवश्यक है। उन्होने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेता के चुनाव पर असर नही डाला। सरदार पटेल ने नरीमान पर आरोप लगाया कि वे स्वय 4 मार्च, 1937 को उनसे मिले थे तथा नेता चुने जाने मे सहायता मॉगी जिसे उन्होने इन्कार कर दिया।[89] पत्रो मे वक्तव्यो की छडी लगा दी और 13 जुलाई को एक कठोर पत्र नेहरू को लिखा। नेहरू ने जवाब मे कहा कि यदि आप को काग्रेस कार्यसमिति पर विश्वास नही है तो जिस पर आपका विश्वास है उसके पास जाये। अन्त मे नरीमान ने गॉधी जी को पत्र लिखा जिसमे उन्होने कहा कि ''पार्लियामेण्टरी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सरदार को विशाल और निरकुश अधिकार प्राप्त है। अत धारा सभा के सदस्य साक्ष्य देने मे घबरायेगे। नरीमान ने गॉधी जी की निष्पक्षता पर शक करते हुए लिखा कि मेरा नाम आपको पत्रो से मुझे लगता है कि

---

८७ पटेल, पेपर्स, नरीमान फाइल्स, अहमदाबाद,

८८ मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रजना, पूर्वो पृ० 72

८९ पटेल, पेपर्स, नरीमान फाइल्स अहमदाबाद,

आपके मन मे मेरे प्रति पूर्वाग्रह है।"[90] नरीमान किसी की बात मानने को तैयार नही थे। यहाँ तक कि सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि मामले की जॉच किसी निष्पक्ष पारसी नेता से करायी जाय। बाद मे यह कार्य विश्वविख्यात पारसी विधान शास्त्री डी०एन० बहादुर को सौपा गया। श्री बहादुर को दो विषयो पर अपनी जॉच रिपोर्ट देनी थी। प्रथम नवम्बर 1934 ई० मे केन्द्रीय धारा सभा के लिए हुए चुनाव को नरीमान बने अपने आचरण से काग्रेस को धोखा दिया था या नही। और द्वितीय इस आरोप मे सच्चाई है या नही कि मार्च 1937 के बम्बई धारा सभा के नेता के चुनाव मे सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया और नरीमान को नेता नही चुनने दिया।

प्रथम प्रश्न पर पटेल का आरोप था कि 1934 के चुनाव मे काग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने नरीमान और डॉ० जी०बी० देशमुख को बम्बई से केन्द्रीय धारा सभा के लिए प्रत्याशी बनाया था। परन्तु नरीमान ने जानबूझ कर मतदाता सूची मे सही पता न होने के आधार पर अपना नाम वापस लेकर काग्रेस की प्रतिष्ठा को धूंमिल करने का कार्य किया। यही नही उन्होने चुनाव वाले दिन दूषित प्रचार करके एक अन्य पारसी प्रत्याशी सर कावसजी की परोक्ष रूप से सहायता कर, के०एम० मुशी को पराजित करवा दिया।

श्री डी०एन० बहादुर ने भली-भॉति जॉच करने के उपरान्त अपने निर्णय मे कहा कि—

(i) "1934 ई० के केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव मे सरदार पटेल ने जो आरोप लगाये है वे सही है।

(ii) 1937 ई० के बम्बई धारा सभा के नेता के चुनाव मे नरीमान ने जो आरोप सरदार पटेल पर लगाये है वे सिद्ध नही होते।"

नरीमान के विरुद्ध बहादुर द्वारा दिये गये निर्णय का गॉधी ने भी अनुमोदन कर दिया। नवम्बर 1937 ई० के कलकत्ते अधिवेशन मे "काग्रेस कार्य समिति ने नरीमान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नरीमान को भविष्य मे काग्रेस मे कोई भी जिम्मेदारी के पद और विश्वास के अयोग्य ठहरा दिया।" परन्तु 10 वर्ष पश्चात् 1947 ई० मे नरीमान

---

९० गेहरोत्रा, एन० सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 73

द्वारा अपने व्यवहार के लिए सरदार से खेद प्रकट करने के उपरान्त पुन उन्हे काग्रेस म शामिल कर लिया गया।

मध्य प्रान्त का सकट - प्रान्तीय मत्रिमडल के सचालन मे सबसे अधिक गम्भीर समस्या मध्य प्रान्त मे हुई। मध्य प्रान्त एक मिश्रित इकाई थी। 1937 ई० मे डॉ० एन० बी० खरे को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। खेर मराठी क्षेत्र से सबध रखते थे। मत्रिमडल का गठन सरदार पटेल की सहमति से हुआ था। मात्रिमडल मे बरार क्षेत्र के पी०वी० गोले तथा आर०आर० देशमुख तथा महाकौशल क्षेत्र के आर०एस० शुक्ला, डी०पी० मिश्रा, और डी०के० मेहता मत्री बनाये गये। जबकि यूशुफ शरीफ को मुसलमान प्रतिनिधि की हैसियत से मत्रिमडल मे रखा गया। मत्रिमडल मे प्रारम्भ से ही आन्तरिक मतभेद था। यद्यपि खरे सभी के सहयोग से मुख्यमत्री बने थे लेकिन उन्होने महत्वपूर्ण स्थानो पर अपने व्यक्तियो को नियुक्त किया तथा डी०पी० मिश्र के महत्व को घटाने का कार्य किया। फरवरी 1938 ई० मे मुख्यमत्री खरे के खिलाफ शरीफ प्रकरण, उमरी की हत्या, जबलपुर के दगे को लेकर असन्तोष फैल गया जो 1938 के अन्त तक विस्फोट रूप धारण कर लिया।

असतोष की शुरुआत कानून और न्याय मत्री यूसुफ के व्यवहार को लेकर हुआ। यूसुफ ने 13 वर्षीय हरिजन लडकी के बलात्कारी कैदियो को एक तिहाई सजा पूरी होने के पूर्व ही गवर्नर की अनुमति से माफ कर दिया। कैदी मुसलमान थे इसलिए परिणामस्वरूप धारा सभा के बाहर तथा मत्री कक्ष के सामने हिन्दू जनता ने नारे लगाये। सरदार पटेल को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होने शरीफ से स्पष्टीकरण मॉगा तथा प्रान्त की सरकार को तत्काल इस मामले को अपने हाथ मे लेने को कहा। खरे शरीफ को बचाना चाहते थे। मुस्लिम लीग ने प्रचार किया कि मत्री तथा कैदी के मुसलमान होने के कारण हिन्दू सगठन मत्री के अधिकार क्षेत्र मे हस्तक्षेप कर रहे है। काग्रेस कार्यसमिति ने सम्पूर्ण मामले की जॉच कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर मन्मथ नाथ मुखर्जी को सौप दी, जिन्होने अपनी रिपोर्ट मे शरीफ को दोषी पाया तथा शरीफ को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया।

अभी शरीफ काड सुलझ नही पाया था कि 7 मई, 1938 ई० को डी०पी० मिश्र ने मुख्यमत्री को पत्र लिखकर जबलपुर दगो मे उनकी भूमिका पर असन्तोष व्यक्त किया।

तथा 8 मई को गोके, शुक्ल, मिश्र तथा मेहता ने मत्रिमडल से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की। त्यागपत्र का प्रमुख कारण खरे द्वारा सचालित गृह विभाग की कमजोरिया, जबलपुर दगे मे नरमी का व्यवहार, खरे की नौकरशाही पर निर्भरता, महत्वपूर्ण मामलो पर परामर्श न करना, तथा शरीफ काड की जॉच आदि बताये गये।''[91] इसके अलावा सरदार साहब के पास कई मत्रियो के रिश्वत मे लिप्त होने तथा सगे सबधियो के साथ पक्षपात करने की खबर आयी। इन सब बातो से प्रान्त मे काग्रेस की प्रतिष्ठा तेजी से गिर रही थी। अत सरदार पटेल ने सक्रियता से 24 मई, 1938 ई० को पचमढी मे धारा सभा के सदस्यो एव मत्रियो की बैठक बुलायी जिसमे समझौता हो गया। इस अवसर पर सरदार पटेल ने वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कहा कि—

''शरीफ मामले मे सरकार ने अभी-अभी निपटारा किया है। हमने सब मत्रियो के साथ अलग-अलग बाते की और फिर एक साथ बाते की। सारे समाधान करने मे कठिनाई तो हुई लेकिन यह बताते हुए आनन्द होता है कि सारे मतभेद मिट गये है। मत्रियो ने हमे आपस मे सहयोग करने का विश्वास दिलाया है।''[92] मत्रियो पर रिश्वत के आरोप पर बोलते हुए सरदार साहब ने कहा कि इसका सबूत हमे नही मिला।

समझौते के कुछ समय बाद सरदार पटेल के पास शिकायते आने लगी की खर समझौते की शर्तो का पालन नही कर रहे है। 13 जुलाई, 1938 को यह समाचार प्रकाशित हुआ कि खरे समर्थक दो मत्री गोले तथा देशमुख ने त्यागपत्र दे दिया है। 20 जुलाई, 1938 को खरे ने पत्र लिखकर मिश्र एव मेहता को त्यागपत्र देने की सलाह दी। उनका तर्क था कि वह स्वय त्यागपत्र देने जा रहे है इसलिए परम्परा के अनुसार सभी मत्रियो को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मत्रियो ने त्यागपत्र देने से इकार कर दिया। 20 जुलाई को दोपहर के समय खरे ने अपना त्यागपत्र गवर्नर को सौप दिया तथा जिन मत्रियो ने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया था उन्हे मत्रिमडल से मुक्त कर दिया गया।

23 तारीख को वर्धा मे काग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमे खरे को भी बुलाया गया। कार्यसमिति ने निर्णय लिया कि चूँकि दल के नेता ने त्यागपत्र दे दिया है इसलिए

---

९१ वही, पृ० 75

९२ वही, पृ० 76

नये नेता के चुनाव के लिए 27 तारीख को धारा सभा की बैठक बुलायी जाय। डॉ० खरे को परामर्श दिया गया कि वे दुबारा नेता पद पर के चुनाव मे शामिल न हो जिसका खरे ने विरोध किया। कार्यसमिति ने डॉ० खरे को पुन बुलाकर 25 तारीख को चुनाव न लडने का स्पष्ट आदेश दिया। पर डॉ० खरे को पुन बुलाकर 25 तारीख को चुनाव न लडने का स्पष्ट आदेश दिया। पर डॉ० खरे नही माने। बाध्य होकर कार्यसमिति ने खरे पर अनुशासन भग का आरोप लगाया तथा उन्हे काग्रेस सगठन मे किसी जिम्मेदारी के अयोग्य ठहरा दिया गया।

डॉ० खरे ने काग्रेस अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बोस को पत्र लिखकर कार्यसमिति के निर्णय से असहमति प्रकट की। उन्होने यह कहा कि—"मै इस विचार से पूरी तरह असहमत हूँ कि काग्रेस कार्यसमिति या पार्लमेण्टरी बोर्ड धारा सभा के काग्रेस दल को अपने नेता के चुनाव के मामले मे कोई आदेश दे सकती है। मेरा विचार है कि धारा सभा के सदस्यो को अपना नेता चुनने की स्वतत्रता होनी चाहिए। यही लोकतत्र है।"

27 जुलाई को मध्य प्रान्त की काग्रेस धारा के सदस्यो ने रविशकर शुक्ला को अपना नेता चुना लिया। पार्लियामेण्टरी उपसमिति के परामर्श के बाद 29 जुलाई, 1938 को रविशकर ने मुख्यमत्री पद की शपथ ली और अपने मत्रिमडल का गठन किया। डॉ० खरे ने अपनी प्रतिक्रिया मे सरदार पटेल पर निरकुशता और पक्षपात का आरोप लगाया और काग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय की आलोचना करते हुए उसे 'फासीवाद' की सज्ञा दी। खरे ने 'अपने बचाव' नामक पुस्तिका प्रकाशित कर पाठको को इस बात से अवगत कराने का प्रयास किया कि सरदार पटेल ने उनके साथ अन्याय किया है। डॉ० खरे को आरोपी के विरुद्ध काग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस ने एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित कर सरदार पटेल को उचित ठहराया। इसके बाद डॉ० खरे हिन्दू महासभा मे शामिल हो गये।

इस प्रकार इस काड मे भी सरदार पटेल के कठोर अनुशासन की झलक मिलती है।

बिहार तथा संयुक्त प्रान्त के राजनीतिक कैदियो की रिहाई - 1937 के प्रान्तीय धारा सभाओ के चुनावो के समय काग्रेस द्वारा प्रकाशित घोषणा पत्र मे यह वचन दिया गया था कि यदि काग्रेस सत्तारूढ होगी तो वह तमाम राजनीतिक कैदियो को छोड देगी। सत्त

मे आने के बाद बम्बई तथा मद्रास मे राजनीतिक कैदी छोड देगी। सत्ता मे आने के बाद बम्बई तथा मद्रास मे राजनीतिक कैदी छोड भी दिये गये। सयुक्त प्रान्त के 15 और विहार के 21 राजनीतिक कैदी थे जिनको रिहा करने को लेकर सरकार और गवर्नर मे विवाद उत्पन्न हो गया। जब सयुक्त प्रान्त और बिहार ने इन कैदियो को छोडने का प्रस्ताव किया तो दोनो प्रान्तो के गवर्नरो ने आपत्ति उठाई कि यदि इन कैदियो को रिहा कर दिया जायेगा तो पजाब और बगाल मे विषम समस्या उत्पन्न हो जायेगी क्योकि ये क्रान्तिकारी गतिविधियो से सबधित है। अपने पक्ष मे गवर्नर ने तर्क रखा कि काकोरी काड के कुछ कैदियो को छोड देने पर उन्होने अवाछनीय हरकते करते हुए जनता के बीच उत्तेजनात्मक भाषण दिये। वायसराय ने गर्वनमेन्ट ऑफ इडिया ऐक्ट धारा को लागू करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी की कैदी छोडे न जा सके। मत्रीगण सरदार वल्लभ भाई और गॉधी जी से मिले। जिन्होने सलाह दी कि यदि गवर्नर कैदियो को छोडने के लिए तैयार न हो तो मन्त्रियो को त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस पर दोनो प्रान्तो के मन्त्रिमडलो ने त्यागपत्र गवर्नरो को दे दिया। जिसे गवर्नरो ने स्वीकार नही किया।

1938 के हरिपुरा अधिवेशन मे काग्रेस ने एक लम्बा और विस्तृत प्रस्ताव पास किया जिसमे कहा गया कि "मार्च, 1937 ई० मे काग्रेस ने भारतमत्री, वायसराय और विभिन्न प्रान्तो के गवर्नरो के इस वक्तव्य के कारण मन्त्रिमडल का गठन किया कि गवर्नर से रोजमर्रा के कार्यो मे कोई हस्तक्षेप नही करेगे। अत गवर्नर जनरल ने गवर्नमेण्ट ऑफ इडिया एक्ट की धारा 126 (5) लागू करके व्यर्थ की दखलदाजी की है।[93] प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा कि "हमने पर स्वीकार कर लिया है इसलिए हमारा धर्म हो जाता है कि हम जनता की इच्छानुसार शासन करे। जिन लोगो ने देश की आजादी के लिए बडे से बडा कष्ट सहा है, उन्हे हम जेल मे कैसे रख सकते है। वे देश की आजादी के लिए अपने प्राण देने को तैयार थे भले ही उनका कार्य करने का तरीका गलत रहा हो। जनमत द्वारा चुनी हुई कोई भी सरकार ऐसे देश भक्तो को जेल मे नही रख सकती।" इस प्रकार कैदियो की रिहाई न होने की स्थिति मे त्यागपत्र का प्रस्ताव कार्यसमिति द्वारा पास किया गया।

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद दोनो प्रान्तो के मत्री अपने-अपने प्रान्तो मे गये। तो

---

९३ पारीख, नरहरि पूर्वो, पृ० - 338

1 ''प्रदेश काग्रेस कमेटी ने यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी रिपोर्ट मे केवल एक ही नाम सूचित किया हो और यदि काग्रेसजनो मे उस नाम प्रर कोई विवाद न हो, ता सरदार पटेल को कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार करने की सत्ता दी जाती है।

2 दूसरे मामलो मे उम्मीदवारो के नाम सरदार की सिफारिश से ही बोर्ड के अन्य सदस्यो के पास उनकी राय के लिए भेजे जायेगे।''[96]

इस समय सरदार पेटल दु साध्य रोग से पीडित थे और पूना प्राकृतिक चिकित्सालय मे चिकित्सा करा रहे थे। स्वास्थ्य लाभ न होने के बावजूद चुनावो को सगठित करने की सारी जिम्मेदारी सरदार पटेल पर डाली गयी जिन्होने इस जिम्मेदारी को उत्तम ढग से पूरी की। वे फण्ड वसूल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होने पूरे चुनाव मे पैसे की कमी नही आने दी।

दिसम्बर 1945 ई० मे चुनावो हेतु काग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 1945-46 का चुनाव 1937 के चुनावो से भिन्न था, पिछले चुनावो मे काग्रेस को केवल ब्रिटिश सरकार के समक्ष शक्ति प्रदर्शन करना था परन्तु इस चुनाव मे उसे ब्रिटिश तथा मुस्लिम लीग दोनो के समक्ष अपनी स्थिति का प्रदर्शन करना था। साथ ही अन्य छोटे-छोटे राजनीतिक दल भी थे जिनके साथ काग्रेस के मतभेद थे। इस चुनाव मे सरदार पटेल की मुख्य चिन्ता केन्द्रीय तथा प्रान्तीय असेम्बली के साथ-साथ उसके उपरान्त सविधान सभा मे काग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर थी।

चुनावो के सचालन हेतु सरदार पटेल ने बम्बई के काग्रेस भवन की ऊपरी मजिल पर एक विशिष्ट कार्यालय की स्थापना की। ''प्रत्याशियो के चयन के मामले मे उन्होने एकाधिकार का परिचय दिया। प्रत्याशियो के चयन के मामले मे उन्होने व्यक्तिगत मजबूत प्रत्याशी की बात करते थे।''[97]

किसी दूसरे दल के साथ समझौता करते समय भी वे प्रत्याशी की सफलता को ध्यान मे रखते थे। ''उन्होने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के इस परामर्श को कि चुनाव मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ समझौता कर लिया जाय, ठुकरा दिया क्योकि उनकी नजर मे

---

९६ शकर, वी०, पूर्वो, पृ० 9

९७ दास, दुर्गा, सरदार पटेल, कोरेसपाण्डेन्स, खण्ड दो, अहमदाबाद, 1973, पत्र सख्या, 27

'काग्रेस हिन्दू महासभा पूरे देश मे एक भी सीट नही जीत सकती थी अत ऐसे समझौते से लाभ के बजाय हानि अधिक है।''[98] 14 दिसम्बर, 1945 ई० को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को परामर्श दिया कि उन्हे अपनी पार्टी का विलय काग्रेस मे कर देना चाहिये क्योकि चुनावो मे उनकी पार्टी एक भी स्थान प्राप्त नही कर सके गी।''[99]

प्रत्याशियो के चयन के मामले मे अन्य योग्यताओ के रूप मे सरदार पटेल अनुशासित अनुदारवादी, सादगी जीवन पसन्द व्यक्ति को वरीयता दी। इसी आधार पर उन्होने नेहरू की सस्तुति होने पर भी धर्म यश देव के नाम को अस्वीकार कर दिया। अपने पत्र मे तर्क देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि ''उनसे बातचीत कर मैने अनुभव किया कि उनका रहन-सहन खर्चीला है उनकी पत्नी खर्चीली आदतो की एक सोसाइटी गर्ल है।''[100] प्रत्याशियो के चयन मे सरदार पटेल ने क्षेत्रीय आधारो को भी महत्व दिया ''जब आजाद ने जी०वी० देशमुख को प्रत्याशी बनाने की आलोचना की तो पटेल ने तर्क दिया कोणकी मतो को प्रभावित करने के लिए उनका प्रत्याशी बनाना आवश्यक है।''[101]

उम्मीदवारो के नाम की अन्तिम स्वीकृति की शक्ति केन्द्रीय चुनाव बोर्ड को थी जो अपने कार्यो मे विलम्ब कर रही थी क्योकि इसके अध्यक्ष मौलाना आजाद बीमार थे, शासक अली, राजेन्द्र प्रसाद और पत आदि सदस्य चुनावो और दूसरे कार्यो मे सलग्न थे। अतएव बोर्ड की मीटिग समय से नही हो पाती थी। इसलिए इस सन्दर्भ मे पटेल ने आजाद से कहा कि ''मीटिग न होने की स्थिति मे मेरे पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नही है कि कमेटी का उत्तर न मिल सके तो मै अपने विवेक से उम्मीदवारो के बारे मे निर्णय दूँ।''[102]

कुछ प्रत्याशियो के चयन को लेकर सरदार पटेल का मौलाना आजाद से गम्भीर मतभेद हो गया। मौलाना आजाद, जी०वी० देशमुख (बम्बई), विश्वनाथ दास (कटक),

---

९८ वही, पत्र सख्या, 18

९९ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार लेटर्स मोस्टली अननोन, खण्ड एक, अहमदाबाद, 1927, पत्र राख्या, -12

१०० दास, दुर्गा, पूर्वो, पत्र सख्या 4

१०१ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, रारदार वल्लभ भाई पटेल, व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 117

१०२ दास, दुर्गा, पूर्वो, पत्र सख्या, 22

ठाकुरदास भार्गव (पजाब), पाण्डे (महाकौशल) आदि के नामो पर पुर्नविचार चाहते थे जिसे सरदार ने अस्वीकार कर दिया''[103] इसके अलावा सरकार के सिन्ध एव लाहौर की प्रस्तावित दौरे पर आजाद ने आपत्ति की जिसके उत्तर मे सरदार पटेल ने, ''केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा काग्रेस कार्यसमिति से त्याग पत्र देने की इच्छा व्यक्त की।''[104] सरदार के इस निर्णय से ''आजाद घबराये और उन्होने तत्काल सरदार से क्षमा याचना की।''[105]

इस प्रकार 1945-46 के चुनाव मे सरदार पटेल ने प्रत्याशियो के चयन के मामले मे एकाधिकार प्राप्त कर योग्य, कर्मठ, सादगी पसन्द तथा जिताऊ प्रत्याशियो को खडा करके, रात दिन चुनावी सभा उसके पक्ष मे माहौल बनाने का कार्य किया।

1945-46 के चुनावो मे काग्रेस ने केन्द्रीय असेम्बली के 57 स्थानो पर विजय प्राप्त की जबकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानो के लिए आरक्षित सभी सीटो पर विजय प्राप्त करके मुस्लिमो के प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप मे अपने आपको पेश किया। प्रान्तो मे काग्रेस 923 सीटो पर विजय प्राप्त की जबकि मुस्लिम लीग ने 425 सीटे जीती। इस प्रकार इन नतीजो से सरदार पटेल को धक्का लगा और उन्हे मुस्लिमो से निराशा हुई और उनकी यह धारणा मजबूत हुई की मुसलमान राष्ट्रीय नेताओ की अपेक्षा मुस्लिम लीग के साथ है।

*****

---

१०३ वही, पत्र सख्या 30 एव 31

१०४ वही, पत्र राख्या, 68

१०५ वही, पत्र सख्या, 71

अध्याय-3

विभाजन के पूर्व भारतीय राजनीति में योगदान

I असहयोग आन्दोलन

II सविनय अवज्ञा आन्दोलन

III त्रिपुरी कांग्रेस

IV क्रिप्स मिशन

V भारत छोडो आन्दोलन

VI शिमला सम्मेलन

VII कैबिनेट मिशन

VIII आन्तरिम सरकार

असहयोग आन्दोलन

रोलेट एक्ट के विरोध मे 13 अप्रैल, 1919 को वैशाखी के दिन जालियावाला बाग मे आयोजित जन सभा जनरल डॉयर ने निहत्थे लोगो पर गोली चलवाकर सैकडो निर्दोष लोगो को मौत के घाट उतरवा दिया। उसके इस कृत्य की निन्दा पूरे देश मे हुई। "डॉयर के इस कृत्य की प्रतिक्रियास्वरूप रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने, 'सर' की उपाधि लौटाकर अग्रेजो के मुँह पर करारा तमाचा मारा, तो महात्मा गॉधी ने भी 'कैसरे हिन्द' का सम्मान लौटा दिया और असहयोग का प्रस्ताव किया।"[1] यह प्रस्ताव सरदार पटेल के हाथो गुजरात राजकीय परिषद् की बैठक मे रखा गया। जिसका कुछ नरमपथियो ने जोखिम की बात कह कर विरोध किया। सरदार पटेल ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि "यह बात सही है कि असहयोग मे जोखिम तो है, मगर दुनिया के किस देश को सरलता से आजादी प्राप्त हुई है। चुप बैठे रहने मे क्या कम जोखिम है। जोखिम के भय से क्या प्रजा की उन्नति के महान कार्यो को किसी ने छोडा है? इतने विशाल साम्राज्य को गठित करने वालो ने खतरो का डर मन मे रखा होता तो उनका कोई अस्तित्व न होता।"[2]

"4 सितम्बर, 1920 ई० को कलकत्ता मे हुए काग्रेस के विशेष अधिवेशन मे गॉधी जी मे द्वारा प्रस्तुत असहयोग सबधी प्रस्ताव 884 के मुकाबले 1886 मतो से पारित कर दिया गया।"[3] इस प्रस्ताव मे दो प्रमुख भाग थे। प्रथम नकारात्मक और द्वितीय सकारात्मक। नकारात्मक भाग के अन्तर्गत धारा सभाओ, न्यायालय तथा शिक्षण सस्थाओ का परित्याग और सकारात्मक भाग मे पचायतो, राष्ट्रीय शिक्षण सस्थाओ आदि की स्थापना सम्मिलित थी। दिसम्बर, 1920 ई० के नागपुर अधिवेशन मे इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गयी। इस अधिवेशन मे यह भी निर्णय लिया गया कि, "काग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य के

---

१ ताराचन्द, भारतीय स्वतत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-तीन, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 507

२ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभाई पटेल, आनन्द, 1974, पृ० 44

३ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 29

स्थान पर शान्तिमय उपायो से स्वराज्य प्राप्त करना है।"[4] नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य के नारे ने एक वर्ष मे जोर पकड लिया। जनता को लगातार कार्यक्रम देने के उद्देश्य से नागपुर काग्रेस के बाद महासमिति की बैठक मे निश्चित किया गया, कि, 'तिलक स्वराज्य फण्ड' मे 30 जून, 1921 तक एक करोड रुपया जमा किया जाय तथा चार आने वाले एक करोड सदस्य बनाये जाय। देश मे बीस लाख चरखे बॉटे जाय। इसमे से गुजरात के हिस्से मे आये 10 दस लाख रुपये, तीन लाख सदस्य बनाना और एक लाख चरखो के बारे मे सरदार पटेल ने गॉधी जी को निश्चिन्त होने के लिए कहा। अपने अथक प्रयास और प्रभाव के कारण बहुत ही जल्दी दस लाख के बजाय पन्द्रह लाख रुपये एकत्रित कर दिये और सदस्यता तथा चरखो का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। 30 जून तक तिलक स्वराज्य फण्ड मे एक करोड रुपया एकत्रित हो गया।

तिलक स्वराज्य फण्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त लोकमान्य तिलक की पहली बरसी के दिन (1 अगस्त, 1921 ई०) महात्मा गॉधी ने वस्त्रो की होली जलाने का निश्चय किया। गॉव-गॉव मे इस पर अमल हुआ। इस अवसर पर जलाई गयी होलियो मे बम्बई और अहमदाबाद की होली शायद सबसे बडी थी। वल्लभ भाई ने अपनी बैरिस्ट्री के गाउन के अलावा दर्जनो सूट, नेक टाईया, कॉलर और बूटे जलाये। लोगो मे अपरिमित जोश था। होली शुरू होते ही वे अपने शरीर के ऊपर से विदेशी कपडे उतारकर वस्त्रो की वर्षा सी कर दी। विदेशी वस्त्रो की होली के साथ-साथ अहमदाबाद मे सरदार पटेल ने स्वयसेवाओ के साथ विदेशी वस्त्रो की मडी एव दुकानो पर घरना भी दिया। "सरदार वल्लभ भाई के प्रयासो से अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी ने भी सरकार से असहयोग किया। परिणामस्वरूप म्युनिसिपोलिटी भग कर दी गयी। इस पर सरदार पटेल के प्रयासो से अहमदाबाद के नागरिको ने तत्काल 'सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा मडल' की स्थापना की।"[5] असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमो को और तेजी से पूरा करने के लिए वल्लभ भाई ने अपने सैकडो सहयोगियो के हस्ताक्षरो का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमे उन्होने कहा कि-

"हिन्दुस्तान की सार्वजनिक आकाक्षाओ को कुचल डालने वाली इस शासन तत्र मे कोई भी हिन्दुस्तानी असैनिक और खास तौर पर सैनिक की हैसियत से नौकरी करे, यह

---

४ दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1969, पृ० 41

५ वही, पृ० 42

हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय सम्मान को धक्का पहुँचने वाली बात है। प्रत्येक भारतीय का फर्ज है कि वह नौकरियो से नाता तोड ले और अपने गुजारे के लिए कोई अन्य उपाय ढूँढ ले।"[6]

सरदार पटेल ने 1921 ई० की गर्मियो से खादी पहनना आरम्भ किया है और 1927 ई० से मणि बहन द्वारा कात कर तैयार की गयी खादी के कपडे सरदार जीवन भर पहने। सरदार ने जगह-जगह जाकर आन्दोलन मे सहयोग और सरकार से असहयोग का बिगुल बजाने का आह्वान किया।। अपने आह्वान के पक्ष मे उन्होने और जोरदार तर्क रखे। उनका सक्षिप्त विवरण निम्न है।

1 सरदार ने किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति का सर्वप्रथम आह्वान किया तथा कहा कि "क्या कभी किसी ने खतरे के डर से जनता की उन्नति के महान प्रयोग छोड दिये है? यदि यह डर इतना बडा साम्राज्य बनाने वाले लोगो को होता तो आज उनका कोई अस्तित्व न होता।" रेलवे और जहाज के सफर मे दुर्घटनाओ का डर रहता है तो क्या इस भय से कोई सफर करना छोड देगा? यदि नही तो आप भी भय त्याग दे।" यदि आप ऐसा करते है तो स्वराज्य प्राप्ति मे जरा भी देर नही लगेगी।"[7]

2 सरदार ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जिसका आधार भयकर शस्त्र है, का प्रतिकार केवल गॉधीवादी मार्ग से ही सम्भव है। 28 सितम्बर 1921 को अहमदाबाद के विद्यार्थियो की सभा मे भाषण करते हुए उन्होने कहा कि—"महात्मा गॉधी आये तक राजनीतिक जीवन मे सत्य का प्रवेश हुआ खेडा सत्याग्रह मे उन्होने मॉग की कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिये जो आज ही अपना तमाम धन्धा छोडकर नाडियाद मे रहे और लडाई का काम अपने सिर पर ले ले। मैने वह कार्य सिर पर ले लिया। तब उनके साहस से मुझे विश्वास हो गया कि अब तक भारत उल्टे रास्ते पर चल रहा है। उनके बताये हुए मार्ग पर चलने से ही भारत का उद्धार होगा।"[8] अत असहयोग युद्ध की जो दुदुम्भि बज रही है, लडाई छिड गयी है, ऐसे समय मे "मै क्या करूगा "मेरा क्या होगा।" इस तरह के नामर्दी वाले विचारो को त्याग कर मैदान मे कूद पडना चाहिए तथा यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए।"[9]

---

६ वही, पृ० 43

७ प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिल्ली, 1982, पृ० 13

८ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947 तक), अहमदाबाद, 1950, पृ० 116

९ वही, पृ० 27

3 उडीसा मे एक सभा को सम्बोधित करते हुए पटेल ने 'वर्तमान परिस्थियो और सहयोग' पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि "हमे किसी दूसरे पर राज्य नही करना है परन्तु जैसे फ्रान्सीसी लोग फ्रास पर राज्य करते है, जर्मन लोग जर्मनी मे और इटली वाले इटली मे करते है उसी प्रकार हम हिन्दुस्तान के लोग सिर्फ हिन्दुस्तान पर राज्य करे।" पटेल ने लोगो से सरकारी शिक्षण सस्थाओ, अदालतो, धारा सभाओ तथा विदेशी कपडो के वहिष्कार की भी सलाह दी।"[10]

31 मई, व 1 जून, 1921 को भडौच मे गुजरात राजनीति परिषद के अध्यक्षीय भाषण मे स्वराज्य के वास्तविक अर्थ की चर्चा की और कहा कि"हमारे स्वराज्य मे थोडे से विदेशियो की सुविधा के लिए विदेशी भाषा मे राजकाज नही होगा, शिक्षा का महत्व विदेशी भाषा नही होगी, विद्यालयो को आचार्य विदेशी नही होगे।"[11]

18 सितम्बर, 1921 ई० को अहमदाबाद मे विदेशी कपडो की होली जलाई गयी इस अवसर पर सरदार पटेल ने कहा कि "विदेशी कपडो की होली जलाई जाने से निश्चित ही लकाशायर मे खलबली मच गयी होगी।"[12] जनता के शुद्ध मन से विदेशी कपडो का हमेशा के लिए वहिष्कार करना होगा क्योकि स्वराज जनता की इच्छा शक्ति, त्याग और सयम पर निर्भर करता है।"[13] दिसम्बर 1921 ई० मे हुए अहमदाबाद काग्रेस अधिवेशन मे स्वागताध्यक्ष के रूप मे बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा कि यह समय जनता के परीक्षा की घडी है।

देश भर मे असहयोग आन्दोलन की सफलता देखकर और खासतौर पर वल्लभ भाई के प्रयासो से जो पूरे गुजरात मे असहयोग की लहर चल रही थी, उसे देखकर गॉधी जी ने असहयोग आन्दोलन को विस्तृत करके इसके कार्यक्रम मे करने देने की लडाई के लिए बारदोली ताल्लुके का चुनाव किया। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के चौरी-चौरा काड के कारण 5 फरवरी, 1922 ई० को गॉधी जी ने आन्दोलन वापस ले लिया। गॉधीजी के इस निर्णय ने उस समय लगभग सभी प्रमुख नेताओ को क्रुद्ध कर दिया। गॉधी जी के इस निर्णय का समर्थन सिर्फ वल्लभ भाई और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने ही किया।

१० वही, पृ० 28-29
११ वही, पृ० 32
१२ वही, पृ० 41
१३ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, पूर्वो, पृ० 30

इस प्रकार आन्दोलन स्थगित हो गया और लोगो मे निराशा फैल गयी। गॉधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। सरदार ने गॉधी जी की अनुपस्थिति मे प्रजा को रचनात्मक कार्यो द्वारा तैयार करने का कार्य किया जो वाद मे राजनीतिक चेतना की लहर के रूप मे बोरसद सत्याग्रह, बारदोली की सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह मे देखने को मिली। इस प्रकार सरदार ने गुजरात मे राज्यनीतिक चेतना का विकास किया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

1928 ई० मे साइमन कमीशन के वहिष्कार आन्दोलन की सफलता से उत्साहित होकर महात्मा गॉधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की घोषणा कर दी। आन्दोलन चलाने से पूर्व गॉधी जी ने वायसराय के ग्यारह शर्तो का प्रस्ताव भेजा जिस पर कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर गॉधी जी ने यह घोषणा की कि वह 12 मार्च, 1930 ई० को नमक कानून भग करने के लिए दाण्डी मार्च करेगे।

दाण्डी मार्च की पूर्व तैयारी के लिए सरदार पटेल 7 मार्च को बोरसद ताल्लुके के रास गॉव गये। जहॉ उनको सुनने के लिए हजारो लोग इकट्ठा हुए। "जब वल्लभ भाई इस प्रकार गॉधी जी के आगे-आगे चल रहे थे के तो सरकार ने समझा "यह तो 1900 वर्ष पहले का ईसा मसीह का दूत जान बैपटिस्ट है।"[14] अत सरकार ने वल्लभ भाई के भाषण करने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हे भाषण न करने की नोटिस दी। जिस पर सरदार ने अमल न करने की इच्छा जाहिर की और तुरन्त ही पुलिस ने सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया और "उन पर मुकदमा चलाकर तो तीन सप्ताह की अधिक जेल की सजा दे दी।"[15] यह सरदार पटेल की पहली गिरफ्तारी थी।

सरदार पटेल की गिरफ्तारी के समाचार से सम्पूर्ण गुजरात मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वहॉ का बच्चा-बच्चा सरकार के विरुद्ध हो गया। अहमदाबाद के साबरमती के रेतीले तट पर गॉधी जी की अध्यक्षता मे एक विशाल सभा हुई। जिसमे 75,000 स्त्री पुरुषो ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमे उन्होने सकल्प लिया कि, "हम अहमदाबाद के नागरिक यह सकल्प करते है कि जिस मार्ग पर वल्लभ भाई गये है हम भी उसी पर जायेगे और

---

१४ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 55

१५ होम पालिटिकल डिपार्टमेट, 1930 एफ०एन० 33/39/30, नेशनल आर्चिब्स ऑफ इण्डिया, न्यू देल्ही

ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोडेगे। हम देश को स्वतत्र किये बिना न तो चैन से बैठेगे और न ही सरकार को चैन से बैठने देगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते है, कि जिस मार्ग पर वल्लभ भाई गये है हम भी उसी पर जायेगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोडेगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य एव अहिसा से होगा।''[16] इसके उपराक्त 300 सौ लोगो ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।

सरदार की गिरफ्तारी पर अहमदाबाद के वकीलो का मत था कि सरदार ने भले ही कहा हो कि मै स्वीकार करता हूँ परन्तु उन्होने कोई भाषण नही दिया केवल भाषण देने की इच्छा प्रकट की। इसलिए यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है।

केन्द्रीय असेम्बली मे मदन मोहन मालवीय ने सरदार की गिरफ्तारी तथा सजा पर स्थगन प्रस्ताव रखा जो पारित न हो सका। जिन्ना ने गिरफ्तारी के सन्दर्भ मे कहा कि ''अलबत्ता विचार स्वतत्रता का दुरुपयोग हो सकता है और कई बार इसका दुरुपयोग हुआ भी है। परन्तु उससे भी ज्यादा खतरनाक तो यह है कि सरकार विचारो को दबा लेने का अधिकार धारण कर ले।''[17]

सरदार पटेल को गिरफ्तार करके साबरमती जेल मे रखा गया। जेल मे प्रवेश करते ही उन्होने कभी भी बीडी और सिगरेट न पीने का सकल्प लिया और उसे सदा के लिए छोड दिया। जेल मे उन्हे एकान्त मिला जहॉ वे भगवत गीता और तुलसी कृत रामायण का नियमित पाठ करने लगे। साथ ही कुछ मनपसद पुस्तके भी पढने की मिली। अपने जेल प्रवास के दौरान सरदार ने अपने जीवन मे सर्वप्रथम 7 3 30 से 29 4 30 तक की जीवन डायरी लिखी। इस डायरी के आन्दोलन से स्पष्ट होता है कि वह स्वतत्रता आन्दोलन के प्रति पूरी तरह समर्पित थे तथा गुजरात के प्रति उनकी अटूट ममता तथा बापू के प्रति भक्ति भाव का परिचय मिलता है।''[18]

अपनी जेल डायरी मे उन्होने लिखा है कि जेल मे क वर्ग और ख वर्ग के कैदियो को अलग-अलग भोजन मिलता था। सरदार ने सभी के लिए एक-सा भोजन की मॉग की।

---

१६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 55

१७ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 16 17

१८ वही, पृ० 18-32 (डायरी का वर्णन)

जिसे जेल अधिकारियो ने ठुकारा दिया तो सरदार पटेल ने उपवास शुरू कर दिया अत जेल अधिकारियो को झुकना पडा।

पौने चार महीने जेल मे रहने के बाद 26 जून, 1930 ई० को सरदार पटेल जेल से बाहर आये। उस समय देश का राजनीतिक वातावरण गरम था। गॉधी जी ने 12 मार्च, 1930 को दाण्डी कूँच करके 5 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोडा था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन मे भाग लेने के कारण काग्रेस के समस्त महत्वपूर्ण नेता जेल मे डाल दिये गये थे। सरकार ने गाधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल मे बन्द कर दिया था। इसी कडी मे जवाहर लाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया तो काग्रेस अध्यक्ष का पद भार मोती लाल नेहरू के कन्धे पर आ गया और जब 30 जून, 1930 को सरकार ने मोती लाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया तो उन्होने सरदार पटेल को काग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया।

इस प्रकार महत्वपूर्ण नेताओ की गैर मौजदूगी मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समस्त भार सरदार पटेल के कधो पर आ गया। उन्होने सम्पूर्ण राष्ट्र मे सत्याग्रह की लडाई छेडने का विचार बनाया। उनके प्रति जन समर्थन को देखकर सरकार ने दमनकारी कदम उठाते हुए राष्ट्रीय विचारधारा के समाचार पत्रो एव पत्र पत्रिकाओ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। काग्रेस को गैर कानूनी सस्था घोषित कर दिया गया। काग्रेस के समस्त कार्यालयो मे ताला लगा दिया गया। सरकार की इस उक्त कार्यवाही से आन्दोलन ने और गति पकड लिया। मदन मोहन मालवीय जो अभी तक शान्त थे काग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनने की मॉग की जिसे सरदार ने स्वीकार कर लिया। काग्रेस को गैर कानूनी सस्था घोषित करने पर सरदार पटेल ने प्रतिक्रियास्वरूप कहा कि, "देश का हर घर काग्रेस का कार्यालय बन जाय और हर व्यक्ति काग्रेस सस्था बन जाय।"[19]

इस दौरान जयकर और तेज बहादुर सप्रू द्वारा समझौते के प्रयत्न पर सरदार पटेल ने कहा कि-"इस प्रकार के जोडतोड से जाने अनजाने मे प्रजा का सम्मान भग होता है यह देश की कुसेवा है। जब सरकार का हृदय परिवर्तन होगा और समझौते का वक्त आयेगा तो सरकार स्वय यरवाद जेल के ताले को खोलकर गॉधी जी से बात करेगी।"[20] काग्रेस

१९ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आनन्द, 1974, पृ० 104

२० वही पृ० 104

का कार्य तेजी से चलाना ही लडाई का शीघ्र अत है यह नही भूलना चाहिए। बम्बई के खानूभाई वाडी मे छात्रो की एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए छात्रो से आग्रह किया कि, "जब युवको का युवराज जवाहर लाल जेल मे है तथा सैकडो माताओ पर पुलिस ने अमानुसिक व्यवहार किया है तो तुम गणित तथा इतिहास पढने मे व्यस्त हो।"[21]

31 जुलाई, 1930 ई० को तिलक की पुण्यतिथि के दिन एक विराट जुलूस निकाला गया जिसमे सरदार पटेल ने भी भाग लिया। बोरी बदर स्टेशन के पास जुलूस रोक दिया गया। और उसे अवैध घोषित कर दिया गया जुलूस मे शामिल हजारो लोग वही बैठ गये। मूसलाधार वर्षा हुई। सब लोग भीग गये। लेकिन सरदार सहित सभी लोग वहॉ बैठे रहे। प्रात होते ही सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उपरान्त तीन महीने की सजा के तौर पर यरवदा जेल भेज गये।

5 नवम्बर 1930 ई० को सजा की अवधि समाप्त होने के उपरान्त सरदार जेल से छोड दिये गये। इस समय कर्नाटक और गुजरात मे कर बन्दी लडाई शुरू हो जाने के कारण सरकार दमन की अधिक सख्त कार्यवाही करने लगी थी। जनता को सरदार के भाषणो के प्रभाव से दूर रखने के लिए सरकार ने अनेक भाषण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। सरदार ने सरकार के प्रतिबन्ध की अनदेखी करते हुए बम्बई खादी भडार का उद्घाटन करते समय अपने भाषण मे कहा "मेरी वाणी पर दुनिया मे कौन प्रतिबन्ध लगा सकता है। मै जेल मे भी बैठा रहूँ तो भी यह आपके पास तक पहुँच जायेगी और आपके हृदय मे समा जायेगी।"[22] प्रतिबन्ध के बावजूद भाषण देने के आरोप मे उन्हे पुन दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह मे गिरफ्तार कर लिया गया, और नौ महीने जेल की सजा दी गयी।

इसके उपरान्त सरकार सत्याग्रहियो की मॉग के आगे झुककर भारत के भावी शासन के सबध मे लन्दन मे गोलमेज सम्मेलन करने की घोषणा की। "12 दिसम्बर, 1930 ई० को आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन मे सम्मानपूर्ण स्थान न मिलने के कारण काग्रेस ने भाग नही लिया।"[23] इस सम्मेलन के सबध मे डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि, "यह दूल्हे के बिना सम्पन्न होने वाला विवाह था।" 19 जनवरी, 1931 ई० को इग्लैण्ड के तत्कालीन

२१ बाम्बे, क्रानिकल, 7 जुलाई, 1930

२२ पटेल, ईश्वर भाई, पूर्वो, पृ० 105

२३ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 57

प्रधानमत्री रमजे मैकडानाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन मे घोषणा की कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य तक दिया जा सकता है। प्रधानमत्री की घोषणा से काग्रेस कार्यसमिति पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया, और 25 जनवरी को महात्मा गॉधी और सरदार पटेल सहित 26 काग्रेसी सदस्यो को जेल से छोड दिया गया। परिणामस्वरूप गॉधी जी और वायसराय के मध्य 5 मार्च, 1931 ई० को समझौता हो गया जिसे गॉधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते द्वारा आन्दोलन स्थगित कर गॉधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेना स्वीकार कर लिया। 8 मार्च, 1931 ई० को अहमदाबाद मे एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए समझौते के बारे मे सरदार पटेल ने कहा, कि यदि हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मे अपनी मॉगो की स्पष्ट घोषणा की तो यह समझौता हानिकारक न होगा। काग्रेस को आमत्रित करके सरकार ने काग्रेस की शक्ति को स्वीकार किया है।''[24] सरदार पटेल के समक्ष मुख्य समस्या गुजरात सरकार द्वारा किसानो की जब्त की हुई जमीन वापस दिलाने की थी जिस पर सहयोग करना वायसराय ने स्वीकार कर लिया था, अत किसानो को ढाढस बधाने के लिए गॉधी, पटेल ने एक साथ एक सप्ताह तक दौरा किया।

कांग्रेस अध्यक्ष—गॉधी इरविन समझौते के उपरान्त 31 मार्च, 1931 ई० को कराची अधिवेशन मे सरदार पटेल को काग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यह समय अत्यन्त ही गम्भीर और दु ख भरे वातावरण का था। इस समय दो प्रमुख समस्याये देश मे चर्चा का विषय बनी हुई थी।

1 प्रथम गॉधी इरविन समझौता और

2 द्वितीय भगत सिह व उनके साथियो को फॉसी

गॉधी इरविन पैक्ट अधिवेशन के कुछ समय पूर्व ही हुआ था। युवा वर्ग और जन साधारण को इस समझौते के प्रति अत्यधिक असन्तोष था जिसका मुख्य कारण यह था कि पैक्ट की शर्तो के अनुसार जिन कैदियो की रिहाई होनी चाहिए वह नही हो पायी थी क्योकि नौकरशाही जान-बूझकर ऐसा कर रही थी। साथ ही बगाल तथा कुछ अन्य प्रान्तो मे बडी सख्या मे जिसे कैदी नजरबन्द थे जिनका पूर्व सविनय अवज्ञा आन्दोलन से तो समझौते मे कोई प्रावधान नही था।

---

२४ राजेन्द्र प्रसाद, एतदि फीट, महात्मा गॉधी, एशिया पब्लिसिग हाउस, 1961, पृ० 215

भगत सिह, राजगुरु और गुरुदेव को 'पजाब के एक अधिकारी की हत्या के लिए 1928 के लाहौर षडयत्र काड अभियोग मे 23 मार्च, 1931 ई० को फॉसी की सजा दी गयी थी। युवा वर्ग सहित सम्पूर्ण राष्ट्र की मॉग थी कि फॉसी की सजा न दी जाय। लेकिन फॉसी दी गयी जिससे इन युवा देश भक्तो के श्रद्धाजलि हेतु देश भर मे हडताले की गयी और परिस्थितिया ऐसी हो गयी की "यह कहना असगत न होगा कि उस समय गॉधी जी की अपेक्षा भगत सिह का नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया था।"[25] इन दो घटनाओ की विषम परिस्थितियो के साथ सरदार को काग्रेस के सचालन का भार उठाना पडा। सर्वप्रथम उसका स्वरूप तभी प्रदर्शित हो गया था जब सरदार महात्मा गॉधी के साथ कराची स्टेशन पर पहुचे थे तो युवा वर्ग ने काले झडे दिखाकर उनका स्वागत किया। यहॉ एक समस्या गॉधी वाद को लेकर खडी हो गयी। युवा वर्ग का कथन था कि जब गॉधी जी भगत सिह का एक साधारण सा मामला नही तय कर पाये तो क्या उनकी अहिसा स्वराज्य प्राप्ति हेतु उचित रहेगी।"[26]

सरदार पटेल ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे सर्वप्रथम युवा वर्ग मे व्याप्त दोनो समस्याओ पर विचार व्यक्त करते हुए उनका निदान प्रस्तुत किया। उन्होने कहा-"नवयुवक भगत सिह, राजगुरु और सुखदेव को थोडे ही दिन पहले फॉसी दी गयी है इसलिए देश के गुस्से का पार नही है। इन नवयुवको की कार्यपद्धति से मेरा कोई वास्ता नही है। मै यह नही मानता की किसी और उद्देश्य से हत्या करने की अपेक्षा देश के लिए हत्या करना कम पाप है। फिर भी भगत सिह और उनके साथियो की देश भक्ति और बलिदान के आगे नतमस्तक हूँ। लगभग सारे देश ने यह मॉग की कि उनकी फॉसी की सजा को बदलकर देश निकाला दिया जाय, फिर भी सरकार ने उन्हे फॉसी दे दी। जो यह प्रकट करता है कि मौजूदा शासन प्रणाली कितनी हृदयहीन है।"[27]

गॉधी इरविन समझौते के सबध मे सरदार पटेल ने कहा कि "काग्रेस का मत रहा है कि यदि सम्मान के साथ देश के हितो के प्रति कोई समझौता हो सके और बिना किसी शर्त के काग्रेस को पूर्ण स्वतत्रता प्राप्ति की मॉग करने का अधिकार हो, तो काग्रेस गोलमेज

---

२५ कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई के सामाजिक एव राजनीतिक विचार (थीसिस), दिल्ली, 1991 पृ० 101

२६ वही, पृ० 101

२७ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 59

सम्मेलन मे भाग लेना स्वीकार कर ले। साथ ही यदि कोई ऐसा शासन, विधान जो सभी दलो को मान्य हो, को तैयार करने मे सहयोग दे। इस सबध मे यदि सफलता प्राप्त नही होती तो हमारे सघर्ष का मार्ग खुला है और उस मार्ग से विचलित करके बाकी कोई शक्ति इस पृथ्वी पर नही है।''[28] काग्रेस अधिवेशन के दौरान ही कराची मे साम्प्रदायिक दगा हो गया जिसमे कुछ मुसलमान परिवारो को बचाने के प्रयत्न मे सयुक्त प्रान्त के काग्रेस समिति के अध्यक्ष गणेश शकर विद्यार्थी मारे गये। इस समाचार को सुनते ही अधिवेशन मे जबरदस्त शोक छा गया। काग्रेस ने सवेदना प्रकट करते हुए अपने प्रस्ताव मे कहा कि,-

''जो लोग खतरो मे पडे हुए थे उनको बचाने के लिए और शान्ति स्थापित करने के लिए हमारे प्रमुख कार्यकर्त्ता ने अपने प्राणो की जो आहुति दी है उस पर हमे गर्व है।''[29]

इन सबके अलावा काग्रेस का यह अधिवेशन मौलिक के अधिकारो तथा आर्थिक व्यवस्था सबधी प्रस्तावो के कारण अधिक महात्वपूर्ण है। 7 व 8 अगस्त को बम्बई मे हुई कार्य समिति मे 14 मौलिक अधिकारो की व्यवस्था की गयी जिनमे से कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार इस प्रकार है।

1 विचार एव अभिव्यक्ति की स्वतत्रता

2 शान्तिपूर्ण इकट्ठा होने या सभा की स्वतत्रता

3 सघ बनाने की स्वतत्रता

4 आजीविका की स्वतत्रता

5 धर्म की स्वतत्रता

6 भाषा एव सस्कृति का सरक्षण

7 बिना किसी जाति, धर्म या लिग के आधार पर कानून के समक्ष समस्त नागरिको की समानता

8 सार्वजनिक वस्तुओ के उपभोग की समान व्यवस्था

इसी समय श्रमिको, भूमि तथा भूराजस्व, आर्थिक एव सामाजिक कार्यक्रमो के लिए 17 नियम भी स्वीकार किये गये। इसके पूर्व जून 1931 ई० मे पटेल की अध्यक्षता मे कार्यसमिति की बैठक बम्बई मे हुई जिसमे यह प्रस्ताव किया गया कि, ''यदि आवश्यकता

२८ वही, पृ० 59-60

२९ वही, पृ० 63

हो तो स्थिति के अनुसार गोलमेज सम्मेलन मे काग्रेस का प्रतिनिधित्व गॉधी द्वारा किया जाना चाहिये।"[30] इसी बीच 18 अप्रैल, 1931 ई० को लार्ड इरविन का कार्यकाल पूरा होने के बाद मद्रास सभा बम्बई के गवर्नर रह चुके, स्वभाव से कठोर और काग्रेस विरोधी लॉर्ड विलिग्डन वायसराय बनकर आये। जिन्होने गॉधी इरविन समझौते पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि "वह भला इरविन किस नटखट बनिये के चक्कर मे फॅस गया है।" मै होता तो उसे हाथ नही रखने देता।"[31] अत अपने स्वभाव के अनुसार नये वायसराय ने जगह-जगह पर समझौते की शर्तो को तोडकर जो मिठास का वातावरण बना था, उसे कडुवाहट मे बदल दिया पटेल ने 21 जुलाई 1931 ई० को गॉधी को शिमला मे तार भेजकर कहा कि, "पुलिस का जुल्म असह्य होता जा रहा है। किसानो की भीड शिकायत करने के लिए आश्रम मे उमड पडती है। बारदोली के कोने-कोने पर पुलिस लगा दी गयी है और पुलिस तथा स्त्रियॉ सताये जाने की और न सुनने जैसी गालियो की शिकायत करते है। यदि इस काड का इलाज हो ही न सके तो भगवान के लिए अब तो लडाई शुरू कर देने दीजिये।"[32]

अविश्वास के इस वातावरण मे भारत के लिए बिना किसी उपलब्धि की आशा से एक सच्चे सत्याग्रही के कारण गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने के लिए महात्मा गॉधी 29 अगस्त, 1931 ई० को लदन के लिए प्रस्थान किया।" गॉधी जी की अनुपस्थिति मे सरदार पटेल ने बडी कुशलता के साथ जटिल परिस्थितियो मे सघटन का काम सम्भाला। उस समय उन्होने पूरे देश मे अनुशासनप्रिय अध्यक्ष के रूप मे विभिन्न कार्यक्रमो जैसे-सरकार की नीतियो के प्रति दृष्टिकोण और कार्यकर्त्ताओ के मध्य सामजस्य बैठाने का अद्वितीय कार्य किया।

गॉधी जी को लदन जाने से पूर्व वायसराय ने आश्वासन दिया था कि बारदोली मे लगान वसूली के समय पुलिस ज्यादतियो की सरकार जॉच करेगी। जॉच का काम मिस्टर गार्डन को सौपा गया। गार्डन द्वारा की जा रही जॉच को सरदार पटेल के एकतरफा कहकर

३० वही, पृ० 66

३१ मेहरोत्रा, एन०सी० कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 66

३२ वही, पृ० 77-78

इसका विरोध किया। इसी समय सरकार ने काग्रेस पर यह आरोप लगाकर मामले को और बिगाडने का कार्य किया कि वह सयुक्त प्रान्त मे किसानो को लगान न देने के लिए उत्साहित कर रही है। सीमा प्रान्त मे खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व मे पुन सक्रिय सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की तैयारी चल रही थी। बगाल की स्थिति भयकर थी। इन विषम परिस्थितियो का वर्णन करते हुए सरदार पटेल ने 8 नवम्बर, 1931 ई० को गॉधी जी को तार भेजा जिसमे उन्होने लिखा कि "यहॉ स्थिति अधिकाधिक नाजुक बनती जा रही है। सरकार का रवैया बहुत खराब है। बगाल मे स्थिति खराब होती जा रही है। सरहद प्रान्त मे जुल्म बढ रहे है। सयुक्त प्रान्त मे लगानबन्दी की लडाई जल्दी शुरू करना अनिवार्य जान पडता है। बारदोली मे जॉच की कार्यवाही सन्तोषजनक ढग से न होने के कारण और दूसरे कारणो से भी मामूल होता है कि उससे हट जाना पडेगा। आपका जल्दी आना वाछनीय है यदि आप आने मे देरी करेगे तो काम बिगड जायेगा।"[33]

एक तरफ सरकार भारतीयो के साथ कडाई से पेश आ रही थी तो दूसरी तरफ लदन मे अग्रेजो ने कम्यूनल अवार्ड के माध्यम से इस कार्य मे अम्बेदकर को भी शामिल कर लिया था। अतएव इस विषम एव निराशाजनक परिस्थितियो मे सरदार का पत्र पाते ही गॉधी जो ब्रिटिश प्रधानमत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड एव श्री निवास शास्त्री के बार-बार आग्रह के बावजूद सम्मेलन को बीच मे ही छोडकर 28 दिसम्बर 1931 ई० को भारत वापस आ गये। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज असफल रही। काग्रेस ने पुन 1 जनवरी, 1932 को सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेडने की घोषणा कर दी। परिणामस्वरूप 4 जनवरी, 1932 ई० को गॉधी जी और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गये। जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तर दास टडन तथा शेरवानी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। काग्रेस की अवैध सस्था घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तारी के बाद सरदार पटेल को गॉधी जी के साथ यरवदा जेल मे रखा गया जहॉ दोनो ने 16 महीने तक (जनवरी 1932 से 1933 तक) साथ रहे। साबरमती मे सिगरेट पहले ही छोड दी थी। "यहॉ सरदार ने चाय भी छोड दी।"[34] 8 मई, 1933 ई० को गॉधी

---

३३ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली 1997, पृ० 66

३४ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० (109-158) (महादेव की डायरी)

जी को 21 दिन के उपवास के कारण जेल से छोड दिया गया तो गॉधी जी ने लिखा कि जेल मे वे "बारदोली और खेडा जिलो के किसानो की जैसी चिन्ता करते थे उसे मै भूल नही सकता।"[35]

पहली अगस्त को सरदार को यरवदा जेल से हटाकर नासिक जेल भेज दिया गया जहॉ से उन्हे 4 जुलाई 1934 ई० को मुक्त किया गया। ढाई वर्ष की इस जेल यात्रा के दौरान सरदार के व्यक्तिगत जीवन तथा देश की राजनीति मे निम्न प्रमुख घटनाये घट चुकी थी।

1 16 अगस्त, 1932 ई० को सरकार ने साम्प्रदायिक घोषित करके अश्पृश्य जातियो को सामान्य हिन्दुओ से पृथक करके उन्हे पृथक निर्वाचन करने का अधिकार दे दिया। जिसके विरोध मे गॉधी जी ने 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया परिणामस्वरूप 24 सितम्बर, 1932 की पूना समझौता हो गया।

2 1 नवम्बर, 1932 ई० को सरदार की माता जी का देहान्त हो गया। सरकार की शर्तो को स्वीकार न करने के कारण वह अपनी मॉ के अन्तिम सस्कार मे भाग नही ले सके।

3 नासिक जेल मे आने के दो महीने बाद 20 अक्टूबर, 1933 ई० को उनके अग्रज बिट्ठल भाई का यूरोप मे देहान्त हो गया। लोगो ने आग्रह किया कि उनका अतिम सस्कार सरदार के हाथो होना चाहिए लेकिन जेल से छूटने की सरकार की शर्त सरदार को मजूर नही थी इसलिए अन्तिम सस्कार मे शामिल नही हुए।

4 इसी बीच उनकी पुत्र वधू (डाह्याभाई की प्रथम पत्नी) का भी देहान्त हो गया।

5 15 मार्च, 1933 को सरकार ने एक श्वेतपत्र जारी करके भारत के भावी सविधान की रूप रेखा प्रस्तुत की।

जेल मुक्ति के उपरान्त 12 जुलाई, 1933 ई० को पूना मे काग्रेस कार्यकारिणी ने बैठक कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह दबाने का निर्णय किया। इस सत्याग्रह मे भी सरदार पटेल बन्दी बनाये गये तथा उन्हे खान अब्दुल गफ्फार के साथ अनिश्चित काल के लिए जेल मे डाल दिया गया। बीमारी के कारण 14 जुलाई, 1934 को सरदार को जेल से छोड दिया गया।

३५ वही, पृ० 109-158

त्रिपुरी कांग्रेस

1938 ई० मे हरिपुरा काग्रेस के अध्यक्ष के नाते सुभाष चन्द्र बोस का चुनाव हुआ तो गुजरात मे सरदार वल्लभ भाई ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया लेकिन दूसरे ही वर्ष उन्हे एक अप्रिय कर्तव्य निभाना पडा। 1939 ई० के त्रिपुरी अधिवेशन मे काग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तीन नाम सुझाये गये। 1 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 2 दूसरा सुभाष चन्द्र बोस और 3 तीसरा पट्टाभि सीता रमैया। काग्रेस कार्यसमिति ने मौलाना आजाद के नाम का अनुमोदन करते हुए दोनो उम्मीदवारो से नाम वापस लेने का अनुरोध किया। चुनाव अवश्य भावी देखकर मौलाना आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया तो काग्रेस कार्यकारिणी ने पट्टाभि सीता रमैया के नाम का प्रस्ताव किया। और सुभाष बाबू से नाम वापस लेने की विनती की। जिसे सुभाष बाबू ने ठुकरा दिया। अतएव काग्रेस के आज तक के इतिहास मे पहली बार चुनाव होने का मौका आया। ऐसी स्थिति मे सरदार पटेल ने एक वकतव्य निकालकर कहा कि, "काग्रेस मे यह परम्परा चली आ रही है कि किसी विशेष असाधारण परिस्थितियो के सिवा एक ही व्यक्ति लगातार दो बार काग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए पसन्द नही किया जाता। प्रश्न तो केवल बरसो से चली आ रही परम्परा का है जिसे तोडना जरूरी नही है।"[36] आगे उन्होने कहा कि, "इस पद के गौरव की शोभा बढाते हुए जिस ढग से अध्यक्ष का चुनाव हमेशा सर्वसम्मति से होता है उसे ध्यान मे रखकर नीति और कार्यक्रम मे विरोध होने के बावजूद बाद विवाद उचित नहीहै। डॉ० पट्टाभिसीतारमैया अध्यक्ष पद के लिए योग्य व्यक्ति है इसलिए हम सुभाष बाबू से अनुरोध करते है कि वे अपने निर्णय पर पुर्न विचार करते हुए डॉ० सीता रमैया को सर्वससम्मति से चुनने मे सहयोग करे।"[37] सरदार पटेल के वक्तव्य का जवाब देते हुए सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि—

"पिछले कुछ वर्षो से काग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता रहा है। इस समय व्यापक मान्यता है यह है और अगले वर्ष भी सभव है कि काग्रेस के नरम दल के लोग सघ शासन की योजना के बारे मे ब्रिटिश सरकार से समझौता कर ले। ऐसी परिस्थिति मे यह बहुत जरूरी है कि काग्रेस का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे दिल से सघ शासन

३६ पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आनन्द, 1974, पृ० 159

३७ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई भाग - दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 512

का विरोध करने वाला हो, ऐसा कोई दूसरा उम्मीदवार मिल जाय तो मुझे अध्यक्ष बनने की कोई अभिलाषा नही है।''[38]

सुभाष बाबू के उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि मुझे दु ख इस बात का है कि सुभाष बाबू हम लोगो पर जो आरोपण कर रहे है उसके जबाव मे ''मै इतना ही कहूँगा'' कि मै किसी ऐसे सदस्य को नही जानता जो गवर्नमेट ऑफ इडिया एक्ट की सघ शासन की योजना का समर्थक हो।''[39] मै इस विचार से भी सहमत नही हूँ कि काग्रेस के अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार है वह ऐसा कोई निर्णय कार्यसमिति की स्वीकृति से ही ले सकता है।''[40]

गॉधी जी और नेहरू ने भी सुभाष बाबू को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह नही माने। परिणामस्वरूप 29 जनवरी, 1939 ई० को चुनाव हुआ जिसमे सुभाष बाबू ने गॉधी और पटेल समर्थित पट्टाभि सीता रमैया को 85 मतो से हरा दिया। पट्टाभि सीता रमैया को ८५ मतो से हरा दिया। पट्टाभि सीता रमैया की हार को अपनी हार स्वीकार करते हुए गॉधी ने इस्तीफा दे दिया और कार्यकारिणी के 15 मे से 13 सदस्यो ने भी इस्तीफा दे दिया। बीमारी के कारण सुभाष चन्द्र बोस काग्रेस के खुले अधिवेशन मे नही आ पाये इसलिए उनके स्थान पर मौलाना आजाद ने अध्यक्षता की, जिसमे कार्यकारिणी ने दो प्रस्ताव रखा जिसे गोविन्द वल्लभ पन्त ने पढकर सुनाया।

1 पहले प्रस्ताव मे यह कहा गया कि गॉधी जी की प्रेरणा, सलाह और मार्गदर्शन से जो बल काग्रेस ने प्राप्त किया है उसे बनाये रखने मे ही सस्था का कल्याण है और

2 दूसरे प्रस्ताव मे कहा गया कि गॉधी जी जिस रास्ते से पिछले कुछ वर्षो मे काग्रेस को चलाया है उसी रास्ते पर चलकर वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। इसलिए कार्यसमिति गॉधी जी पर विश्वास रखते हुए अध्यक्ष से निवेदन करती है कि कार्यसमिति का चुनाव गॉधी जी की इच्छा से करे।

ये दोनो प्रस्ताव सुभाष चन्द्र बोस को स्वीकार नही थे अत उन्होने काग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गये। इसके

---

३८ वही, पृ० 513

३९ वही, पृ० 513

४० पटेल, ईश्वर भाई, पूर्वो, पृ० 161

उपरान्त सुभाष बाबू प्रान्तो के मत्रियो के कार्यो मे हस्तक्षेप करके अनुशासन भग करने का कार्य करने लगे। पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे सरदार पटेल ने उनसे ऐसा न करने की विनती की जिसे सुभाष बाबू ने अस्वीकार कर दिया। बाध्य होकर काग्रेस कार्यकारिणी ने उन्हे "बगाल कार्यकारिणी अध्यक्ष पद के अयोग्य घोषित कर दिया साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अगले तीन वर्ष तक वे काग्रेस के किसी भी चुनाव को लडने के योग्य नही है।"[41] इसके उपरान्त सुभाष बाबू ने काग्रेस से अलग होकर फारवर्ड ब्लाक नामक पार्टी का गठन किया और काग्रेस के विरुद्ध खुला प्रचार किया।

सुभाष चन्द्र बोस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उनके सर्मथको ने सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया। जिसका कारण बताते हुए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि-

"सरदार साफ-साफ बात करने वाले व्यक्ति थे। मीठी-मीठी बाते करके किसी को खुश करने की कला उन्होने नही सीखी थी।"

क्रिप्स मिशन

1 सितम्बर, 1939 ई० को छिडे द्वितीय विश्व युद्ध मे वायसराय ने बिना काग्रेस से सलाह लिए 3 दिसम्बर, 1939 ई० को भारत को मित्र राष्ट्रो की तरफ से युद्धरत देश घोषित कर दिया। साथ ही वायसराय ने निम्न दो बातो की भी घोषणा की।

1 प्रथम यह कि हिन्दुस्तान मे सघ शासन की स्थापना का उद्देश्य तो छोडा नही जा सकता, लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है तब तक इस पर किसी तरह का विचार-विमर्श नही किया जायेगा। और

2 द्वितीय यह कि 1935 के सविधान मे यह सशोधन किया गया कि समय और परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए वायसराय जब चाहेगे, प्रान्तीय सरकार के अधिकार अपने हाथ मे ले लेगे।

वायसराय की इस घोषणा से पूरे देश मे खलबली मच गयी। काग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा मे बैठक कर वायसराय की घोषणा के विरोध मे प्रस्ताव पास किया तथा जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद एव सरदार पटेल की उपसमिति बनाई ताकि ये लोग समयानुकूल अन्य कार्यकर्त्ताओ को कोई सुझाव दे सके। उपसमिति ने प्रातीय सरकारो को त्यागपत्र देने की सलाह दी फलत सभी प्रान्तो की सरकारो ने त्याग पत्र दे दिया।

---

४१ पारीख, नरहरि, पूर्वो, पृ० 612

इसी बीच जापान भी युद्ध मे जर्मनी की ओर से शामिल हो गया। जापान के युद्ध मे शामिल होने से धुरी राष्ट्रो की ताकत एकाएक बढ गयी। जापानी सेनाये बडी तेजी से आगे बढ रही थी। उसने सिगापुर, मलाया आदि पर अधिकार कर लिया और वह भारत की सीमाओ तक पहुँच आयी तथा कुछ बम कलकत्ता मे गिराये। इस प्रकार युद्ध मे इग्लैण्ड की स्थिति नाजुक होती गयी।

अब भारतीय नेताओ की मनोवृत्ति देखकर अमेरिका, चीन एव अन्य मित्र राष्ट्रो ने चर्चिल पर भारतीयो की सहायता प्राप्त करने के लिए दवाब डाला। तो चर्चिल ने कूटनीति का सहारा लेते हुए भारत के मित्र समझे जाने वाले तथा उसकी स्वतत्रता के समर्थक सर स्टेफर्ड क्रिप्स को समझौता करने के लिए एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा।

23 मार्च 1942 ई० को क्रिप्स भारत आये। भारत मे तीन सप्ताह प्रवास के दौरान उन्होने महात्मा गाँधी, सरदार पटेल सहित तमाम राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की। तत्पश्चात् समस्या का वैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स योजना के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का साराश निम्न था।

1 भारत को तत्काल औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जायेगा, जो किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश से दर्जे मे कम न होगा।

2 युद्ध समाप्ति के उपरान्त एक सविधान सभा का निर्वाचन सभी दलो की सहमति से किया जायेगा।

3 पहले प्रान्तीय धारा सभा सदस्यो का चुनाव किया जायेगा और फिर वह सविधान सभा का चुनाव करेगी।

4 देशी रियासतो को भी अपनी जनसख्या के अनुपात मे सविधान सभा मे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।

5 ब्रिटिश सरकार सविधान सभा के निर्णयो को स्वीकार करने का उत्तरदायित्व लेगी किन्तु उसमे निम्नलिखित बातो का समावेश करना होगा।
   (i) किसी भी प्रान्त या देशी रियासत को सघ से पृथक होने का अधिकार होगा। तथा
   (ii) ब्रिटिश सरकार से एक सन्धि द्वारा उसके द्वारा दिये हुए वचनो का सम्मान करना होगा।

6 भारत का सेना विभाग युद्ध काल मे ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण मे कार्य करेगा और शेष विभाग लोक प्रतिनिधियो के हाथ मे होगे।

क्रिप्स के उपरोक्त प्रस्तावो पर विचार विमर्श करने हेतु काग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली मे हुई जो तीन दिनो तक चली। काफी विचार विमर्श के बाद उपरोक्त प्रस्तावो को अस्वीकार कर दिया गया। गॉधी जी की उपस्थिति मे कार्यसमिति ने सर्वाधिक आपत्ति रक्षा विभाग के सबध मे की। 2 अप्रैल, 1942 ई० को पास किये हुए अपने प्रस्ताव को 11 अप्रैल, 1942 ई० को प्रकाशित करते हुए काग्रेस कार्यसमिति ने क्रिप्स मिशन को असफल घोषित कर दिया। क्रिप्स मिशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—''क्रिप्स मिशन तो एक खोटा सिक्का था। उसे बनाने वाले की नीयत खराब थी। उसमे अप्रामाणिकता एव धोखेबाजी थी। जाते-जाते क्रिप्स खुद ही बदल गये और उसका दोष काग्रेस के मत्थे मढ गये। यह सारा मिशन अमेरिकी लोकमत को खुश करने के लिए नियोजित किया गया था।''आगे उन्होने कहा कि ''क्रिप्स मित्र भाव से हलाहल भरा हुआ विष प्रस्ताव के रूप मे लाये थे। इसके जैसी झूठी और धोखेबाज योजना आज तक कोई नही आई। इस योजना मे ऐसी प्रपचपूर्ण सुविधा छिपी हुई है कि युद्ध के उपरान्त भारत मे ब्रिटिश सत्ता कायम रहे।''

भारत छोडो आन्दोलन

क्रिप्स मिशन की विफलता ने देश को राजनीति मे एक गतिरोध पैदा कर दिया। काग्रेस के समक्ष जापानी आक्रमण से देश की रक्षा करने की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी। जापान बहुत तेजी से आगे बढ रहा था उसने हागकाग, मलाया और सिगापुर पर अधिकार करने के उपरान्त वर्मा पर भी अधिकार कर लिया तथा भारत के कोकानाडा और विशाखापट्टम पर बम गिराये। ब्रिटिश सरकार इन स्थानो और अन्य सभावित स्थानो जहॉ आक्रमण का भय था जनता को हटाने लगी। ऐसे मे गॉधी जी तथा काग्रेस कार्यसमिति के लिए जनता की रक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया। एक साम्राज्य से सघर्ष करते-करते मुक्ति नही मिली और दूसरे के आने की आशा बलवती हो गयी। देश का भविष्य अन्धकार मय हो गया। अब गॉधी जी के विचारो मे परिवर्तन आ चुका था। 26 अप्रैल, 1942 को 'हरिजन' मे लिखा कि देश मे अग्रेजो के बने रहने से जापानियो को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलता है अत देश के सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ''अग्रेज

तत्काल व्यवस्थित रूप से इस देश को छोड दे।''[42] इसके बाद समस्या पर विचार करने हेतु 27 अप्रैल से 2 मई तक इलाहाबाद मे काग्रेस महासमिति की बैठक हुई। इस बैठक मे महात्मा गॉधी नही आये लेकिन उन्होने अपना सन्देश भेजा। जिसमे भारत की स्वतत्रता के लिए इसे ईश्वर के सहारे छोड देने की बात कही ताकि वह स्वय अहिसा के मार्ग से स्वतत्रता ले सके । इस बैठक मे ''सरदार पटेल ने अग्रेजो चले जाओ का प्रस्ताव रखा''[43] जिस पर नेहरू और मौलाना आजाद ने कोई उत्साह नही दिखाया। अत मतभेद होते हुए इस सम्मेलन मे निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

1 ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से देश छोड दे।

2 ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत युद्ध क्षेत्र बन गया है।

3 इस देश की स्वतत्रता के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता नही है।

4 यदि जापान आक्रमण करता है तो उसका अहिसा से प्रतिकार किया जायेगा।

5 भारत का किसी देश के साथ झगडा नही है।''[44]

इस प्रकार गॉधी जी द्वारा प्रस्तावित अधिकाश बाते स्वीकार कर ली गयी। इसके उपरान्त 6 जुलाई, 1942 ई० को काग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा मे हुई जो नौ दिन के लम्बे समय तक जारी रही। इस बैठक मे ''एक लबा प्रस्ताव पारित किया गया जिस पर सदस्यो मे कोई मतभेद नही था।''[45] वर्धा मे पारित प्रस्ताव मे कहा गया कि ''न केवल भारत के हित मे अपितु सम्पूर्ण विश्व की रक्षा हेतु और नाजीवाद, फासीवाद, सैन्यवाद या किसी अन्य प्रकार की साम्राज्यवादी शक्ति से बचने के लिए, मलाया और सिगापुर आदि के अनुभवो से बचने के लिए केवल भारत की स्वतत्रता ही एक मात्र रास्ता है। और इसी से भारत अन्य देशो या सम्पूर्ण विश्व की जनता हेतु स्वतत्रता के लिए सघर्ष मे सहयोग कर सकेगा। इसी के साथ अन्य विभिन्न प्रस्तावो के बाद यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वतत्रता का अर्थ पूर्ण अथवा हर क्षेत्र मे स्वतत्रता होगी अन्त मे यह कहा गया कि यदि यह उपरोक्त अपील असफल रही तो काग्रेस बडे पैमाने पर सघर्ष करेगी और इस सघर्ष मे अहिसक रूप

४२ दि इण्डियन एन्युअल रजिस्टर, भाग-एक, 1942, पृ० 237 से 254

४३ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 84

४४ पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई, भाग-दो, अहमदाबाद, 1956, पृ० 616-17

४५ वही, पृ० 626

से चलाये गये 1920 से अब तक के समस्त सघर्षो का समावेश होगा। 7 अगस्त, 1942 ई० को विचार हेतु महासमिति पुन बम्बई मे मिलेगी।"[46] इतना करके महासमिति स्थगित हो गयी।

वर्धा अधिवेशन के बाद सरदार पटेल ने निश्चित रूप से यह मान लिया था कि अब ब्रिटिश सरकार के साथ जीवन मरण का सग्राम होना अनिवार्य है। अत जनता को जागृत करने हेतु वर्धा से वे सीधे अहमदाबाद गये और 26 जुलाई, 1942 ई० को लोकल बोर्ड के मैदान पर एक लाख जनसमूह को सम्बोधित करते हुए 'अग्रेज चले जाओ' की रूपरेखा बतायी। आन्दोलन के कार्यक्रमो पर प्रकाश डालते हुए उन्होने कहा कि,—

"ऐसा समय फिर नही आयेगा। आप अपने मन से भय निकाल दे। यह प्रसग फिर नही आयेगा। उन्हे यह कहने का अवसर न दे कि गॉधी जी अकेले थे। जब वे 74 वर्ष की आयु मे आन्दोलन का भार उठाने के लिए निकल पडे है तब हमे समय का विचार कर लेना चाहिये। आपसे मॉग की जाय या न की जाय, समय आये या न आये परन्तु आपके लिए कुछ पूछने की बात नही रह जाती। अब कार्यक्रम क्या है यह पूछकर बैठे मत रहिये। 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध से लेकर आज तक जितने भी कार्यक्रम रहे है उन सबका समावेश इसमे हो जायेगा। कर मत चुकाओ आन्दोलन, कानून भग और इसी तरह दूसरी लडाइयॉ, जो सीधे रूप से सरकारी शासन से बन्धन तोडने वाली है उन्हे काग्रेस अपना लेगी। रेलवे वाले रेल बन्द करके, तार वाले तार विभाग बन्द करके, डाकखाने वाले डाक का काम छोडकर, सरकारी नौकर नौकरियॉ छोडकर और स्कूल कॉलेज बन्द करके सरकार कि तमाम यत्रो को स्थगित कर दे। यह लडाई इस किस्म की होगी। इसमे आप सब भाई साथ दीजिये। इस लडाई मे आपका हार्दिक सहयोग होगा तो यह लडाई थोडे ही दिन मे खत्म हो जायेगी और अग्रेजो को यहॉ से चले जाना होगा। काम करने वालो को सरकार पकड भी ले, तो भी हर एक हिन्दुस्तानी अपने आप को काग्रेसी समझे और उसी तरह अपना फर्ज अदा करे और पुकार होते ही लडने को तैयार हो जाय तो स्वतत्रता दरवाजा खटखटाते हुए आकर खडी हो जायेगी।"[47]

---

४६ वही, पृ० 626-628

४७ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 86

28 जुलाई को सरदार पटेल ने पत्रकारो के प्रश्नो का उत्तर दिया इसके बाद अहमदाबाद के कालेज विद्यार्थियो को भी इस आन्दोलन की रूपरेखा से परिचित कराया। 30 जुलाई को महिलाओ की एक सभा मे इस पर प्रकाश डालकर आन्दोलन के पक्ष मे माहौल तैयार करने का कार्य किया।

देश की सम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि, "इस लडाई मे भाग लेने का सभी धर्म के लोगो का कर्म है जिन्होने हिन्दुस्तान मे जन्म लिया है।" उन्होने सभी धर्म और जाति के लोगो से आन्दोलन मे शामिल होने की अपील की। मुसलमानो के बारे मे विशेष रूप से विचार व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि "मुसलमान यह समझ ले कि यह लडाई काग्रेस या हिन्दुओ के लिए सत्ता लेने की नही अपितु गुलामी नष्ट करने के लिए है।" आपसी विवादो को हम लोग बैठकर सुलझा लेगे, ऐसा होगा तभी आजादी मिलेगी। यदि यह चाहे कि अग्रेजो के रहते समझौता हो जायेगा तो हरगिज ऐसा सम्भव नही होगा कयोकि वे समझौता न होने देने के लिए ही बैठे है।"[48]

पहली अगस्त को सरदार अहमदाबाद से बम्बई चले गये जहॉ पर उन्होने 2 अगस्त, 1942 ई० को चौपाटी मे भाषण देते हुए कहा—"आपको यह समझकर लडाई छेडनी होगी कि महात्मा गॉधी और नेताओ को पकड लिया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो आपके हाथ मे ऐसी ताकत है कि 24 घटे मे शासन खत्म हो जाय।"[49] अपने भाषण को आगे बढाते हुए सरकार पटेल ने आरोप लगाया "कहा जाता है कि ब्रिटेन और अमेरिका लोकतत्र की लडाई लड रहे है मगर इनके लोकतत्र का अर्थ है काले लोगो को लूटना। यह लूट के बॅटवारे की लडाई है।"[50] ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्टो पर से प्रतिबध हटाकर उन्हे काग्रेस के विरुद्ध करने की भी सरदार ने आलोचना की और कहा कि वह आशा करते है कि कम्युनिस्ट देश भक्ति का सच्चा प्रमाण प्रस्तुत करेगे।"[51] काग्रेस की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होने कहा कि "जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद हो जायेगा, उस दिन काग्रेस अपने आप विसर्जित हो जायेगी। उस दिन काग्रेस का नाम पूरा हो जायेगा। काग्रेस अपने लिए नही अपितु देश के लिए सत्ता मॉगती है।"

---

४८ पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918-1947), अहमदाबाद, 1950 पृ० 516

४९ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 87

५० मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 112

५१ द्वितीय, विश्वयुद्ध को कम्युनिष्टो ने 'लोक युद्ध' कहकर अग्रेजो का साथ दिया

पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 7 एव 8 अगस्त को काग्रेस कार्यसमिति की बैठक बम्बई मे की गयी जिसमे महात्मा गॉधी ने 'अग्रेजो भारत छोडो' का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 7 अगस्त को अपने भाषण मे सरदार पटेल ने अहिसा द्वारा अग्रेजो को भारत छोडवाने की। वकालत की उन्होने कहा "लडाई मे हमारा कार्यक्रम हमेशा गॉधी जी ने तैयार किया है जब तक वे बैठे है हुक्म देगे वही हम मानेगे।" सरदार ने गॉधी जी की गिरफ्तारी के बारे मे चेतावनी देते हुए कहा "अगर सरकार गॉधी जी को पकड लेती है तो हम सब भारतीयो का यह फर्ज होगा कि तुरन्त आजादी हासिल करने के लिए उसे जो समझ मे आये वही कर डाले।"

"भारत छोडो" आन्दोलन का प्रस्ताव काग्रेस कार्यसमिति मे जवाहर लाल नेहरू ने रखा तथा सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव के विरोध मे कुल 13 मत पडे। कम्युनिष्टो ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 8 अगस्त को मध्यरात्रि मे महासमिति ने कहा आग्रेजो चले जाओ और यदि न जाय तो उनके विरुद्ध अहिसक परन्तु प्रचण्ड और देशव्यापी विद्रोह छेड दिया जाय। इस पर बम्बई पुलिस ने मध्य रात्रि को ही (8 अगस्त) बम्बई के समस्त टेलीफोन काट दिये। इसके उपरान्त गॉधी और पटेल सहित 14 सदस्यो को जोशीले भाषण के आरोप मे (9 अगस्त को प्रात) गिरफ्तार करके अहमदनगर किले मे बन्द कर दिया गया। महात्मा गॉधी अपनी गिरफ्तारी के समय 'करो या मरो' को नारा दिया। महात्मा गॉधी की आगा खॉ जेल मे रखा गया।

वल्लभ भाई को अहमदनगर किले मे 9 अगस्त की दोपहर को बहुत गुप्त तरीके से ले जाया गया। लगभग तीन सप्ताह तक उनको बाध्य ससार के सम्पर्क से दूर रखा गया। सरदार पटेल को जब गिरफ्तार किया गया उस समय उनकी पुत्री मणि बहन तथा काग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी श्री जे०बी० कृपलानी भी सरदार के साथ गिरफ्तार हुए। मणि बहन को सरोजनी नायडू के साथ यरवदा जेल मे रखा गया। इस बीच सरदार पटेल के पुत्र "डाह्या भाई ने इस अवसर पर दिये गये गॉधी और पटेल को भाषणो के प्रतियॉ छपवाकर व्यापक रूप से जनता के मध्य वितरित किया तथा काग्रेस कार्यकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य किया।"[52] जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने डाह्या भाई

५२ पारीख, नरहरि, पूर्वो, 542

को भी (19 नवम्बर, 1942 ई० को) गिरफ्तार कर लिया। "दोनो भाई बहनो को सरकार ने बिना मुकदमा चलाये लगभग दो वर्षो तक नजरबद रखा।"[53]

"अहमदनगर जेल मे सरदार पटेल के साथ अन्य बन्दियो मे जवाहर लाल नेहरू, डॉ० हरेकृष्ण महताब, शकर राव देव, प्रफुल्ल बाबू, गोविन्द वल्लभ पत, डॉ सैयद महमूद, आसफ अली, मौलाना आजाद, जे०बी० कृपलानी, नरेन्द्र देव और डॉ० पट्टाभि सीता रमैया थे।[54] जेल मे अक्सर ये सभी आन्दोलन के विषय मे चर्चा कर रहे थे। इस लम्बे कारावस मे ऑतो के पुराने रोग ने उन्हे अत्यधिक कष्ट दिया। 1943 की गर्मियो तक उनका वजन 20 पौड तक घट गया।[55] इसके बावजूद भी सरकार ने उन्हे जेल से मुक्ति नही दी। 25 जून 1945 को वायसराय ने सभी पक्षो की शिमला मे एक परिषद् बुलाई। परिषद् मे भाग लेने हेतु जेल मे बन्द सरदार पटेल सहित सभी नेताओ को 15 जून, 1945 को मुक्त कर दिया गया। गॉधी जी की बीमारी के कारण पहले ही 6 मई, 1945 को रिहा कर दिया गया था। सरदार जब चेल मे थे तो निम्न प्रमुख राजनैतिक घटनाये घटित हुई।

1 20 अक्टूबर, 1943 को लॉर्ड बेवेल, लिनलिथगो के स्थान पर भारत के गर्वनर जनरल बने।

2 9 से 27 सितम्बर, 1944 तक महात्मा गॉधी ने जिन्ना से राजगोपालाचारी फार्मूले पर असफल वार्ता की।

3 गॉधी-जिन्ना वार्ता की असफलता के बाद समस्या के समाधान हेतु तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता मे एक निर्दलीय समिति गठित की गई। जिसका सहयोग करने से जिन्ना ने इकार कर दिया। अप्रैल, 1945 ई० मे इस समिति ने देश विभाजन को अस्वीकार कर दिया।

4 जनवरी, 1945 ई० मे अन्तरिम सरकार के गठन के सबध मे लियाकत अली और झूलाभाई देसाई के मध्य समझौता हुआ। जिसे देसाई-लियाकत अली समझौते के नाम से जाना जाता है। जेल मे बन्द काग्रेसी नेताओ ने इस समझौते का विरोध किया।

5 मई, 1945 मे जर्मनी ने आत्मसम्पर्ण कर दिया।

---

५३ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 90

५४ वही, पृ० 90

५५ वही, पृ० 93

शिमला सम्मेलन

14 जून, 1945 ई० को वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने एक ब्राडकास्ट भाषण मे राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए और अन्तरिम सरकार के गठन के लिए शिमला मे एक सम्मेलन करने की घोषणा की। उनका प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी मे ''कास्ट हिन्दू (सवर्ण हिन्दू) और मुसलमानो की बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाय।''[56] तथा वायसराय के प्रधान सेनापति के अतरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय थे। वैदेशिक कार्य भी भारतीयो को दे दिया जायेगा। कार्यकारिणी वर्तमान विधान के अधीन ही कार्य करती रहेगी जब तक कि नया विधान न बन जाय। वायसराय केवल वैधानिक प्रमुख बना रहेगा।

17 जून, 1945 को सरदार पटेल ने कास्ट हिन्दू शब्द पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा ''यदि यह शर्त रही तो सम्मेलन मे काग्रेस का कोई औचित्य नही होगा क्योकि काग्रेस कोई वर्गीय सगठन नही है।''

वायसराय के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु काग्रेस कार्यसमिति की बैठक मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता मे बम्बई मे हुई। 21 व 22 जून को सम्पन्न इस बैठक मे निर्णय लि या कि 25 जून, 1945 ई० को प्रस्तावित वायसराय की (शिमला) बैठक मे काग्रेस शामिल होगी।

25 जून, 1945 ई० को सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन के पहले ही दिन जिन्ना के इस वक्तव्य से सम्मेलन की सफलता सदिग्ध हो गई कि—''काग्रेस 10 प्रतिशत हिन्दुओ का प्रतिनिधित्व करती है जबकि मुस्लिम लीग 90 प्रतिशत या उससे अधिक मुसलमानो का प्रतिनिधित्व करती है।'' तथा यह कहना गलत है कि काग्रेस का समस्त समुदायो पर प्रभाव है।''[57] 27 जून को जिन्ना ने वायसराय से स्पष्ट कह दिया कि वह केन्द्रीय कार्यपालिका मे किसी अन्य दल के मुसलमान को स्वीकार नही करेगे। अत काग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद 29 जून की स्पष्ट हो गया।

30 जून 1945 ई० को सरदार पटेल ने अपने भाषण मे कहा कि, ''काग्रेस अपना राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट नही कर सकती और न ही वह अपने सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधित्व के दावे से पीछे हट सकती है। जिन्ना भले ही दावा करे कि देश के मुसलमानो का प्रतिनिधित्व

५६ बाम्बे, कार्निकल, 18 जून, 1945

५७ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 115

मुस्लिम लीग करती है। काग्रेस ऐसे दावो को मानने की बजाय अलग रहा ही पसद करेगी।''[58] काग्रेस लीग गतिरोध के कारण 28 जून, 1945 को 15 दिन के लिए स्थगित सम्मेलन पुन 14 सितम्बर, 1945 को शुरू हुआ। काग्रेस ने अपने द्वारा दिये गये नामो मे सभी दलो के नाम दिये थे जबकि मुस्लिम लीग ने कोई नाम देने से इकार कर दिया। वायसराय ने इस पर सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए भग कर दिया।

कैबिनेट मिशन

भारत मत्री लॉर्ड पैथिक लारेन्स ने ब्रिटिश लोक सदन से घोषणा की कि ब्रिटिश मत्रिमडल ने भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन नामक प्रतिनिधिमडल भेजने का फैसला किया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ''भारतीय समस्या का हल करने के लिए यह ब्रिटिश सरकार का अतिम प्रयास है।''[59] सरदार का तर्क था था कि ''भारतीय समस्या का एकमात्र हल सत्ता का तत्काल हस्तानान्तरण है। इस कार्य मे जितना विलम्ब होगा, मुस्लिम लीग उतनी ही मार्ग मे बाधक बन जायेगी।''[60] सरदार के अनुसार सत्ता हस्तान्तरण मे कुछ कठिनाइयॉ अवश्य होगी।'' भारत जैसे विशाल देश मे सत्ता का हस्तानान्तरण एक कठिन कार्य है। इसके क्रियान्वयन मे कुछ स्थानो पर झगडो को गम्भीरता से नही लेना चाहिये।''[61]

इसके पूर्व जनवरी, 1946 ई० मे पटेल ने घोषणा की थी कि साम्प्रदायिक झगडो का भ्रम काग्रेस को उसके लक्ष्य तक पहुँचने से नही रोक सकता। उन्होने स्पष्ट करते हुए कहा कि—

''यदि पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है तो इससे हिन्दू व मुसलमान के झगडे बढेगे। गृह युद्ध भी हो सकता है।''[62] मुस्लिम लीग के नेता खलील उल जमा की नजरो मे यह धमकी सरदार पटेल ने ब्रिटिश सरकार को भ्रम मे डालने के लिए दी।

---

५८ वही, पृ० 115

५९ बाम्बे, क्रानिकल, 23 मार्च, 1946

६० वही,

६१ वही,

६२ दि टाइम्स ऑफ इडिया, 15 जनवरी, 1946 (अहमदाबाद मे 14 जनवरी, को दिया गया भाषण)

12-15 मार्च, 1946 ई० को काग्रेस ससदीय दल ने कैबिनेट मिशन से वार्तालाप हेतु एक तदर्थ समिति नियुक्त की जिसके सदस्य सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद बनाये गये। एक प्रेस कान्फ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि ''काग्रेस तत्काल सत्ता हस्तानान्तरण चाहती है यद्यपि वह अल्पसख्यको की उचित मॉगो की सुरक्षा का वचन देती है लेकिन जिन्ना के भारत विभाजन की माग को स्वीकार नही करती।''[63] उन्होने कहा कि देश विभाजन की मॉग स्वीकार करने से पजाब और बगाल के हिन्दू और सिक्खो के लिए घातक होगे और देश की सुरक्षा सकट मे पड जायेगी।''[64] सरदार पटेल ने कहा कि काग्रेस दो आधारो पर कैबिनेट मिशन से वार्ता करेगी।

1 प्रथम अग्रेजो के भारत छोडने पर सत्ता का अधिकार और इसके साथ ही सरदार पटेल ने ''अन्तिरम सरकार के गठन का समर्थन किया और कहा कि काग्रेस कैबिनेट मिशन से अच्छे व्यवहार की आशा रखती है।'' सरदार पटेल की इस सक्रियता पर उनकी आलोचना करते हुए गॉधी जी ने कहा कि वह काग्रेस मे एक शक्तिशाली व्यक्ति की भूमिका निभा रहे है। लेकिन सरदार पटेल ने इसकी चिन्ता नही की।

इसी बीच 23 मार्च, 1946 ई० को सर स्टैफर्ड क्रिप्स, मि० ए० वी० एलेक्जेण्डर और लॉर्ड पैथिक लारेन्स कैबिनेट मिशन के सदस्य की हैसियत से भारत आये। कैबिनेट मिशन ने 23 मार्च से लेकर 12 मई, तक काग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनैतिक दलो से गहन मत्रणा की। किन्तु किसी निर्णय पर नही पहुच पाये। अतएव मिशन ने 16 मई, 1946 को एक वक्तव्य निकालकर निम्न प्रस्ताव किये।

1 ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतो को मिलाकर एक भारतीय सघ का निर्माण किया जाय जिसके हाथ मे विदेशी मामले, रक्षा तथा आवागमन के साधन हो। उसको उन विभागो पर अपना व्यय निकालने के लिए कर लगाने का भी अधिकार हो।

2 सघ की एक कार्यकारिणी तथा धारा सभा हो जिसमे ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनो के प्रतिनिधि हो।

3 शेष सभी विषय प्रान्तो के पास रहेगे।

---

६३ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 23 मार्च, 1946

६४ वही,

4 प्रान्तो को अपने गुट बनाने का अधिकार होगा वह चाहे तो अपने वर्ग की सरकार तथा धारा सभा भी बना सकेगे।

5 10 वर्ष बाद इस विभाग पर दुबारा विचार किया जायेगा।

6 सविधान सभा का निर्वाचन प्रान्तीय धारा सभाओं के नवनिर्वाचित सदस्य इस प्रकार करेगे कि 10 लाख जनसख्या का एक प्रतिनिधि होगा। प्रान्तो के प्रतिनिधियो की सख्या उनके जनसख्या के अनुपात मे होगी। प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा।

7 हिन्दू, मुस्लिम और सिख केवल यही तीन सम्प्रदाय स्वीकार किये जायेगे।

8 मौलिक अधिकारो, अल्पसख्यको, आदिवासियो तथा परिगणित क्षेत्रो के सबध मे पृथक-पृथक उपसमितियॉ विचार करेगी।

9 केन्द्र मे अविलम्ब एक राष्ट्रीय अस्थायी सरकार की स्थापना की जायेगी।उपरोक्त प्रस्तावो पर विचार विमर्श करने हेतु काग्रेस कार्य कार्यसमिति की बैठक बुलाई गयी जिसमे कोई निश्चित निर्णय नही लिया जा सका। अपने प्रस्ताव मे काग्रेस ने कहा "पूरी स्थिति के अभाव मे काग्रेस इस समय कोई अतिम निर्णय लेने मे असमर्थ है।"[65] सरदार पटेल ने समिति की बैठक मे विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "उनकी नजर मे इस योजना से देश के टुकडे-टुकडे हो जायेगे। वह यह अनुभव करते है कि यदि मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार मे मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया तो ऐसी सरकार किसी भी प्रकार नही चल सकती।"[66]

जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावो को इस विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया कि काग्रेस उसे अस्वीकार कर देगी अतएव शासन तत्र उसके हाथ मे रहेगा। सरदार पटेल जिन्ना की नीयत समझ गये अत इसके उपरात वे वार्तालाप मे दिलचस्पी के साथ अतिम रूप से भाग लेने लगे। मुस्लिम लीग और काग्रेस के मध्य मुख्य विवाद सरकार के गठन को लेकर था। मुस्लिम लीग समानता पर बल देते हुए 5 सदस्य काग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के मत्रिमडल मे शामिल करने पर बल दे रही थे। जबकि कांग्रेस (5 5 2) के सिद्धान्त

६५ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 104

६६ वही, पृ० 104

की विरोधी थी। सरदार पटेल ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि "जिन्ना का उद्देश्य देश को विभाजित करके इतिहास मे पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप मे प्रसिद्ध होने का है।"[67] बेवेल ने सरदार पटेल को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ने उन्हे सतुष्ट नही कर पाये अत ये वार्ता असफल हो गयी।

सरदार के साथ वार्ता असफल हो जाने के बाद वायसराय ने 16 जून, 1946 ई० को आन्तरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी। जिसमे 14 सदस्यीय मन्त्रिमडल के निर्माण की बात कही गयी। इन सदस्यो मे काग्रेस के 6 (जिसमे एक दलित प्रतिनिधि भी होगा) मुस्लिम लीग को 5, सिक्ख 1, भारतीय ईसाई 1 और पारसी । होगे। वायसराय ने अन्तरिम सरकार के सदस्यो के नामो की भी घोषणा कर दी। साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी एक दल की असहमति होने पर भी अन्तरिम सरकार का गठन किया जायेगा जिसमे उन लोगो को सम्मिलित किया जायेगा जो 16 जून की योजना स्वीकार करते है। 9 जून से 25 जून को अपनी बैठक मे काग्रेस ने अपना दृढ निश्चय प्रगट किया कि एक राष्ट्रीय मुसलमान भेजने को काग्रेस का अधिकार है और यह अधिकार छोडा नही जायेगा। 23 जून को वायसराय ने सरदार पटेल को सुझाव दिया कि वह राष्ट्रीय मुसलमान को शामिल करने पर बल न दे। इस पर सरदार ने कहा कि "ऐसा करने पर मुसलमान काग्रेस का साथ छोड देगे जिससे साम्प्रदायिक समस्या हल करने मे जिन्ना को वीटो का अधिकार मिल जायेगा।"[68] इस प्रकार इस बैठक मे काग्रेस ने अपने राष्ट्रीय चरित्र का बलिदान करने का निर्णय नही लिया साथ ही सविधान सभा मे जाकर स्वतत्र और अखण्ड भारत के सविधान को बनाना स्वीकार कर लिया।"[69]

"24 जून को सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सुधीर बोस ने मिशन के तीनो मत्रियो के साथ भगी बस्ती मे गॉधी जी के साथ इस विषय पर मत्रणा की। सोमवार का दिन होने के कारण वार्ता लिखकर हुई जिसकी सारी चिटे सुधीर दास के पास सुरक्षित रखी गयी।" 26 जून 1946 को काफी सोच-विचार के बाद काग्रेस ने 16 जून के प्रस्तावो को अस्वीकार

---

६७ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार दिल्ली, 1997, पृ० 123

६८ वही, पृ० 123

६९ पाण्डेय, बी०एन०, सेलेक्टेड डाकूमेण्ट्स, खण्ड 7, मैकमिलन, 1979, पृ० 195

करके भी सविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लगभग तीन माह बाद यह मामला शात हुआ और कैबिनेट मिशन वापस चला गया।[70]

6 जुलाई 1946 ई० को बम्बई मे कार्य समिति की बैठक मे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहरू ने अपने समापन भाषण मे राज्यो के समूहीकरण के सबध मे ऐसे वाक्यो का प्रयोग किया जिससे समस्या और गम्भीर बन गयी। नेहरू ने कहा कि—"प्रान्तीय असेम्बली की मजूरी की योजना का अर्थ केवल इतना है कि हम सविधान निर्मात्री सभा मे प्रवेश को इच्छुक है इसके सिवा कुछ नही है।" एक प्रेस वक्तव्य मे नेहरू ने कहा- हम असेम्बली मे जाकर क्या करेगे इस विषय पर हम पूर्ण स्वतत्र है। सरदार पटेल ने नेहरू के प्रान्तीय वर्ग सबधी भाषण को भावात्मक मूर्खता की सज्ञा दी। सरदार पटेल ने कहा कि मेरी राय मे कोई भी प्रान्त अपनी प्रान्तीय स्वायत्ता को त्यागने के लिए तैयार नही होगा। क्योकि यह मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है।[71]

नेहरू के वक्तव्य पर जिन्ना ने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 27 जुलाई, 1946 को वासयराय पर काग्रेस के हाथो खेलने का आरोप लगाया और मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके पहले कैबिनेट मिशन को दी गयी स्वीकृति वापस ले ली। 2 अगस्त के 13 अगस्त 1946 की काग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा मे हुई। "इस समिति की बैठक मे सरदार पटेल ने सिखो से सविधान सभा के वहिष्कार न करने की अपील की। सिख पथ ने सरदार पटेल की अपील को स्वीकार कर लिया।"[72] इसी बीच 12 अगस्त, 1946 ई० को वायसराय ने काग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को अन्तरिम सरकार बनाने का आमत्रण दिया। काग्रेस कार्यसमिति ने इस आमत्रण को स्वीकार करने का अधिकार जवाहर लाल नेहरू को दे दिया तथा इस विषय पर भावी कार्यवाही के लिए जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और राजेन्द्र प्रसाद की एक उपसमिति बनायी गयी।

---

७० शास्त्री, आचार्य चन्द्र शेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल (दिसम्बर 1956) सोसाइटी फॉर पार्लियामेण्टरी स्टडीज, नयी दिल्ली, 1963, पृ०, 106

७१ लिमये, मधु, प्राइम मूवर्स, दिल्ली, 1985, पृ० 128

७२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 107

अन्तरिम सरकार

12 अगस्त, 1946 ई० को वायसराय का सरकार गठन करने का निमत्रण पाने के उपरान्त तथा वर्धा काग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद 16 अगस्त, 1946 ई० को जवाहर लाल नेहरू ने बम्बई मे जिन्ना से मुलाकात कर मुस्लिम लीग को सरकार मे शामिल होने का निमत्रण दिया। जिसके जवाब मे जिन्ना ने कहा कि वह अपनी शर्तो पर ही सरकार मे शामिल होगे। इसके पश्चात् सरकार बनाने हेतु नेहरू अपने मत्रिमडल के सदस्यो के नामो को अन्तिम रूप देने मे व्यस्त हो गये। मत्रिमडल के सदस्यो की सख्या एव नामो को लेकर सरदार पटेल और मौलाना आजाद के मध्य मतभेद उभरकर सामने आये। "मौलाना आजाद 6 मुसलमानो को मत्रिमडल मे रखना चाहते थे। जिसमे 5 मुसलमान प्रतिनिधि की हैसियत से और 6वे वह स्वय राष्ट्रीय मुसलमान प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होना चाहते थे। जिसका विरोध सरकार पटेल ने किया फलत आजाद मत्रिमडल मे शामिल नही हुए।"[73] "जब मौलाना आजाद मुसलमान कोटे से पॉचो नाम देने मे देरी कर रहे थे तो सरदर पटेल ने कहा-यदि वे पॉच नाम न तय कर पाये तो तय किये गये तीन नाम दे देगे। दो नामो का समयोजन बाद मे कर लिया जायेगा।"[74] इस प्रकार काग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व मे 2 दिसम्बर, 1946 ई० को अन्तरिम सरकार का गठन किया जिसमे 11 सदस्य शामिल किये गये। मत्रिमडल मे शामिल सदस्यो मे, 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, 3 शरत चन्द बोस, 4 राज गोपालाचारी, 5 जगजीवन राम, 6 जॉन मथाई, 7 सरदार बलदेव सिह, 8 श्री सी० एच० भाभा, 9 आशिफ अली, 10 सर शराफत अहमद खॉ और सर सैयद जहीर थे। इनमे से जगजीवन राम अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के तौर पर, सरदार बलदेव सिह सिख प्रतिनिधि के रूप मे, जॉन मथाई भारतीय ईसाई के प्रतिनिधि के तौर पर तथा सी० एच० भाभा पारसी प्रतिनिधि के रूप मे मत्रिमडल मे शामिल किये गये। वल्लभ भाई को गृह के साथ सूचना एव प्रसारण मत्रालय का भार की सौपा गया।

---

७३ पटेल, मणिबहन सरदार जी के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, भाग-दो, अहमदाबाद, 1976, पृ० 73 (सरदार का पत्र बाबू के नाम 20-08-46)

७४ पटेल मणिबहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, भाग दो, पृ० 74 अहमदाबाद (1976) वही, पृ०, 74

"1937 के प्रान्तीय चुनावो मे 1583 स्थानो मे से 704 स्थान जीतने वाली काग्रेस पार्टी ने मार्च अप्रैल, 1946 मे सम्पन्न चुनावो मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए 930 सीटे जीत ली। 18 प्रान्तो मे काग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला जबकि तीन प्रान्तो बगाल मे उसकी सदस्य सख्या 52 से बढकर 86 पजाब, मे 19 से बढकर 58 तथा सिध मे 7 से बढकर 21 हो गयी।"[75] सभी प्रान्तो मे गवर्नर का दफा 93 का शासन समाप्त कर जुलाई 1946 ई० मे निर्वाचित मत्रिमडल बन गये। बाद मे इन्ही प्रान्तीय धारा के सदस्यो ने सविधान सभा के सदस्यो का चुनाव किया।

काग्रेस की इस भारी सफलता से मुस्लिम लीग बिल्कुल खीझ गयी और मई 1946 ई० से ही देश के कई भागो मे साम्प्रदायिक दगे करा दिये। 16 अगस्त को उसने पूरे भारत मे सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दौर मे बगाल की सुहरावर्दी सरकार ने बगाल मे खुल्लमखुल्ला दगा कराने की प्रेरणा दी। परिणामस्वरुप चार दिनो तक कलकत्ता मे जबरदस्त साम्प्रदायिक दगा हुआ जिसमे लगभग 4000 हिन्दुओ को मार डाला गया और करोडो की सम्पत्ति लूट ली गयी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दुओ ने भी दगा किया जिसमे मुसलमानो को भारी क्षति उठानी पडी। गॉधी जी ने हस्तक्षेप कर दगे को शान्त कराया। लेकिन 26 दिसम्बर को पुन कलकत्ता मे दगा भडक उठा। 23 अक्टूबर को पूर्वी बगाल के नोआखाली स्थान पर मुसलमानो ने हिन्दुओ का कत्लेआम किया।[76] जिसका बदला लेने के लिए 26 अक्टूबर को हिन्दुओ ने मुसलमानो का कत्लेआम किया। महात्मा गॉधी ने उपवास की धमकी देकर लोगो को रुकवाया और 6 नवम्बर को नोआखाली की यात्रा पर गये।

साम्प्रदायिक दगो मे केन्द्रीय सरकार की अक्षमता स्वीकार करते हुए सरदार ने आरोप लगाया कि इस षडयत्र मे ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल है। उनके अनुसार "बगाल के गवर्नर ने बगाल की घटनाओ को नही रोका परिणामस्वरूप लोगो ने अपनी रक्षा की बागडोर अपने हाथो मे ले ली।"[77]

सरदार का आरोप था कि सरकारी अधिकारी पीछे से छूरा भोक रहे है। सरदार

---

७५ वहीं, पृ० 74 (बापू का पत्र सरदार के नाम 28-8-46)

७६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 109

७७ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली 1997, पृ० 126-27

पटेल ने स्पष्ट कहा कि—"जब तक लीग जहर उगलना बन्द नही करेगी तब तक शान्ति नही हो सकती। सरकारी अफसर यदि ठीक से काम करना चाहते है तो ठीक है नही तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मै आपसे अपील करता हूँ कि धोखे मे पाकिस्तान लेने की बात मत करो। हॉ यदि तलवार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से किया जा सकता है।"[78] सरदार ने गॉधी की बगाल की नोआखाली यात्रा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि "बगाल मे उस समय तक शान्ति नही स्थापित हो सकती जब तक कि मुस्लिम लीग पर न मान जाय कि उससे भी बदला लिया जा सकता है।"[79]

इस बीच 13 अक्टूबर 1946 ई० को वयातराय लार्ड बेवेल तथा नवाब भोपाल के प्रयत्नो के परिणामस्वरूप अन्तरिम के मत्रिमडल मे शामिल होने की तैयार हो गयी। मुस्लिम लीग के मत्रियो के लिए 15 अक्टूबर, 1946 को शरदचन्द बोस, शफात अहमद खॉ और सैयद अली जहीर ने मत्रिमडल से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय ने मुस्लिम लीग के पॉच मत्रियो 1 लियाकत अली, 2 चुन्दरीगर, 3 अब्दुर रब, 4 गजनफार अली और, 5 जोगेन्द्र नाथ मडल को 25 अक्टूबर, 1946 को मत्रिपद की शपथ दिलायी। मत्रिमडल मे शामिल होने के लीग के ध्येय का उल्लेख करते हुए गजनफार अली ने कहा कि "यह अन्तरिम सरकार मे इसलिए शामिल हो रहे है कि हमारे अभीष्ट ध्येय पाकिस्तान के लिए वहॉ हमको पैर टिकाने का मौका मिल जायेगा।"[80] जब लीग मत्रिमडल मे शामिल हुई तो बेवेल ने सुझाव दिया कि कोई महत्वपूर्ण विभाग विशेषकर गृह विभाग लीग को दे दिया जाय। मौलाना आजाद भी इस मत से सहमत थे। परन्तु सरदार पटेल ने वायसराय की सलाह मानने से इन्कार कर दिया और कहा "यदि आप लोग जिद करेगे तो हम मत्रिमडल छोड देगे पर गृह मत्रालय नही छोडूँगा।"[81] वायसराय जानते थे कि सरदार के त्यागपत्र का अर्थ होगा सभी काग्रेसी सदस्यो का त्यागपत्र अत उन्होने मुस्लिम लीग को गृह विभाग न देकर वित्त विभाग दिया। इस सदर्भ मे "प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने आजाद के नाम अपने

---

७८ व्यास, दीनानाथ, वल्लभ भाई पटेल, पृ० 450

७९ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 127

८० ताराचन्द, भारतीय स्वतत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-तीन, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 467

८१ आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता 1965, पृ० 185

लिखे पत्र में सरदार की आलोचना की कि उन्होंने वित्त विभाग जैसा विभाग गृह विभाग के बदले मुस्लिम लीग को देने की गलती की।''[82] किन्तु मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग ने सरदार के निर्णय की उपयुक्तता सिद्ध कर दिया। यदि गृह विभाग सरदार के पास न होता तो देशी राज्यों की समस्या का इतना जल्दी समाधान न हो पाता। मंत्रीपद सम्हालने के बाद 5 दिसम्बर को सरदार पटेल ने घोषणा की कि दफ्तर में कर्मचारी राष्ट्रीय पोशाक कुर्ता धोती पहनकर आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की साम्प्रदायिकता के मार्ग से हटाने के लिए उन्होंने उस पर प्रतिबंध भी लगाया। गृह मंत्रालय के अलावा सरदार के पास सूचना प्रसारण विभाग भी था। मुस्लिम लीग के मंत्रियों के उन पर आरोप लगाया कि ऑल इंडिया रेडियो पर हिन्दी का अधिक प्रयोग किया जाता है तथा कांग्रेसी नेताओं की अपेक्षा लीगी नेताओं को कम समय दिया जाता है। सरदार ने इसका खण्डन किया। उन्होंने एक गुप्त व अवैधानिक पाकिस्तान रेडियो पर आपत्ति की जो प्रतिदिन अपने कार्यक्रम को प्रारम्भ तथा अन्त में पाकिस्तान जिन्दाबाद कहता था।''

3 नवम्बर, 1946 को मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व हुए दंगों के संबंध में सरदार पटेल ने जो भाषण दिया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा उसमें इतनी स्पष्टवादिता थी कि कुछ राष्ट्रीय मुसलमानों ने भी इस भाषण को बुरा माना और इस्लाम के हिमायतियों ने कहा कि 'इस्लाम खतरे में है।' उन्होंने नेहरू से कहा कि सरदार मुसलमानों पर संदेह करते हैं और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों की उपेक्षा करते हैं।'' किन्तु सरदार के ऊपर ऐसे अनर्गल आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी बातों को स्पष्टता और निर्भीकता से सदैव रखा।

14 फरवरी, 1947 ई० को सरदार पटेल ने लार्ड बेवेल को एक पत्र लिखकर अन्तरिम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली के लाहौर में दिये गये वक्तव्य पर रोष प्रकट किया जिसमें गजनफर अली ने कहा था कि ''मोहम्मद बिन कासिम तथा महमूद गजनी ने केवल कुछ हजार सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया था और लाखों हिन्दुओं को पराजित किया था। खुदा ने चाहा तो कुछ लाख मुसलमान करोड़ों हिन्दुओं को पराजित कर देंगे। अन्तरिम सरकार में लीग और कांग्रेस के मध्य विवाद इतना तीव्र हो गया कि सरदार को

---

८२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 111

धमकी देनी पडी कि यदि मुस्लिम लीग के मत्रियो को सरकार से नही हटाया गया तो कांग्रेस त्याग पत्र दे देगी।

अपनी उपरोक्त भावनाओ के कारण मुस्लिम लीग ने इन दिनो सम्पूर्ण देश मे साम्प्रदायिकता का विष फैला रहा था। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के एक अनुमान के अनुसार 4 मार्च, 1947 ई० तक साम्प्रदायिक दगो मे अकेले पजाब मे 2049 व्यक्ति मारे गये और 1103 भयकर रुप से घायल हुए। बगाल, बिहार और पजाब आदि के साम्प्रदायिक झगडो से निपटने मे सरदार पटेल और गॉधी जी मे मतभेद रहे।

*****

अध्याय 4

विभाजन और उसके उपरान्त भारतीय राजनीति में योगदान

(i) विभाजन की पृष्ठभूमि

(ii) विभाजन और सरदार पटेल

(iii) विभाजन का क्रियान्वयन

(iv) गृहमत्री के रूप मे प्रशासनिक सेवाओ का गठन

(v) देशी रियासतो का बिलीनीकरण (एकीकरण)

(बडौदा, भोपाल, जूनागढ एव हैदराबाद के विशेष सन्दर्भ मे)

(vi) सविधान निर्माण मे योगदान

(vii) सरदार पटेल और नेहरू मतभेद

विभाजन की पृष्ठभूमि

भारत का विभाजन इस शताब्दी की महान घटनाओ मे से एक है तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। विभाजन माउण्ट बेटेन योजना के तहत हुआ।22 मार्च, 1947 ई० को लार्डमाउण्ट वेटेन भारत के गर्वनर जनरल एव वायसराय बन कर भारत आये। देश की परिस्थितियो की स्वदृष्टि से अवलोकन करने के उपरान्त उन्होने एक योजना बनायी, जिसमे भारत की स्वतत्रता प्रदान करने के साथ-साथ उसको दो भागो मे विभक्त करने का भी प्रस्ताव था। उन्होने अपनी योजना के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल, पडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गॉधी, जिन्ना के साथ-साथ अन्य लोगो तथा काग्रेसी नेताओ से विचार-विमर्श करके और उनकी सहमति लेकर 3 जून, 1947 ई० को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतत्र राज्य 15 अगस्त, 1947 ई० को अस्तित्व मे आयेगे। बाद मे विभाजन के साथ स्वतत्र अधिनियम 1947 भी पारित हुआ और विभाजन के साथ भारत स्वतत्र हुआ। भारत के लिए विभाजन अत्यन्त दु खद प्रसग था जिसका प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। भारत का विभाजन क्यो और किन परिस्थिति मे हुआ तथा भारत को काग्रेसी नेता इसे स्वीकार करने को क्यो तैयार हुए इसको समझने के लिए विभाजन के इतिहास को निम्न तीन भागो मे बॉटा जा सकता है।

(1) 1933 तक का काल, (2) 1939 तक का काल, (3) 1947 तक का काल

(1) प्रथम काल 1933 तक—सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र के बीज इस शताब्दी के प्रारम्भ मे इग्लैण्ड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मे उच्चवर्गीय मुस्लिम युवा छात्र रहमती अली के विचारो से प्राप्त होते है। इन सुपर वर्गीय मुस्लिमो के विचार मे काग्रेस की स्थापना के बाद यदि उसके नेतृत्व मे देश आजाद होता है तो शासन की बागडोर बहुसख्यक हिन्दुओ के हाथ मे चली जायेगी जो मुसलमानो पर आतक कर सकते हैं। इसलिए इन लोगो मे से समीउल्ला एव आगा खॉ आदि ने मिलकर 1906 ई० मे ढाका मे मुस्लिम लीग की स्थापना की। चूॅकि मुस्लिम लीग की स्थापना काग्रेस के समानान्तर मुस्लिमो के सगठन के रूप मे की गयी इसलिए यहीं से देश विभाजन के बीज देखने को मिलते है।

तद् उपरान्त अग्रेजी सरकार ने 1909 ई० के मोरले मिण्टो सुधारो मे "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाते हुए हिन्दुओ और मुसलमानो के लिए अलग-अलग प्रतिनिधियो के चुनाव की व्यवस्था की। इस व्यवस्था मे विभाजन के बीज को विकसित कर पौधा बना दिया तथा काग्रेस और लीग के सबधो मे कटुता उत्पन्न कर दी। पर सौभाग्य से 1916 ई० मे भूला भाई देसाई और लियाकत अली के मध्य सहयोग का समझौता हो गया परिणामस्वरूप प्रथम राज्य के पौधे का विकास रुक गया। इसी बीच महात्मा गॉधी काग्रेस की सक्रिय राजनीति मे आये जिन्होने हिन्दू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। उनकी नजर मे स्वतत्रता प्राप्ति के लिए दोनो सम्प्रदायो मे सहयोग अति आवश्यक था। इसी कारण 1920 के असहयोग आन्दोलन मे मो० अली जिन्ना को अपने साथ रखा तथा खिलाफत आन्दोलन मे अली बन्धुओ का साथ दिया। इस समय तक कोई ऐसा मुस्लिम नेता नही था जो राष्ट्रीय स्तर का हो। असहयोग आन्दोलन मे महात्मॉ गॉधी ने प्रथम बार मौलाना मोहम्मद अली को राष्ट्रीय नेता के रूप मे प्रचारित किया। लेकिन शीघ्र ही मौलाना की मृत्यु हो गयी। परिणामस्वरूप 1933 के काल तक बिना किसी राष्ट्रीय नेता के मुस्लिम समुदाय रहा। इस दौरान मुस्लिम लीग की भी स्थिति गौण रही।

द्वितीय काल 1933 से 1939 तक :- 1933 ई० मे जिन्ना अपने चार वर्षो के विदेश प्रवास के बाद वापस भारत आये और 1934 ई० मे केन्द्रीय असेम्बली मे चुन लिये गये तब भी मुस्लिम समुदाय बिना राष्ट्रीय नेता के रहा। जिन्ना का आगमन देश विभाजन की दिशा मे एक विशेष घटना थी। क्योकि जिन्ना जब विदेश गये तो उसके पूर्व कांग्रेसी थे लेकिन जब वापस आये तो निश्चित तौर पर सक्रिय उच्चवर्गीय मुस्लिमो के बुलावे पर जिनका पृथकता का पौधा अभी पनपा था और बढने का मार्ग ढूॅढ रहा था और जिन्ना चूॅकि विदेश प्रवास के दौरान साम्प्रदायिकता के रग मे रग गये थे अत जब वे इस वर्ग के साथ हुए तो मुस्लिम लीग का पुनरुद्धार प्रारम्भ हुआ। इस दौरान मुस्लिम लीग ने बिल्कुल से काग्रेस विरोधी नीति अपना ली थी। ऐसे समय मे जिन्ना लीग के अध्यक्ष चुने गये और विकल्प के अभाव मे लम्बे समय तक अपने पद पर रहे। 1937 ई० के प्रान्तीय चुनाव मे मुस्लिमो के एकमात्र राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद मुसलमानो का बहुमत उनके पक्ष मे नही गया। "मुस्लिम लीग को कुछ सीटे सयुक्त प्रान्त मे मिली वह थी जमीयत-उल-उलेमान के समर्थन के

कारण। जिसने मुस्लिम लीग को यह सोच कर समर्थन दिया था कि चुनावो के बाद मुस्लिम लीग काग्रेस के साथ सहयोग करेगी।''[1]

चौधरी खालिकुज्ज़्ना और नवाब इस्माइल खॉ सयुक्त प्रान्त मे लीग के नेता थे। जो सरकार मे भागीदारी के इच्छुक थे। जवाहर लाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के एक सदस्य को मत्री बनाने के लिए तैयार थे लेकिन मुस्लिम लीग उपरोक्त दोनो प्रतिनिधियो को शामिल करना चाहती थी। उसका कथन था कि यदि दोनो की मत्रिमडल मे शामिल नही किया जाता तो वह सरकार मे शामिल नही होगी। सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के तर्क का विरोध करते हुए सरकार निर्माण मे लीग का समर्थन न लेने की घोषणा की। सरदार पटेल की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग की इस अनुचित मॉग के समर्थन मे मौलाना आजाद ने कहा कि ''यदि यह मॉग मान ली जाती तो व्यावहारिक रूप से मुस्लिम लीग पार्टी काग्रेस मे लीन हो जाती।''[2] जिन्ना ने मत्रिमडल मे लीग को शामिल न करने के मुद्दे को अलग राष्ट्र के निर्माण के मुद्दे से जोड दिया। 1937 के चुनाव के बाद बनी काग्रेस सरकारो को पार्लियामेण्टेरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

''प्रान्तो मे सरकार निर्माण के बाद सम्पूर्ण भारत मे हिन्दू मुस्लिम एकता की प्राचीन परम्परा को पुर्नस्थापित करने का यह एक अच्छा मौका है।''[3]

जिन्ना ने इस घटना के उपरान्त और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के बाद भयभीत होकर पृथक राज्य की मॉग तेज कर दी। सयोग से अग्रेजो ने भी लीग का प्रयोग अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किया तथा उसे अलग राज्य की मॉग को और तीव्र करने के लिए प्रेरित किया।

तृतीय काल 1939 से 1947 तक :- सितम्बर, 1939 ई० मे छिडे द्वितीय विश्व युद्ध मे वायसराय ने बिना काग्रेस की सहमति के भारत को मित्र राष्ट्रो की तरफ से युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप प्रान्तो की काग्रेस सरकारो ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर, 1939 ई० को 'मुक्ति दिवस' मनाया। भारत मत्री जैटलैण्ड और

---

१ आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता, 1965, पृ० 179

२ वही, पृ० 180

३ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार्स लेटर्स मोस्टली अननोन, अहमदाबाद, 1977, पृ० 67

वायसराय जिनलिथगो ने अपने वक्तव्यो से मुस्लिम लीग को बढावा दिया। जैटलैण्ड ने अपने वक्तव्य मे "काग्रेस को हिन्दू सगठन घोषित किया और मुस्लिम लीग को मुस्लिमो की एक मात्र प्रतिनिधि सस्था माना।[4]

पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के नाते सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के भ्रामक और मिथ्या प्रचार का खडन करते हुए कहा "मुक्ति दिवस की योजना केवल इसलिए की गयी की तमाम दुनिया और खासकर अग्रेज लोग यह देख ले कि भारतीयो मे एकता का पूर्ण अभाव है और हिन्दू तथा मुसलमान एक दूसरे के सख्त विरोधी है।"[5] सरदार पटेल ने तर्क दिया कि "काग्रेस के मत्रीगण हटाये नही गये है अपितु सैद्धान्तिक मतभेद के कारण त्याग पत्र दिये है। यदि हम चाहते तो मुक्ति दिवस के दिन फिर मन्त्रिमण्डल की स्थापना कर सकते थे लेकिन यह काग्रेस के सिद्धान्त का सवाल था इसलिए हमने वैसा किया जैसा मतदाताओ से वादा किया था कि यदि हम अपने देशवासियो के हितो की रक्षा नही कर पायेगे तो अपने पदो से उसी समय हट जायेगे।"[6]

1929 ई० के लाहौर अधिवेशन जिसमे भारत की पूर्ण स्वतत्रता की मॉग की गयी थी के ठीक 11 वर्षो उपरान्त 1940 ई० मे मुस्लिम लीग ने जिन्ना की अध्यक्षता मे पृथक पाकिस्तान की मॉग की तथा प्रत्येक मुद्दे पर काग्रेस का विरोध जारी रखा। 1940 के प्रस्तावित व्यक्ति सत्याग्रह और 942 ई० के भारत छोडो आन्दोलन का भी मुस्लिम लीग ने विरोध किया। और मुसलमानो से आन्दोलन मे सहयोग न करने की अपील की। इसके बावजूद महात्मा गॉधी जिन्ना की तरफ दोस्ती का हाथ बढा रहे थे और बार-बार उन्हे कायदेआजम की उपाधि दे रहे थे। महात्मा गॉधी द्वारा दिये जा रहे इस विशेष सम्मान का जिन्ना ने पूरा-पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया। जिन्ना ने गॉधी जी के लिए अपशब्दो का प्रयोग करते हुए जून 1942 मे लुई फिशर को लिखा "होमरूल सोसाइटी के दिनो मे गॉधी और नेहरू ने मेरे अधीन कार्य किया।"[7]

---

४ दि इण्डियन एन्युअल रजिस्टर, खण्ड दो, 1939, पृ० 409-418

५ व्यास, दीनानाथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पृ० 388

६ वही, पृ० 386

७ दास, एम०एन०, पार्टीसन एण्ड इण्डिपेण्डेन्ट्स ऑफ इडिया, दिल्ली, 1982, पृ० 62

यही नही जिन्ना ने पत्र मे आगे महात्मा गॉधी को हिन्दू मुस्लिम एकता का शत्रु बताते हुए लिखा "जब मै काग्रेस का सक्रिय सदस्य था वे तो मेरा उद्देश्य हिन्दू मुस्लिम एकता था। जिसे गॉधी नही चाहते थे इसलिए मुझे अप्रसन्नता हुई।"[8]

सरदार पटेल गॉधी जी द्वारा लीग और जिन्ना को आवश्यकता से अधिक महत्व दिये जाने से खुश नही थे। 1942 ई० के आन्दोलन मे गिरफ्तारी के बाद जब वे जेल मे थे तो अनेक बार उन्होने पत्रो के माध्यम से लीग व जिन्ना की खुशामदी के विरुद्ध चेतावनी दी थी। उन्होने मौलाना आजाद की भी एक काग्रेसी के नाते लीग के प्रति सहानुभूति की अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की थी। इस प्रकार यदि सरदार पटेल की बात गम्भीरता से ली जाती तो जिन्ना तथा लीग के प्रति खुशामदगीरी रुक जाती तो विभाजन के जो दावे जिन्ना के व्यक्तिगत रूप से पेश किये शायद ने पेश न कर पाते। मुस्लिम लीग की स्थिति कर चर्चा करते हुए सरदार ने कहा कि "वह आखिर चाहती क्या है? बार-बार काग्रेस ने यही कोशिश की कि दोनो दलो मे सम्मानपूर्ण समझौता हो जाय पर हर बार जिन्ना साहब ने हमे झॉसे ही दिये। काग्रेस ने समझौते की खातिर अपने पुराने और आदरणीय नेता प० मदन मोहन मालवीय तक की बात टाल दी और साम्प्रदायिकता को ठुकराया नही मुस्लिम लीग हमेशा हमारी देन को ठुकराती रही और कभी भी अपनी मॉगे पेश ही नही की।" पटेल ने स्पष्ट किया कि "काग्रेस यह कभी स्वीकार नही करेगी कि मुस्लिम लीग मुसलमानो का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र सस्था है।"[9]

1944 ई० मे राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला रखा जिसे राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इसमे मुस्लिम लीग के साथ एक काम चलाऊ सहयोग पर आधारित था तथा इससे भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, पर विचार व्यक्त करते हुए जिन्ना ने गॉधी जी पर आरोप लगाया कि "जादुई रूप से गॉधी जी के होठो पर विभाजन है।"[10] इस प्रकार विभाजन की प्रक्रिया मे राजा जी फार्मूला भी शामिल हो गया। 1946 ई० के प्रारम्भ मे नौ सेना के विद्रोह और ब्रिटेन मे एटली के नेतृत्व मे मजदूर दल की सरकार के चलते भारत से जाने का निर्णय ब्रिटेन ने कर लिया और भारतीय राजनीतिक समस्या के हल के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसने भारत विभाजन के

---

८ वही, पृ० 62

९ व्यास, दीनानाथ, पूर्वो, पृ० 388-389

१० मिश्रा, डी०जी०, लिविग इनधरा, दिल्ली, 1975, पृ० 450

प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और 2 सितम्बर, 1946 ई० को नेहरू के नेतृत्व मे अन्तरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया। प्रारम्भ मे लीग मत्रिमडल मे शामिल नही हुई लेकिन बाद मे 15 अक्टूबर, 1946 को लीग मत्रिमडल मे शामिल हो गयी। जहॉ उसने सरकार को परेशानी मे डालने का कार्य ही किया।

साम्प्रदायिक दगे—नेहरू के नेतृत्व मे अस्थायी सरकार के गठन के बाद ही लीग ने अपना रोष साम्प्रदायिक दगो से उतारा। वह यह सिद्ध करना चाहती थी कि दोनो समुदायो मे कोई समझदारी नही है। 16 अगस्त, 1946 को लीग ने 16 अगस्त, 1946 को सीधी कार्यवाही' का आह्वान करते हुए देश के उन क्षेत्रो को साम्प्रदायिक दगो की आग मे झोकने का कार्य किया वे लीग द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान के दावे पर असर डालने वाले थे। ये क्षेत्र थे बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पजाब और राजस्थान के माग तथा पश्चिमी सीमा प्रान्त। साम्प्रदायिक दगो की शुरुआत पूर्वी बगाल से हुई। बगाल मे इन दिनो सुहरावर्दी की सरकार थी जिसे शहीद अर्थात् इस्लाम पर अपने को न्योछावर करने वाला घोषित किया गया। सुहरावर्दी की लीगी सरकार ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया तथा मुसलमानो की एक भारी सभा मे खुल्लमखुल्ला दगा करने की प्रेरणा दी। चार दिनो तक कलकत्ता मे गुण्डो का आतक रहा। फिरोज खॉ नून ने एक सभा मे कहा कि "मुसलमान ऐसी स्थिति पैदा कर देगे की नेता लोग चगेज खॉ तथा हलाकू खॉ के हत्याकाडो को भूल जायेगे।"[11] कलकत्ते के यह हत्याकाड दिल्ली मे नादिर शाह के के हत्याकाड के बाद सबसे भयकर हत्याकाड था। पुलिस मे प्राय मुसलमान ही थे अत वे इस दगे मे केवल मूकदर्शक बने रहे। उन्होने अपना मौन तब तोडा जब हिन्दू भी बदला लेने के लिए उदन्त हो गये। कलकत्ते की नालियो मे खून बहने लगा। "इन दगो मे कम से कम 4000 लोग मारे गये तथा सहस्त्रो घायल हुए। करोडो की सम्पत्ति लूट लिया गया अथवा जला दिया गया।"[12]

इसकी प्रतिक्रिया दूसरे वर्गो मे भी हुई तथा बिहार व दिल्ली आदि स्थानो पर इसका बदला लिया गया। किन्तु पुन पूर्वी बगाल के नोआखाली मे दंगे हुए जहॉ स्वय महात्मा गॉधी शान्ति स्थापना के लिए गये। इस प्रकार कलकत्ते मे शान्ति हो गयी लेकिन सितम्बर

---

११ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 109

१२ वही, पृ० 109

1946 ई० मे मुजफ्फरपुर (बिहार) मे दगा शुरू होगया नोआ खाली का बदला लेने के लिए 26 अक्टूबर को बिहार के छपरा, पटना और भागलपुर मे व्यापक रूप से दगा हुआ। इसके अलावा बम्बई, अलीगढ, सिलहट, क्वेटा, आरा तथा दिल्ली मे भी दगे हुए। साथ ही बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, गढ मुक्तेश्वर, अहमदाबाद तथा ढाका भी दगे, से प्रभावित हुये इन दगो मे सरकार मूकदर्शक बनी रही। इन क्षेत्रो मे दगो की सम्भावनाये पहले से ही थी। सरदार पटेल ने इसी आशका के कारण कैबिनेट मिशन के सदस्यो से कहा था कि—

''यदि मुस्लिम लीग के साथ समझौता नही होता है तो बगाल और सिन्ध मे साम्प्रदायिक दगो की काफी सम्भावना है।''[13] सरदार पटेल की आशका पर मिशन के वरिष्ठ सदस्य क्रिप्स ने कहा कि—

''आपको बगाल का भय नही रखना चाहिए क्योकि वहाँ पर हमारे पास एक ऐसे गवर्नर है जो गम्भीर उत्पात खडा होने पर तत्काल सेक्शन 93 लागू कर देगे।''[14]

परन्तु जब उत्पात सचमुच खडा हुआ तो कोई कदम नही उठाया गया और सरदार की कडी टिप्पणी के अनुसार वह इन सारी घटनाओ के समय दार्जलिग मे विश्राम करते रहे। बगाल दगे के उपरान्त देश के तमाम भागो मे छिटपुट दगे होते रहे।

नेहरू मत्रिमडल के सदस्य ''गजनफर अली ने 2 दिसम्बर, 1946 ई० को करॉची मे एक चुनावी सभा मे कहा कि ''मुस्लिम लीग अन्दर से सीधी कार्यवाही करने के लिए ही मत्रिमडल मे शामिल हुई है। मै घर से निकलते समय सोचता था कि मुझे जेल मे रहना होगा। किन्तु मुझे आन्तरिक सरकार मे स्थान मिला। अब केवल दो ही मार्ग है या तो काग्रेस झुकेगा या मारकाट के लिए तैयार रहे।''[15]

अपनी इन्ही भावनाओ के अनुरूप मुस्लिम लीग ने उन दिनो देश भर मे साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया। जनवरी 1947 के प्रारम्भ मे मुस्लिम लीग ने आसाम मे जबरदस्ती जमीनो पर अधिकार करने के लिए मुसलमानो के दल भेजना आरम्भ किया। हजारा मे उपद्रव हो गया। प्रान्तीय सरकार ने जब इन गैरकानूनी अधिकार रखने वालो को बेदखल करना शुरू कर दिया तो मुस्लिम लीग ने सत्याग्रह करने की घोषणा की।

---

१३ शकर, वी०, सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, खण्ड-एक अहमदाबाद, 1976, पृ० 385

१४ वही, पृ० 385

१५ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 114

ब्रिटिश प्रधानमत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारतीयो को पूर्ण स्वतत्रता प्रदान करने की घोषणा के बाद लीग ने साम्प्रदायिक स्थिति को तेजी से बिगाडने का कार्य किया। उसे यह विश्वास हो गया कि वह अधिक से अधिक जितने प्रान्तो को अपने प्रभाव मे ले लेगी उन सब का अधिकार अग्रेज उसे सौप देगे। बगाल तथा सिन्ध पर तो उसका नियत्रण था ही, अतएव उसने सीमा प्रान्त तथा पजाब मे नियत्रण स्थापित करने की योजना बनाई जहॉ पर क्रमश डॉ० खान साहिब का काग्रेसी मन्त्रिमडल और खिजर खयाज खॉ का सर्वदलीय युनियनिस्ट मन्त्रिमडल था।

सीमा प्रान्त मे काग्रेस और खुदाई हिकमत यारो के विरुद्ध उन्हे भला बुरा कहने और बदनाम करने का आन्दोलन चलाया गया। वहॉ अल्पसख्यक हिन्दुओ और सिखो के विरुद्ध साम्प्रदायिक दुर्भावनाये फैलायी गयी जिसके परिणामस्वरूप लूटपाट, अग्निकाड और हत्या आदि की घटनाये हुई। आतक के भय से हिन्दू और सिख वहॉ से भागने लगे। काग्रेस और हिमकतयारो ने उनकी सहायता का प्रयास किया लेकिन वे सफल नही हुए।

आसाम तथा सीमा प्रान्त के पश्चात् मुस्लिम लीग ने पजाब मे अपना आन्दोलन प्रारम्भ किया। जहॉ सगठित प्रदर्शनी के माध्यम से इसकी शुरुआत की। पजाब प्रान्त के गवर्नर और अग्रेज अधिकारी थे। इस आन्दोलन मे लीग का साथ दे रहे थे। जिससे पजाब के प्रधानमत्री खिजर खयात खॉ ने घबराकर 3 मार्च, 1947 ई० को अपना त्याग पत्र सौप दिया। किन्तु मुस्लिम लीग फिर भी सरकार न बना सकी। क्योकि हिन्दुओ तथा सिक्खो ने मन्त्रिमडल मे उसके साथ शामिल होने से इन्कार कर दिया फलत गवर्नर ने प्रान्त मे दफा 93 लागू कर दिया।

हिन्दुओ तथा सिक्खो ने 4 मार्च को लाहौर मे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। इस पर मुसलमानो ने उन पर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रान्त मे हिसा का बोलबाला हो गया। हत्याये, अग्निकाड, अपहरण, बलात्कार खिलवाड हो गये। लाहौर, अमृतस र तथा मुल्तान सभी बरबाद हो गये। लाहौर से चलने वाली सभी 22 पैसेन्जर गाडियॉ बन्द कर दी गयी। लाहौर से अन्य नगरो के टेलीफोन कनेक्शन तोड दिये गये। 6 मार्च को जालधर, स्यालकोट तथा रावलपिडी मे भी दगे हुए।

पजाब की इस भयानक स्थिति पर विचार करने के लिए काग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली मे 5 से 8 मार्च तक हुई। जिसमे पजाब को दो भागो मे विभाजित करने की

आवश्यकता महसूस की गयी जिससे मुस्लिमबाहुल भाग को गैर मुस्लिम भाग से अलग किया जा सके, फलत दोनो सम्प्रदाय एक दूसरे के भय और आतक से मुक्त हो जायेगे। काग्रेस ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने काग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

काग्रेस कार्यसमिति पर इस मार-काट की भयकर प्रतिक्रिया हुई। उसने माउण्ट बेटेन के आगमन के पूर्व ही भारत विभाजन की मॉग कर दी। जिसका नेहरू और पटेल ने समर्थन किया।

भारत विभाजन

भारतीयो को सत्ता सौपने के विषय मे ब्रिटिश प्रधानमत्री एटली ने अस्पष्ट विचार प्रकट करते हुए अपने वक्तव्य मे कहा कि "सम्राट की सरकार यह स्पष्ट करती है कि वह जून 1948 तक समस्त सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीयो के हाथो मे सौप देगी परन्तु यदि सविधान निर्मात्री सभा सभी पार्टियो की सहमति से सविधान बनाकर नयी सरकार गठित नही कर लेती तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पडेगा कि ब्रिटिश भारत मे केन्द्रीय सत्ता जिसको सौपी जाय और क्या यह नयी केन्द्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रो मे प्रान्तीय सरकारो को या किसी और तरीके से भारतीय जनता के सर्वोच्च हित को दी जाय।"[16] साथ ही बेवेल के स्थान पर लार्ड माउण्टबेटेन को भारत का वायसराय बनाने की घोषणा की गयी।

प्रधानमत्री के उपरोक्त वक्तव्य का मुस्लिम लीग ने यह अर्थ लगाया कि यदि वह जून, 1948 ई० तक सविधान निर्मात्री सभा का वहिष्कार करती रहेगी तो ऐसी स्थिति मे सरकार विवश होकर सरकार उन प्रान्तो को लीग को सौप देगी जहॉ मुसलमानो का बहुमत है।

24 मार्च, 1947 ई० को लार्ड माउण्ट बेटेन भारत के वायसराय का पद ग्रहण किया और अपनी योजना के अनुसार कहा—"मै एकदम घिर आयी वास्तविक समस्या को महसूस करता हूँ। यदि हमने शीघ्रता से काम नही किया तो वह गृह युद्ध का रूप ले लेगी। इसके पीछे विभाजन ही बहुत अधिक समधान कर देगा। मै कोई दूसरा विकल्प सपने मे भी नही देखता।"[17]

---

१६ दि इडियन एन्युअल रजिस्टर, खण्ड-एक, 1942, पृ० 142-143

१७ बेटेन, लार्ड माउण्ट, पिल लाइफ ऑफ टाइम्स, ब्रिटेन, 1960, पृ० 152

इसके लिए माउण्टबेटेन ने विभिन्न भारतीय राजनीतिज्ञो से मुलाकात की। माउण्ट बेटेन ने भारतीय राजनीतिज्ञो के बारे मे जो विचार व्यक्त कि वे बडे रोचक है। उनके अनुसार नेहरू स्पष्टवादिता और औचित्य भावना से प्रभावित थे।वे नेहरू के अच्छे मित्र थे। जबकि सरदार पटेल दृढ, धीर, स्पष्टवादी, व्यावहारिक और वास्तविकता को मानने वाले थे और नौकरशाही पर विश्वास करते थे। जिन्ना के सबध मे उनका मत था कि जिन्ना का दिमाग तेज था। वह कानूनी बारीकियो को समझते थे परन्तु वे अभिमानी थे। इस प्रकार उनकी नजर मे काग्रेस मे नेहरू और पटेल ही प्रमुख व्यक्ति थे।

माउण्टबेटेन का विचार था कि यदि सरदार पटेल को अपनी योजना से सहमत कर लिया जाय तो काग्रेस इस योजना को स्वीकार कर लेगी, अतएव उन्होने सबसे अधिक विभाजन के बारे मे सरदार पटेल को ही समझाने का कार्य किया जिसमे उन्हे सफलता भी मिली। सरदार पटेल माउण्ट बेटेन योजना से सहमत हो गये। सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनके अनुसार "हमने हिन्दुस्तान के टुकडे किये जाना कबूल कर लिया है। कई लोग कहते है कि ऐसा हमने क्यो किया और यह गलती थी। मै अभी तक नही मानता कि हमने कोई गलती की। और मै यह भी मानता हूँ कि यदि हमने हिन्दुस्तान का टुकडे करना मजूर नही किया होता, जो आज जो हालात है उससे भी बुरी हालत होने वाली थी और हिन्दुस्तान के दो नही अपितु अनेक टुकडे होने वाले थे। मेरे सामने यह चित्र है कि हमने किस प्रकार एक वर्ष सरकार चलायी और यदि हमने यह बात कबूल न की होती तो क्या होता? आप इतना विश्वास रखे कि जब मैने और मेरे भाई नेहरू ने यह कबूल न की होती तो क्या होता ? आप इतना विश्वास रखे कि जब मैने और मेरे भाई नेहरू ने यह कबूल किया कि अच्छा है, यदि टुकडा जरूर करना है और इसके मुसलमान लगान नही मानते, तो हम इसके लिए भी तैयार है। क्योकि हम जब तक परदेशियो को हटा न दे, विदेशी हुकुमत न हटा दे, तब तक दिन प्रतिदिन ऐसी हालात होती जाती थी कि हमे साफ तौर से दिखाई दिया कि हमारे हाथ मे हिन्दुस्तान का भविष्य नही रहेगा और परिस्थिति काबू से बाहर चली जायेगी। इसलिए हमने सोचा कि अभी दो टुकडे करने से काम ठीक हो जाता है तो वैसा ही कर ले। हमने मान लिया की ठीक है, अपना अलग घर लेकर यदि यह भाई शान्त हो जाता है और अपना घर सम्भाल लेता है तो हम अपना सम्भाल लेगे

लेकिन हमने यह बात इसी उम्मीद से मानी थी कि हम शान्ति से अपना काम करेगे तो उसमे हमारी गलती हुई क्या?"[18]

इस प्रकार उपरोक्त अवधारणा से सरदार पटेल तथा नेहरू ने सर्वप्रथम विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। महात्मॉ गॉधी इससे सहमत नही थे परन्तु जब सरदार पटेल ने उनको समझाया कि यदि दो भाई भी आपस मे लड पडते है तो अपना अपना घर लेकर अलग हो जाते है, तब गॉधी जी ने सहमति दी। यद्यपि गॉधी जी ने विभाजन रोकने के लिए जिन्ना से कहा था कि वह प्रधानमत्री बन जाय लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नही हुए, वह सिर्फ विभाजन चाहते थे।

के० एम० मुशी ने विभाजन के सबध मे सरदार पटेल की मानसिक स्थिति की चर्चा बने सुन्दर ढग से की है। मुशी के अनुसार 1947 ई० मे वे और सरदार पटेल बिडला भवन नयी दिल्ली मे साथ-साथ रहते थे और साथ-साथ टहलने जाते थे। मुशी के अनुसार सरदार पटेल जो अखड भारत के समर्थक थे, भारत विभाजन के समर्थक बन गये। मुशी ने लिखा है कि "मुझे स्वाभाविक धक्का लगा क्योकि सदैव राजा जी की विभाजन का समर्थन करने की कडी आलोचना करते थे।"[19] पटेल जी ने विभाजन के पक्ष मे दो तर्क दिये। प्रथम यह कि काग्रेस अहिसा मे विश्वास करती है वह हिसा का मुकाबला नही कर सकती। यदि काग्रेस अपने सिद्धान्त को भी बदल दे तो वर्तमान स्थिति मे हिसा का सहारा लेकर काग्रेस अपने को समाप्त कर देगी क्योकि इसका अभिप्राय मुस्लिम लीग से एक लम्बा सघर्ष होगा जबकि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पुलिस और सेना के बल पर शासन कर रहे है। पटेल जी ने दूसरा कारण यह बताया कि अगर विभाजन को स्वीकार कर लिया गया तो शहरो और गॉवो मे साम्प्रदायिक झगडे होगे और यहॉ तक कि सेना और पुलिस की साम्प्रदायिक आधार पर बॅट जायेगी। एक मजबूत सगठन के आभाव मे हिन्दुओ को नुकसान होगा क्योकि हिन्दू स्वभाव से उदारवादी होते है। जबकि दूसरी तरफ यदि सघर्ष होता है तो वह सगठित सरकारो के द्वारा आसानी से नियत्रित किया जा सकता है, "क्योकि दो सरकारो के बीच

---

१८ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947 से 1950 तक) प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1970, पृ० 103

१९ मुशी, के०एम०, इडियन कान्सीट्युशनल डाकूमेन्ट्रस, वाल्यूम-1, बम्बई, 1967, पृ० 126

समझौता करना पूरे देश मे फैले हुए दो सम्प्रदायो के बीच समझौते से आसान है।"[20] इसके अलावा सरदार पटेल विभाजन के अन्य कारणो मे मानते थे कि—

1 मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए विभाजन आवश्यक है और

2 सरदार पटेल का विचार था कि स्वतत्र इकाई के रूप मे पाकिस्तान अधिक दिन नही टिकेगा। वह थोडे समय पश्चात् पुन भारतीय सघ मे सम्मिलित हो जायेगा और जिन्ना शीघ्र ही उनके साथ आ जायेगे।

3 विभाजन के उपरान्त एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना हो सकेगी।

विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार न करने वाले लोगो मे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रमुख थे। जिन्होने सरदार पटेल द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर लिखा कि—

"यह इतिहास का एक सत्य है कि हिन्दुस्तान मे जो आदमी लार्ड माउण्ट बेटेन का सबसे पहले शिकार हुआ वह सरदार पटेल थे। कार्य परिषद् मे जो स्थिति पैदा हो गयी थी सरदार उससे बहुत चिढ गये थे, वे बॅटवारे मे विश्वास करने लगे। वित्त विभाग लीग को सौप देने का दायित्व सरकार का ही था इसलिए लियाकत के सामने अपनी असहोयता सबसे अधिक रोष उन्हे ही आता था। इसलिए माउण्ट बेटेन ने जब विभाजन की योजना सुझायी तो सरदार पटेल के मन मे यह बात पक्की हो गयी कि यह लीग के साथ कार्य नही कर सकते।'[21]

इस प्रकार विभाजन सबधी निर्णय को मान्यता प्रदान करने के लिए काग्रेस कार्यसमिति की बैठक 14 जून, 1947 ई० को सविधान क्लब मे प्रारम्भ हुई। गॉधी जी विशेष निमत्रण पर अधिवेशन मे उपस्थित हुए। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता मे हुई इस बैठक मे विभाजन का प्रस्ताव प० गोविन्द वल्लभ पत ने रखा जिसका अनुमोदन मौलाना आजाद ने किया हालाकि वे प्रस्ताव के कट्टर विरोधी थे। प्रदीर्ध साधन बाधक चर्चा के बाद प्रस्ताव 15 जून, 1947 ई० को 15 के विरुद्ध 157 मतो से पारित कर दिया गया। समिति की बैठक मे सरदार

---

२० वही, पृ० 126-127

२१ आजाद, मौलाना, आजादी की कहानी, कलकत्ता, 1965, पृ० 204-205

पटेल ने कहा ''यदि एक अगूठा विषपूर्ण हो जाय तो उसे अलग ही कर देना चाहिये अन्यथा सम्पूर्ण शरीर को अत्यधिक हानि उठानी पडती है।''[22]

सरदार पटेल को विभाजन का बडा दु ख हुआ जिसे उन्होने स्वय स्वीकार करते हुए कहा कि-

''मै जीवन भर भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहा हूँ आप सबको इस प्रस्ताव से जो दु ख हुआ है, उससे कम मुझे नही हुआ है परन्तु मेरे दिल मे यह बात बैठ गयी है कि इस पिछले नौ महीने से देश की शासन व्यवस्था हम लोग चला रहे है। इस अरसे मे मुझे दुखद अनुभव हुए है। मैने देखा और अनुभव किया कि यदि हम यह प्रस्ताव स्वीकार नही करेगे और पिछले नौ मास से देश का शासन जिस तरह चला है, और ब्रिटिश सल्तनत ने जिस तरह उसे चलने दिया है वैसा ही यदि वह अधिक दिनो तक चलता रहा, तो मुझे निश्चित भय है कि समूचा भारत ही पाकिस्तान बन जायेगा।

इसलिए यदि सारे भारत को पाकिस्तान बनने से बचाना हो तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके, देश के विभाजन का खतरा उठाकर भी अग्रेज सरकार को भारत से हटाने मे कुछ हानि नही है। इसमे देश का सुख निहित है। भविष्य मे बहुत बडी बुराइयो को रोकने के लिए इस बुराई को स्वीकार करके अग्रेजो को इस पाप को भारत से हमे विदा करना चाहिये। इस दृष्टि से मै दु ख और वेदना से रुदन करने वाले मित्रो से अनुरोध करता हूँ कि वे इस कडवे घूँट को पी जाये।''[23]

विभाजन का क्रियान्वयन

विभाजन की योजना 3 जून, 1947 को स्वीकृति कर ली गयी तो इसको कार्यान्वित करने के लिए दो प्रकार के उपाय आवश्यक थे। प्रथम विधेयक द्वारा इसे कानूनी अधिकार प्रदान करना और द्वितीय विभाजन के प्रशासनिक परिणामो का सामना करना। लॉर्ड माउण्ट बेटेन ने 'विभाजन के प्रशासनिक परिणाम' नामक एक 32 पृष्ठीय दस्तावेज राजनीतिक दलो के समक्ष पेश किया तथा इस हेतु एक विभाजन समिति की नियुक्ति की गयी जो 5 जून, 1947 ई० को विभाजन परिषद् मे परिवर्तित हो गयी। माउण्ट बेटेन इस परिषद् के अध्यक्ष

२२ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 132

२३ पटेल, राव जी भाई म०, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 205

थे तथा इसमे प्रत्येक डोमिनियन के दो-दो प्रतिनिधि थे। काग्रेस की ओर से इसमे सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे। राजगोपालाचारी को वैकल्पिक सदस्य के रूप मे रखा गया था तथा मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना और लियाकत अली थे। अब्दुल खनिश्तर को वैकल्पिक सदस्य के रूप रखा गया था। काम के सुगम बनाने के लिए दो सदस्यीय एक सचालन समिति तथा अधिकारियो की 10 विशेषज्ञ उप समितियॉ भी बनायी गयी। विशेषज्ञ उप समितियो के अधीन प्रशासन का सम्पूर्ण क्षेत्र जैसे- परिसीमन, परिसम्पत्ति एव दायित्वो का विभाजन, राष्ट्रीय ऋण का विभाजन, सगठन, सेना आदि का विभाजन था। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ परिषद् बनाई गयी जो उन मामलो पर निर्णय करेगी जो विभाजन परिषद् के समक्ष विवादास्पद होगे।

"विभाजन परिषद् की प्रथम बैठक 27 जून, 1947 ई० को हुई तथा दूसरी बैठक 30 जून को, तीसरी 5 जुलाई, चौथी 10 जुलाई, पॉचवी 15 जुलाई, छठी 17 जुलाई, सातवी 19 जुलाई, आठवी 22 जुलाई, नवी 24 जुलाई, दसवी 26 जुलाई, ग्यारहवी 29 जुलाई, बारहवी 31 जुलाई, तेरहवी 2 अगस्त, चौदवी 4 अगस्त, पन्द्रहवी 5 अगस्त और सोलहवी बैठक विभाजन के पूर्व 6 अगस्त, 1947 मे हुई। सरदार पटेल तथा जिन्ना प्रत्येक बैठकमे उपस्थित रहे।"[24] विशेषज्ञ समितियो ने इतनी सद्‌भावना से कार्य किया कि बहुत ही कम मामले सचालन समिति के पास गये। के०एम० मुशी के शब्दो मे "प्रत्येक मामले मे पटेल और जिन्ना एक स्वीकार्य फार्मूले पर सहमत हो जाते थे। जब कभी मतभेद होता था तो माउट बेटेन सुलह के लिए आ जाते थे।"[25]

यद्यपि विभाजन परिषद् ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दो को सुलझा लिया लेकिन चल अचल सम्पत्ति तथा सेना को लेकर कुछ समस्याये आयी। युद्ध के कारण ब्रिटेन अपने पीछे पॉच विलियन डॉलर का ऋण छोड गये थे। नकद सम्पत्ति के रूप मे स्टेट बैक मे धन तथा सोना था। काफी विवाद के पश्चात् तय हुआ कि पाकिस्तान को 17 5 प्रतिशत नकदी मिलेगी तथा उसी अनुपात मे वह ऋण का बोझ अदा करेगा। चल सम्पत्ति का बॅटवारा 80 और 20 के अनुपात मे हुआ। सरदार पटेल पाकिस्तान को नकदी भुगतान स्थगित करना

---

२४ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली 1997, पृ० 134

२५ मुशी के०एम०, इडियन कान्सीट्यूशनल डाकूमेण्ट्स, वाल्यूम 1, बम्बई, 1967, पृ० 131

चाहते थे ताकि काश्मीर युद्ध मे पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। परन्तु गॉधी जी के उपवास के कारण यह सम्भव न हो सका। लियाकत अली 6 मे से एक मुद्रणालय पाकिस्तान को स्थानान्तरित करवाना चाहते थे जिसका सरदार पटेल ने यह कहकर विरोध किया कि "किसी ने पाकिस्तान को अलग होने के लिए नही कहा। हमे इस बात की चिन्ता नही है कि वे अपने साथ सम्पत्ति ले जाय, परन्तु हम भारत की कार्य प्रणाली मे इस कारण व्यवधान सहन नही करेगे कि पाकिस्तान के पास साधन नही है।"[26]

सेना का विभाजन एक कठिन कार्य था। भारतीय सेना एक सस्था के रूप मे विकसित हुई थी। विभाजन परिषद् सेवा का विभाजन 15 अगस्त, 1947 के पूर्व चाहती थी जबकि सेनाध्यक्ष सर क्लाड आचिन लेक इसके विभाजन के पक्ष मे नही थे। उनके अनुसार सेना जैसे सगठन को विभाजित करना उसको नष्ट करना है। परन्तु माउण्टबेटेन ने विभाजन पर बल दिया। यह कार्य आचिन लेक ने अनिच्छा से किया। विभाजन परिषद् की अन्तिम बैठक मे सरदार पटेल ने कहा कि "भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक सम्पन्न पडोसी के रूप मे उभरे। उन्होने आशा प्रगट की कि विभाजन परिषद् के अन्दर वार्तालाप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के प्रति सद्भावना के अतिरिक्त कुछ नही चाहता है।"[27]

दोनो उपनिवेशो के बीच सीमा निश्चित करने के लिए दोनो पक्ष इस पर सहमत हो गये कि पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशो के लिए दो आयोग बना दिये जाय। जिसके अध्यक्ष सर सीरिल रैडर्किल्फ हो। बगाल, और पजाब प्रान्तो के मध्य भौगोलिक विभाजन की रेखा खीचते के लिए रैडक्लिफ की रेखा खीचने के लिए रैडक्लिफ की नियुक्ति इसलिए की गयी कि वे इस क्षेत्र से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। लॉर्ड माउण्टबेटेन के साथ-साथ नेहरू और जिन्ना ने भी अनभिज्ञ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था। माउण्टबेटेन ने इस नियुक्ति के बारे मे कहा कि उन्हे कोई खुशी नही हुई क्योकि वे जानते थे कि यह कार्य बडा जटिल है और इसमे वे किसी पक्ष को पूर्णत सन्तुष्ट नही कर पायेगे। सीमाकन के लिए नियुक्त रैडक्लिफ कमीशन मे भारत की ओर से सरदार पटेल तथा पाकिस्तान की ओर से जिन्ना अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत किये गये।

रैडक्लिफ को भौगोलिक एव वहॉ के लोगो के बारे मे जानकारी नही थी। उनको

---

२६ मेहरोत्रा एव कपूर पूर्वो, पृ० 134

२७ मुशी, के०एम०, पूर्वो, पृ० 132

इस कार्य के लिए जो नक्शे दिये गये वे अधूरे थे तथा उपलब्ध कराये गये, साधन अपर्याप्तता थी तथा विभाजन चन्द हफ्तो मे करना था यानी समय की अपर्याप्त था। अतएव स्वाभाविक था कि ऐसी परिस्थितियो मे खीची जाने वाली विभाजन रेखा को लेकर रैडक्लिफ कठिनाइयो मे थे। रैडक्लिफ कलकत्ता को लेकर भारी उलझन मे थे क्योकि जिन्ना ने उस पर दावा ठोका था। आर्थिक रूप से सहमत होने के बावजूद बहुसख्यक हिन्दुओं की आबादी के कारण रैडक्लिफ ने उसे भारत मे ही रहने दिया। बगाल विभाजन रेखा दोनो राष्ट्रो के लिए समान रूप से आर्थिक विनाश का पर्याय थी। विश्व का 85= जूट उत्पादन वाला भू भाग पूर्वी पाकिस्तान मे चला गया। भारत के हिस्से मे जूट का सामान बनाने वाले 100 से भी अधिक कारखाने आये। पर जूट की फसल उगाने वाला एक भी खेत न था और जूट का सामान निर्यात करने वाला कलकत्ता बदरगाह भी भारत के हिस्से मे आया। वायसराय के आदेशानुसार दोनो राष्ट्र स्वतत्रता समारोही तक इस विभाजन को गुप्त रखा। इसके अलावा जल्दबाजी मे किये गये इस विभाजन से पजाब मे अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी। वहॉ के कुछ घर बीचोबीच से विभाजित हो गये जैसे कुछ घरो का दरवाजा भारत मे खुलता था तो छत पाकिस्तान मे थी फलत खिडकियॉ और बरसात मे छतो का पानी पाकिस्तान मे गिरता था। एक ही गॉव के कुछ घर पाकिस्तान मे चले गये तो कुछ भारत मे आ गये। जल्दबाजी मे किये गये इस विभाजन मे अनेक त्रुटियॉ थी फिर भी दोनो देशो ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। सर रैडफ्लिफ विभाजन के उपरान्त त्रासदी के लिए उत्तरदायी थे पर अनिच्छा से क्योकि उन्होने अन्त मे कहा कि—"जैसा कि मुझे आभास हो गया था जल्दबाजी से खिची इस विभाजन रेखा से उत्तर भारत रक्त रजित हो उठा था।"[28]

इस प्रकार इस अनियोजित विभाजन के परिणामस्वरूप पजाब मे भीषण दगा हो गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख निर्दोष लोग इस दगे मे मारे गये और अपार सम्पत्ति का विनाश हुआ। अतएव जब यह देखा गया कि दोनो राष्ट्रो के अल्पसख्यक सुरक्षित नही रह सकते थे तो जनसख्या के अदला बदली का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार लगभग एक करोड जनसख्या की अदला-बदली की गयी।

इस समय भारतीय मुसलमानो का पाकिस्तान जाने का मार्ग अमृतसर ही था किन्तु

---

२८ पटेल, दिलावर सिह जैसवार, नवोदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 2000 पृ० 233

अमृतसर के सिख पाकिस्तान मे मुसलमानो द्वारा किये गये सिखो पर अत्याचार, सामूहिक हत्याकाड और स्त्रियो के अपमान से इतना क्षुब्ध थे कि उन्होने स्पष्ट घोषणा की अमृतसर से किसी मुसलमान को जीवित नही जाने दिया जायेगा। अतएव मुसलमानो को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की जिम्मेदारी थल सेनाध्यक्ष तिमैया को सौपी गयी। इस समस्या के समाधान के लिए सरदार पटेल स्वय मेनन के साथ अमृतसर गये और सिखो को समझा बुझाकर मुसलमानो को पाकिस्तान जाने का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितम्बर, 1947 ई० को अमृतसर मे सिख नेताओ को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

"मै आपसे अपील करता हूँ कि आप कम से कम एक सप्ताह के लिए आक्रमणो के इस व्यापक प्रसार को रोक दे और फिर देखे कि क्या इसका उत्तर सन्तोषजनक मिलता है की नही यदि आपको निराश होना पडा, तो इस बात को सारा ससार जान जायेगा कि वास्तविक अपराधी कौन है।"[29]

गृह मंत्री के रूप मे प्रशासनिक सेवाओं का गठन

1946 की अन्तरिम सरकार मे सरदार गृह मत्री के साथ-साथ सूचना एव प्रसारण मत्री भी रहे। 1947 ई० मे देश विभाजन के उपरान्त जवाहर लाल नेहरू ने पुन मत्रिमडल मे शामिल होने का निमत्रण देते हुए लिखा कि "चूँकि कुछ हद तक औपचारिकताये निभानी होगी, इसलिए मै आपको नये मत्रिमडल मे सम्मिलित होने का निमत्रण देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। यह पत्र किसी हद तक अनावश्यक है, क्योकि आप तो मत्रिमडल के मजबूत से मजबूत स्तम्भ है।"[30]

"मत्रिमडल के मजबूत से मजबूत आधार स्तम्भ" शब्द मत्रिमडल मे सरदार पटेल की महत्वपूर्ण स्थिति का वर्णन करते है। जब सरदार ने इस बार मत्रिमडल मे स्थान ग्रहण किया तो इस बार उन्हे उप प्रधान मत्री के साथ-साथ गृह एव सूचना विभाग सौपे गये। इसके साथ नव निर्मित देशी राज्यो का विभाग भी 5 जुलाई 1947 ई० को भी सरदार को सौप दिया गया। एक इतिहास कार ने सरदार के कार्यो का विवरण सार रूप मे निम्न प्रकार से किया।

---

२९ शास्त्री,, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 205

३० दास, दुर्गा, सरदार पटेल के पत्र व्यवहार, खण्ड-एक, अहमदाबाद, 1976, पृ० 537

"भारत के आन्तरिम मामले मे सरदार वास्तव मे सर्वोपरि थे, यद्यपि दिखाई ऐसा देता था कि कोई भी निर्णय वे नेहरू को सूचना दिये बिना और कम से कम उनकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना नही करते थे। आन्तरिक सत्ता के सारे सूत्र पटेल के नियत्रण मे थे क्योकि वे न केवल गृह मत्रालय की जिम्मेदारी सम्भालते थे, बल्कि सूचना एव प्रसारण विभाग भी सम्हालते थे। इसके साथ काग्रेस सस्था मे भी पटेल का प्रमुख स्थान था। वे दो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सम्भालने के कारण पटेल विभाजन के बाद भी अनिश्चितता, अव्यवस्था और अराजकता की गडबडी से देश को बाहर निकालकर भारत के व्यवस्थित, सगठित और सुस्थिर राज्य के सच्चे निर्माता कहे जाते है।"[31]

1 मत्रिपद ग्रहण करने के बाद सरदार के समक्ष प्रशासन के साम्राज्यवाद के स्थान पर लोकतन्त्रीय शासन के अनुरूप बनाने तथा अधिकारियो मे उत्तरदायित्व की भावना जनहित की ओर मोडकर उसे चुस्त बनाने की थी, इसके अलावा अधिकारियो मे विश्वास की भावना पैदा करने के साथ-साथ तमाम अन्य समस्याये थी। जिनका सामना सरदार पटेल को करना था। सरदार के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वह केन्द्र तथा प्रान्तो मे प्रशासनिक तथा पुलिस विभाग सेवाओ सबधी पदो पर वरिष्ठ अधिकारियो की नियुक्ति की थी। पहले इन पदो पर भारत मत्री की सेवाओ इडियन सिविल सर्विस तथा इडियन पुलिस के अधिकारी रखे जाते थे परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगो की भर्ती बन्द हो चुकी थी। जिसका कारण 1945 ई० मे नवनिर्वाचित ब्रिटिश मजदूर दल की सरकार का भारत छोडने का निर्णय था। लेकिन अधिकारियो की रिक्तता ने समस्या का रूप ले लिया। सरकार के सस्थापकीय तत्र का निर्माण और देश की कठिन परिस्थितियो मे कर्मचारियो को यथाशक्ति राष्ट्र की उत्तम सेवा करने की प्रेरणा सरदार पटेल ने दी तथा उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए निम्न प्रावधान किये।

1 स्वतत्रता के बाद आनुपातिक पेन्शन पर सेवा निवृत्त होने तथा कैरियर खोने के लिए मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प यूरोपियो के साथ-साथ भारतीयो को भी प्रदान किया।

2 जहॉ तक भारतीयो का प्रश्न था, सरदार का मत था कि उनका कर्तव्य नई राष्ट्रीय सरकार को अपनी सेवाये देते रहने का है अतिरिक्त इसके कि किसी कारण से किसी अधिकारी की सेवाओं की जरूरत उसे न रहे।

---

३१ शकर, वी०, सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, खण्ड दो, अहमदाबाद, 1976, पृ० 168

3 इस कारण लोगो को सरदार ने पूरा अश्वासन दिया कि उनकी सेवा की शर्तो पर कोई हानिकारक प्रभाव नही पडेगा तथा सेवाये बनी रहेगी।

4 सरदार ने ये गारण्टी केवल अखिल भारतीय स्तर की सेवाओ को ही देना स्वीकार किया प्रान्तीय सेवाओ को नही। वे प्रान्तीय सरकार की सेवाओ के सदस्यो को देशी राज्यो के सन्दर्भ मे कुछ हद तक देखते थे।

सरदार पटेल ने कहा कि यदि कोई अधिकारी इससे अधिक गारण्टी मॉगता है तो उसका कारण केवल हमारी ऑखो मे अविश्वास तथा हमारी सद्भावना की चुनौती ही हो सकती है ऐसे व्यक्ति को मै सरकारी सेवा मे सहायक नही मानूॅगा बल्कि चाहूॅगा कि और अधिक रियायत मॉगने वाला व्यक्ति इस सेवा को छोड दे।"[32]

उपरोक्त प्राथमिक प्रावधानो के बाद सरदार पटेल ने समस्या के समाधान हेतु निम्न कदम उठाये।

1 सरदार ने प्रातीय सरकारो के परामर्श से प्रशासनिक सेवा के दो स्तरो का निर्माण किया। आई० सी० एस० के स्थान पर इण्डियन एडीमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) तथा आई०पी० के स्थान पर इडियन पुलिस सर्विस (भारतीय पुलिस सेवा) का गठन किया। ये दोनो सेवाये अपनी पूर्ववर्ती सेवाओ के समान प्रान्तीय स्तर की थी, परन्तु भर्ती, सेवा की शर्तो तथा अनुशासनिक कार्यवाहियो का नियमन केन्द्रीय सरकार और सघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता था। इन सेवाओ मे भर्ती का कार्य 1947 ई० मे ही प्रारम्भ कर दिया गया।

2 जब तक उच्च पदो पर रिक्तता बनी रही सरदार ने रिक्तता को भरने के लिए तथा अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियो की प्राप्ति हेतु आयु सीमा को समाप्त कर दिया।

3 विभाजन के पूर्व के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे विदेशी थे तथा आजादी की लडाई मे वर्तमान प्रशासको के खिलाफ अमानुषिक कार्यवाही मे शामिल थे अत ऐसे अग्रेज अधिकारियो पर भारतीय प्रशासको से विश्वास उठ गया था। वे नही चाहते थे कि अग्रेज यहॉ रहे। अतएव अग्रेज अधिकारियो ने जब यहॉ रुकने की दो शर्तो प्रथम अग्रेज सरकार द्वारा प्राप्त अधिकार के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद सवेतन छुट्टी लेकर इग्लैण्ड

---

३२ वही, पृ० 166

जाने की और द्वितीय भारत सरकार उनका अधिकार सुरक्षित रखे और वे अग्रेज नागरिक के रूप मे ही भारत मे रहने की शर्तो रखी तो सरदार ने शर्तो को मानने से इकार कर दिया।''[33] और बिखरे हुए असमामजस्य पूर्णता के शिकार प्रशासन तत्र को और भी कदम उठाकर सुदृढ किया।

देशी रियासतो का एकीकरण

स्वतत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतो की समस्या का स्थायी हल एक महत्वपूर्ण एव गम्भीर चुनौती थी। ब्रिटिश भारत मे न केवल गवर्नरो के अधीन थे वरन् छोटी बडी 565 रियासते थी,''जिनका क्षेत्रफल प्रान्त 715, 964 वर्गमील था तथा जनसख्या 1941 की जनगणना के अनुसार 93,189,233 थी।''[34] जनसख्या तथा आकार की दृष्टि से एक रियासत दूसरे रियासत से भिन्न थी। कुछ रियासतो का क्षेत्रफल हजारो वर्ग मील था जबकि अधिकाश रियासते अत्यधिक छोटी थी। ''काठियाबाद की एक रियासत बिजानोनेस, का क्षेत्रफल मात्र 0 29 वर्ग मील तथा जनसख्या 206 थी तथा वार्षिक आय 500 रु० थी।''[35] सम्पूर्ण राज्य का अवैज्ञानिक आधार पर छोटे बडे खण्डो मे विभक्त रहना आर्थिक एव सामाजिक प्रगति मे बाधक था। राजनैतिक शक्ति के मामले मे एक रियासत दूसरी रियासत से पृथक थी। परन्तु कोई भी रियासत राजनैतिक दृष्टि से स्वतत्र सार्वभौमिकता का प्रयोग नही कर सकती थी और ब्रिटिश सरकार की अधिसत्ता पूर्ण थी।

भारत औपनिवेशिक स्वतत्रता प्रदान करने की ब्रिटिश प्रधानमत्री एटली की 12 मई, 1947 की घोषणा का कई देशी राज्यो ने यह अर्थ लगाया कि वह भी पूर्णतया स्वतत्र हो जायेगे। इस प्रसग मे ट्रावनकोर ने स्वतत्र रहने की अपनी इच्छा की घोषणा 11 जून को ही कर दी। बाद मे निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। इस पर प० नेहरू तथा सरदार पटेल ने माउण्ट बेटेन द्वारा बुलायी गयी। 13 जून, 1947 की बैठक मे इस मामले को उठाया। इस बैठक मे नेहरू और पटेल के अलावा काग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आचार्य जे०बी० कृपलानी तथा मुस्लिम लीग की ओर से मो० अली जिन्ना, लियाकत अली और

---

३३ प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 56

३४ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ०, 140

३५ वही, पृ०, 140

अब्दुल रब-निश्तर, सिखो की ओर से सरदार बलदेव सिह तथा राजनीतिक परामर्शदाता सर-कानराड कारफील्ड ने भी भाग लिया।

''नेहरू तथा पटेल के देशी राज्यो की अलग रहने की नीति का विरोध करने पर जिन्ना ने उनकी अलगॉव की नीति का समर्थन किया।''[36] अन्त मे काफी वाद-विवाद के बाद यह निश्चय किया गया कि देशी राज्यो से सम्पर्क रखने के लिए भारत सरकार एक नये विभाग की स्थापना करे। इस सबध मे गवर्नर जनरल के विधान सबधी परामर्शदाता राव बहादुर वी०पी० मेनन को एक नोट प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री मेनन के नोट के अनुसार 25 जून, 1947 के अन्तरिम सरकार के मत्रिमडल ने रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई की अधीनता मे करने का निर्णय किया। 5 जुलाई को इस विभाग की स्थापना हो जाने पर सरदार पटेल ने श्री वी०पी० मेनन को इसका सेक्रेटरी बनाया। इसी दिन सरकार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राज्यो के नाम एक सन्देश मे उनसे अनुरोध किया कि वह भारत सरकार के साथ शीघ्र ही तथा पूर्ण समझौते करके अपने रक्षा, विदेश तथा यातायात के विषय केन्द्रीय सरकार को सौप दे। 10 जुलाई को कई राजाओ तथा देशी राज्यो के मत्रियो ने सरकार के निवास पर उनसे भेट की। भेट करने वालो मे ग्वालियर तथा पाटियाला के राजा भी शामिल थे। उन्होने सरदार के साथ दिल खोलकर वार्ता की और यह स्वीकार किया कि देश भक्ति के दृष्टिकोण से भी देशी राज्यो तथा शेष भारत का एक प्रकार का सहयोग वाछनीय है। जिन्ना ने इस योजना का सार्वजनिक तौर पर विरोध किया। 25 जुलाई को कई राजाओ ने सरदार पटेल से मुलाकात कर जिन्ना के वक्तव्य से असहमति प्रकट की। 5 जुलाई, 1947 ई० को देशी राज्यो के प्रतिनिधियो को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था कि—

''काग्रेस रजवाडो की दुश्मन नही है, वह देशी राज्यो एव उसकी प्रजा का हित चाहती है। रियासती विभाग राज्यो के साथ अफसराना व्यवहार नही करेगा। सम्मिलित पुरुषार्थ से ही हम इस देश को महान बना सकेगे, लेकिन एकता की कमी होगी तो नयी आपत्तियो का मुकाबला करना होगा। आम लोगो के हित के लिए यदि सबका सहयोग नही होगा तो अधाधुन्धी फैल जायेगी और वह हम छोटो-बडो को तबाह कर देगी। चलिए हम

---

३६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 140

सब एक साथ सगठित रूप से पुरुषार्थ करे और इस पवित्र भूमि को दुनिया के देशो मे योग्य स्थान दिलाकर भारत को शान्ति और समृद्धियो की भूमि बना दे।"[37]

सरदार की इस घोषणा ने उष्मा भरे वातावरण का निर्माण किया। राजाओं और देशी राजा की प्रजा ने उसका उमग और उत्साह से प्रत्युत्तर दिया। काश्मीर, जूनागढ और हैदराबाद जैसे अपवादो की छोडकर अन्य तमाम राजाओ ने भारत के सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। पटियाला और बीकानेर सर्वप्रथम प्रवेश पत्र की पूर्ति कर भारत अधिराज्य मे शामिल हुई इसके पश्चात् धौलपुर, भरतपुर, विलासपुर, ग्वालियर, नाभा आदि रियासते शामिल हुई। सरदार पटेल, वी०पी० मेनन ने कई रियासते का तूफानी दौरा किया। ट्रावन कोर, जोधपुर, भोपाल और इन्दौर के शासक कुछ आनाकानी के उपरान्त भारत अधिराज्य मे शामिल हुए। 14 अगस्त, 1547 ई० तक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ और काठियावाद की दो रियासतो को छोडकर लगभग सभी रियासते भारत राज्य मे सम्मिलित हो गयी। इस प्रकार 15 अगस्त, 1947 के दिन एक सगठित राष्ट्र का निर्माण हुआ।

भारत सघ मे सम्मिलित सभी रियासते केवल रक्षा, विदेश नीति और यातायात विभाग के सबध मे ही समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये थे अत यह समस्या का समाधान न होकर उसका मात्र सूत्रपात्र था समाधान होना तो अभी बॉकी था। देश की सुरक्षा, उसकी अखण्डता के साथ ही देश मे कानून व्यवस्था एव प्रगति की दृष्टि से भी जिस व्यावहारिक तालमेल की आवश्यकता थी वह इस समझौते से अथवा रियासतो की वर्तमान स्थिति मे सम्भव नही थी। सभी राज्यो के वायदे कानून अलग-अलग थे। शासन पद्धति, आबकारी, न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सरक्षण, रास्ते नहरे, विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास कही-कही दो-दो, चार-चार मील पर बदलती सरहदे आदि के प्रश्न सम्पूर्ण विकास मे बाधक थे फलत. सार्वभौम अखण्ड लोकशाही प्रजातत्र की भावना फलीभूत नही हो पा रही थी।

इसका एक मात्र उपाय था देशी राज्यो का विलीनीकरण। विभाजन के फलस्वरूप खडे हुए निराश्रितो का प्रश्न, शासन तत्र की स्थिरता, कानून और व्यवथा की पुन स्थापना जैसे तत्तकालीन ध्यान देने वाले प्रश्नो के हल होने पर सरदार ने देशी राज्यो का प्रश्न फिर हाथ मे लिया और विलीनीकरण की शुरुआत उडीसा तथा छत्तीसगढ से की।

---

३७ पटेल बाबू भाई जश भाई, व्याख्यान, उद्धत, सरदार साहित्य माला सम्पुट, 1983, पृ० 14

उन दिनो उडीसा तथा छत्तीस गढ राज्यो मे प्रजामडलो ने उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के लिए वन प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था। शासको ने भी राजभक्तो का दल बनाकर गुरखो की भर्ती की तथा धेनकतल के राजा से सहायता की याचना की। इस पर अक्टूबर के अन्त तक आदिवासियो ने इन राज्यो मे विद्रोह कर किसानो की भूमि तथा अन्न भडार पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया। इसके उपरान्त गॉवो पर आक्रमण करके लूटपाट भी शुरु कर दी।

बिहार सरकार से इन मामलो की शिकायत पाने पर सरदार ने बिहार सरकार के द्वारा बालासोर के कलेक्टर को नीलगिरि राज्य पर अधिकार करने का आदेश दिया फलत 14 नवम्बर, 1947 ई० को नीलगिरि पर अधिकार कर लिया गया।

इस समय बिहार के हीराकुण्ड बॉध के लिए सरकार किसानो की भूमि पर अधिकार कर रही थी। पटना के राजा ने किसानो की सरकार के विरुद्ध सक्रिय कदम उठाने के लिए भडकाया।

उन्ही दिनो यह भी पता चला कि बस्तर के शासक वहॉ की खनिज सम्पत्ति हैदराबाद के पास गिरवी रख रहे है। सरदार पटेल ने इसका कागजी सबूत पाने पर बस्तर के अन्य वयस्क राजा को दिल्ली बुला कर ऐसा न करने की चेतावनी दी।"

उडीसा के मुख्यमत्री हरे कृष्ण मेहताब से इन राज्यो के विरुद्ध इस प्रकार की अनेक शिकायते पाने पर सरदार ने उन सब राज्यो के सबध मे 20 नवम्बर 1947 को अपने अधिकारियो से परामर्श कर यह अनुभव किया कि राज्यो का आकार छोटा होने के कारण वह उत्तरदायी शासन के व्यय का भार सहन नही कर सकते। सरदार ने यह भी अनुभव किया कि प्रजा के सहयोग के बिना राज्यो मे कानून तथा व्यवस्था की स्थापना भी नही की जा सकती और ऐसी दशा मे भारत सरकार को उन राज्यो का शासन अपने हाथ मे लेने के लिए विवश होना पडेगा। इसका अतिम हल यही दिखलाई पडता है कि शासक गुजारा लेकर अपना-अपना राज्य भारत सरकार को सौप दे।

गुजारे के प्रश्न पर अनेक दृष्टिकोणो से विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि रियासत की वार्षिक आय के आधार पर गुजारे की रकम इस प्रकार निश्चित की

जाये कि "प्रथम एक लाख वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत, अगले चार लाख की आय पर 10 प्रतिशत तथा 5 लाख से अधिक की समस्त आय पर 7 1/2 प्रतिशत दिया जाये। यह भी निश्चय किया गया कि 10 लाख रुपये से अधिक किसी को भी न दिया जावे। इसके लिए वर्ष 1945-46 की आय को आधार माना गया। राजाओ की व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि के विषय मे भी उचित निर्णय किया गया।

इन सब तैयारियो के पश्चात् सरदार पटेल ने वी०पी० मेनन को साथ लेकर 13 दिसम्बर को कटक पहुँचे और 14 दिसम्बर को प्रथम छोटे-छोटे राजाओ की मीटिग बुलाकर उनके सम्मुख एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसमे उन्होने बतलाया कि—"राज्यो की अन्तरिम अशान्ति को दूर करने का उपाय केवल यही है कि या तो उनके शासन को भारत सरकार हस्तगत कर ले, अथवा वे स्वेच्छा से गुजरात लेकर अपना-अपन राज्य भारत सरकार को सौप दे।"[38] इस समय राजाओ को विलय सन्धि पत्र की प्रतिया भी दी गयी। पर्याप्त वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर के वाद उन सब राजाओ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके पश्चात् सरदार पटेल ने बडे राजाओ को बुलाकर उनसे भी वार्तालाप किया। वार्ता लम्बी चली लेकिन अन्त मे उन सभी राजाओ ने भी सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार 14 दिसम्बर, 1947 ई० को 23 राज्यो का उडीसा मे विलीनीकरण करके सरदार पटेल ने अपने अभियान का श्री गणेश किया।

दूसरे दिन 15 दिसम्बर, 1947 ई० को नागपुर पहुँच कर सरदार पटेल ने छत्तीसगढ के 38 राजाओ से मुलाकात करके तत्कालीन परिस्थितियो का वर्णन करते हुए उडीसा राज्य का उदाहरण रखकर विलीनीकरण की सन्धि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया जिसे स्वीकार कर राजाओ ने विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर दिये। ये सारा काम शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने के बाद सरदार 16 दिसम्बर, 1947 को दिल्ली लौट आये और उसी दिन राज्यो की समस्या को सुलझाने के सबध मे एक वक्तव्य दिया जिसमे उन्होने बतलाया कि "इस बात को सभी समझते है कि लोकतत्र और लोकतत्री सस्थाये कुशलतापूर्वक तभी काम कर सकती है जबकि जिस देश मे इनका प्रयोग किया जाय वह काफी हद तक आत्मनिर्भर हो किन्तु अधिकाश राज्य इतने छोटे है कि वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की सस्थाओं का व्यय

३८ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ०142

वहन नही कर सकते। ऐसी दशा मे उत्तरदायी शासन के लिए प्रजा का आन्दोलन इतना बढ सकता है कि राज्य के अस्तित्व तक को समाप्त होने की सम्भावना है।''[39] तद् उपरान्त सरदार पटेल ने राज्यो के विलयन की स्वीकृति गॉधी, माउण्टबेटेन और मत्रिमडल से भी ले ली। इस विलीनीकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महात्मा गॉधी ने कहा कि—

''सरदार ने तो बडे सस्ते मे ही यह सौदा निपटा दिया।''[40] अपने अनुभव के आधार पर सरदार ने सभी छोटी बडी रियासतो को निपटारा तीन आधारो पर किया। प्रथम कुछ को प्रान्तो मे मिला दिया द्वितीय कुछ को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र मे रखा और तृतीय कुछ को आपस मे मिलाकर एक सघ का निर्माण कर दिया।

उडीसा तथा छत्तीसगढ राज्यो के प्रान्तो मे विलय से सरदार पहले को वह मार्ग मिल गया, जिस पर चलकर देशो राज्यो की गम्भीर समस्या को सदा के लिए सुलझाया जा सकता था। अतएव उन्होने निश्चय कर लिया कि भारत के किसी भी देशी राज्य की स्वतत्र सत्ता न रहने दी जाय।

सौराष्ट्र सघ का निर्माण—उडीसा तथा छत्तीसगढ की सफलता के बाद सरदार पटेल ने काठियावाड की रियासतो की ओर ध्यान दिया जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से वरन् धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यह अनेक महापुरुषो की जन्मस्थली है। ''काठियावाड मे 14 सलामी वाले राज्य, 17 गैर सलामी राज्य, 191 छोटी रियासते तथा 449 ऐसी रियासते थी जिन्हे जमीदारो से अधिक, किन्तु राजाओं से कुछ कम अधिकार थे। इनमे से कई राज्यो के भाग दूसरे के भाग मे सम्मिलित थे। जिससे काठियावाड का मानचित्र 860 भागो मे बटा था।''[41] प्रत्येक कुछ मील पर अधिक क्षेत्र बदल जाने के कारण व्यापार, चुगी, न्याय तथा प्रशासन आदि की गम्भीर समस्याये थी। ''सरदार के अनुसार इस विभाजन से क्षेत्र का विकास पूर्णतया प्रभावित था।''[42] इस प्रकार की स्थिति राज्य और जनता दोनो के लिए

---

३९ भारत की एकता का निर्माण, सरदार वल्लभ भाई के भाषण, (1947 से 1950) प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 1970, पृ० 141

४० शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 145

४१ वही, पृ० 145

४२ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार पटेल, इन दि टियुन विद दि मिलियन्स, खण्ड 1, अहमदाबाद 1976, पृ० 77

अहितकर थी। अतएव उपरोक्त समस्याओ के समाधान के लिए सरदार पटेल ने काठियावाड की छोटी बडी सभी इकाईयो को मिलाकर एक सयुक्त काठियावाद की योजना बनायी। जिस पर सभी राजाओ ने 13 जनवरी, 1948 ई० को हस्ताक्षर करके इसका नाम सौराष्ट्र सघ रखा। 15 फरवरी, 1948 को भावनगर मे इसका उद्घाटन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि ''गॉधी जी का सपना था कि काठियावाद को एक किया जाय और मुझे प्रसन्नता है कि आज गॉधी जी का सपना साकार हुआ।''[43]

राजस्थान राज्य का निर्माण—राजस्थान मे 19 सलामी और 3 गैर सलामी रियासते थी। इन रियासतो का विलय पॉच चरणो मे हुआ। प्रथम चरण मे अलवरपुर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली रियासते को सम्मिलित कर 'सयुक्त मत्स्य' की स्थापना हुई। द्वितीय चरण मे कोटा, बासवाडा, बूँदी, डूगरपुर, भालावाड, किशनगढ, प्रतापगढ, शाहपुरा और टोक रियासते मिलकर सयुक्त राजस्थान सघ का निर्माण किया। तीसरे चरण मे उदयपुर को राजस्थान मे सम्मिलित किया गया और चतुर्थ चरण मे शेष बची हुई जयपुर, जोधपुर, बीकानेक तथा जैसलमेर की रियासते सम्मिलित हुई और 15 मई, 1949 को मत्यस्य क्षेत्र को विस्तृत राजस्थान मे शामिल किया गया। विस्तृत राजस्थान के निर्माण मे सरदार पटेल की बडी कठिनाइयो का सामना करना पडा तथा बीमारी ने उनकी कठिनाइयो को और बढा दिया। 14 जनवरी को उदयपुर मे भाषण करते हुए सरदार ने कहा था कि ''बहुत समय से हम तथा अनेक नरेश विस्तृत राजस्थान की कल्पना कर रहे थे। एक सामान्य भावना थी कि वर्तमान स्थिति मे अलग-अलग रहने से लाभ के बजाय हानि ज्यादा है। राजस्थान तथा भारत की भलाई के लिए सयुक्त राजस्थान अनिवार्य हो गया था।''[44]

विन्ध्य प्रदेश—सरदार पटेल ने विन्ध्य प्रदेश की स्थापना हेतु मेनन को बुन्देलखड भेजा। उनके समझाने पर बुन्देलखड तथा बघेलखड के सभी 38 रियासतो के राजा ने 2 अप्रैल, 1948 के सयुक्त विन्ध्य प्रदेश की स्थापना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इसका उद्घाटन वी०एन० गाडगिल ने किया। इस अवसर पर अपने लिखित सन्देश मे सरदार पटेल ने कहा कि—

---

४३ वही, पृ० 83

४४ वही, भाग दो, पृ० 35-39

"एकता तथा प्रजातान्त्रिक ढॉचा व्यर्थ है। यदि वह सामान्य जनता के जीवन मे परिवर्तन नही लाता या पिछडे हुए क्षेत्र का विकास नही करता।"[45]

मध्य भारत—सरदार पटेल ने इन्दौर और ग्वालियर के प्रतिनिधियो को समझाकर, इस क्षेत्र की 25 छोटी बडी रियासतो को मिलाकर 28 मई, 1948 ई० को सबसे विस्तृत सघ मध्य भारत का निर्माण किया गया। दोनो राजघरानो मे मतभेद के कारण पूर्व मे दो सघ बनाने का प्रस्ताव था। 4 दिसम्बर, 1948 को मध्य भारत की धारा सभा का उद्घाटन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

"उन्हे अनुभव नही करना चाहिये कि उन्होने अपनी शक्तियो को त्याग कर कोई भूल की है। बल्कि उन्हे एक अच्छा कार्य करने पर गर्व करना चाहिये।"[46]

पाटियाला तथा पूर्वी पंजाब सघ (पेप्सू)—अनेक प्रकार के प्रस्तावो पर विचार करने के उपरान्त यह तय किया गया कि पूर्वी पजाब तथा हरियाणा को छुए बिना पटियाला सहित सभी राज्यो का एक सघ बना दिया जाय। जिसका नाम 'पटियाला तथा पूर्वी पजाब राज्य' रखा गया। इस क्षेत्र की सभी रियासते पटियाला, सिन्ध, नभा, फरीदकोट, मलेर कोटला तथा कपूरथला के अतरिक्त दो गैर सलामी रियासते कलसिया व नालागढ ने 5 मई, 1948 को हस्ताक्षर कर दिये। 15 जुलाई को सघ का उद्घाटन करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि—

"वहॉ की जनता का उत्तरदायित्व अधिक है क्योकि उनका पडोसी एक ऐसा देश है जिससे भारत के सबध "विश्वास तथा मैत्री के नही है।"[47]

ट्रावनकोर तथा कोचीन संघ—13 अप्रैल, 1949 को ट्रावनकोर तथा कोचीन दोनो रियासतो के मत्रियो ने सरदार पटेल से भेट कर एक सघ बनाने की अनुमति मॉगी। ट्रायन कोर के राजा को इसका प्रमुख बनाया गया। सरदार की अस्वस्थता के कारण इसका उद्घाटन 1 जुलाई, 1949 को भी मेनन ने किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सरदार पटेल ने अपने सन्देश मे कहा कि—

४५ वही, भाग एक, पृ० 94-96

४६ वही, पृ० 122-123

४७ वही, पृ० 107

"आज इस सुखद अवसर पर सपूर्ण भारत को गर्व है क्योकि रियासतो के एकीकरण की नीति का वह अतिम चरण है जिसका श्री गणेश अठारह माह पूर्व शुरू हुआ था।"[48]

इस प्रकार काश्मीर को छोडकर जिस पर उन्होने जवाहर लाल की अस्वीकृति, सहमति के कारण तथा नेहरू द्वारा समास्या को अपने हाथ मे ले लेने के कारण हाथ नही डाला। देश मे स्थित सभी 562 रियासतो को जो ब्रिटिश भारत मे अग्रेजो और अग्रेजी राज्य की सुदृढ चौकिया थी, तोडकर स्वराज्य और स्वाधीनता की सुदृढ नीव रखते हुए अखण्ड भारत का निर्माण किया।

राज्यो के विलीनीकरण की भावना का वास्ता देते हुए नवानगर के जान साहब, जो कठियावाद सघ के राज प्रमुख बने और चैम्बर ऑफ प्रिसेज के अध्यक्ष थे। सौराष्ट्र की ईकाई की रचना के वक्त कहा था कि—

"काठियावाद के राजाओ की ओर से मै यह कहना चाहता हूँ कि हम राज्य करते-करते थक नही गये थे। यह बात भी नही थी कि धाक-धमकी या दबाव डालकर सरदार पटेल ने हमसे गद्दी का त्याग कराया हो, बल्कि हमने स्वय अपनी मर्जी से अपनी सर्वोपरिता का त्याग किया है और नये राज्य का निर्माण किया है।"

थ्रागध्रा नरेश के कथनानुसार—

"सरदार जी की शान्त प्रकृति और असाधारण नम्रता ने देशी राजाओ के दिल पर इतना प्रभाव डाला कि वे इतने महान स्वार्थ त्याग के लिए तत्पर हो गये और उनके एकीकरण कार्य मे उन्होने सहयोग दिया।

विलयन का परिव्यय—अपने रियासतो के एकीकरण अभियान के समय विलीनीकर के लिए राजाओ को प्रेरित करते हुए सरदार पटेल ने इसके बदले प्रतिफल के रूप मे प्रिवीयर्स, निजी सम्पत्तियो को रखने की छूट तथा कुछ वैयक्तिक अधिकार और प्रतिष्ठा वापस रखने की स्वतत्रता का वायदा किया था। एकीकरण के बाद काग्रेस के अन्दर वामपथी इसके विरुद्ध थे और उन्होने सरदार पटेल से सालियाना का करार रद्द करने या उसे बदलने का आग्रह किया तो सरदार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि—"स्वराज्य का आरम्भ मै अप्रामाणिकता नही करना चाहता हूँ।"[49] आगे उन्होने कहा कि—

---

४८ वही, भाग-दो, पृ० 74

४९ पटेल, बाबू भाई जश भाई, व्याख्यान, उद्धत सरदार साहित्य माला सम्पुट, 1983, पृ० -14

"यदि सलाह सम्मति से समाधान न हुआ होता तो आज की अपेक्षा उस समय सघर्ष करने की शक्ति राजाओ मे अधिक थी। उन्हे न्याय देना उचित है। उनकी जगह अपने आप को रखे और तब उनके त्याग का मूल्याकन करे। राजाओ ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उन्होने अपनी सत्ता और अधिकार छोड दिये है और राज्यो के विलीनीकरण की सम्मति ही है। करार के अनुसार हमने जो उत्तरदायित्व लिया है तथा उन्हे जो विश्वास दिलाया है उसे सालियाना अदा करके पूरा निभाना है। इसे पूरा न करने मे हमारी विफलता और विश्वास भग गिना जायेगा।"[50]

सालियाना का निश्चय अलग-अलग रियासतो के साथ हुआ। इसके लिए एक विशेष सिद्धान्त भी निकाला गया। 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाली रियासतो के शासको को 1,30,000 रुपये वार्षिक सालियाना देना निश्चित हुआ 450 रियासते इसके तहत आयी। 11 रियासतो मे निश्चित सीमा से 10 लाख रु० अधिक सालियाने का प्रबन्ध किया गया और प्रत्येक का निश्चिय अलग-अलग निम्न प्रकार से हुआ।[51]

"ग्वालियर (25 लाख), इन्दौर (15 लाख), पटियाला (17 लाख), बडौदा (26 5 लाख), जयपुर (18 लाख), जोधपुर (17 5 लाख), बीकानेर (17 लाख), ट्रावनकोर (18 लाख), भोपाल (11 लाख), मैसूर (26 लाख), और हैदराबाद (50 लाख)। ये सालियाना रियासतो की मुद्रा मे दिए गये। 91 शासक ऐसे थे जिनका सालियाना एक लाख या उससे अधिक वार्षिक था। जबकि 47 शासक एक लाख से दो लाख के बीच, 31 शासक 2 लाख से 5 लाख मे बीच तथा 13 शासक 5 लाख मे 10 लाख के बीच सलियाना पाने के हकदार हुए। 50 हजार से अधिक और एक लाख के कम पाने वाले 56 शासक तथा 50 हजार से कम सालियाना पाने वाले शासको की सख्या 396 थी।"[52]

इसके अलावा शासको को वे निजी सम्पत्तियॉ भी उन्हे दी गयी जो समझौता करने की तिथि को उनके वैयक्तिक नाम से थी। राज्य प्रमुखो की निजी सम्पत्ति का निश्चय अधिकाशत सरदार पटेल द्वारा ही किया गया। यह सालियाना क्रमश. घटने वाला था।

---

५० मेनन, वी०पी०, दि स्टोरी ऑफ दि इटीग्रेशन ऑफ दि इडियन स्टेट्स, कलकत्ता, 1956, पृ० 488

५१ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 161

५२ वही, पृ० 161

अक्टूबर 1949 ई० मे सविधान सभा मे सरदार जी ने बताया था कि "भारतीय स्वतत्रता के कानून ने राज्यो को तमाम बन्धनो से मुक्त कर दिया था। राष्ट्र के हित के लिए घातक सिद्ध होने वाले, स्वतत्र होने का निर्णय यदि राजाओ ने किया होता तो इस देश के हित शत्रु अनेक तत्वो का साथ उन्हे मिल गया होता। राजाओ ने अपनी शासन सत्ता सौप कर भारत मे शामिल होने का करार स्वीकार करके अपने कर्तव्य का पालन किया है राजा सम्मानपूर्वक हट गये है।"

1950 के श्वेत पत्र के उपोद्‌घाट मे सरदार जी ने बताया कि जो सिद्धि प्राप्त हुई है वह क्रान्ति से कोई कम नही है। हैदराबाद मे कुछ किस्से ऐसे हुए जो मन को चुभे। इसे छोड दे तो यह क्रान्ति इतनी सरलता और शाति से हुई है कि ईस महान सिद्धि का स्पष्ट ख्याल आना कठिन है क्योकि हम इन घटनाओ के अत्यन्त निकट रहे थे।

राजाओ के दिल मे इस सन्धि के विषय मे जो भावना थी उसे वास्ता देते हुए अल्बर नरेश ने कहा कि—

"सरदार साहब हमारे बुजुर्ग रहे। माता-पिता जैसे उन्होने हमारे साथ प्रेम का बर्ताव किया। उन्होने हमे प्रेम और वात्सल्य भाव से जीत लिया। हमारे ह्रदय मे हमारे हित की बात उतरी। सरदार साहब ने हम पर किसी प्रकार का दबाव नही डाला। हमे ऐसा लगा था कि हमारे दिल दु खा कर, सत्ता के बल पर हमे सतायेगे तो सन् 57 का विद्रोह जैसे हुआ था वैसा विद्रोह भी भारतीय सरकार के खिलाफ राजा करेगे। लेकिन सरदार साहब ने सत्ता का डडा नही चलाया उन्होने अपनी प्रेम गगा हमारे जीवन मे बहाई। हमे अपना सच्चा स्वार्थ समझाया और माता-पिता जिस प्रकार अपने लडको को सतुष्ट करते है उस प्रकार उन्होने हमे सतुष्ट किया। सरदार साहब ने तो हमारी मिलकत और राजसत्ता दोनो का हमसे देश को समर्पण कराया ऐसा समर्पण देश प्रेम और उदारता के सिवाय नही हो सकता।"[53]

20 मार्च, 1948 को 'मत्स्य सघ' का उद्‌घाटन करते हुए बी०एन० गाडगिल ने कहा था कि—

---

५३ व्याख्यान, पटेल, बाबू भाई जश भाई (31-10-1986)

यदि महात्मा गॉधी हमारी स्वतत्रता के निर्माता है तो वल्लभ भाई पटेल भारतीय सघ के विश्वकर्मा है।''[54]

सरदार जी की सिद्धियो को अजलि देते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री वी०वी० गिरि ने नवम्बर, 1973 ई० मे कहा था कि—

''यह अत्यन्त उपयुक्त है कि सरदार भारत की एकता के सर्जक माने जाते है। उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ, प्रखर राष्ट्र भावना, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और जबरदस्त प्रबन्ध कुशलता ने उन्हे दुनिया के बडे से बडे महापुरुषो मे एक सिद्ध कर दिया है। सरदार अपनी सम्पूर्ण योग्यता का उपयोग भारत को एक और अखड राष्ट्र बनाने मे किया है।''[55]

श्री बी० शकर के कथना अनुसार—

''इतने कम समय मे सरदार ने जो जादू कर दिखाया वह इतिहास के पृष्ठ मे अमिट रूप से लिखा जायेगा। इस घटना से महान घटना सारे विश्व मे आज तक नही हुई।''[56]

कुछ लोग सरदार की इस सिद्धि की तुलना जर्मनी के विस्मार्क द्वारा प्राप्त सिद्धि से करते है। यह तुलना करने वाले इस बात को भूल जाते है कि विस्मार्क ने तो सेना के बल पर धाक जमायी और अत्याचार से कुछ छोटे राज्यो को दबाकर जर्मनी का एकीकरण किया जिससे सरदार की तुलना कदापि नही हो सकती। सरदार ने जिन 562 रियासतो को एक किया उसमे से एक रियासत तो फ्रास से भी बडी थी। बडौदा, ट्रावनकोर और मैसूर इन राज्यो को ही मिलाये तो समग्र जर्मनी से भी अधिक बडा प्रदेश बनता है। ऐसे राज्यो को सरदार ने प्रेम से जीता। केवल हैदाबाद मे ही थोडा सा बल प्रयोग करना पडा। इस सबध मे मोरार जी देसाई का कथन है कि ''विस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया परन्तु अधिक समय लिया और वह भी एक छोटे देश मे जहॉ कुछ ही राज्य थे। एक ही धर्म के लोग थे। परन्तु पटेल ने यह कार्य एक विशाल देश जहॉ विभिन्न धर्म तथा भाषा के लोग थे और देश प्रति अधिक देश भक्ति भी नही थी, वहॉ किया।''[57]

---

५४ मेहरोत्रा, एव कपूर, पूर्वो, पृ० 163
५५ वही, पृ० 163
५६ वही, पृ० 163
५७ वही, पृ० 163

बडौदा—बडौदा के महाराज सर हर प्रताप सिह गायकवाड सुप्रसिद्ध महाराज सर सयाजी राव गायकवाड के पुत्र थे जिन्होने 1939 ई० मे गद्दी सम्भाली। यद्यपि भारतीय सविधान की रचना होने पर देशी राज्यो की ओर से सर्वप्रथम उन्होने ही अपना प्रतिनिधि भेजा था, साथ ही उन्होने अगस्त, 1947 मे अग्रेजो के भारत छोडने पर भी भारत के साथ सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर करके अन्य राजाओ का मार्ग प्रशस्त किया था, किन्तु बाद मे जब भारत, पाकिस्तान और जूनागढ के कारण समस्या मे पड गया तो उन्होने भारत के साथ सौदेबाजी करके अपने सभी किये कराये पर पानी फेर दिया। वह अपने राज्य का विस्तार तो चाहते ही थे साथ ही अपनी सेना को भी विस्तृत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वह गुजरात तथा काठियावाद के 'किग' बनना चाहते थे। अपनी यह इच्छाये उन्होने 2 सितम्बर, 1947 ई० को सरदार पटेल को लिखे हुए पत्र मे प्रकट की थी। पत्र मे उन्होने लिखा कि—

"मेरे दीवान कल आये और मुझसे मिले। उन्होने जूनागढ की सारी बाते सुनायी। ऐसे नाजुक समय मे गुजरात और काठियावाद मे सम्पूर्ण शान्ति बनी रहे और कानून तथा व्यवस्था टिकी रहे। इसकी पूरी जिम्मेदारी बडौदा राज्य निम्न शर्तो पर लेने को तैयार है—

1 महीकठा, साबरकाठा, रेवाकठा, पालनपुर, पश्चिमी भारत के राज्यो और गुजरात के राज्यो पर भारत सरकार आज जो सत्ता भोग रही है वह सारी सत्ता बडौदा राज्य के हाथ मे दे दे।

2 भविष्य मे किसी समय असाधारण परिस्थितियो मे जरूरत खडी हो तो भारत सरकार बडौदा राज्य को जरूरी सैनिक सहायता दे।

3 गुजरात और काठियावाड पर बडौदा की सार्वभौम सत्ता स्वीकार करने के अर्थ मे बडौदा के महाराजा समस्त गुजरात के महाराज माने जाय।

4 बडौदा राज्य सदा भारत सरकार का वफादार मित्र रहेगा और सुरक्षा, देश विदेश के सबधो तथा आन्तरिक व्यवहार के विषय मे सम्पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पूरा करेगा अर्थात् बडौदा राज्य भारत सरकार का अग बना रहेगा।"[58]

इस पत्र के जवाब मे सरदार पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि—

---

५८ पटेल, राव जी भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 278

"राज्य को बढाने की अपनी महात्वाकाक्षा से वे खतरे मे पड जायेगे, साथ ही भारत सरकार को उनकी मदद की जरूरत नही है।"[59]

जनवरी 1948 मे उनकी प्रजा ने उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन आरम्भ किया, जिसके लिए वह हारे मन से अप्रैल, 1948 मे तैयार भी हो गये। मई, 1948 ई० मे डॉ० राज वाण मेहता को अपना दीवान बनाकर यूरोप चले गये।

डॉ० जीव राज मेहता को चार्ज लेने पर पता चला कि महाराजा ने राज्य के सुरक्षित कोष से बहुत बडी रकम निकाली थी और वह अनेक रत्नो को भी बेच चुके थे। उधार की रकम 220 लाख रुपये थी। 29 मई, 1948 को उन्होने 105 लाख रुपये खजाने से और भी लिये। इस पर प्रजा के प्रतिनिधियो ने दीवान की अध्यक्षता मे एकत्रित होकर दो प्रस्ताव पास किये। एक मे उन्होने घोषणा की कि सर प्रताप सिह राज्य करने योग्य नही है और उनको अपने बडे पुत्र के पक्ष मे राज्य त्याग कर देना चाहिए। इस विषय पर भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि राज्य मे रिजेसी कौसिल बनाकर अल्पवयस्क शासक के स्वत्वो की रक्षा करे। और दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य के हिसाब की विस्तृत जॉच पडताल करके सुरक्षित कोष कीं रक्षा करे और महाराजा से उसकी क्षतिपूर्ति करवाये।

सर प्रताप सिह उपरोक्त प्रस्तावो को सुनकर यूरोप से लौट आये और दिल्ली आकर सरदार पटेल से मुलाकात की। अब वह अपने राज्य मे पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए सहमत हो गये और इस बात पर भी सहमत हो गये कि "राज्य के शासन का सचालन एक रिजेसी कौसिल करे जिसमे महारानी शान्ता देवी, दीवान जीवराज मेहता तथा न्यायमत्री हो।[60] वह इस बात से भी सहमत हो गये कि भारत सरकार राज्य के सुरक्षित कोष की जॉच पडताल करे, जिसके समस्त ऋण चुकाने का उन्होने वचन दिया। "भारत सरकार ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे कहा कि 1943 से 1947 तक के बीच खजाने से 6 करोड रुपये निकाले गये थे। साथ ही अनेक बहुमूल्य रत्न, प्रसिद्ध लडवाला मोतियो का हार, हीरो का हार तथा तीन अमूल्य रत्न हटाकर इग्लैण्ड भेज दिये थे।[61] बाद मे महाराज

---

५९ वही, पृ० 278

६० शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 153

६१ वही, पृ० 163

तथा उनके मत्रियो के मध्य मतभेद बढ गये। इस पर सरदार पटेल स्वय जनवरी 1949 मे बडौदा जाकर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् बम्बई प्रान्त मे बडौदा का विलय करने का निश्चय किया। राज्य की कौसिल ने 28 फरवरी, 1949 को सरदार के निश्चय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बडौदा राज्य का विलीनीकरण बम्बई प्रान्त मे हो गया। लेकिन 1950 ई० मे सरदार पटेल की मृत्यु के बाद एक बार पुन बम्बई के विलय विरोधी राजाओ का सघ बनाने का असफल प्रयास किया।

भोपाल - भोपाल का नबाव सर हमीद उल्ला खॉ 1926 ई० मे गद्दी पर बैठा था। अग्रेजो के भारत छोडते समय नवाब भोपाल नरेन्द्र मडल का चासलर था। भारत मे अन्तरिम सरकार बनने पर, तथा उसमे मुस्लिम लीग के न शामिल होने पर नवाब को बहुत दु ख हुआ। उन्होने वायसराय लार्ड बेवेल से जोड-तोड करके मुस्लिम लीग के अन्तरिम सरकार मे पिछले दरवाजे से प्रवेश कराया। 25 जुलाई, 1947 ई० मे जब राज्यो के भारत अथवा पाकिस्तान मे से किसी एक मे सम्मिलित होने के लिए मीटिग की गई तो वह उसमे सम्मिलित नही हुए, क्योकि वह सम्मिलन के विरुद्ध थे। नवाब की इच्छा भारत तथा पाकिस्तान दोनो से सबध स्थापित करने की थी। अधिकाश राज्यो के सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के बाद भी वह यही सोचते रहे कि वह सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करे। "बहुत सोचने विचारने के बाद दोनो पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होने इस बात का अनुरोध किया कि इस घटना को 10 दिन तक गुप्त रखा जावे।"[62]

अप्रैल 1948 ई० मे प्रजामडल ने उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया। इस पर नवाब सरदार साहब से परामर्श किया। इस परामर्श मे बहुत समय लगा। नवाब ने समझौते की एक-एक धारा पर वकीलो की भॉति बहुत अधिक वाद-विवाद किया। उसने इस बात पर भी बल दिया कि उसके राज्य के विलय की बात को अभी गुप्त रखा जाय। इस समय यह भी तय किया गया कि भोपाल के मध्य भारत मे विलीन न करके चीफ कमिश्नर के प्रान्त के रूप मे उसका प्रथम राज्य बनाया गया। बाद मे भोपाल 1 जून, 1949 को अधिगृहीत कर लिया गया और मध्य प्रदेश मे मिला दिया गया।

---

६२ वही, पृ० 15

भोपाल के नवाब ने कहा ''सरदार साहब, मैने तुम्हारा विरोध किया पर अब मै तुमसे हार गया हूँ और अपनी पराजय स्वीकार करता है।''[63] तब सरदार ने एक खिलाडी की भॉति जवाब देते हुए कहा कि ''यह न मेरी जीत है और न ही तुम्हारी, बल्कि यह सत्य की जीत है। जिसमे हम दोनो ने योग किया। तुमने साहसपूर्वक कदम उठाया, इसके लिए तुम अभिनन्दनीय हो। तुम्हारी प्रामाणिकता, हिम्मत और धैर्य की मै सराहना करता हूँ।''[64]

जूनागढ का विलयन :- जूनागढ काठियावाद की एक छोटी सी रियासत थी जो कराची से 300 किमी० दूर ऐसी रियासतो के मध्य बसा था, जो सभी भारतीय सघ मे समिलित हो चुकी थी। रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम आदि सेवाये जो जूनागढ मे थी, वे सब भारतीय सघ द्वारा सचालित होती थी। 1941 की जनगणना के अनुसार जूनागढ रियासत की जनसख्या 6,70,719 थी। जिसमे से 80 प्रतिशत हिन्दू थे, वहॉ हिन्दुओ और जैनियो के अनेक धर्मस्थल थे, तथा उसकी सीमा कही से भी पाकिस्तान से नही मिलती थी।''[65]

जूनागढ की विशेष स्थिति को देखते हुए भारत के राज्य विभाग ने प्रवेश लिखित पूर्ति हेतु भेजा। ''जूनागढ का शासक महावत खॉ रसूल खॉ को कुत्ता पालने का इतना शौक था कि वह निर्धन जनता को भूखा रखकर कुत्तो के लिए विशेष भोजन तथा गोश्त का आयात करता था।''[66] कुत्तो की शादी सरकारी खजाने से होती थी तथा उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता था। इस प्रकार मौज मस्ती मे व्यस्त रहने के कारण रियासत का सब कार्य उसने अपने दीवान सर शहनवाज हटो को दे दिया था जो जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रभाव मे था। 13 अगस्त, 1947 ई० को सर शहनवाज भुट्टो ने उत्तर दिया कि वह मामला विचाराधीन है। इसी बीच साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का होने के कारण भुट्टो ने 15 अगस्त, 1947 ई० को गुप्त रूप से जूनागढ का विलय पाकिस्तान मे कर दिया तथा बाबरिया बाढ व मगरोल रियासतो को भी पाकिस्तान मे शामिल होने के लिए बाध्य करने लगा। इस प्रकार भारत को अधेरे मे रखकर लिये गये इस निर्णय की जनता मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उसने विद्रोह कर दिया। नवानगर के शासक जाम साहब ने अपने वक्तव्य मे इसकी

---

६३ पटेल, बाबू भाई जश भाई व्याख्यान, उद्धत सरदार साहित्य सम्पुट माला, अहमदाबाद 1986 पृ० 18

६४ वही, पृ० 18

६५ पटेल, राव जी भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 240

६६ तहनकर, वी०पी०, सरदार पटेल, पृ० 226

भर्त्सना की तथा काठियावाद की एकता पर बल दिया। भावनगर, मोरवी, गोंडल, पोरबन्दर तथा वनमानकर के शासकों ने इस निर्णय की आलोचना की। नवाब ने भौगोलिक बाध्यता के तर्क का खंडन करते हुए पाकिस्तान के विलय के पक्ष में कहा कि—

''भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक शासक के लिए विलय संबंधी निर्णय के पूर्व जनता से परामर्श लेने का प्रावधान नहीं है।''[67] जाम साहब दिल्ली आये तथा सरदार पटेल और राज्य विभाग की जनता की भावनाओं, हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार तथा हिन्दुओं के वहाँ से पलायन से अवगत कराया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि यदि शीघ्र कार्यवाही न की गयी तो काठियावाद क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना कठिन हो जायेगा।

17 सितम्बर, 1947 ई० को भारतीय मंत्रिमंडल ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लेने का निर्यण किया। इसी बीच मुम्बई में सामलदास के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय अस्थायी सरदार गठित हो गयी। काठियावाद की अनेक रियासतों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। 28 सितम्बर को अस्थायी सरकार ने अपना मोर्चा बम्बई से हटाकर राजकोट में स्थापित कर लिया।

इधर जूनागढ़ ने बाबरिया बाढ़ में सेना भेजकर हस्तक्षेप किया तथा 51 ग्रामों के मलागिरावासियों को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए बाध्य किया। मंगोल के नरेश को भी भारत संघ में विलय के समझौते को तोड़ने के लिए बाध्य किया। तद् उपरान्त जूनागढ़ के दीवान ने भारत को सूचित किया कि—

''बाबरिया बाढ़ तथा मंगोल जूनागढ़ के अभिन्न भाग हैं और उनका भारत संघ में प्रवेश असंवैधानिक था।''[68]

भारत ने उपरोक्त क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने की जूनागढ़ से माँग की जिसे दीवान ने अस्वीकार कर दिया। इस पर सरदार पटेल ने जूनागढ़ की उपरोक्त कार्यवाही को आक्रमण की संज्ञा दी तथा उसके विरुद्ध शक्ति प्रयोग का निर्णय किया जिसका ''माउण्ट बेटेन ने विरोध करते हुए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजने पर बल दिया।''[69]

---

६७ मेनन, वी०पी०, दि स्टोरी ऑफ दि इंटीग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स, कलकत्ता, 1956, पृ०128

६८ वही, पृ० 137-138

६९ वही, पृ० 138

मन्त्रिमडल के निर्णयानुसार सरदार पटेल ने गुरुदयाल सिह के नेतृत्व मे सेनाये जूनागढ के समीप भेज दी तथा सचार व्यवस्था का विच्छेद कर दिया साथ ही आर्थिक नाकेबन्दी कर दी। 25 अक्टूबर को अस्थायी सरकार की सेना की चार टुकडियो ने अमरपुर गॉव पर अधिकार कर लिया तथा दूसरे दिन 23 अन्य गॉवो पर भी अधिकार कर लिया। स्थिति को नियत्रण से बाहर होते देखकर नवाब अपने परिवार, कुत्तो तथा गहने तथा एक करोड आदि लेकर कराची भाग गया। "भागते समय उसके प्रधानमत्री ने 7 नवम्बर को कहा कि मै भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह राज्य के शासन को अपने हाथ मे लेकर व्यवस्थित करे।"[70]

परिणामस्वरूप 7 नवम्बर, 1947 ई० को वहॉ का शासन सम्भाल लिया तथा सामलदास गॉधी सहित तीन प्रतिनिधियो की सरकार अपने प्रशासक की अधीनता मे स्थापित कर दी। 13 नवम्बर, 1947 को सरदार पटेल जूनागढ गये जहॉ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानो को परामर्श देते हुए कहा कि "जो लोग अब भी राष्ट्र के सिद्धान्त को मानते है और सहायता के लिए बाह्य शक्ति की ओर देखते है, उनके लिए काठियावाद मे कोई स्थान नही है।"[71] और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा कि—

"जो लोग भारत के प्रति निष्ठा नही रखते है, या पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते है उन्हे नवाब का रास्ता अपनाना चाहिये, उन्हे पाकिस्तान चले जाना चाहिये।"

साथ ही पाकिस्तान को भारत के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने की चेतावनी भी दी।

प्रारम्भ मे जनमत सग्रह के पक्ष मे सरदार पटेल नही थे परन्तु बाद मे मेनन से विचार के बाद जनमत सग्रह की बात स्वीकार कर ली। फलत 20 फरवरी, 1941 ई० को जूनागढ मे जनमत सग्रह हुआ जिसमे भारत मे पक्ष मे 1, 19, 729 मत तथा पाकिस्तान के पक्ष मे 91 मत पडे। 20 फरवरी, 1949 ई० को जूनागढ सहित ग्यारह रियासतो का सौराष्ट्र मे विलय कर दिया गया।

इस प्रकार हम देखते है कि जूनागढ की समस्या सरदार पटेल की सूझ-बूझ तथा

---

७० शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 147

७१ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 148

निर्णय लेने की क्षमता, अदम्य साहस के कारण समाप्त हो गयी। यदि वे माउण्ट बेटेन के इस विचार को कि इस मामले को सयुक्त राष्ट्र सघ को सौप देना चाहिए स्वीकार कर लेते तो काश्मीर की भॉति वह समस्या भी भारत के लिए सरदर्द बनी रहती।

हैदराबाद का बिलय :- भारत के बीचो बीचो-स्थित है हैदराबाद राज्य देशी राज्यो मे सबसे बडा था। निजाम की गिनती दुनिया के धनाढ्य व्यक्तियो मे होती थी। इसे भारत का ह्रदय कहा जा सकता था। इसके उत्तर मे मध्य प्रान्त दक्षिण मे मद्रास प्रान्त, तथा पूर्व मे उडीसा राज्य थे। इस राज्य की जनसख्या मे हिन्दू 85 प्रतिशत थे लेकिन उनकी परतत्रता की बेडियो मे जकडा गया था। नागरिक सेवाओ, पुलिस तथा सेना मे मुसलमान ही रखे गये थे। उनकी शिक्षा की व्यवस्था नही थी तथा उनको अन्य बातो से भी वचित किया गया था। यहॉ तक कि 1946 ई० मे बनाई हुई विधान सभा के कुल 132 सदस्यो मे से 71 सदस्य मुसलमान थे जबकि हिन्दुओ की सख्या 61 थी। अतएव हिन्दुओ मे असन्तोष की भावना थी।

वर्तमान निजाम उस्मान अली खॉ 29 अगस्त, 1911 ई० को गद्दी पर बैठा था। 3 जून, 1947 ई० को ब्रिटिश सरकार की भारत को राजनीतिक सत्ता सौपने की घोषणा के बाद निजाम ने स्पष्ट किया कि वह भारत अथवा पाकिस्तान किसी की भी सविधान परिषद् मे अपने प्रतिनिधि नही भेजेगा और 15 अगस्त, 1947 को सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र कहलायेगा। किन्तु भारतीय स्वतत्रता अधिनियम की धारा 7 उसकी इस इच्छा मे बाधक थी। अतएव 11 जुलाई को उसने एक प्रतिनिधि मडल नवाब छतारी की अध्यक्षता मे भारत सरकार के पास वार्ता हेतु दिल्ली भेजा। इस प्रतिनिधि मडल ने भारत सरकार के सम्मुख मॉग रखी कि नगर नीजाम को वापिस किया जाय तथा हैदाराबाद को औपनिवेशिक स्वतत्रता दी जाय। वह सम्मिलित समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता था। किन्तु सरदार का रुख स्पष्ट था। उन्होने सम्मिलित समझौते पर हस्ताक्षर करने का जोर दिया और 25 जुलाई, 1947 को नवाब छतारी को नरेन्द्र मडल की वार्तालाप समिति मे सम्मिलित कर लिया। किन्तु नवाब छतारी ने उसमे भाग नही लिया और हैदराबाद प्रतिनिधि मडल बिना किसी समझौते के वापस आ गया। सरदार ने "हैदराबाद को अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए दो महीने का समय दिया।"[72]

---

७२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली, 1963, पृ० 161

भारत सरकार और निजाम के मध्य 29 नवम्बर, 1947 ई० को एक 'यथास्थिति समझौता' हुआ। जिसके अनुसार यह तय हुआ कि "15 अगस्त, 1947 के पूर्व तक हैदराबाद से पारस्परिक सबध की जो व्यवस्था थी वह बनी रहेगी। सुरक्षा, परिवहन और वैदेशिक सबध पर कोई नयी व्यवस्था नही की जायेगी।"[73] समझौते का पालन हो रहा है कि नही इसकी देखभाल के लिए दिल्ली मे हैदराबाद के तथा हैदराबाद मे दिल्ली के एक-एक प्रतिनिधि रखे जायेगे। सरदार पटेल ने के०एम० मुशी को भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर हैदाराबाद भेजा। समझौता करते वक्त सरदार पटेल ने आशा व्यक्त की थी कि—

"एक वर्ष के काल मे हम दोनो के बीच निकट सबध स्थापित हो जायेगे और आशा है कि इसके परिणामस्वरूप स्थायी रूप से भारतीय सघ मे हैदराबाद शामिल हो जायेगा।"[74]

समझौते के तुरन्द बाद से ही निजाम ने "इसका उल्लघन शुरू करते हुए दो अध्यादेश जारी कर दिया तथा पाकिस्तान से 20 करोड रुपये ऋण के तौर पर लिये तथा भारत सरकार से पूछे बगैर पाकिस्तान मे एक जनसम्पर्क अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी।"[75]

इसी बीच हैदराबाद मे 'इन्निहादुल मुसलमीन' नामक एक साम्प्रदायिक सगठन ने साम्प्रदायिक विष फैलाना आरम्भ कर दिया। सैयद कासिम रिजवी इस सगठन का अध्यक्ष था। उसने 'रजाकर नाम से एक स्वयसेवी सैनिक सगठन भी बनाया हुआ था।"[76]

इन लोगो के आतक तथा साम्प्रदाइक अत्याचारो से हैदाराबाद के हिन्दुओ मे असन्तोष बढता जा रहा था यह सगठन खुलेआम भारत सरकार व हिन्दुओ से घृणा का प्रचार करता था। "28 फरवरी, 1948 को के०एम० मुशी ने निजाम के प्रधानमत्री लायक अली को पत्र लिखकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया।"[77] 15 मार्च, 1948 को एन० वी० गाडगिल ने ससद को सूचित किया कि हैदराबाद शर्तो का पालन नही कर रही है। अत सकट बरकरार है। 16 अप्रैल, 1948 ई० को सरदार ने लायक अली से रिजवी के इस भाषण पर आपत्ति की जिसमे रिजवी ने कहा था कि—

---

७३ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 149

७४ वही, पृ० 149

७५ वही, पृ० 149-150

७६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 161

७७ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार पटेल, इन दि टियुन विद दि मिलियन्स, खण्ड-एक, अहमदाबाद, 1974, पृ० 168-169

"यदि भारतीय सघ हैदराबाद मे हस्तक्षेप करेगा तो उसे वहॉ 1 50 करोड हिन्दुओ की हाड्डियो और राख के अलावा कुछ नही मिलेगा।"[78] साथ ही सरदार ने लायक अली को चेतावनी देते हुए कहा कि "मै आपको असमजस की स्थिति मे नही रखना चाहता। हैदराबाद की समस्या उसी प्रकार हल होगी जैसी कि अन्य रियासतो की। कोई दूसरा विकल्प नही है। हम कभी भारत के अन्दर एक स्वतत्र राज्य के लिए सहमत नही हो सकते जिससे भारतीय एकता भग हो जिसे हमने खून पसीने से बनाया है। हम मैत्रीपूर्ण ढग से एव सहयोग से समस्या को सुलझाना चाहते है, पर इसका अभिप्राय यह नही है कि हम कभी भी हैदराबाद की स्वतत्रता पर सहमत हो जायेगे। हैदराबाद का स्वतत्र अस्तित्व का प्रयास सदैव असफल रहेगा।"[79]

"इसके पूर्व 23 से 25 अक्टूबर तक निजाम की अध्यक्षता मे व्यवस्थापिका समिति ने अपने 9 सदस्यो मे से 6 के विरुद्ध तीन मतो से निर्णय लिया था कि सम्मिलन करार पर हस्ताक्षर कर दिये जाय। निजाम ने 25 अक्टूबर, 1947 ई० के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था और कुछ मामूली सुधारो की सूचना के साथ उस पर दस्तखत करने का वचन दिया।"[80] और यह निश्चित हुआ कि 27 अक्टूबर, 1947 ई० को प्रतिनिधि मडल निजाम के हस्ताक्षरो वाला करार लेकर नयी दिल्ली जायेगा। परन्तु "27 अक्टूबर को सुबह कासिम रिजवी ने 20 से 25 हजार रजाकारो को हैदराबाद की सडको और गलियो मे कूच करने का आदेश दिया। वे सडको, गलियो, कूचो और खास तौर पर छतारी के नवाब सर रॉबर्ट और सर सुल्तान अहमद के बगलो के आस-पास भाले और नगी तलवारे लेकर घूमने लगे और 'डेलीगेस को नयी दिल्ली न भेजा जाय' के नारे लगाने लगे।"[81] अन्तत कासिम से डरकर निजाम ने भारत सरकार के साथ समझौता करने से इन्कार कर दिया था।" कम्युनिस्टो के सहयोग से कासिम ने हिन्दुओ पर भयकर अत्याचार किये।"[82] हैदराबाद की समस्या दिन-प्रतिदिन भयकर होती जा रही थी। पाकिस्तान से चोरी छिपे हथियार भेजे जा रहे थे। सीमाओ पर गडबडी पैदा की जा रही थी। हजारो काग्रेसी कार्यकर्ताओ को

---

७८ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 150

७९ वही, पृ० 150

८० पटेल, राव जी भाई म०, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1994, पृ० 316-317

८१ वही, पृ० 318

८२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 171

जेल मे डाल दिया गया था। इस बीच सीमा सघर्ष और बढ गये तथा मद्रास से बम्बई जाने वाली एक रेलगाडी पर हैदराबाद राज्य के अन्दर गगापुर मे आक्रमण करके दो लोगो को मार डाला गया। इस काण्ड मे 11 अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए तथा 13 लापता हुए जिनमे 4 महिलाओ तथा दो बच्चे भी शामिल थे। जब घटना हो रही थी तो उस समय एक पुलिस अफसर भी बन्दूक लिये हुए प्लेटफार्म पर उपस्थित था किन्तु इस आक्रमण को वह चुपचाप देखता रहा। सरदार उस समय मसूरी मे थे।

13 जून, को लार्ड माउण्टबेटेन, नेहरू और मेनन सरदार पटेल से मिलने देहरादून गये। इस मुलाकात मे सरदार साहब ने माउण्टबेटेन को हैदराबाद से समझौता करने का अधिकार दिया। माउण्ट बेटेन तथा निजाम के सलाहकार सर वाटर माकटन ने समझौते का प्रारूप तैयार कर लिया तथा निजाम ने प्रधानमत्री लायक अली की स्वीकृति की प्राप्त कर ली। तद् उपरान्त समझौते के कुछ प्रावधानो से असहमत होते हुए भी सरदार पटेल ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी, परन्तु निजाम ने समझौते को अस्वीकार कर दिया। यह समझौता भारत सरकार ने झुककर किया था। फलत उसे घोर निराशा हुई।

21 जून, 1948 को माउण्टबेटेन के स्थान पर राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। हैदराबाद की स्थिति और बिगड गयी। काग्रेस सस्था को अवैध घोषित किया जा चुका था तथा उस पर प्रतिबध लगा दिया गया था। कासिम ने उन मुसलमानो के ऊपर भी अत्याचार शुरू कर दिया था जो उससे सहमत नही थे। कासिम ने अपने एक भाषण मे कहा कि—

"जो मुसलमान उनके विरुद्ध हाथ उठायेगे उनके हाथ काट लिये जायेगे।"[83] भारत सरकार द्वारा रजाकारो के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने की सर्वत्र निन्दा हो रही थी। इसी बीच 28 सितम्बर, 1948 ई० को हैदराबाद सरकार के प्रतिनिधि ने मामले को सयुक्त राष्ट्र सघ मे ले जाने की सूचना दी। इस दौरान भारत सरकार के रजाकारो के आतक के सबध मे कई पत्र निजाम को लिखे और उसके माध्यम से रजाकारो पर प्रतिबन्ध लगाने की मॉग की। निजाम ने रजाकारो के अत्याचारो की घटना को कोरी कल्पना बताते हुए प्रतिबन्ध लगाने से इन्कार कर दिया।

---

८३ मुन्शी, के० एम०, इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमेन्ट्स, वाल्यूम -1 बम्बई, 1967, पृ० 170

अगस्त के अन्त तक हैदराबाद की स्थिति बडी विस्फोटक हो गयी। अत सरदार ने अतत बल प्रयोग का फैसला किया और कहा कि निजाम को बता दिया जाय कि भारत सरकार के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। "नेहरू ने मत्रिमडल की रक्षा समिति की बैठक मे सरदार के निर्णय का विरोध किया। समिति की बैठक मे वाद विवाद इतना उग्र हो गया कि सरकार पटेल ने क्षुब्ध होकर अपना त्यागपत्र दे दिया और रक्षा समीति की बैठक से उठकर चले गये। दूसरे दिन तत्कालीन गवर्नर जनरल राजागोपालाचारी ने मना कर सरदार को पुन बैठक मे वापस लाये। इसी दिन कनाडा के राजदूत ने नेहरू से रजाकारो द्वारा ईसाई महिलाओ के ऊपर आक्रमण किये जाने की शिकायत की तब जाकर नेहरू ने भारी मन से बल प्रयोग की सहमति सरदार पटेल को दी।"[84]

सरदार पटेल ने सेनाओ को आज्ञा दी कि 13 सितम्बर को हैदाराबाद पर चढाई कर दी जाय। अत अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेजर जनरल जे०एन० चौधरी के कमान मे सेनाओ ने हैदराबाद पर दो ओर से कूच कर दिया। "एक दल शोलापुर से हैदराबाद की ओर चला यह दूरी 186 मील की थी तो दूसरा दल वेसवाडा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। यह दूरी 106 मील थी।"[85] 13 और 14 सितम्बर को कुछ हल्का फुल्का प्रतिरोध हुआ। 108 घटे की सैनिक कार्यवाही के बाद 17 सितम्बर को हैदाराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरान्त 18 सितम्बर को भारतीय सेना जनरल चौधरी के नेतृत्व मे हैदराबाद मे प्रवेश किया। इस कार्यवाही मे भारतीय सेना को मामूली नुकसान हुआ जबकि रजाकारो के 800 सैनिक मारे गये।

1 अक्टूबर, 1948 ई० को सरदार पटेल ने सेना के अधिकारियो को सम्बोधित करते हुए इन आरोपो का खडन किया कि भारतीय सेना ने हैदाराबाद पर आक्रमण किया। उन्होने कहा इस प्रकार की बात करने वाले आक्रमण शब्द की परिभाषा नही जानते। उन्होने कहा कि—

"हम अपने लोग पर कैसे आक्रमण कर सकते है। हैदराबाद की जनता तो भारत का हिस्सा है।"[86]

---

८४ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 172

८५ पटेल, राव जी भाई, पूर्वो, पृ० 321

इस प्रकार सरदार पटेल के दृढ निश्चय से हैदराबाद समस्या का समाधान हुआ। यदि पडित जवाहर लाल नेहरू की चलती तो यह समस्या भी भारत के लिए काश्मीर से कही अधिक कष्टदायी होती और इसकी एकता और अखण्डता मे विघ्न डालती।

संविधान निर्माण मे योगदान

आजादी की लडाई के समय सविधान सभा के मॉग सर्वप्रथम 1934 मे महात्मा गॉधी ने की थी। उस समय उन्होने कहा था कि मुक्त रूप से चुने हुए भारत के लोगो की सविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वतत्र भारत के लिए एक सविधान बनाया जाना चाहिए। 1936 मे सम्पन्न हुए, फैजपुर काग्रेस की सभा मे उन्होने इस पर जोर देते हुए कहा था कि—

''काग्रेस एक पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन की मॉग करती है। जिसमे राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से लोगो को प्रदान की जायेगी।''[87] ऐसी स्थिति तभी आ सकी जब कैबिनेट मिशन के तहत देश मे सविधान सभा का गठन हुआ और उसकी बैठक हुई। सविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 ई० को सम्पन्न हुई जिसमे आचार्य जे०वी० कृपलानी ने डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा से अस्थाई अध्यक्ष का पद ग्रहण करने का अनुरोध किया। जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया था। 13 दिसम्बर, 1946 ई० को सभा ने इसके लिए डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया जिसका समर्थन सरदार पटेल ने किया। इस प्रकार राजेन्द्र प्रसाद सविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष चुन लिये गये। 13 दिसम्बर, 1946 ई० को जवाहर लाल नेहरू ने इसके उद्देश्यो एव अवरोधो पर प्रकाश डाला। डॉ० एम०आर० जयकर ने इन प्रस्तावो मे सशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस तरह के सविधान के निर्माण मे मुस्लिम लीग और भारतीय राज्यो का भी सहयोग लिया जाना चाहिए और इस प्रकार अपने प्रस्ताव को और मजबूत बनाना चाहिये। यह सभा दोनो प्रतिनिधियो के सहयोग देने के लिए अगली तारीख तक स्थगित कर दी जानी चाहिये। सरदार पटेल ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि बैठक मे प्रस्तुत की गयी इन रियासतो को श्वेत पत्र से परे माना जाना चाहिए। उन्होने आगे यह भी कहा था कि ''इन्हे न केवल अस्वीकार किया जायेगा बल्कि 16 मई को बनाये गये नियमो मे न तो कोई परिवर्तन किया जायेगा और न ही परिवर्धन

---

८६ मुन्शी, के० एम०, पूर्वो, पृ० 175

८७ देसाई धीरु भाई का व्याख्यान उद्धत सरदार साहित्य माला सम्पुट शाहीबाग अहमदाबाद, पृ०86

किया जायेगा। तालियो की गडगडाहट के बीच उनका यह मत स्वीकार कर लिया गया।''[88] मुस्लिम लीग द्वारा सविधान सभा का वहिष्कार तथा अन्य दलो और निर्दलीयो की कमजोर स्थिति के कारण सविधान पर काग्रेस का प्रभाव सर्वोपरि था। यद्यपि डॉ० भीमराव अम्बेडकर जैसे बुद्धिशील व्यक्ति, गोपाला स्वामी आयगर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, के०एम० मुशी तथा जॉन मथाई जैसे विधिशास्त्री आदि का योगदान सविधान निर्माण मे कम न था। परन्तु काग्रेस मे जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के बहुमुखी योगदान की प्रशसा करते हुए एच०बी० कामथ ने लिखा है कि—

''जवाहर लाल नेहरू ने सविधान सभा को एक नई चेतना और सम्भवत विश्व व्यापी रूप दिया और सरदार पटेल ने उसे वास्तव मे व्यवहारवादी एव यथार्थवादी मार्गदर्शन किया।''[89]

सरदार सविधान सभा की तीन महत्वपूर्ण उप समितियो, मौलिक अधिकार उपसमिति, अल्पसख्यक उपसमिति और प्रान्तीय सविधान उप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानो के विकास मे भी सरदार पटेल की भूमिका निर्णायक रही है। विशेषकर शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना, सविधान की सकटकालीन व्यवस्था, स्वतत्र निर्वाचन आयोग का गठन, देशी राज्यो के विलीनीकरण तथा एकीकरण, सरकारी सेवाओ से सम्बद्ध धाराये, जम्मू काश्मीर राज्य से सबधित विशेष अनु० 370 के प्रावधान तथा भाषा नीति।

सरदार पटेल द्वारा सविधान मे दिये गये प्रमुख योगदानो का विवरण निम्न प्रकार से किया गया है।

1. मौलिक अधिकारो से संबंधित योगदान :- सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता मे मॉलिकारो अधिकारो से सबधित उप समिति का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनु० 20 के तहत किया गया था। इस समिति के सदस्य के रूप मे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टडन, श्री के०एम० मुशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पी०एस० देशमुख, श्री महावीर त्यागी, श्री एस०ए० लाहिणी, श्री हरि विष्णु कामथ, श्री आर०आर० दिवाकर, श्री वी० दास, रायबहादुर चौधरी सूरजमल, सरदार पृथ्वी सिह आजाद, श्री अनन्तेश्वरम् आयगरम्, श्री मीनू मसानी

---

८८ वही, पृ० 87

८९ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तित्व एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 164

और श्री के० टी० शाह जैसे विभिन्न विचारधाराओ वाले व्यक्तियो को शामिल किया गया था। जिससे समिति की बैठक मे जोरदार तर्क वितर्क होता था। सरदार पटेल ने इन उदारवादी, समाजवादी और रूढिवादी विद्वानो मे सामजस्य बैठाने का अद्‌भुत कार्य किया। समिति ने मूल अधिकारो से सबधित अपने कार्यो को सम्पन्न करने के उपरान्त 23 अप्रैल, 1947 ई० को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की। जिसमे न्यायोचित मूल-भूत अधिकारो का एक परिशिष्ट दिया गया था।

सरदार पटेल ने 29 अप्रैल, 1949 को रिपोर्ट के सबध मे अपना एक प्रस्ताव विचारार्थ रखा था। उन्होने इस प्रस्ताव मे न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारो के सबध मे लोगो का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होने कहा कि—"हम इन मूल अधिकारो को सविधान के अन्तर्गत न्याय योग्य बनाने पर अधिकतम महत्व दे जैसे कि सयुक्त राज्य अमेरिका एव नवीनतम प्रजातान्त्रिक सविधानो मे विशेष उपायो सहित नागरिक अधिकार सविधान की छवि प्रदर्शित करते है।"[90] परिणाम स्वरूप सविधान के अनु० 32 द्वारा सवैधानिक उपचारो के अधिकार को सम्मिलित किया गया।

नागरिकता वाले अनुच्छेद पर विचार करते समय केन्द्रीय मुद्दा वह बन गया था कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत मे मात्र जन्म लेने के कारण भारतीय नागरिक कहलायेगा, उसके माता-पिता विदेशी हो? इस पर हस्तक्षेप करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि—

"ऐसी स्थिति मे कितने ही विदेशी स्त्री-पुरुष भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए बच्चे को जन्म देने हेतु भारत आ सकते है? यह एक विचारणीय मुद्दा है और इसके लिए क्या आप भारतीय सविधान मे आनुवाशिकता की परम्परा का विकास करना चाहते है।"[91] उन्होने कहा था कि "यह याद रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि ससार मे नागरिकता के सबध मे पुर्नसमीक्षा की जायेगी। पूरा विश्व हमारी ओर नजरे लगाये बैठा है। हम इसे स्थगित करके एक खतरा मोल लेगे और वैधानिक विषयो को जन्म देगे। शब्दत आलोचना करने पर भी इसका अभी अन्त नही होगा। यह एक साधारण समस्या है। हमारे यहॉ हमेशा विदेशी आते रहते है। जन्म लेने के सयोग के कारण यदि कोई विदेशी यहॉ आता है और

---

९० कस्टीट्‌येन्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम-4 फरीदाबाद, 1966, पृ० 304

९१ वही, वाल्यूम-3, पृ० 423

बस जाता है, तो सवैधानिक नियमो के द्वारा दोहरी नागरिकता को हम नियत्रित कर सकते है।"[92]

सरदार के प्रस्ताव को ज्यो का त्यो स्वीकार कर नागरिकता का प्रावधान सविधान मे किया गया।

जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, लिग रग आदि भारतीय समाज की बुराइयो को दूर करने के लिए सरदार पटेल ने प्रस्ताव करते हुए कहा कि इन आधारो पर किसी प्रकार का वर्गीकरण नही किया जायेगा और साथ ही सभी नागरिको को बिना किसी भेदभाव के ऐसे कुओ, तालाबो, घाटो, सडको तथा मनोरजन स्थलो आदि का प्रयोग करने की पूरी छूट दी जायेगी जिनका निर्माण पूरी तरह या आशिक रूप से सार्वजनिक फड से किया गया हो। इस उपनियम के सबध मे चर्चा करते समय 'राजनीतिक प्राणी' शब्द रखने का प्रस्ताव सरदार ने किया था जिसके अनुसार राजनैतिक दलो के सदस्यो का राजनीतिक विचारो की भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण नही किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होने भविष्य को ध्यान मे रखकर किया था पर सविधान निर्मात्री सभा इससे सहमत नही हुई। इस पर सरदार पटेल ने कहा था कि राजनैतिक मान्यताओ के आधार पर लोगो मे इस प्रकार का अन्तर करना बहुत बुरा है।

सविधान के अनु० 17 मे अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। मूल अधिकार समिति ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना और तय किया कि मूलभूत अधिकार वाले अध्याय मे ही अस्पृश्यता उन्मूलन को रखा जाय। इस सबध मे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति को कानून अपराध माना जायेगा और हर तरह की अस्पृश्यता प्रतिबधित कर दी जाय।

इस सबध मे अपने विचार व्यक्त करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि "यदि अशपृश्यता निवारण मुख्य मुद्दा है और अस्पृश्यता का प्रचलन कानूनी अपराध है, तो स्वतत्र भारत मे मानवीय अस्पृश्यता के कलक को दूर करने के लिए विधान हर तरह से उचित है।"

इस अधिनियम को ज्यो का त्यो स्वीकार कर लिया गया था।

---

९२ वही, वाल्यूम-3, पृ० 423

सार्वजनिक नौकरियो मे समान अवसर प्राप्त करने वाले अधिनियम को प्रस्तुत करते समय सरदार पटेल को महावीर त्यागी के इस सशोधन का कि सरकारी नौकरियो मे स्थानीय लोगो को महत्व दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होना चाहिए, का सामना करना पडा। इस सशोधन के समर्थन मे कहा गया था कि जहॉ तक सम्भव हो अपने ही प्रदेश के अधिकारियो एव कर्मचारियो द्वारा प्रशासन चलाया जाना चाहिए। सरदार पेटल ने इस सशोधन को अस्वीकार करते हुए कहा कि राज्य की सभी नौकरियो और नियुक्तियो मे सबके समान अवसर प्रदान किये जायेगे। धर्म, प्रजाति, लिग, जाति, जन्म स्थान और निवास आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जायेगा।

यह अधिनियम भी सरदार की इच्छानुसार पास हो गया।

सभी उपाधियो को समाप्त करने सबधी अधिनियम को पेश करते हुए सरदार ने कहा कि ''सघ उत्तराधिकार मे प्राप्त होने वाली उपाधियॉ प्रदान नही करेगा। इस अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए बडे ही स्पष्ट शब्दो मे उन्होने कहा कि उत्तराधिकार शब्द बहुत विवादास्पद हो गया है और इसे हटा दिया जायेगा और इसका औपचारिक सशोधन भी कर दिया जायेगा। इस अधिनियम के अनुसार ''सघ के द्वारा कोई भी उपाधि नही दी जायेगी।'' सरदार पटेल ने कहा कि ''इन उपाधियो के द्वारा देश के लोगो का सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट होता है। इसलिए इसे मूलभूत अधिकारो मे रखना बेहतर रहेगा।''[93]

अनु० 19 मे उल्लिखित सभी 6 प्रकार की स्वतत्रताओ का अधिनियम प्रस्तुत करते हुए उनहोने कहा कि दूसरे से छठे अधिनियम तक औचित्यपूर्ण प्रतिबध राज्य द्वारा लगाये जा सकते है। अतएव उन्होने अनेक प्रकार की स्वतत्राओ और गारटियो का उल्लेख करने वाले अनु० 30 को प्रस्तुत किया। तेरह अध्याय का यह अनुच्छेद नागरिको को भारत मे किसी भी क्षेत्र मे व्यापार तथा व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। सरदार पटेल की दृष्टि मे भारत के किसी भी हिस्से मे लोगो के उद्योग, व्यापार आदि करने की स्वतत्रता प्रदान करना नितान्त आवश्यक था क्योकि राज्य मुक्त व्यापार पर पाबन्दी लगा सकते थे। अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर मुक्त व्यापार तथा सगठित उद्योग भारत के लिए नितान्त

---

९३ मुशी, के०एम०, इडियन कास्टीट्यूशनल डाकूमेन्ट्स, वाल्यूम 7, बम्बई, 1967, पृ० 304

आवश्यक थे। इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए उन्होने कहा था कि सविधान मे इस बात की गारण्टी होनी चाहिये कि राज्य कानून बनाकर मुक्त व्यापार मे कोई अवरोध नही उत्पन्न करेगे।

सरदार पटेल को 'सम्पत्ति विषयक अधिकारो के सरक्षण पर सर्वाधिक सक्रियता एव उत्साह से भाग लेना पडा। सरदार की दृष्टि मे ऐसा सरक्षण देश के भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योकि यह आन्तरिक और बाह्य पूँजी के आकर्षण को जन्म देने मे सहायक होगा। परन्तु काग्रेस ने जमीदारी उन्मूलन के वचन एव नीति के साथ इस सरक्षण का तालमेल बैठाने मे सरदार पटेल को बडी कठिनाई का समाना करना पड रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री गोविन्द वल्लभ पन्त का तर्क था कि उचित मुआवजा तय करने की अन्तिम शक्ति विधानसभा के पास हो। मुआवजा का औचित्य राज्य की क्षमता तथा सम्पत्ति ग्रहण करने के उद्देश्य को ध्यान मे रखकर किया जाय। काग्रेस मे समाजवादी विचारधारा के लोग किसी भी प्रकार का मुआवजा न देने के पक्ष मे थे। परन्तु सरदार किसी की भी व्यक्तिगत भूमि का अधि ग्रहण बिना मुआवजा दिये 'चोरी तथा डकैती मानते थे।[94]

काफी वाद विवाद के बाद सविधान सभा ने सम्पत्ति के अधिकार को सविधान द्वारा सरक्षित बनाया तथा मुआवजे हेतु उसे विधि न्यायालय मे अपील क्री परिधि मे रखा। एक मध्यम मार्ग निकालकर जमीदारी उन्मूलन सबधी धारा को सम्पत्ति के मूल अधिकार सबधी धारा से अलग कर दिया गया।

अल्पसंख्यक समिति—

देश की एकता एव अखण्डता के लिए सरदार पटेल की एक अन्य उपलब्धि उनके अल्पसख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप मे निर्वाह की गयी भूमिका से दृष्टिगोचर होते है। वे अल्पसख्यको के प्रति बडी सहानुभूति रखते थे। उनके उत्थान के लिए विभिन्न कार्य, सामाजिक एव आर्थिक दोनो क्षेत्रो मे किये। अल्पसख्यको के लिए नौकरियो और चुनाव क्षेत्रो मे आरक्षण की सुविधा के साथ अलग चुनाव क्षेत्र रखने की माग पर सरदार पटेल ने 25 अगस्त, 1947 ई० को सविधान निर्मात्री सभा के समक्ष विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत

---

९४ कान्स्टीट्येन्ट असेम्बली डिबेट्स, वाल्यूम -4, फरीदाबाद, 1966, पृ० 248

किया। ''जिसमे उन्होने अलग चुनाव क्षेत्र की मॉग अस्वीकार कर दिया था पर विधान सभाओ के चुनाव मे जनसख्या के आधार पर दस वर्ष तक सम्मिलित आरक्षित चुनाव क्षेत्रो की स्वीकृति प्रदान की थी। दस वर्षो के बाद इस व्यवस्था की पुर्नसमीक्षा किये जाने की व्यवस्था की गई थी।''[95]

अल्पसख्यको को तीन वर्गो मे बॉटा गया था। वर्ग ए मे एग्लो इडियन, पारसी, असम के मैदानी भागो की जनजातियो को रखा गया था। जो देश की आबादी का आधा प्रतिशत थी। वर्ग बी मे सिक्ख, भारतीय ईसाइयो को रखा गया जो देश की आबादी का आधे से अधिक पर डेढ प्रतिशत से कम थे। वर्ग सी मे मुसलमानो और अनुसूचित जातियो को रखा गया। समिति ने यह सिफारिस की थी की सभी चुनाव सम्मिलित रूप से कराये जायेगे और जनसख्या के आधार पर उपर्युक्त अल्पसख्यको को सीटे आरक्षित कर दी जायेगी तथा अल्पसख्यक वर्ग के सदस्यो को अनारक्षित सीट से चुनाव लडने की छूट होगी। मत्रिमडल मे अल्पसख्यको को आरक्षण की मॉग को समिति ने नामजूर कर दिया पर इस बात की मजूरी दे दी, कि 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के आठवे पैराग्राफ के अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

सरकारी सेवाओ मे आरक्षण की मॉग के सबध मे यह मजूर किया गया था कि प्रशासनिक क्षमता के आधार पर अल्पसख्यको को आरक्षण प्रदान किये जाने की बात ध्यान मे रखी जायेगी। इस रिपोर्ट की मजूरी हेतु सविधान निर्मात्री सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि यह विषय अत्यन्त सवेदनशील है इसलिए ऐसे उत्तेजक तर्क प्रस्तुत नही किये जायेगे जो किसी तरह के विवाद को जन्म दे सकते है। मौजूदा हालातो को देखते हुए सरदार पटेल ने विधान सभाओ मे अल्पसख्यको के लिए आरक्षण की बात स्वीकार की थी। ऐसा बाद की वार्ता से लगता है कि उन्होने अपनी मूलभूत धारणाओ के विपरीत इसका समर्थन किया था, पर ऐसा करना उचित नही था। पर उन्होने जोर देकर कहा कि प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की माग अस्वीकार देनी चाहिए।

सरदार पटेल ने सर्वप्रथम केन्द्रीय और प्रान्तीय सदनो के लिए सयुक्त चुनाव से तो

---

९५ वही, वाल्यूम 5 और 6, पृ० 225

की व्यवस्था रखे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। श्री पोकर साहब ने एक सशोधन को प्रस्तुत कर मॉग की कि केन्द्रीय और प्रादेशिक सदनो मे मुसलमानो के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। इसका उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने जोरदार शब्दो मे इसे अस्वीकार करने की अपील की थी। जिसमे उन्होने कहा था कि—

"आज इस साम्प्रदायिक सोच के कारण देश का बॅटवारा हो जाने के बाद यह कभी नही सोचा था कि यह प्रस्ताव गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत किया जायेगा और यदि यह गम्भीरता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गम्भीरतापूर्वक किया भी जायेगा। जब पाकिस्तान की मॉग स्वीकार की गयी थी तब कम से कम यह सोचा गया था कि शेष भारत मे एक ही राष्ट्र होगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करना निरर्थक है क्योकि इसके सघर्ष के कारण हमारे देश का विभाजन हुआ।

अपनी बात को आगे बढाते हुए उन्होने कहा कि जब उन्होने कहा "हमे अपना स्वतत्र राज्य दीजिये तब हमने कहा अपना स्वतत्र राज्य ले लो क्या तुम अभी भी दो राष्ट्र बनाने की इच्छा रखते हो। मै पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोधी है तो क्या तुम मुझे एक भी ऐसा राष्ट्र बता सकते हो जहॉ पर ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हो, यदि ऐसा होते मै इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूॅ।"[96] उन्होने ऐसा चाहने वालो की देश भक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा था कि—

"ऐसा जो चाह रहा है, उनके लिए पाकिस्तान मे जगह है, पर भारत मे नही है। यहॉ पर हम एक भारत राष्ट्र का निर्माण कर रहे है और एक राष्ट्र की नीव रख रहे है और जो पुन विभाजित होना चाहते है और विभाजन की इच्छा रखते है उनके लिए यहॉ कोई जगह, कोई क्वार्टर-खाली नही है। यह मै बहुत साफ शब्दो मे कहता हूॅ।"[97]

एग्लो इडियन के प्रति उदारता का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने सविधान मे व्यवस्था दी कि यदि वे सामान्य चुनाव मे उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर सके, तो सघ के राष्ट्रपति व राज्यो के राज्यपाल को उनके प्रतिनिधि को केन्द्र व राज्यो की व्यवस्थापिका सभाओ मे मनोनीत करने का अधिकार है।' इस सबंध मे 26 मई, 1949 ई० को सरदार

९६ देसाई धीरू भाई का व्याख्यान उद्धित सरदार साहित्य माला सम्पुट, पूर्वो, पृ० 100
९७ वही, वाल्यूम- 4, पृ० 578

पटेल द्वारा सविधान सभा मे दिये गये भाषण की भूरि-भूरि प्रशसा की गयी।''

प्रान्तीय समिति—प्रान्तीय सविधान समिति के अध्यक्ष के रूप मे सरदार पटेल ने एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना पर बल दिया। सरदार पटेल की सिफारिश पर प्रान्तो के मुख्यमत्रियो ने उन सब धाराओ को स्वीकार कर लिया जो शक्तिशाली केन्द्र को जन्म देने मे सहायक बनी। सरदार पटेल का तर्क था कि इतिहास साक्षी है कि जब-जब केन्द्र दुर्बल हुआ, उसकी अखण्डता पर ऑच आयी। यद्यपि उस समय कुछ प्रान्तो मे गोविन्द वल्लब पन्त, वी०सी० राय, रविशकर शुक्ला जैसे शक्तिशाली मुख्यमत्री थे परन्तु उन्होने सरदार के विचारो को स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय सविधान मे अनु० 356 की व्यवस्था की गयी। जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था भग होने की स्थिति मे सघ, राज्यो मे राष्ट्रपति शासन लागू करके प्रशासन स्वय अपने हाथ मे या अधीनस्थो के हाथ मे सौप देता है।

राज्यपालो के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के सबध मे भी सरदार पटेल ने एक फार्मूले की रचना की, जिसके द्वारा राज्यपाल अपनी सवैधानिक स्थिति को हानि पहॅुचाये बिना रचनात्मक भाग अदा कर सके। वे एक ओर अपने मत्रिमडल को सलाह दे सके तो दूसरी ओर केन्द्र और राज्य के बीच कडी का कार्य कर सके। श्री विष्णु कामथ, श्री एम०एच० मोहिनी, प० हृदय नाथ कुजरा, श्री के० सथानम् तथा प० गोविन्द वल्लब पन्त से इस विषय पर उनका घोर वाद विवाद हुआ। क्योकि ये प्रभावशाली नेता प्रान्तो को और स्वायत्ता देने के पक्ष मे थे। राज्यपाल के चुनाव को भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने मे बदले जाने का निर्णय उपरोक्त नेताओ के तर्क तथा केन्द्र राज्य सबधो मे राज्यपाल कडी का कार्य करे, के कारण लिया गया। प० गोविन्द वल्लभ पन्त मे राज्यपाल की अनुपस्थिति मे एक उपराज्यपाल का विकल्प प्रस्तुत किया था।

प० गोविन्द वल्लब पत के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति के सबध मे मूल प्रस्ताव मे न्यायाधीशो की नियुक्ति का अधिकार राज्यपालो को दिया गया था और इसके लिए विधानमडल के दो तिहाई सदस्यो की स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया था। बाद मे यह अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान कर दिया गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय से न्यायाधीशो की नियुक्ति करेगे। सविधान निर्मात्री सभा मे इस प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि पुनरावलोकित प्रस्ताव इस ढग से तैयार किये गये है कि उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशो की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की जाय। जिससे न्यायापालिका दलगत प्रभावो से दूर रहे।

राज्यो की स्थिरता, सुदृढता व न्याय के लिए सरदार पटेल ने निष्पक्ष तथा साफ सुथरे चुनावो की आवश्यकता पर बल देते हुए सविधान सभा मे निम्न सुझाव दिया।

"इस सबध मे मै सोचता हूँ कि समिति को एक सस्तुति करनी चाहिये जिसमे निश्चितापूर्ण स्वतत्र चुनावो की आशा से सघ के राष्ट्रपति द्वारा एक चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाय ताकि समस्त राज्यो मे साफ सुथरे चुनाव हो सके।"[98]

अतएव सरदार की इच्छानुसार स्वतत्र एव निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान सविधान मे किया गया।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सरदार पटेल तथा नेहरू के मध्य असमजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। जवाहर लाल राष्ट्रपति के चुनाव के सबध मे चाहते थे कि मतदाता केवल ससद के सदस्य हो, इस प्रकार तो वह केवल सदन के नेता के रूप मे प्रधानमत्री का ही मनोनीत व्यक्ति बन जाता, परिणामस्वरूप सरदार पटेल की प्रान्तीय समिति ने उस पर अपील की। सरदार पटेल ने राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट करते हुए तर्क दिया कि "चूँकि राष्ट्रपति केन्द्र और राज्य दोनो की व्यवस्थापिकाओ का सरक्षक है अतएव उसका चुनाव भी उनके समस्त सदस्यो द्वारा होना चाहिये। सविधान सभा मे काफी विचार विमर्श के बाद सरदार के दृष्टिकोण का समर्थन किया और इस प्रकार सरदार पटेल के प्रयासो से राष्ट्रपति ससद की कठपुतली मात्र न बन पाया और देश की एकता तथा सम्पूर्ण प्रजा का प्रतीक बना।

जम्मू काश्मीर राज्य से सबधित विशेष अनु० 370 पडित जवाहर लाल नेहरू तथा शेख अब्दुल्ला की सलाह एव निर्देशन से श्री गोपालास्वामी आयगर ने इस अनुच्छेद की व्यवस्था का प्रावधान किया था। सिद्धान्त रूप मे काग्रेस का यह मत था कि "काश्मीर को

---

९८ शकर, वी०, सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, खण्ड- दो, अहमदाबाद, 1976, पृ०22

भी उन्ही मूलभूत व्यवस्थाओ अर्थात शर्तो के आधार पर सविधान को स्वीकार करना चाहिये, जिन शर्तो पर अन्य राज्यो ने उसे स्वीकार किया है।'

इस अनु० के प्रस्ताव मे मूलभूत सिद्धान्तो के जम्मू काश्मीर पर लागू न करने के प्रावधान का जमकर विरोध हुआ। इस विरोध के समय नेहरू विदेश प्रवास पर थे तथा गोपालास्वामी आयगर सदस्यो को सतुष्ट नही कर पा रहे थे तो हताश होकर सरदार पटेल से हस्तक्षेप की मॉग की। नेहरू की अनुपस्थिति मे दल को सतुष्ट करने का कार्य सरदार पटेल ने अपने हाथ मे लिया। यह जानकर आश्चर्य होगा कि तत्पश्चात् दल मे किसी प्रावधान का कोई विरोध नही हुआ और न ही सविधान सभा मे चर्चा ही हुई। फलत अनु० 370 सविधान मे शामिल कर लिया गया।

इसी प्रकार भाषा सबधी विवाद मे जब पुरुषोत्तम दास टडन ने राष्ट्रभाषा के रूप मे सविधान सभा मे हिन्दी के पक्ष का जोरदार समर्थन किया और परिणामस्वरूप विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गयी तब सविधान मे हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप मे गौरवपूर्ण स्थान दिलाने मे सरदार ने निर्णायक भूमिका अदा की।

सरदार पटेल और नेहरू मतभेद

सरदार पटेल और नेहरू के मध्य मतभेद अधिक ठोस थे और दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियो मे लिप्त कुछ लोगो का कार्यकलाप यही था कि वे दोनो के मध्य मतभेद बढाने का कोई भी मौका हाथ से नही देना चाहते थे। डॉ० वी० के० केसकर ने नेहरू पटेल धुरी को प्रत्येक दृष्टि से एक आश्चर्यजनक सगठन बताया जो दो विरोधी तत्वो का सम्मिश्रण था, जो परस्पर एक दूसरे की क्षतिपूर्ति थे।''[99] यद्यपि यह सही है कि दोनो के मध्य मतभेद रहे, वैचारिक असमानता रही, किन्तु देशभक्ति, आदर्शो के प्रति आस्था और नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा के कारण दोनो ने ही अपने विचारो के इस अन्तर और असमानता को कायम रखते हुए भी आपस मे टकराने की कोशिश नही की।[100] महात्मा गॉधी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्यारे लाल ने दोनो के मध्य मतभेदो के सबध मे अपने 'महात्मा गॉधी' नामक ग्रथ मे लिखा है कि—

---

९९ केसकर, वी०के०, नेहरू और पटेल, पृ० 91

१०० दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, दिल्ली, 1988, पृ० 102

"मतभेद मत्रिमडल मे भी थे। सरदार पटेल तथा प० नेहरू मे सदा ही इस प्रकार के मतभेद रहे, जिनका सबध उनकी अपनी-अपनी निजी प्रकृति से था। विभिन्न प्रश्नो के सबध मे उनके दृष्टिकोण मे अन्तर था। नेहरू जी के हृदय तथा उनके मस्तिष्क की अप्रितम विशेषताओ का सरदार के हृदय मे बहुत अधिक मान था किन्तु उनको यह शिकायत रहती थी कि वह सदा ही अपने को बुरे परामर्शदाताओ से घिरा हुआ रखते थे और इसलिए उन पर पर्याप्त विश्वास नही रखते थे और इस प्रकार के कार्यो मे लग जाया करते थे जिनमे उनकी सद्भिलाषाये लुप्त हो जाती थी। इसके विरुद्ध प० नेहरू सरदार पटेल की सर्तक बुद्धि, शासन सबधी प्रतिभा तथा सघर्ष करने के अप्रितम गुणो के प्रशसक थे और इसलिए वह उनके अतिरिक्त और किसी के आगे नही झुकते थे। नेहरू जी सरदार पटेल के विभिन्न प्रश्नो को हल करने की प्रणाली से असन्तुष्ट थे तथापि वे दोनो एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देते थे।"[101]

नेहरू और पटेल के दृष्टिकोणो का अन्तर समझने के लिए उन दोनो की विभन्न परिस्थितयो का अध्ययन आवश्यक है जिसमे दोनो की विचारधारा की विचारधाराओ का विकास हुआ।

नेहरू का जन्म एक सम्पन्न एव बुद्धिजीवी परिवार मे हुआ। प्रारम्भ से ही इग्लैण्ड मे शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त उन्हे राजनीति के शीर्ष पर पहुँचने के लिए किसी प्रकार का सघर्ष नही करना पड़ा क्योकि उनको राजनीति जीवन के प्रारम्भ से ही गॉधी जी सहित तमाम बडे नेताओ का सतत समर्थन मिलता रहा था।

इसके विपरीत सरदार पटेल का जन्म साधारण से किसान परिवार मे हुआ था परिणामस्वरूप उन्हे बचपन से ही सघर्षो का सामना करना पडा। अतएव वे स्वभाव से कठोर हो गये और कठिन से कठिन समस्याओ को सुलझाने की उनमे क्षमता थी और उनकी इच्छाशक्ति लौहिक थी।

इस प्रकार इन दो विभिन्न वातावरणो मे दोनो महापुरुषो के राजनीतिक विचारधारा

---

१०१ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1968, पृ० 186

का विकास दो विपरीत विचारधाराओ के रूप मे हुआ। नेहरू प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति माने जाते थे तो सरदार पेटल रूढिवादी विचारधारा का नेतृत्व करते थे। इन दोनो विपरीत स्वभाव की विभूतियो की एकता के सूत्र मे बॉधने का कार्य महात्मा गॉधी ने किया। दोनो ही महात्मा गॉधी के भक्त थे। नेहरू की उदारता, निष्कपट स्वभाव तथा उनके व्यक्तिगत चरित्र के कारण गॉधी जी उन्हे पुत्र के समान समझते थे तथा 1929 मे सबसे कम आयु का काग्रेस अध्यक्ष बनवाया तो दूसरी तरफ वह सरदार पटेल की कर्मठता एव लगन से प्रभावित थे। 1931 के कराची अधिवेशन मे गॉधी जी ने कहा था कि—

"जवाहर लाल विचारक है और सरदार पटेल कार्य करने वाले है।" यद्यपि देश की आजादी की लडाई मे दोनो के मध्य मतभेद सार्वजनिक नही हुए किन्तु आजादी प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षो मे ही दोनो के मध्य मतभेद सार्वजनिक रूप से उजागर होने लगे। उन दोनो के मध्य बढते मतभेद से अपने अन्तिम दिनो मे गॉधी भी चिन्तित रहते थे। गॉधी जी की मृत्यु के पूर्व मतभेद इतने उग्र हो गये थे कि दोनो ने त्यागपत्र देने की पेशकश की थी। पटेल और नेहरू के मध्य कुछ प्रमुख विवादित विषयो का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है।

1 नेहरू फेवियन समाजवाद एव अन्तर्राष्ट्रीयता मे विश्वास रखते थे जबकि सरदार पटेल ने अपने किसी निश्चितवाद से नही जोडा परन्तु अपने विचारो से वे पूँजीवाद को समाज के लिए आवश्यक मानते थे। अमेरिकन पत्रकार विसेट शीन के अनुसार—"सरदार पटेल की गॉधीवादी विचारधारा पूँजीवादी विकास के पक्ष मे थी, जबकि नेहरू अपनी गॉधीवादी विचारधारा मे सोसलिस्ट सिद्धान्तो को विकसित करना चाहते थे।"[102]

2 नेहरू और सरदार पटेल के मध्य जूनागढ और हैदराबाद रियासतो को भारत मे विलय के प्रश्न को लेकर था। सरदार पटेल इन रियासतो को बहुत समझाया बुझाया पर जब ये नही माने तो उन्होने राष्ट्रहित मे तथा राष्ट्र की अखण्डता को सुनिश्चित करने हेतु बल प्रयोग का प्रस्ताव किया जिसका नेहरू ने विरोध किया। उनकी नजर मे ऐसा करना साम्प्रदायिक कार्य होगा। इस प्रश्न को लेकर विवाद इतना बढ गया कि "सरदार ने

---

१०२ वही, पृ० 189

मत्रिमडल से त्याग पत्र देने का फैसला ले लिया था।''[103] अन्तत बाध्य होकर भारी मन से नेहरू को सैनिक कार्यवाही के लिए सहमत होना पडा।

3 काश्मीर के प्रश्न पर भी दोनो नेताओ मे मतभेद थे। काश्मीर सरदार पटेल के मत्रालय के अधीन था लेकिन नेहरू ने इस समस्या को अपने हाथ मे लेकर सरदार पटेल को इसके हक से वचित कर दिया। नेहरू इसे अन्तर्राष्ट्रीय समस्या मानकर जनवरी, 1948 ई० को सयुक्त राष्ट्र सघ मे ले गये जिसका पुरजोर विरोध सरदार पटेल ने किया। साथ ही सरदार पटेल जम्मू-काश्मीर राज्य मे सवैधानिक रूप से कार्य करने वाली सरकार के पक्ष मे थे, अतएव अब्दुल्ला को नेहरू द्वारा आवश्यकता से अधिक महत्व देने से सतुष्ट न थे। 8 जून, 1948 ई० को नेहरू को लिखे पत्र मे उन्होने कहा कि

''हमे महाराणा तथा शेख अब्दुल्ला के बीच मतभेदो की खाई को पाटने का प्रयास करना चाहिये।''[104]

4 राष्ट्रमडल की सदस्यता के सबध मे सरदार पटेल सदैव वह सोचते थे कि व्यावहारिक कारणो से राष्ट्रमडल का सदस्य बना रहना भारत के हित मे होगा। दूसरी ओर काग्रेस वर्षो से पूर्ण स्वराज्य के सकल्प से वचनबद्ध हो चुकी थी। जिसका अर्थ था राष्ट्रमडल से सबध विच्छेद। नेहरू का मत था कि राष्ट्रमडल की सदस्यता का भारत के गणतत्र से मेल नही बैठता। परन्तु सरदार के प्रबल समर्थन और यथार्थवादी परामर्श से नेहरू भी इसके समर्थन बन गये।

5 चीन के साथ मित्रता को सरदार पटेल शका की दृष्टि से देखते थे। 1950 ई० मे चीन ने तिब्बत के कुछ भागो मे प्रवेश किया तो 7 नवम्बर, 1950 ई० को अपने एक लम्बे पत्र मे सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से गम्भीर खतरे की चेतावनी दी थी। ''उन्होने सुझाव दिया कि प्रासगिक विचारो के प्रकाश मे हमारे प्रतिरक्षा मोर्चो तथा दीर्घकालीन व्यवस्थाओ पर पुन सोचा जाना चाहिए।''[105]

6 धर्म निरपेक्षता को लेकर भी दोनो नेताओ मे विवाद था। नेहरू की नजर मे जिस कदम से मुसलमानो को कष्ट हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय बदनामी के भाव प्रकट होते हो वह धर्म

---

१०३ वही, पृ० 198

१०४ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार दिल्ली, 1997, पृ० 154

१०५ वही, पृ० 199

निरपेक्ष कदम नही है जबकि सरदार पटेल धर्म निरपेक्षता को राष्ट्रहित की दृष्टि से देखते है और कोई भी ऐसा कदम उठाने को धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नही मानते थे जिससे कि राष्ट्र का हित हो। साथ ही पटेल नेहरू की इस बात से भी नाराज रहते थे कि वे अनावश्यक रूप से मुसलमानो को आवश्यकता से अधिक महत्व देते थे।

7 नोआखाली दगो मे सरदार पटेल, नेहरू और गॉधी की भूमिका से असतुष्ट थे। वे सिखो और हिन्दुओ की हत्या से बहुत आहत थे अत नेहरू तथा गॉधी द्वारा मुसलमानो के लिए अनुचित कृपा को पसन्द नही करते थे। गॉधी जी की नोआरवाली यात्रा को भी सरदार ने उचित नही माना। सरदार ने एक सार्वजनिक सभा मे भाषण करते हुए कहा था कि—

''जब तक मुसलमान भारत के प्रति अपनी भक्ति की घोषणा स्पष्ट शब्दो मे नही कर देते उनका विश्वास नही किया जा सकता।''

8 नेहरू गृह मत्रालय और देशी राज्य मत्रालय मे सरदार के कार्यो मे दखल देते थे और शिकायत करते थे कि उन्हे राज्य मे होने वाली घटनाओं से अवगत नही कराया जाता। इस प्रकार की शिकायतो से सरदार को कष्ट होता था।

9 भारत के प्रथम राष्ट्रपति के चयन को लेकर भी नेहरू और पटेल मे मतभेद था। नेहरू राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। जबकि सरदार पटेल ने राजेन्द्र प्रसाद का प्रस्ताव रखा। इस पर नेहरू ने डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि राष्ट्रपति पद को लिए राजगोपालाचारी योग्य उम्मीदवार है अत आपको चुनाव नही लडना चाहिए। इस पत्र की राजेन्द्र प्रसाद की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया हुई और जब नेहरू ने यह प्रश्न सविधान सभा के काग्रेसी सदस्यो के बीच मे उठाया तो उन्होने राजेन्द्र प्रसाद का समर्थन किया। लेकिन सरदार ने उन्होने समझाकर इस्तीफा न देने के लिए तैयार कर लिया।[106]

10 1950 के काग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी पटेल और नेहरू के मध्य मतभेद हुए। नेहरू पुरुषोत्तमदास टडन को अध्यक्ष बनाये जाने के विरुद्ध थे जबकि सरदार पटेल ने उनका समर्थन किया। नेहरू ने कहा कि ''मेरा मन, इस बारे मे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर टडन जी काग्रेस अध्यक्ष चुने जाते है तो मुझे मानना चाहिए कि काग्रेसीजन मुझमे

---

१०६ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, पूर्वो, पृ० 188

विश्वास नही करते फलत मै काग्रेस कार्यकारिणी मे कार्य नही कर सकता यानी मै प्रधानमत्री नही रह सकता।''[107] अन्तत पुरुषोत्तम दास टडन बहुमत से काग्रेस अध्यक्ष चुन लिये गये।

यद्यपि नेहरू और पटेल के दृष्टिकोणो मे पर्याप्त असमानता थी, परन्तु दोनो ही राष्ट्ररूपी रथ के दो विभिन्न छोर थे। आधुनिक भारत के निर्माण मे दोनो का सर्वागीण योगदान है। एक ने राष्ट्रीय प्रगति की तो दूसरे ने उसे गति प्रदान की। दूसरे शब्दो मे एक ने राष्ट्र रूपी इमारत की नीव भरी, तो दूसरे ने उसे खडा किया। सरदार की मृत्यु पर नेहरू ने उनके योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि—

''सकट और विजय के समय मे हम उनकी मजबूत आवाज सुनते थे। वे ऐसे मित्र और सहयोगी थे, जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था, वह ऐसे शक्ति स्तम्भ थे जिससे दुर्बल हृदय भी मजबूत हो जाते थे।'''[108]

*****

---

१०७ शकर, बी० सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, खण्ड 2 अहमदाबाद, 1976, पृ० 523-24

१०८ मेहरोत्रा एव कपूर, पूर्वो, पृ० 201

अध्याय 5

I काश्मीर समस्या पर सरदार पटेल के विचार

II गोवा समस्या पर सरदार पटेल के विचार

III नेपाल के सम्बन्ध मे विचार

IV मुस्लिम लीग के प्रति दृष्टिकोण

V राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के प्रति दृष्टिकोण

VI सरदार पटेल के अन्य राजनीतिक विचार

VII सामाजिक विचार

VIII आर्थिक विचार

काश्मीर समस्या पर सरदार पटेल के विचार

के०एम० मुशी ने लिखा है कि, "यदि शेख अब्दुल्ला के प्रभाव से जवाहर लाल नेहरू काश्मीर विभाग पटेल के रियासत विभाग से न लेते, तो काश्मीर कभी भी एक समस्या न बनती जैसा कि अब बन गयी है।"[1]

भारत और पाकिस्तान के मध्य की काश्मीर समस्या वर्तमान समय मे विश्व की सबसे विकराल समस्याओ मे गिनी जाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित यह राज्य भारत तथा पाकिस्तान दोनो को जोडता है। सामरिक दृष्टि से काश्मीर की सीमा अफगानिस्तान एव चीन से मिली हुई है तथा सोवियत सघ की सीमा कुछ ही दूरी पर है। "आजादी के समय कश्मीर की बहुसख्यक जनता लगभग 79% मुस्लिम धर्मी थी परन्तु वहॉ के अनुवाशिक शासक हिन्दू थे।"[2] तत्कालीन शासक हरी सिह के खिलाफ 1946 ई० मे शेख अब्दुल्ला ने "काश्मीर छोड कर चले जाओ का नारा बुलन्द किया।"[3] परिणामस्वरूप अब्दुला को जेल मे डाल दिया गया तथा उनके समर्थन मे सभा करने के लिए, चेतावनी के बावजूद वहॉ गये हुए, नेहरू जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। काश्मीर समस्या पर सरदार पटेल ने विशेष रुचि लेते हुए 3 जुलाई, 1947 ई० को महाराजा को पत्र लिख कर नेहरू की गिरफ्तारी की निदा की तथा अपना क्षोभ प्रकट किया। अपने पत्र मे सरदार पटेल ने लिखा, "मै आपकी रियासत की भौगोलिक दृष्टि से नाजुक स्थिति को समझता हूॅ परन्तु एक सच्चे मित्र और शुभचिन्तक के रूप मे मै आपको आश्वस्त करता हूॅ कि काश्मीर का हित अविलम्ब भारतीय सघ तथा सविधान सभा मे सम्मिलित होने मे ही है।"[4] ब्रिटिश सत्ता के स्थानान्तरण के समय काश्मीर के दीवान प० रामचन्द्र काक थे। काश्मीर नरेश हरी

---

१ मुशी, के०एम०, इडियन कान्स्टीट्यूशन डाकूमेन्ट्स, वाल्यूम -2, बम्बई, 1962, पृ० 175

२ मेहरोत्रा, एन० सी०, कपूर रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, दिल्ली, 1997, पृ० 152

३ पटेल, राव जी भाई, हिन्द के सरदार, अहमदाबाद, 1972, पृ० 300

४ वही, पृ० 30

सिह ने एक स्वतत्र काश्मीर की कल्पना की तथा दुविधापूर्ण नीति अपनाकर भारत तथा पाकिस्तान दोनो से 'यथास्थिति समझौता' करना उचित समझा। पाकिस्तान ने यथास्थित समझौता स्वीकार कर लिया तथा यातायात एव डाक तार व्यवस्था को ज्यो का त्यो बनाये रखने का वचन दिया। इसके पूर्व की भारत से बाचतीत हो, पाकिस्तान ने काश्मीर से सबध तोडते हुए अनाज, पेट्रोल आदि जरूरी चीजे बन्द कर दी और काश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से सीमा प्रान्त पर मुस्लिम दगाइयो की बहुत बडी सख्या को घुसपैठ करने के लिए प्रेरित किया। दगाइयो को पाकिस्तान ने यातायात तथा हाथियारो से लैस करके सीमा मे प्रवेश दिला दिया। दगाई बडी तेजी के साथ आगे बढने लगे साथ ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे। ''देखते ही देखते दगाई काश्मीर सीमा मे वारामूला तक घुस आये और उन्होने ऐलान किया कि वे 26 अक्टूबर 1946 ई० की ईद काश्मीर की राजधानी श्रीनगर मे ही मनायेगे।''

ऐसी सकटपूर्ण स्थिति मे काश्मीर की राजधानी के शासक हरी सिह ने 24 अक्टूबर, 1947 को प्रथम बार भारत सरकार से सहायता मॉगी। महाराजा के विरोधी शेख अब्दुल्ला ने भी भारत से सहायता का अनुरोध किया। इसी बीच पता चला कि दगाइयो ने मुजफ्फराबाद पर भी अधिकार कर लिया है। स्थिति की वास्तविक जानकारी हेतु भारत की सुरक्षा समिति ने वी०पी० मेनन को काश्मीर भेजा। 26 अक्टूबर, 1947 ई० को महाराजा ने लार्ड माउण्ट बेटेन को लिखे पत्र मे काश्मीर की विस्फोटक स्थिति पर चर्चा करते हुए लिखा-

''राज्य की वर्तमान स्थिति तथा सकट को देखते हुए मेरे सामने इसके अतरिक्त कोई विकल्प नही है कि मै भारतीय अधिराज्य से सहायता मॉगू। यह स्वाभाविक है कि जब तक काश्मीर भारतीय अधिराज्य मे शामिल नही हो जाता, भारत सरकार मेरी सहायता नही कर सकती, अतएव मैने भारत मे शामिल होने का निर्णय लिया है और मै प्रवेश पत्र आपकी सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेज रहा हूँ।''[5] पत्र के अन्त मे उन्होने कहा कि यदि राज्य को बचाना है तो तत्काकल श्रीनगर को सहायता पहुॅचायी जाय। श्री मेनन स्थिति की गम्भीरता से भलीभॉति परिचित है।''[6]

---

५ दास, दुर्गा, सरदार पटेल करेसपाण्डेन्स (1945-50) खण्ड 8, अहमदाबाद, 1973, पृ० 339-341

६ वही, पृ० 339-341

"श्री मेनन एकीकरण के इकरार पर महाराज के हस्ताक्षर को लेकर दिल्ली पहुँचे जहाँ सरदार पटेल हवाई अड्डे पर उनकी प्रतीक्षा मे बैठे थे।"[7] वहाँ से वे सीधे सुरक्षा समिति की बैठक मे गये। काफी लम्बे वाद-विवाद के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि महाराजा की प्रार्थना को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाय कि शान्ति एव व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद जम्मू काश्मीर मे विलय पर जनमत सग्रह कराया जाये। सरदार पटेल ने कहा कि यदि आक्रमण करने मे देरी की गयी तो भारत का वातावरण भी हिसामय हो जायेगा। अतएव बगैर प्रतीक्षा किये सेना को बिना पूर्व सूचना के 26 अक्टूबर की शाम को आदेश दिया गया कि वे घुसपैठियो को खदेडने के लिए काश्मीर पर आक्रमण करे। 27 अक्टूबर को तत्काल सेनाये हवाई जहाज द्वारा काश्मीर भेज दी गयी। भारतीय सेनाओ की कार्यवाही इतनी अचानक, इतनी तेज और इतनी प्रभावशाली थी कि श्रीनगर पहुँचते ही आक्रमणकारियो को खदेड दिया। 3 नवम्बर को सरदार पटेल रक्षा मत्री बलदेव सिह के साथ श्रीनगर जाकर वहाँ की स्थिति की समीक्षा की तथा काश्मीर मत्री बिग्रेडियर एल०पी० सेन से सैनिक स्थिति के बारे मे जानकारी ली। 18 नवम्बर को भारतीय सेनाओ ने बारामूला पर अधिकार कर लिया।

28 नवम्बर को सरदार पटेल स्वय जम्मू गये और वहाँ की जनता को सान्त्वना देते हुए कहा—"मै आपको आश्वासन देता हूँ कि हम काश्मीर बचाने के लिए अपनी शक्ति भर सब कुछ करेगे।"[8] जनता को निडर होकर स्थिति का सामना करने की सलाह देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि "मृत्यु निश्चित है। वह शीघ्र या विलम्ब मे अवश्य आयेगी। परन्तु लगातार भय मे रहना प्रतिदिन मरने के समान है, अत हमे निडर होकर रहना है।"[9] 1 जनवरी, 1948 ई० को भारत सरकार ने काश्मीर का प्रश्न सयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया। सरदार पटेल काश्मीर मसले को सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत करने के पक्ष मे नही थे। उनका मत यह था कि "काश्मीर का प्रश्न सयुक्त राष्ट्र सघ को न सौपा जाय। जिस प्रकार हैदराबाद का प्रश्न हल हुआ था, उसी प्रकार काश्मीर का प्रश्न भी हल करने की उनकी दृष्टि थी।"[10]

---

७ पटेल, राव जी भाई, पूर्वो पृ० 303

८ नन्दूकर, जी०एम०, सरदार पटेल, इन दि ट्रियुन विद दि मिलियन्स, खण्ड- 1, अहमदाबाद, 1974, पृ० 73

९ वही, पृ० 73

सरदार पटेल जम्मू काश्मीर मे सवैधानिक रूप से कार्य करने वाली सरकार के पक्ष मे थे। परन्तु साथ ही वे शेख अब्दुल्ला का महाराजा हरी सिह के प्रति व्यवहार तथा नेहरू द्वारा शेख अब्दुल्ला को आवश्यकता से अधिक महत्व देने से भी सतुष्ट न थे। 8 जून, 1948 ई० को नेहरू को लिखे पत्र मे उन्होने कहा कि "हमे महाराजा और शेख अब्दुल्ला के बीच खाई को पाटने का कार्य करना चाहिए।"[11]

शेख अब्दुल्ला के बारे मे विचार व्यक्त करते हुए उन्होने गॉधी जी को लिखा कि "शेख अब्दुल्ला विश्वसनीय व्यक्ति नही है।"[12] सरदार पटेल अब्दुला के प्रभाव से जम्मू काश्मीर को प्रदान की गयी विशेष स्थिति को समाप्त करने का सुझाव देते हुए कहा कि—"काश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त कर, उसे पूर्ण रूप से मिला लिया जाय तथा वहॉ जाने मे अन्य भारतीयो पर लगी पाबन्दी हटा दी जाय।"[13] सरदार पटेल, नेहरू द्वारा काश्मीर समस्या को रियासत विभाग से छीनकर अपने हाथ मे ले लेने से दु खी थे। इस सबध मे उनका कथन था कि "यदि काश्मीर का मामला उनके निर्देशन मे सुलझाया जाये तो वे उसका निर्णय 15 दिन मे कर सकते है।"[14]

काश्मीर समस्या का समाधान

काश्मीर का मुद्दा आज एक विकट समस्या नही बनता अगर नेहरू के स्थान पर सरदार पटेल को इसके निराकरण का दायित्व दिया जाता। पटेल ने मीनू भसानी से यह बात कही कि अगर नेहरू बीच मे न होते तो शीघ्र ही वे काश्मीर मामले का समाधान कर लेते। काश्मीर पाकिस्तान को तथा पूर्वो पाकिस्तान भारत को देकर। दोनो देशो के लिए यह लाभदायक होता।"[15] वी०पी० मेनन के भी यही विचार थे। पटेल इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जिन्ना उनका यह सुझाव भावात्मक व व्यावहारिक कारणो से स्वीकार कर लेगे। काश्मीर गर्मी की तपन से राहत दिलाने के लिए, जिन्ना के लिए, उनके हृदय के अधिक करीब था तो पूर्वी पाकिस्तान हिन्दू बगाल के अधिक करीब था तथा भाषा व

१० पटेल, राव जी भाई, पूर्वो, पृ० 305

११ दास, दुर्गा, सरदार पटेल करसपोन्डेन्स, (1945-50), खण्ड एक, अहमदाबाद, 1973, पृ० 194

१२ शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, नयी दिल्ली, 1963, पृ० 155

१३ वही, पृ० 156

१४ वही, पृ० 156

१५ कृष्णा, बी०, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इण्डियाज आयरन मैन, नयी दिल्ली, 1995, पृ० 518

सस्कृति की दृष्टि से भारत के निकट था। पटेल की यह सोच ठोस तर्क पर आधारित थी। वे चाहते थे कि काश्मीर मसले का निराकरण हो ताकि वाह्य ताकतो को इस मामले मे उलझाने का मौका न मिले और दोनो देशो के सबधो मे कटुता न आये। इस आदान प्रदान से दोनो देश लाभान्वित होते, उनकी विकास प्रक्रिया प्रतिरक्षा व्यय के भार से अवरुद्ध नही होती, उनके बीच फासले नही बढते। पटेल की समझ यथार्थ पर आधारित थी। उनका सोचना बहुत सीमा तक व्यवहारिक था। दोनो बगाल आर्थिक एव सास्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे के पूरक थे। दोनो की एकता से धर्म निरपेक्ष नीति को बल मिलता किन्तु विभाजन ने पूर्वो पाकिस्तान के रूप मे भारत की पूर्वो सीमा पर भी एक विरोधी खडा कर दिया। 1960 ई० मे नागा आन्दोलन को पूर्वो पाकिस्तान का सहयोग मिला। पटेल के निर्णय पर हम चलते तो इस प्रकार के क्षेत्रीयतावाद व अलगाववाद की मानसिकता देश पर कभी हावी नही होती और काश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण न होता।

नेपाल संबंधी विचार

नेपाल के विषय मे भी नेहरू और पटेल के अलग-अलग विचार थे। 1950 ई० मे जब नेपाल के राजा ने भारतीय दूतावास मे शरण मॉगी तो नेहरू भावात्मक रूप से उनका समर्थन कर रहे थे। क्योकि उनके अनुसार वह जनता का प्रतिनिधि था, जबकि सरदार पटेल की दृष्टि भविष्य पर टिकी थी। उनका यह निश्चित मत था कि राजा का प्रशासन स्थिरता प्रदान नही कर सकता है तथा दोनो देशो के बीच समान शासन प्रणालियॉ, घनिष्ठ सबध बना सकती है। आज भी नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्रो का गढ बन गया है तथा वहॉ भारत विरोधी तत्वो का जमावडा हो गया है।

गोवा समस्या संबंधी विचार

गोवा की भी वही कहानी रही। नेहरू ने स्वय स्वीकार किया कि वर्षो तक गोवा हीनता एव उलझन का कारण बना रहा।

के पी०एस० मेनन ने गोवा पर 1950 ई० मे विदेश सबधो की समिति की चर्चा का जिक्र किया कि राज गोपालाचारी प्रेम से गोवा को जीतने के पक्ष मे थे, यद्यपि प्रेम देश के विभाजन को नही रोक सका। इस परिचर्चा मे सरदार पटेल मौन रहे। दो घटे की बहस

के बाद सरदार पटेल ने कहा "क्या हम चले मात्र दो घंटे का कार्य है।"[16] अर्थात पटेल विवाद नही कार्य मे विश्वास रखते थे, उनका विश्वास था कि वे दो घण्टो मे गोवा पर जीत हासिल कर लेगे। नेहरू ने इसका विरोध किया क्योकि वह अहिसा की नीति के खिलाफ था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुश्किले पैदा हो सकती थी। पर नेहरू की अनिश्चितता हमेशा देश की समस्याओ का निराकरण नही कर पायी। नेहरू जितने अनिश्चित रहे, सरदार पटेल उतने ही स्पष्ट व स्थिर-विचार वाले। वे जानते थे कि गोवा भारत का अभिन्न अग है। मई, 1949 ई० मे गोवा काग्रेस अध्यक्ष को दिया गया अपना वचन याद था, गोवा पुन अपनी मातृभूमि से जुडेगा। पटेल गोवा के सबध मे अपने निर्णय को लागू नही कर सके क्योकि गोवा विदेशी ताकत के अधीन था और प्रधानमत्री नेहरू के निर्णय क्षेत्र मे रहा।

पटेल ने मई, 1950 ई० मे पुन गोवा पर अपनी इच्छा प्रकट की जब वे जहाज द्वारा बम्बई से कोचीन गये। जब जहाज गोवा के निकट से गुजरा तो पटेल ने जहाज के कप्तान को गोवा के निकट ले जाने को कहा। मुस्कराकर पटेल ने पूछा तुम्हारे पास कितने लोग जहाज मे है। "कप्तान ने जब 800 लोगो के होने की सूचना दी, तो पटेल ने कहा चलो जब हम यहॉ आ गये तो गोवा को भी ले ले। जब कप्तान ने लिखित आदेश की मॉग की तो पटेल मुस्कराये और कहा शायद नेहरू इसका विरोध करेगा। अत हमे वापस चलना चाहिये।"[17]

मुस्लिम लीग के प्रति दृष्टिकोण

मुस्लिम लीग का जन्म काग्रेस के विरोध मे कुछ कुलीनवर्गीय मुसलमानो द्वारा 1906 ई० मे ढाका मे हुआ, जिसने धीरे-धीरे अपने पैर जमाते हुए 1940 ई० मे भारत विभाजन की मॉग रखकर पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किया। 1940 की अवधि तक मुस्लिम लीग के प्रति सरदार पटेल का कोई खास दृष्टिकोण नही था, क्योकि उस समय तक यह कोई विशेष प्रभाव नही रखती थी। 1930-40 के दशक मे जिन्ना के लीग मे सक्रिय होने के उपरान्त इसने देश विभाजन की भूमिका तैयार करने का कार्य किया। 1937 ई० के चुनाव मे मुस्लिम लीग कोई अच्छा प्रदर्शन नही कर पायी। लेकिन फिर भी बम्बई और

---

१६ मेनन, के०पी०एस०,मैनी वर्लड्स, रेकोटेड, पृ० 273-74

१७ कृष्णा, बी०, इण्डियाज आयरन मैन, नयी दिल्ली, 1995, पृ०, 522

उत्तर प्रदेश मे कुछ सीटे जीतकर काग्रेस के साथ मत्रिमडल बनाने का प्रस्ताव किया जिसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। गॉधी जी के सचिव प्यारेलाल ने इसे "पहले दर्जे की नीतिगत गलती बताया"[18] स्वय जिन्ना ने कहा था कि, "यदि 1937 ई० मे नेहरू यू०पी० की काग्रेस सरकार मे लीग को शामिल कर लेते तो पाकिस्तान न बनता।"[19]

प्रारम्भ मे लीग के प्रति कोई खास दृष्टिकोण न रखने वाले सरदार पटेल जिन्ना द्वारा विभाजन की माग रखने के बाद लीग के प्रति सजग हो गये। उन्होने गॉधी जी से बार-बार आग्रह किया कि लीगी नेताओ और लीग को आवश्यकता से अधिक महत्व देने की गलती न करे। 28 दिसम्बर, 1945 ई० को महात्मा गॉधी को लिखे पत्र मे उन्होने कहा था —

"सयुक्त अधिवेशन तथा उसके बाद जिन्ना के अभद्र व्यवहार से हमे या काग्रेस को उसके साथ बाचचीत करना पसन्द नही है और वास्तविकता यह है कि असली तौर से किसी आपसी समाधान की उसकी इच्छा ही नही है।"[20]

इसके उपरान्त भी लीग के साथ वार्ताये जारी रही और उसके हौसले बढते रहे, फलस्वरूप मुस्लिम लीग के प्रति उनका रूख और कडा होता गया। यहॉ तक की मुसलमानो की उचित आशकाओ के प्रति भी वे आखे मूदने लगे, लेकिन काग्रेस और लीग के मध्य चलने वाली समझौता वार्ताओ मे उन्होने कभी भी बाधा डालने का कार्य नही किया और न ही समझौते की किसी कार्यवाही का सार्वजनिक विरोध ही किया। वे इस बात से परेशान रहते थे कि मुस्लिम लीग के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण क्यो नही अपनाया जाता। उन्हे यह भी नही रास आता था कि मुस्लिम लीग के साथ सख्ती से पेश आने के बजाय नरमी का रुख अपनाया जा रहा है।

हिन्दुओं के खिलाफ जिन्ना और लीग के आरोपो और उनकी अडंगेबाजी से सरदार क्षुब्ध थे और मुसलमानो मे लीग की बढती लोकप्रियता उन्हे निराश कर ही थी। जिसके कारण सरदार की पूरी सोच ही बदल गयी। वे इस बात से भी निराश थे कि मुसलमानो के सच्चे हित चितक महात्मा गॉधी पर भी मुसलमान विश्वास नही करते थे। भारतीय राजनीति लगातार साम्प्रदायिक रुख अपनाती जा रही थी। पटेल का विचार था कि अब लीग का

---

१८ जकारिया, रफीक, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, दिल्ली, 1948, पृ० 32

१९ वही, पृ० 31

२० नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार लेटर्स मोस्टली अननोन, अहमदाबाद 1977, पृ० 177

मुकाबला किया जाना चाहिये। सद्भाव के प्रयासो से यदि समुचित उत्तर नही मिल रहा है तो उसे छोड देना चाहिये। 1946 ई० के चुनावो मे मिली लीग को सफलता के बावजूद सरदार पटेल भारत को एक रखने के सकल्प से डिगे नही। उनका विचार था कि ''मुस्लिम लीग के असवेदनशील नेताओ से बातचीत करने के बजाय काग्रेस को सामान्य मुसलमानो के बातचीत करनी चाहिये।''[21] उनका मानना था कि यदि काग्रेस के लोग ''राजनीति मे रुचि रखने वाले और प्रभावशाली मुसलमानो से निकट सबध रखे तो शायद वे जिन्ना के तानाशाही नेतृत्व को कुछ कमजोर कर सके। उन्हे आशा थी कि इस दिशा मे किये गये ठोस प्रयासो का अच्छा परिणाम निकल सकता है। अपने पक्ष मे तर्क देते हुए उन्होने कहा कि लीग और जिन्ना को करिश्मे के बावजूद सिन्ध, पजाब और बगाल जैसे मुसलमान बाहुल क्षेत्रो मे लीग बहुत ज्यादा ताकतवर नही थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानो के बीच पैर जमाने के जिन्ना के प्रयत्नो को विफल कर दिया था, सीमात प्रदेश खामोश बना रहा। फिर भी मनोवैज्ञानिक वातावरण कुछ ऐसा था कि पटेल के सब साथी लीग के साथ समझौता करने के पक्ष मे थे। गॉधी जी हमेशा आशावादी रहे, आजाद और गफ्फार खान किसी तरह हिन्दुओ और मुसलमानो के मध्य आपसी समझ चाहते थे जो उन्हे बिना लीग के सम्भव नही लगता था। राजाजी पूरी तरह से जिन्ना के साथ समझौते के पक्ष मे थे। नेहरू दुविधा मे थे जिन्हे जिन्ना पसन्द नही करते थे, पर वे भी साम्प्रदायिक टकराव के विचार से घृणा करते थे। यानी कुल मिलाकर दिग्गजो मे सिर्फ सरदार पटेल ही लीग से सीधा मुकाबला करने के पक्ष मे थे। सरदार के अनुसार जिन्ना समझाने बुझाने से बदलने की सीमा पार कर चुके थे। जिन्ना और लीग के प्रति गाधी जी के प्रेम के सबध मे उन्होने गॉधी जी को लिखे पत्र मे कहा था—

''बापू आपको एक पुरानी कहावत याद दिलाऊँ—प्यार के मामले मे कम प्यार करने वाले का ही पलडा भारी रहता है।''[22] अतत· दृढ निश्चयी सरदार पटेल अपनी बात को अपने साथियो को मनवाने मे सफल हो ही गये और काग्रेस ने लीग के साथ सपर्क जोडने का विचार त्याग दिया। सरदार के दबाव मे काग्रेस के व्यवहार मे आये अचानक परिवर्तन से जिन्ना परेशान हो उठे। उन्होने आगा खॉ को मध्यस्थता के लिए सरदार के पास भेजा।

---

२१ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 अक्टूबर, 1946

२२ दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 अक्टूबर, 1946

आगा खॉ ने कहा कि जिन्ना अब बदल गये है और अब वे बेहतर मन स्थिति मे है। इसलिए समझौता करना चाहते है। तब सरदार पटेल ने आगा खॉ से पूछा ''क्या बिच्छू कभी अपना रग बदलता है?' परन्तु आगा खॉ फिर भी कोशिश करते रहे पर सरदार ने स्पष्ट कर दिया कि ''जिन्ना हमे अपनी जाल मे फसाने की कोशिश कर रहे है।'' अब काग्रेस का इस बात से विश्वास उठ गया था कि लीग से बातचीत का कोई निष्कर्ष निकल सकता है। अतएव लीग से किसी भी प्रकार के समझौते से इन्कार कर दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति दृष्टिकोण

सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह से देश की एकता एव अखण्डता के लिए समर्पित थे। अतएव देश की एकता और अखडता के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी सगठन एव व्यक्ति के प्रति वे कडा कदम उठाने से कभी नही हिचकिचाये। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ देश की एकता एव अखण्डता की बात करता था। उसका श्रेष्ठ सगठन था लेकिन उसके द्वारा धर्म के नाम पर किये जाने वाले ऐसे कार्यो से, जिससे कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की सम्भावना हो, सरदार पटेल पसन्द नही करते थे। जैसे, मुस्लिम सम्प्रदाय गोमास खाता है और इसके लिए वह गायो का वध करता है, उसके इस कार्य के प्रति राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने रोष व्यक्त करते हुए साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाडने का कार्य किया। एक हिन्दू होते हुए भी सरदार पटेल को यह पसन्द नही था। स्वतत्रता के समय ऐसी घटनाओ के सबध मे उन्होने कहा था, ''कुछ लोग इस समय गो रक्षा की बात करने लगे है। अभी तो बच्चो, स्त्रियो और बूढो की रक्षा नही होती, तो गो रक्षा की बात कहॉ से आ गयी है। जिन राष्ट्रो मे गो हत्या होती है वहा जैसी हृष्ट पुष्ट गाये हमारे यहॉ नही पायी जाती, यदि सचमुच गो रक्षा करनी हो तो गाय को अच्छी तरह पालना सीखिये।''[23]

सरदार पटेल राष्ट्रीय स्वयसेवक के वेशभूषे के साथ डण्डे को लेकर चलने की प्रथा के विरोधी थे। उनकी नजर मे इस प्रकार डण्डे लेकर चलना आतक पैदा करने के कार्य के सदृश्य है जो देश की एकता और अखण्डता मे बाधक है। 6 जनवरी, 1948 ई० को लखनऊ मे एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था, ''आर० एस० एस० वाले जिस प्रकार आजकल कामकर रहे है वह रास्ता गलत है। उन्हे गलत रास्ते से ठीक रास्ते

२३ प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नयी दिल्ली, 1982, पृ० 59

पर लाया जाये। डण्डे से कोई काम नही होगा। डडा तो चोर डाकू के लिए है।" उन्होने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ से अपील करते हुए कहा कि मै राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ को काग्रेस मे शामिल होने का निमत्रण देता हूँ और देश मे अशान्ति न उत्पन्न करने की तथा प्रशासन को कमजोर न करने की अपील करता हूँ। मै कहता हूँ कि उन्हे व्यक्तिगत हित की दृष्टि के काम नही करना चाहिए क्योकि परिस्थितियॉ सरकार के सिर पर शान्ति स्थापना का दबाव बारम्बार डाल रही है। वे हिसा का प्रयोग करके देश की सच्ची सेवा नही कर रहे है।"[24]

30 जनवरी, 1948 ई० को सायकाल 5 बजकर 5 मिनट पर जब गॉधी जी प्रार्थना मच पर चढ ही रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय युवक ने उनके ऊपर पिस्तौल की गोलियॉ छोडकर उनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का सदस्य था। गॉधी की हत्या के उपरान्त महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश मे हिसा का वातावरण छा गया। सरदार पटेल ने इसके लिए राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की नीतियो को जिम्मेदार मानते हुए 4 फरवरी, 1948 ई० को उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा सरकार ने जब यह पाया कि उसके तमाम सदस्य हिसा फैलाने तथा समाज विरोधी कार्यो मे लगे हुए है तो उन्होने तय किया कि सघ को गैर वैधानिक सस्था घोषित कर दी जाय। "इसके उपरान्त 20,000 सदस्यो की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली।"[25] उसके प्रमुख गोवलकर भी गिरफ्तार कर लिये गये। आर०एस०एस० पर यह प्रतिबन्ध रखा गया जब तक कि मार्च 1950 ई० मे सघ ने देश मे शान्ति की स्थापना के साथ-साथ किसी भी प्रकार के अराजकता सबधी कार्य को न करने का वचन दिया।

इस प्रकार सरदार पटेल देश की एकता और अखण्डता के लिए कट्टरवादी मुस्लिम नेतृत्व तथा हिन्दू नेतृत्व दोनो को सावधान किया, वक्त आने पर दोनो पर नियन्त्रण लगाने का निर्णय भी लिया।

*****

---

२४ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50 तक) प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1954, पृ० 75

२५ मिश्रा, डी०पी०, लिविग एन इरा, दिल्ली, 1978, पृ० 59

सरदार पटेल के अन्य राजनीतिक विचार

(I) प्रजातंत्र एवं अनुशासन

सरदार पटेल के जीवन की विभिन्न घटनाओ का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सरदार पटेल का प्रजातत्र मे पूर्ण विश्वास था। उन्होने सरकार तथा सगठन के पदो पर रहते हुए तथा चलाये गये विभिन्न आन्दोलनो मे कभी भी लोकतात्रिक मूल्यो की सीमा को पार नही किया। साथ ही उनका विश्वास था कि प्रजातत्र की सफलता के लिए अनुशासन अनिवार्य है। सरदार पटेल अनुशासन के अधीन सिर्फ शासितो को ही नही, अपितु शासक को भी रखते है। उन्होने स्वय अपने पूरे राजनैतिक जीवन मे कभी अनुशासन भग करने का कार्य नही किया तथा जिसने भी अनुशासन भग करने का कार्य किया उसके साथ वे कठोरता से पेश आये। श्री मूर्ति प्रजातत्र मे सरदार पटेल की अनुशासन की प्रतिष्ठता के सबध मे लिखते है कि—

"सरदार अनुशासन की उच्च विकसित वृद्धि रखते थे। उनके व्यावहारिक अनुभव ने उन्हे दिखाया था कि स्वराज्य केवल वही बनाये रखा जा सकता है, जहॉ अनुशासन जीवन का एक भाग होता है। विशेष मूलभूत मानवीय मूल्यो से समझौता नही हो सकता। सरदार ने अनुशासन के इन्ही मूलभूत मूल्यो को मुख्य महत्व प्रदान किया।"[1]

प्रजातत्र के सबध मे सरदार का कथन था- "प्रजा मे ताकत होगी तो जिस वस्तु की आवश्यकता उसे होगी वह मिल जायेगी। यदि प्रजा को लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह स्वशासन के भी परित्याग का मार्ग अपना सकेगी। सत्याग्रह का वही स्वरूप होगा जो उन्होने जीवन भर अपनाया।"[2]

(II) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—सरदार पटेल अभिव्यक्ति की स्वतत्रता के समर्थक थे। संविधान सभा मे मौलिक अधिकारो की समिति के अध्यक्ष के रूप मे इन्होने अनु० 19

---

१ मूर्ति, आ०के०, सरदार पटेल, दि मैन एण्ड हिज कन्टेम्पोरेरिज, दिल्ली, 1976, पृ० 13

२ पटेल, सरदार के पत्रो का उद्धरण, सरदार की सीख, अहमदाबाद, 1950, पृ० 52

मे जिन छ स्वतत्रताओ का उल्लेख किया है उससे पहली स्वतत्रता विचार एव अभिव्यक्ति की है। स्वतत्रता के सबध मे उनका विचार था कि इस स्वतत्रता को नकारात्मक आधार पर नही अपितु सकारात्मक आधार पर लेना चाहिए। उन्होने कहा कि—

"आजादी के समय मे समाचार पत्रो का जो धर्म था, और जो कार्य था उसमे और आज मे जमीन-आसमान का अन्तर है। एक उत्तरदायी पत्रकार की लेखनी जनता पर भरी प्रभाव डाल सकती है। वह जितनी ही भलाई पर प्रभाव डाल सकती है उतनी ही बुराई पर भी, अतएव समाचार पत्रो को चाहिए कि वे देश के निर्माण मे हाथ बॅटाये और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे की राष्ट्र को नुकसान हो।"[3]

(iii) **दंड व्यवस्था पर दृष्टिकोण**—सत्य एव अहिसा का पुजारी होने के कारण सरदार पटेल ने कभी भी बदला लेने के लिए बल प्रयोग की बात नही की। वे आजादी की लडाई मे कई बार जेल गये, यातनाये सही तथा अनेक प्रकार के कष्टो को सहा लेकिन दण्डात्मक प्रतिकार कभी नही किया। अहिसा के सिद्धान्त के अनुसार वे सत्याग्रह के मार्ग से ही अपने लक्ष्यो को प्राप्त करना चाहते थे। अतएव सत्ता मे आने के बाद ऐसे कानूनो की आवश्यकता पर उन्होने बल दिया जिसमे अपराधियो को दण्ड की अपेक्षा सुधरने का अधिक अवसर प्राप्त हो। अतएव उन्होने सुधारात्मक दण्ड का समर्थन किया। सरदार पटेल के अनुसार—

"मित्रता से जितना काम होता है उतना दण्ड से नही होता। कानून का सहारा कम से कम लेना चाहिये। हमारे पास सत्ता आयी है। इस सत्ता के अमल के कारण किसी के मन मे अरुचि उत्पन्न नही होनी चाहिए। यदि हम इस रीति से काम नही करेगे तो सत्ता को हजम नही कर सकेगे।"[4]

सरदार द्वारा शक्ति प्रयोग के सबध मे उनका कहना था कि सरकार को शक्ति का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब सुधार या लोकहित के लिए आवश्यक हो, अन्यथा वह सफल नही होगी। राज्य को इस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि तलवार का प्रयोग कमजोरो पर कदापि नही होना चाहिए और यदि कभी हो भी तो उनको सुरक्षित करने के लिए।

---

३ पटेल, मणि बहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, खण्ड एक, अहमदाबाद, 1981, पृ०-326

४ वही, पृ० 254

(iv) जनमत पर दृष्टि कोण—सरदार पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन मे जनमत को बहुत अधिक महत्व दिया। कोई भी आन्दोलन चलाने के पूर्व वह भली भॉति और जॉच परख के बाद कि जनमत इसके लिए तैयार है या नही, तभी चलाते थे। इस सबध मे उनका विचार था कि सरकार को बिना लोक सहमति के कोई कार्य नही करना चाहिए। ''यदि हम लोक सरकार चाहते है तो हमे अवश्य लोक सहमति और सचालन की स्थापना करनी होगी।''[5] इस सबध मे सभी जनता की, बिना धर्म और जाति के विभेद के सुरक्षा करने का कार्य सरकार करेगी तथा इस आधार पर टकराव को रोककर समानता की नीति का अनुसरण करेगी। साथ ही सरकार को चाहिए वह अपने आप को जनता का ट्रस्टी समझे, शासक नही। शासक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यो को सम्पन्न करे। सरदार पटेल के शब्दो मे,

''शासको को अवश्य जान लेना चाहिए कि वे जनता के ट्रस्टी है और राज्य के सेवक। उनके जनता के साथ सबध पिता और बच्चो की भॉति के है। उन्हे जनता के हित मे अवश्य सुरक्षा प्रदान करनी है तथा जनता का कल्याण अवश्य ही उनका आर्थिक कर्तव्य है।''[6]

(v) नागरिको के कर्तव्य—स्वतत्रता एव समानता बनाये रखने के लिए सरदार पटेल ने नागरिको के कर्तव्य को निश्चित करते हुए कहा कि यदि नागरिक अपने कर्तव्यो का पालन नही करेगे तो सम्भव है कि उनकी स्वतत्रता और समानता खतरे मे पड जाय। अत नागरिको मे कर्तव्य पालन पर बल देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि-

''प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वह महसूस करे कि देश स्वतत्र है तथा उसे सुरक्षा प्रदान करने का उसका कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह जॉति-पॉति को भूल जाय और अपने आप को मात्र भारतीय समझते हुए अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन करे।''[7]

---

५ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50 तक), नई दिल्ली, 1982, पृ० 45

६ वही, पृ० 27

७ वही, पृ० 27

(vi) **छोटे राज्य विकास मे बाधकः**- सरदार पटेल ने स्वतत्रता के उपरान्त देशी रियासतो का एकीकरण किया। उन्होने अनुभव किया था कि ये छोटे-छोटे राज्य राष्ट्र के विकास मे बाधक है तथा भाषायी और भौगोलिक आधार पर गठित ये राज्य देश की एकता और अखण्डता के लिए हानिकारक है। वे इस प्रकार के प्रान्तवाद के विरुद्ध थे। उन्होने इसी कारण आन्ध्र प्रदेश से तमिलनाडु के पृथककरण का विरोध किया था तथा सकारात्मक रूप से महाराष्ट्र से गुजरात राज्य के पृथक्करण के भी विरोधी थे।

(vii) **आर्थिक स्वतत्रता के समर्थक**—सरदार पटेल राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक स्वतत्रता को आवश्यक मानते थे, इसलिए कुछ लोग उन्हे पूँजीवाद समर्थक भी कहते है। उनकी नजरो मे ''राजनीतिक स्वतत्रता, आर्थिक स्वतत्रता के बिना वास्तविक अर्थो मे स्वतत्रता नही होगी।'' उन्होने कहा था कि मेरी केवल यही इच्छा है कि भारत को अच्छा उत्पादक राष्ट्र होना चाहिए तथा देश मे कोई भूखा न रहे, भूत के लिए ऑसू न बहाये। इसके लिए देश का उत्पादन बढाया जाय। आयात के भरोसे नही बैठना चाहिए। व्यक्ति आयतित वस्तुओं पर निर्भर न हो इसके लिए सरकार और जनता को मिलकर कार्य करना चाहिए। इसके लिए सविधान निर्माण के मौलिक अधिकारो की उपसमिति के अध्यक्ष के नाते उन्होने सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारो की श्रेणी मे रखने का निर्णय लिया तथा व्यापार आदि को स्वतत्रता के लिए अनु० 301 को लागू करवाने मे अहम भूमिका निभायी।

*****

सामाजिक विचार

सरदार पटेल का सामाजिक चिन्तन गाँधीवाद का पूरक है। गाँधी जी के समान सरदार पटेल ने भी अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म का एक कलंक बताया। सरदार का कहना था, "वह धर्म के बहाने चलने वाला एक ढोंग है।[8] 1936 ई० में संयुक्त प्रान्त में एक किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में सरदार पटेल ने छुआछूत की भर्त्सना करते हुए कहा, "यह एक पाप है जिसे हम अछूत मानते हैं, अगर वह हमारा समाज छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले, तो उसी वक्त से उसे छुआ जा सकता है। हिन्दू धर्म पर से इस कलंक को मिटा देने के लिए महात्मा गाँधी ने अनेक दुःख सहे।[9]

सरदार पटेल स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के पक्षपाती थे। 1921 ई० में बिहार में किसानों की एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था," आपको शर्म नहीं आती आप अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखते हैं, दुख ही अर्द्धागवायु से पीड़ित है? ये स्त्रियाँ कौंन हैं ? आपकी माँ, बहन और पत्नी। उन्हें परदे में रखकर क्या आप यह मानते हैं कि क्या आप उनके सतीत्व की रक्षा कर सकेंगे? उन पर इतना अविश्वास क्यों ? क्या आप इसलिए करते हैं कि वे बाहर आकर आपकी गुलामी देख लेंगी? आपने उन्हें गुलाम पशुओं की तरह रखा है, इसलिए उनकी औलाद आप भी गुलाम पशुओं की तरह हो गये हैं- मेरी चले तो मैं बहनों से कह दूँ कि ऐसे डरपोक और`नामर्दो की स्त्रिया बनने से तो उन्हें तलाक देना अच्छा है।[10]

सरदार पटेल ने बाल विवाह तथा अनमेल विवाह की भी तीव्र आलोचना की तथा विधवा विवाह का समर्थन किया । समाज में बलि प्रथा जिसमें बच्चों को बलि पर चढ़ाया जाये, से सरदार पटेल अत्यन्त दुःखी थे। अपने बिहार यात्रा के दौरान इस क्रूरता पर रोष प्रकट करते हुए सरदार पटेल ने कहा, "जो ब्राह्मण गुड्डे, गुडियों का विवाह करने के लिए

---

८ 'पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण, अहमदाबाद, 1950, पृ० 35

९ 'वही, पृ० 312

१० 'वही, पृ० 211

स्मृतिया उद्धृत करते है, वे ब्राह्मण नही राक्षस है और जो मॉ बाप इन ब्राह्मणो की बात मानकर बच्चो को काली माता की भेट चढाते है, वे स्वय पशु है, मेरे हाथ मे कानून हो तो मै ऐसे लोगो को गोली से उडा देने की सजा निश्चित करू।[11]

समाज के निर्माण मे सरदार ने शिक्षा पर विशेष बल दिया। 21 अक्टूबर 1950 को गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षान्त भाषण मे सरदार पटेल ने कहा, "जो शिक्षा पद्धति जनता तथा देश को आत्म निर्भर नही बनाती है, उसकी पुनर्रचना होनी चाहिये।[12] गॉधी की भॉति सरदार पटेल स्वदेशी तकनीकि पर आधारित विशेष शिक्षा के पक्षपाती थे। साथ ही उन्होने पुरुषो की भॉति नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। उनका आग्रह था, "पिछडे हुए समाज की कन्याओ को शिक्षित करने का काम महापुरुष का काम है। उसका फल बहुत समय बाद मिलेगा और जब तक फल मिलेगा, तो उसकी मिठास मिलेगी।[13]

सरदार पटेल समानता के समर्थक थे। वे कहा करते थे ''जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है तो फिर मालिक या दास का अन्तर क्यो? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान है तो यही समानता की भावना समाज मे भी व्याप्त होनी चाहिए।'' सविधान सभा मे मौलिक अधिकारो की उप समिति के अध्यक्ष के रूप मे उन्होने इसी दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होने बहुसख्यक वर्ग द्वारा अल्पसख्यको पर अत्याचार तथा उनके प्रति शका का विरोध किया। साथ ही अल्पसख्यक वर्ग से देश के प्रति पूरी वफादारी की अपील की।

सरदार पटेल एक धर्म निरपेक्ष समाज के पक्षपाती थे। उनका मत था कि ईश्वर एक है तथा सभी उसकी सन्तान है। धर्म ईश्वर तक पहुँचने के अलग-अलग मार्ग है लेकिन सबसे श्रेष्ट मानवता है। सरदार पटेल धर्म के नाम पर सकीर्णता के विरोधी थे। वे भारतीय समाजको धर्म की सकीर्णता की भावना से मुक्त करना चाहते थे।

*****

---

११ 'वही, पृ० 212

१२ 'नन्दूरकर, जी०एम०, इन दि टियुन विथ मिलियन्स, वाल्यूम- 2, अहमदाबाद, 1976, पृ० 239

१३ 'पटेल, मणिबेन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखेपत्र, भाग-2, अहमदाबाद, 1981, पृ० 181

आर्थिक विचार

सरदार पटेल किसी विशेष सैद्धान्तिक पन्थवाद या परम्परा से जुडे रहने के विरोधी थे। 'अत्यधिक उत्पादन तथा न्यायोचित वितरण" उनके आर्थिक चिन्तन का मुख्य आधार था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय वित्तीय सकट, आवश्यक वस्तुओ का आभाव, औद्योगिक गतिरोध, मुद्रा प्रसार आदि गम्भीर चुनौतिया थी। उसी काल मे पटेल के भाषण एव पत्र व्यवहार उनके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रकट करते है। प्रान्तो के मुखमत्रियो को लिखे पत्रो एव भाषणो मे पटेल ने सरकारी खर्च मे कटौती, केन्द्र तथा प्रान्तो के बीच अधिक सहयोग, वित्तीय अनुशासन, औद्योगिक उत्पादन मे अधिक पूँजी नियोजन तथा मजदूरो एव मालिको के बीच अधिक सद्भावना पर बल दिया। नवनिर्माण काल मे औद्योगिक शान्ति, औद्योगीकरण के क्षेत्र मे सगठित प्रयास एव उपलब्ध साधनो का अधिकतम प्रयोग तथा नये साधनो की खोज, सरदार पटेल के चिन्तन के मुख्य आधार थे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समय यह अनुभव किया गया कि साम्यवादी एव समाजवादी मजदूर सगठनो को औद्योगिक अशान्ति के लिए भडका रहे थे। 1947 ई० मे सरदार पटेल की प्रेरणा से 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस' (इन्टक) की स्थापना हुई । 17 मई 1948 ई० को उसके प्रथम वार्षिक सम्मेलन मे सम्बोधित करते हुए पच फैसले द्वारा श्रम और पूँजी की समस्या को सुलझाने पर बल दिया। उन्होने कहा कि औद्योगिक शान्ति समयानुकूल है परन्तु साम्यवादी एव समाजवादी श्रमिको को भ्रमित कर रहे है।" श्रमिको के समक्ष काल्पनिक स्वप्नलोक प्रस्तुत करके, यह आसामाजिक तत्व श्रमिक आन्दोलन को भ्रमित करके उस रास्ते पर ले जा रहे है जिसके परिणाम स्वरूप न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होगी, वरन श्रमिको को भी अधिक हानि उठानी पडेगी।[14] सरदार पटेल तीन वर्षो के लिए औद्योगिक शान्ति के पक्ष में थे। उन्होने हडतालो की अपेक्षा परस्पर समझौते की और पच फैसले की पद्धति पर अधिक बल दिया। मई 1949 ई० मे इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस के अपने सम्बोधन मे कहा, " देश मे जो लोग आज के सकट

---

१४ नन्दूरकर, जी०एम०, इन द टियुन विथ मिलियन्स, वाल्यमू-1, अहमदाबाद, 1974, पृ० 255

काल मे ऐसी कार्य प्रणाली का आसरा लेते है, जो उत्पादन को रोकती है, वे मजदूरो और देश मे हानि पहुॅचाते है। झगडो की निपटारे का सर्वोतम उपाय है पच फैसले की पद्धति, और एक बार न्याय निर्णय और पच फैसले का तत्र चालू हुआ कि हडताले गैर कानूनी बन जायेगी। ऐसी परिस्थितियो मे जो लोग मजदूरो को हडताले करने की या जारी रखने की सलाह देते है, वे मजदूरो के या इस देश के मित्र नही है।[15]

सरदार पटेल उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार "वर्तमान परिस्थितियो मे उद्योगो का राष्ट्रीयकरण सरल कार्य नही है।[16] इसके लिए देश के पास न तो समुचित साधन है और न क्षमता है। सरदार पटेल के दृष्टिकोण से, "राष्ट्रीयकरण की चर्चा के पूर्व उद्योगो का विकास आवश्यक है।[17]

सरदार पटेल गॉधीवादी समाजवाद के समर्थक थे उन्होने कहा, "मार्क्स के आधार पर स्थित समाजवाद हिसा के एक पथ के अलावा और कुछ नही है। हिसा द्वारा सम्पत्ति का उन्मूलन काग्रेस के आचार नियमो के विरुद्ध है, गॉधी जी नया सन्तुलन स्थापित करना चाहते है, पर लोगो को उनकी इच्छा के खिलाफ जायजाद छीनकर नही, बल्कि उनसे इच्छा पूर्वक आत्मत्याग करवाकर। आप कह सकते है कि यह अव्यवहारिक है, पर गॉधी जी ने यह दिखला दिया कि ऐसा किया जा सकता है। यह समता और स्वतन्त्रता का अहिसात्मक मार्ग है और यही एक मात्र मार्ग है।[18]

भारतीय समाज मे सच्चा समाजवाद ग्रामोद्योग पर निर्भर होना चहिये, और पाश्चात्य देशो की भारी उद्योग नीति के स्थान पर भारत मे ग्राम उद्योगो के माध्यम से बडे पैमाने पर उत्पादन से यह सम्भव है। इससे देश की विभिन्न रोजगार जैसी समस्याये हल होगी तथा देश आत्मनिर्भर बनेगा। समाज का स्वस्थ पुर्ननिर्माण होगा। यही गॉधी जी की कल्पना थी, जिसके अनुसार सरदार की स्वतन्त्र भारत के समाजिक उत्थान मे इसी प्रकार की आर्थिक उन्नति से सुदृढ समाज की नीव रखना चाहते थे और उत्थान को आवश्यकतानुसार बनाना

---

१५ 'वही, वाल्यूम -2, पृ० 179

१६ 'वही, वाल्यूम -2, पृ० 193

१७ वही, वाल्यमू -2, पृ० 197

१८ मेहरोत्रा एव कपूर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एव राजनीतिक विचार, दिल्ली,1997, पृ० 184

चाहते थे। उन्होने कहा था कि "यहा बाहर से बहुत अनाज मगवाना पडता है, इससे देश का बहुत नुकशान होता है । इसलिए हम इस निर्णय पर पहुँचे है कि जैसे भी बने, बाहर से अनाज मँगाना बन्द ही कर देना चहिये और जितना जरूरी है उतना देश मे उत्पादन करने का प्रयास करना चहिये।[19] यही समाजवाद है, जिससे समाजस्थिर व आत्मनिर्भर बन सकता है। ऐसे समाजवाद की स्थापना के लिए रचनात्मक कार्यो को अधिक प्रोत्साहन देना होगा, क्योकि इससे एक ओर हमारी आत्म निर्भरता बढेगी और दूसरी ओर हमारा समाज स्वस्थ्य बनेगा। सरदार पटेल ने जीवन भर रचनात्मक कार्यक्रमो को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद म्युनिसपेलिटी के अध्यक्ष के रूप मे, सत्याग्रहो मे, परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी विवाद के समय तथा स्वतन्त्र के उपरान्त, सरदार पटेल ने सदैव रचनात्मक कार्यो को प्राथमिकता के रूप मे अपनाया।" काग्रेस दल के रचनात्मक कार्यक्रमो जैसे वस्त्र निर्माण, अन्य देशी वस्तुओ का निर्माण नशाबदी और ग्राम सेवा आदि मे अपने को प्राथमिकता से लगाया।[20]

सरदार पटेल कुटीर उद्योग धन्धो को अत्यधिक महत्व देते थे परन्तु वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि स्वतन्त्र भारत मे उन्नति और सम्पन्नता की दृष्टि से औद्योगीकरण का अपना महत्व है, लेकिन यह औद्योगीकरण विशेष वस्तुओं तक ही सीमित होना चाहिए। साथ ही ऐसे औद्योगीकरण से अमीरो द्वारा गरीबो का शोषण नही होना चाहिये फिर भी औद्योगीकरण की आवश्यकता मे सरदार पटेल चाहते थे कि पूँजीवाद पर सीमा से अधिक विधायन पर रोक लगे और पूँजी पति अपनी पूँजी का प्रयोग ट्रस्टी बनकर करे, ताकि जनता को राहत मिले तथा जनता के हित से उसका सार्वजनिक उपभोग भी हो सके। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि "हमे एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार करना चाहिए, जिससे हम ऐसे आधारो की उपलब्धि कर सके- ताकि जनता के रहन-सहन का स्तर और सम्मान सुधर सके।" सरदार पटेल का दृष्टिकोण समन्यवयात्मक था जिसमे सीमाबद्ध पूँजीवाद रहे तथा आवश्यक औद्योगीकरण जिससे आर्थिक क्षेत्र मे लाभ के साथ जनसामान्य का स्तर सुधर सके और समाज का नवनिर्माण हो।

१९ 'कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एव राजनीतिक विचार, दिल्ली, 1491, पृ०180

२० 'वही, पृ० 181

सामाजिक न्याय के सन्दर्भ मे सरदार पटेल का विचार था कि निर्धनो के रहन-सहन को ऊँचा उठाने की व्यवस्था हो अतएव वे भूमि सुधारो को बिना उचित मुआवजा करने के विरुद्ध थे। इस दृष्टिकोण से वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के किसी के द्वारा शोषण के विरुद्ध थे, लेकिन अमीर का हृदय परिवर्तन कर उसे गरीबो की ओर मोडने के पक्ष मे थे। सरदार पटेल बल पूर्वक किसी की सम्पत्ति लिए जाने के विरुद्ध थे जिसका प्रमाण गॉधी जी का स्मारक बनवाने के लिए बलपूर्वक उसके मालिक से लिए जाने का विरोध करते हुए यह कहना है।" यदि इस तरह निजी सम्पत्ति जबरदस्ती से प्राप्त की जायेगी तो उसका अर्थ यह होगा कि किसी को अपने घर मे किसी बडे आदमी को मेहमान की तरह रखना ही नही चाहिये। राष्ट्र के नाम से ऐसे निजी मकान लेना मुझे बिलकुल उचित नही लगता और यह सब बापू के नाम से करना तो गुनाह मालूम होता है, यदि सार्वजनिक मकान जिसा सम्बन्ध मालिक के अपने परिवार के निवास स्थान के रूप मे न रहा हो, ऐसे मकानो को लेने मे कोई हर्ज नही"[21]

सरदार पटेल का आर्थिक क्षेत्र मे दृष्टिकोण व्हारिक होने के वावजूद उनपर अनुदारवादी दाक्षिणपथी व पूँजीवादी समर्थक होने का आरोप लगाया जाता है पटेल ने स्वय स्वीकार किया था कि, "मुझपर सदैव बिडला जैसे पूँजीपति का मित्र होने का आरोप लगाया जाता है—मैने गॉधी जी से सीखा है, अमीर या गरीब, बडा या छोटा सबके प्रति सहानुभूति रखो, अत मै श्रमिक, उद्योगपति, राजा, किसान तथा जमीदार सभी से मित्रता रखता हूँ और उन्हे सही कार्य करने हेतु प्रेमपूर्वक प्रेरित करता हूँ।"[22]

12 नवम्बर 1949 को उद्योगो की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के सम्बोधित करते हुए एक कुशल व्यवहारवादी अर्थशास्त्री के रूप मे सरदार पटेल ने कहा था, "अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, अत मै आपसे आग्रह करता हूँ। कि आप समस्या के व्यवहारिक पक्ष को निकटता से देखे तथा उन उपायो की खोज करे जिनके द्वारा उपलब्ध साधनो का राष्ट्रीय विकास मे उद्दश्यपूर्ण प्रयोग हो सके।"[23] इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र मे पटेल उत्तरोत्तर विकास के पक्षधर रहे ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके।

*****

---

२१ वही, पृ० 182

२२ नन्दूरकर, जी०एम०, पूर्वो, वाल्यूम -1, पृ० 258

२३ वही, पृ० 202

अध्याय 6

सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता

(I) राजनीतिक विचारो की प्रासगिकता

(II) सामाजिक विचारो की प्रासगिकता

(III) आर्थिक विचारो की प्रासगिकता

सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता

राजनीतिक विचारो की प्रासंगिकता

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन व आचरण, उनके विचार, उनकी राष्ट्र के प्रति गहन निष्ठा, उनकी कर्मठता व दृढता सब देश के लोगो के लिए अनुकरणीय है। राजगोपालाचारी जैसे नेता ने लिखा है कि "हमने सबसे बडी भूल यह की कि सरदार पटेल को प्रधानमत्री नही बनाया। यदि प्रधानमत्री सरदार पटेल बनते और विदेश मत्री नेहरू बनते तो बहुत अच्छा हुआ होता।"[24] जय प्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता ने कहा कि "सरदार पटेल को प्रधानमत्री न बनाकर हमने बहुत बडी भूल की।"[25]

एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण सरदार पटेल को मालूम था कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण काल मे त्याग की आवश्यकता हो तो त्याग अवश्य करना चाहिये। उनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र हित था। पटेल राष्ट्रीय हित के प्रबल प्रहरी थे, राष्ट्रीयता उनके जीवन का परम लक्ष्य था, अतएव राष्ट्रहित मे गॉधी जी के कहने पर प्रधानमत्री जैसा महत्वपूर्ण पद जवाहर लाल नेहरू के लिए छोड दिया। सरदार पटेल मे राष्ट्र प्रेम कूट-कूट कर भरा था एक बार गृह मत्री के रुप मे उन्होने कहा था कि—"जो भारतीय है वे भारत मे ही रहे क्योकि भारत के लोगो को भारतीयो की जरूरत है चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो।"[26]

निश्चय ही इस कथन से सच्चे राष्ट्रवादी एव धर्म निरपेक्षता का भाव झलकता है, क्योकि राष्ट्र का सबध किसी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के बन्धन से आबद्ध नही होता, राष्ट्र केवल राष्ट्रभक्तो का होता है। उनकी कार्य पद्धति की कसौटी राष्ट्रीय हित से प्रभावित थी। भारत विभाजन को उन्होने राष्ट्र हित की कसौटी पर परखा और उसे स्वीकार करते हुए

---

२४ पटेल, बाबू भाई जश भाई का व्याख्यान, उद्धत, सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1986, पृ० 43

२५ वही, पृ० 44

२६ पटेल, दिलवार सिह, जैसवार, नवेदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली, 2000, पृ०449

लोगो से कहा, "यदि एक अगूठा विषाक्त हो जाय तो उसे अलग कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा सम्पूर्ण शरीर को अत्यधिक नुकसान उठाना पडता है।"[27]

1946 ई० मे जब बम्बई मे भारतीय नौ सेना ने विद्रोह किया तो सरदार ने समाजवादियो की कटु आलोचना राष्ट्रीय हित को ध्यान मे रखकर ही की। स्वतत्र भारत मे ह्रदय रोग से पीडित होने पर भी उन्होने वायुचालित डाकोता विमान से सारे देश की यात्रा की और लोगो को सरकार की नीतियो से अवगत कराया, उन खतरो से सावधान किया जिनका उन्हे सामना करना था, उनके समक्ष खडे राष्ट्र निर्माण के कार्यो पर बल दिया तथा देश की प्रगति हेतु अनिवार्य शर्तो का निर्देश दिया। सरदार पटेल के उपरोक्त कार्यो से प्रेरणा ग्रहण कर हम भविष्य मे राष्ट्र की एकता एव अखण्डता को सुरक्षित रख सकते है। तथा अनेक क्षेत्रीय समस्याओ जैसे काश्मीर समस्या, नागालैण्ड समस्या, बोडो समस्या, खालिस्तान समस्या, वनाचल समस्या आदि का समाधान कर सकते है।

वी०पी० मेनन ने लिखा है, कि "नेतृत्व दो प्रकार का होता है। एक नेता जैसे नेपोलियन--जो नीति का निर्माता एव व्याख्याता दोनो था और अपनी आज्ञानुसार उस पर अमल चाहता था। ऐसे सर्वोच्च व्यक्ति रोज-रोज उत्पन्न नही होते। सरदार का नेतृत्व दूसरी प्रकार का था उन्होने अपने अधिकारियो का सावधानी पूर्वक चयन किया और उन पर बिना हस्तक्षेप के नीति निर्माण का कार्य छोड दिया। उन्होने कभी झूठा दावा नही किया कि वे विश्व मे सब कुछ जानते है। उन्होने कभी भी एक नीति का स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियो की सलाह के बिना स्वीकार नही किया। विचार विमर्श अधिकारियो से उन्हे लाभ पहुचाने वाले थे"[28] वास्तविकता यह है कि सरदार पटेल ने जो भी कदम उठाया वह पूर्ण विचार विमर्श तथा सतुष्टि के बाद ही उठाया। उस कदम का सबध चाहे प्रशासन मे नीतिगत निर्णय से हो या सघर्ष हेतु सत्याग्रह से। बारडोली सत्याग्रह हेतु उन्होने अन्तिम निर्णय तभी लिया जब वे अपने सहयोगियो से पूर्ण रूप से सतुष्ट हो गये तथा स्थिति को सत्याग्रह हेतु अनुकूल पाया। सरदार पटेल के निर्णय सदैव संतुलित, दृढ तथा देशहित मे होते थे। रवीन्द्र कुमार ने सरदार पटेल की तुलना लेनिन तथा माओत्सेतुग से करते हुए लिखा है कि "लेनिन ने भावी पीढियो का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन भर सघर्ष किया, कष्ट

---

२७ वही, पृ० 449

२८ कुमार, रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई के सामाजिक एव राजनीति विचार, दिल्ली, 1991, पृ०186

उठाये और स्वयदीनता स्वीकार की। उनका भी अमर सन्देश सरदार पटेल की भाति यही था—दु ख सहन करके, अस्तित्व के खातिर जूझो। लेनिन एक विचारक तथा जन्मजात नेतृत्वकारी थे और सरदार पटेल एक सुदृढ सघर्षकर्ता व नेतृत्वकारी। सिद्धान्तो मे दोनो मे मतभेद थे, परन्तु जीवन के कर्म को दोनो बराबर महत्त्व देते थे।"[29]

साम्यवादी चीन के निर्माता माओत्सेतुग के नेतृत्व की श्रेणी सरदार पटेल से इस रूप मे मिलती है कि दोनो नेतृत्वकारी किसान के सगठन को समान महत्व देने वाले थे। यद्यपि माओ ने चीनी साम्यवादी दल को मजबूत सगठन दिया और जिससे चीन की क्रान्ति भी समाप्त हुई, उसी की भॉति सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को अधिकतर गतिशील सगठन बनाया जिसने देश के स्वतत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया। "इस प्रकार सरदार पटेल के नेतृत्व का वर्गीय चरित्र एकपक्षीय नही बहुपक्षीय था। वे बिस्मार्क से श्रेष्ठ लौह पुरुष, नेपोलियन से श्रेष्ठ कार्य पद्धति वाले, लेनिन जैसे कर्मप्रिय तथा माओत्से तुग जैसे कृषक नेतृत्व कारी नेता थे।"[30] वर्तमान अविश्वास की राजनीति मे राजनेताओ के लिए सरदार का सुदृढ नेतृत्व अनुकरणीय है। जिसके माध्यम से वे सगठन को गतिशील बना सकते है और विश्वास की राजनीति पैदा कर सकते है।

सरदार पटेल मानते थे कि राजनीति को जब भी व्यवहार मे उतरना हो तब ससार के अपूर्ण मनुष्यो की आवश्यक मर्यादाओ को ध्यान मे रखना चाहिये। मर्यादाये भी सभी आवश्यक नही होती। उन्होने अपनी ओजस्वी वाणी से एव दक्षता से गुजरात के भीरु किसानो को निर्भीक बनाया था फिर भी देश या काल की दृष्टि से जो मर्यादाये अनिवार्य हो उसे लक्ष्य मे लेना चाहिये। अन्यथा हमे ही बनवास लेना पडेगा और हमारी खाली जगह निर्बल आदमी आ बैठेगे अतएव अपवित्र कहकर राजनीति को छोड देने से राजनीति का प्रश्न समाप्त नही हो जायेगा। प्रकृति मे कुछ भी खाली नही रहता अर्थात् अयोग्य व्यक्ति उस रिक्त स्थान पर अधिकार कर लेगे सिर्फ मैकियावली को गुरु मानकर राजनीति नही कर सकते। "सरदार ने राजनीति के लिए केवल आनेस्टी (प्रमाणिकता) शब्द का प्रयोग न करके 'पॉलिटिकल आनेस्टी' शब्द का प्रयोग किया है।"[31] उनका कहना था कि इसका

---

२९ वही, पृ० 187

३० वही, 188

३१ पटेल, बाबू भाई जश भाई, पूर्वो, पृ० 60

सर्वत्र पालन उचित होगा, यदि ऐसा न हो तो कम से कम राजनीति मे इसका पालन तो करे ही। पेन्शन अदा करने के बारे मे ससद के समक्ष वृत्तात रखते हुए उन्होने कहा कि—''इसमे छोटे बडे सुधार या सुझाव हो सकते है। जो निश्चय किया गया है वह सर्वाग सपूर्ण है, ऐसा भी मै नही कहा लेकिन वर्तमान सयोगो मे इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिन्दुस्तान का एकीकरण। यही सबसे प्रथम करने लायक कार्य है। इसे पूर्ण करने मे यदि दूसरे प्रश्न बाकी रह जाते है तो रहे, उनका फैसला वाद मे करेगे।''[32] इस प्रकार की दृष्टि मे राष्ट्रहित सर्वोपरि महत्व का था। एम० एन० राय के पटेल की मृत्यु के दो दिन पहले लिखा कि वे भारत भाग्य के निर्माता थे। ''जब भविष्य निराश जनक हो तो, भूत से प्रेरणा लेना होगा, सरदार पटेल इस भूत के गौरव थे।''[33]

सरदार पटेल को अप्रमाणिकता का भय था पर उद्दामवादी गिने जाने का मोह न था। राजाओ को दिये गये सालियाना के बारे मे उद्दामवादियो ने विरोध किया श्री वी०पी० मेनन के कथानुसार ''अकेले ग्वालियर राज्य की गगा जली निधि मे इतनी रकम थी कि उसके ब्याज से सारे मध्य भारत के राजाओं का सालियाना चुकाया जा सकता था। निजाम ने जो जाययाद सौपी थी उसके ब्याज की ही आय सवा करोड रुपये थी। राजाओं ने भारत सरकार को एकास्सी करोड रुपये दिये थे, इतना ही नही बल्कि बारह हजार मील की लम्बी रेलवे दी थी। प्रतिवर्ष अपनी निजी खर्च के लिए 20-25 करोड खर्च करने वाले राजाओं को कुल मिलाकर पॉच करोड देने थे फिर भी सरदार पटेल ने राजाओं को दिये जाने वाला सालियाना नये राजा की नियुक्ति के समय क्रमश घटता जाय ऐसी व्यवस्था करायी थी।''[34] उद्दाम वादियो ने जब सालियाना का करार रद्द करने या बदलने का आग्रह किया तब सरदार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ''स्वराज्य का आरम्भ मै अप्रमाणिकता से नही करना चाहता हूॅ।''[35] उन्होने आगे कहा कि ''यदि सलाह सम्मति से समाधान न हुआ होता तो आज की अपेक्षा उस समय सघर्ष करने की शक्ति राजाओ मे अधिक थी, उन्हे न्याय देना उचित है, उनकी जगह अपने आप को रखे और तब अपने त्याग का मूल्याकन करे। राजाओ ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उन्होने अपनी सत्ता एव अधिकार छोड दिये है और राज्यो के

---

३२ वही, पृ० 60

३३ कृष्णा, बी० सरदार वल्लभ भाई पटेल इण्डियाज आयरनमैन, नयी दिल्ली, 1995, पृ० 516

३४ वही, पृ० 14

३५ वही, पृ० 14

विलीनीकरण मे सम्मति दी है। करार के अनुसार हमने जो उत्तरदायित्व लिया है तथा उन्हे जो विश्वास दिलाया है उसे पेन्शन अदा करके पूरा करना है। इसे पूरा न करने मे हमारी निष्फलता और विश्वास भग गिना जायेगा।"[36] यह पेन्शन जो क्रमश घटने वाली था लेकिन अनेको करोड खर्च करने वाले शासन ने बाद मे पेन्शन बन्द करके इसे प्रगतिशील कदम कहकर अभिवादित किया लेकिन सरदार पटेल तो वो यह विश्वास भग ही लगा होता इस प्रकार सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी की सरदार पटेल की राजनीति एक आदर्श है जिससे वर्तमान राज्य की विकृतिया दूर की जा सकती है।

शुद्ध सोने से गहने नही बनते उसमे तॉबे का मिश्रण करना पडता है। यह ताबॉ यानी दूरदर्शी व्यवहार। इसी व्यवहार के कारण सरदार पटेल ने तत्कालीन तमाम प्रशासनिक सेवा को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे वाजिब अधिकारो को हम छीनने वाले नही है और न ही तुम्हारे साथ शत्रुभाव रखने वाले है। यदि देश की चिन्ता है तो परिस्थितियो को लक्ष्य मे रखकर तुम्हे सब कुछ करना चाहिए। नेहरू अधिकारियो पर अग्रेज समर्थक होने के कारण भरोसा रखने के पक्ष मे नही थे। सरदार ने उन्हे समझाते हुए कहा "अगर आप उन्हे भरोसा नही देगे तो यह देश नही बचेगा और देश ही न रहेगा तो लोकतत्र और समाजवाद कहा से रहेगा?"[37] इनके अलावा सरदार ने सभी को समझाया कि पराधीन होने का कारण वे सब मजबूर थे अब परिस्थिति बदली है इसलिए हम जैसा चाहेगे, वैसा वे करेगे। उन पर भरोसा रखकर उन्हे मौका दिया जाना चाहिये। सरदार कहते थे कि "नौकर वर्ग तुम्हारा न माने तो इसमे उसका दोष नही है तुम्हारा है। घोडा अपने सवार को खूब पहचानता है। सवार ढीला होने पर घोडा शरारत करे तो इसमे क्या आश्चर्य"[38] सरदार की इस बात का अनुभव सभी मत्रियो को हुआ होगा। सरदार ने मेनन से काम लिया, कृष्णमाचारी से काम लिया प्रत्येक व्यक्ति से काम लेते समय वे केवल इतना देखते थे कि उसमे सज्जनता है या नही। मनुष्य की योग्यता जैसे-जैसे बढती जाय उसी अनुपात मे इसका अमल अधिक होना चाहिये। इसी योग्यता को बढाने का कार्यक्रम ही रचनात्मक कार्यक्रम है रचनात्मक कार्य चलता रहे, राज्य को इसमे अवरोधक नही बनना चाहिये और

३६ वही, पृ० 14
३७ वही, पृ० 64
३८ वही, पृ० 64

राजनीति मे परिस्थिति मे मुताबिक सज्ञनता का सगठन करके समयानुसार सर्वाधिक शक्य मार्ग निकालते हुए आगे बढना चाहिये।

सरदार पटेल बेहद अनुशासन प्रिय तथा दल के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री डॉ० खरे सीधे गर्वनर जनरल से मिलकर काग्रेस के लिए अपमान जनक आचरण किया था। सरदार ने उनसे पूछा कि ''आपको काग्रेस को अन्धेरे मे रखकर विदेशी शासन के प्रतिनिधि गर्वनर से गुप चुप तरीके से मिलने का अधिकार किसने दिया। आप काग्रेस के प्रतिनिधि है, जिसने आपको कुछ शर्तो के साथ मुख्यमत्री पद पर बिठाया है। अच्छा व्यवहार रखिये नही हो हट जाइये।'' खरे को जाना पडा, उनकी और गवर्नर की चालबाजी कारगर न हुई। उसी मत्रिमडल मे एक मुस्लिम मत्री थे। जिसने एक हरिजन बालिका पर अत्याचार करने वाले सजा प्राप्त कैदी को माफी दिलवायी। सरदार ने इसका स्पष्टी करण मॉगते हुए कहा, ऐसे अपराधी को आपने माफी कैसे दिलायी? काग्रेसी मत्री होकर अपने यह काम अच्छा नही किया। इस स्थान पर आप नही रह सकते। उन्होने आगे कहा कि अपने इस कृत्य के लिए मै न्यायाधीश नही बनूॅगा लेकिन निवृत्त न्यायाधीश मन्मथनाथ से आपके मामले की जॉच कराऊगा। वे जो कहे उसे मानना पडेगा। मन्मथनाथ ने जॉच के उपरान्त मत्री को अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया फलत मत्री को जाना पडा। मुस्लिम होने के कारण मुस्लिम लीग ने विरोध किया, उत्पात्त मचाया पर सरदार दृढ रहे सरदार पटेल ने स्पष्ट करते हुए कहा ''वह मत्री हिन्दू है या मुसलमान, मेरे सामने यह प्रश्न है ही नही। सवाल है कि अधिकार के दुरुपयोग का।''

अनुशासनहीनता की वजह से सरदार पटेल ने नरीमान जैसे कुशल और प्रगतिशील अल्पसख्यक जाति के नेता नरीमान को भी दल से निष्कासित करने जैसा कठोर निर्णय लिया। सरदार पटेल ने कहा कि, ''मेरा निर्णय गलत या अन्यायी हो, तो मुझे निकाल दीजिये, मुझे एतराज नही लेकिन योग्य व्यक्ति उसकी जॉच करे।''[39] गॉधी जी प्रसिद्ध वकील बहादुर जी को अपने साथ रखकर नरीमान एव उनके समर्थको को एक सप्ताह तक सुना, उन्होने फैसला दिया कि सरदार पटेल के विरुद्ध शिकायत निराधार है। यह प्रकरण बडा दु खदायी रहा। लेकिन यह भी स्मरणीय है कि जब तक इसका फैसला न आया तब

३९ वही, पृ० 15

तक सरदार सेवाग्राम नही गये। गॉधी जी ने कहला भेजा पर सरदार गये ही नही। महादेव भाई ने बुलावा भेजा तो सरदार ने कहा कि "मुझे नही आना है, यदि मै ऑ जाऊ तो लोग इसका गलत अर्थ निकालेगे। मुझे तो बम्बई भी नही जाना है मेरे मामले की जॉच कराइये। ससदीय बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से यदि नरीमान के साथ अन्याय किया हूँ तो मै अयोग्य हूँ।"[40] 1946 ई० के चुनावो मे भी अनुशासन एव दल के प्रति निष्ठा के गुण को प्रत्याशियो के लिए योग्यता के रूप मे रखा।"[41] इस प्रकार उच्च जीवन मूल्यो की रक्षा करना ही सरदार का अटल लक्ष्य था जिसके आधार पर ही आज देश की राजनीति को स्थिर बनाया जा सकता है।

भारत की एकता और अखण्डता के साथ-साथ धर्म निरपेक्षता के प्रति भी सरदार पटेल सदैव प्रयत्नशील रहे। वे स्पष्ट वक्ता थे इसलिए कुछ लोगो ने प्रचार किया कि सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी है पर यह निराधार है, वे मानते थे कि—"भारत और पाकिस्तान मे हिन्दू और मुस्लिम भाईचारे से रह सके ऐसी हवा खडी करने की आवश्यकता है। बहुमत के लोगो को अल्पमत के हितो के पहरेगीर बनना है, अल्पमत के हितो की रक्षा का कर्तव्य बहुमत वर्ग के लोगो का है। हिन्दु भारत मे मुसलमानो से अधिक है इसलिए हिन्दुओ को मुसलमानो का रक्षण करना है।' जब स्पेशल ट्रेन हिन्दूस्तान से पाकिस्तान जाने लगी, तब अमृतसर के उन सिक्खो ने जो पाकिस्तान से घायल होकर आये थे और जिनके कुटुम्ब के लोगो की वहॉ हत्या कर दी गयी थी, स्पेशनल ट्रेन मे जाने वालो को काट डालने का निर्णय लिया। उस समय सरदार पटेल जान हथेली पर रखकर अमृतसर पहुँचे और सिक्खो को समझा बुझाकर ट्रेनो को जाने का मार्ग प्रशस्त किया। सरदार ने धर्म निरपेक्षता को राष्ट्र की अखण्डता को ध्यान मे रखकर साफ शब्दो मे यह कहा कि "जिसे पाकिस्तान से लगाव हो वह पाकिस्तान चला जाय, पर जिसे भारत मे रहना है उसे भारतीय बनकर रहना होगा। पर जो भारत के प्रति वफादार नही है वह पाकिस्तान चला जाय।"[42] यह देश का दुर्भाग्य

---

४० वही, पृ० 57

४१ मेहरोत्रा, एन०सी०, कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार दिल्ली, 1997, पृ० 117

४२ पटेल, बाबू भाई जशभाई, का व्याख्यान उद्धत सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1986, पृ० 47

है कि वह आज सरदार के विचारो को भूल रहा है परिणाम स्वरूप साम्प्रदायिकता हिलोरे मार रही है। यदि राष्ट्र को साम्प्रदायिकता के चुगल से निकालना है तो सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर ही लोगो मे राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करके तुष्टीकरण की नीति का त्याग कर, ही इस समस्या का समाधान सम्भव है।

सरदार लोकतत्र के बडे पुरस्कर्ता थे। लिये हुए निर्णय को अमल मे लाने की क्षमता उनमे थी पर सभी निर्णय वे लोकतत्रीय ढग से लेने के हिमायती थे। उदाहरणार्थ काग्रेस प्रमुख पद के लिए टडन जी ने उम्मीदवारी की थी वे चुने भी जाते ऐसी परिस्थितियॉ थी। किन्तु जवाहर लाल को यह पसन्द नही था, उनकी मान्यता थी की टडन जी का झुकाव हिन्दुओ की ओर है जवाहर लाल नेहरू ने लिखा कि "मै जिसे प्रतिक्रियावादी झुकाव कहता हूँ वैसे टडन है।" सरदार पटेल ने नेहरू जी को समझाते हुए कहा कि कॉग्रेस का सविधान और काग्रेस सर्वेसर्वा है। नासिक अधिवेशन मे जो प्रस्ताव काग्रेस मजूर करेगी वे प्रमुख के लिए बन्धनकारी होगे यदि वे उन्हे स्वीकार नही करेगे तो उन्हे त्यागपत्र देना पडेगा। जो अधिकार काग्रेस अधिवेशन का है उसे आप क्यो ले रहे है। आखिरकार टडन ही अध्यक्ष चुने गये।

मद्रास के मुख्यमत्री की पसन्दगी के बारे मे सरदार पटेल ने लोकमत का सम्मान किया। पडित जवाहर लाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद एव सरदार पटेल तीनो लोग चाहते थे कि मद्रास का उत्तरदायित्व राजाजी सम्भाले, उनकी नजर मे राजाजी से योग्य और कुशल कोई दूसरा नही था, परन्तु मद्रास काग्रेस ने टी० प्रकाशम् को अपना नेता चुना। सरदार पटेल ने लोकतत्र का सम्मान करते हुए कहा कि—"मै मानता हूँ कि काग्रेस और विधान सभा का हित इसी मे है कि आप लोग राजाजी को पसन्द करे फिर भी आप टी० प्रकाशम् को पसन्द करते है तो मै राजाजी को आपके ऊपर थोपने वाला नही हूँ।"[43] इसके अलावा कई अनेक ऐसे प्रसग है जिसमे उन्होने लोकतन्त्र मे विश्वास व्यक्त किया। लोकतत्र के प्रति सरदार पटेल की अटूट निष्ठा से प्रेरणा लेकर वर्तमान समय मे लोकतत्र को सुदृढ बनाया जा सकता है।

---

४३ पचोली, मनु भाई का व्याख्यान, उद्धत सरदार साहित्य माला सम्पुट , अहमदाबाद, 1982, पृ०-68

सरदार पटेल छोटे-छोटे राज्यो के गठन के खिलाफ थे। दिसम्बर 1949 ई० मे काग्रेस द्वारा आन्ध्र प्रदेश को भाषायी आधार पर विभाज्य करने सबधी, पारित प्रस्ताव का विरोध करते हुए उन्होने कहा, "कुछ लोग भाषायी आधार पर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के गठन की बात करते है परन्तु यह नही सोचते कि इसका उत्तर और पश्चिम के प्रदेशो पर क्या प्रभाव पडेगा। हमे विभिन्न राज्यो के बजाय भारत की एकता और अखण्डता के बारे मे सोचना चाहिये। हमे यह सोचना चाहिये की हम भारतीय है।"[44] उनका विचार था कि, "यदि किसी कारण किसी प्रदेश के बडे आकार मे काट-छाट करना जरूरी हो जाय, तो भौगोलिक स्थिति को सम्मुख रखते हुए प्रशासनिक सुविधा और लाभो को ही ध्यान मे रखकर किसी प्रदेश की सीमाओ मे परिवर्तन करना चाहिए।"[45] दुर्भाग्य से सरदार पटेल के विचारो के विरुद्ध अगले कुछ ही वर्षो मे भाषायी आधार पर राज्यो का पुर्नगठन कर क्षेत्रीय वाद को प्रोत्साहन दिया गया। क्षेत्रीयवाद का जो विष देश की एकता मे अवरोध बना है उसे निकालने के लिए सरदार पटेल के बताये मार्ग पर ही चलना जरूरी है।

सरदार पटेल ने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी की राजनीति की। वे जातिवाद मे विश्वास नही करते थे। सरदार पटेल की नैतिकता का सबसे बडा प्रमाण नेहरू के सबध मे गॉधी को दिया गया जिसके कारण उन्होने नेहरू को जीवन भर अपना नेता माना। उनकी ईमानदारी का प्रमाण अपने पुत्र डाह्या भाई को अपने सरकारी निवास मे रहने की अनुमति नही प्रदान करना तथा अपने पुत्र या पुत्री को राजनैतिक उत्तराधिकारी न घोषित करना है। आर्थिक रूप से कितने ईमानदार थे 'इसका प्रमाण उनकी मृत्यु के पश्चात् घर से मात्र 287 रु० की नकद राशि व दो धोती और एक कुर्ता निजी सम्पत्ति के रूप मे थी।"[46] वे काग्रेस के विभिन्न पदो पर रहते हुए "प्रदेश काग्रेस अध्यक्षो को निरन्तर टेलीफोन करते थे लेकिन बिल अपनी जेब से भरते थे। जिसमे उनकी आधे से अधिक आय व्यय हो जाती थी।"[47] भ्रष्ट्राचार की ऑधी से अस्थिर राजनीति को नयी राह सरदार के जीवन से मिल सकती है।

---

४४ पटेल, दिलवार सिह, जैसवार, पूर्वो, पृ० 346

४५ वही, पृ० 330

४६ वही, पृ० 330

४७ कुमार, रवीन्द्र, पूर्वो, पृ० 13

राष्ट्रमंडल के प्रति पटेल के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता

स्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त जवाहर लाल नेहरू काग्रेस को पूर्ण स्वराज्य के सकल्प के अनुसार भारत को राष्ट्रमडल का सदस्य नही बनाना चाहते थे लेकिन सरदार पटेल का विचार था कि ''व्यवहारिक कारणो से राष्ट्रमडल का सदस्य बनना भारत के हित मे होगा।''[48] उनके प्रबल समर्थन और यथार्थवादी परामर्श से 27-28 अप्रैल, 1949 ई० को लदन मे राष्ट्रमडलीय देशो के प्रधान मत्रियो के सम्मेलन मे भारत ने प्रभुता सम्पन्न गणराज्य बने रहने के साथ ही अपने व्यापारिक तथा आर्थिक हितो को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रमडल का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। राष्ट्रमडल की सदस्यता ग्रहण करने से भारत को न केवल आर्थिक क्षेत्रो मे लाभ मिला अपितु विश्व मच पर भारत अपनी व अफ्रीकी देशो की बात प्रभाव शाली ढग से रखने मे सफल रहा। वर्तमान समय मे भारत राष्ट्रमडल का एक प्रमुख राष्ट्र है। वर्तमान नेतृत्व सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रमडल का प्रयोग अपने हितो के लिए कर सकता है।

चीन संबंधी विचार की प्रासंगिकता

चीन के बारे मे पटेल की दूर दृष्टि और समझ नेहरू से कही अधिक परिपक्व व सही थी। नेहरू हिन्दी चीनी भाई-भाई के भ्रम मे खोये रहे जब तक कि चीन ने 1962 ई० मे आक्रमण करके उनका भ्रम नही तोड दिया। जबकि सरदार पटेल ने हमेशा से चीन को एक सम्भावित शत्रु व सीमा पर एक चुनौती के रूप मे देखा। 1949 ई० मे जब चीन एक शक्तिशाली एकीकृत राष्ट्र के रूप मे उभरा तो सरदार पटेल ने बार-बार नेहरू को सजग किया, भारत को उत्तर पूर्वी सीमा के खतरे के प्रति सावधान होना आवश्यक है।

सरदार पटेल की सूक्ष्म दृष्टि ने चीन की साम्राज्यवादी नीतियो को पहचान लिया। ''जून 1949 ई० मे उन्होने नेहरू को स्पष्ट लिखा कि तिब्बत मे अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, साम्यवादी शक्तियो से दूर रहना होगा। चीन तिब्बत की स्वायत्ता को अवश्य भग करेगा।''[49] पटेल ने हमेशा चीन के प्रति सावधान रहने की बात की। उन्होने सडक, रेल,

---

४८ मेहरोत्रा, एन०सी०, पूर्वो, पृ० 199

४९ दास, दुर्गा, सरदार पटेल और कारेसपोन्डेन्स, वाल्यूम VIII, अहमदाबाद, 1977, पृ० 139

वायु सेना, सचार, यातायात द्वारा तिब्बत, भूटान, सिक्किम, दार्जलिग व आसाम से सबधो को और निकट लाने की सलाह दी थी। सरदार पटेल भारत और चीन के बीच सम्भावित तनाव के बारे मे आशकित रहे तथा, बार-बार नेहरू को सतर्क किया, अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले 7 नवम्बर, 1950 ई० को नेहरू को पत्र लिख कर चीन से सावधान रहने की बात कही। पर यहॉ भी नेहरू ने उनकी सलाह की उपेक्षा की जिसका खाजियामा देश को 1962 ई० मे भरना पडा।

चीन के बारे मे सरदार पटेल के विचार आज की प्रासगिक है, चीन के प्रति सतर्क रहना होगा। एक तरफ तो वह भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढाता है और दिल्ली, मास्को, पेकिग धुरी बनाने की बात करता है तो दूसरी तरफ भारत की सीमा पर सैनिक जमावडा कर देता है। साथ हो भारत के शत्रु पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सैनिक साजो सामान की दि्ष्ट्र से मजबूत बनाने का कार्य करता है।

लार्ड माउर्न्टवेटेन ने 1966 ई० मे लिखा कि मै पटेल को हमेशा एक ऐसे पुरुष के रूप मे याद करुँगा जिनमे लौह इच्छा, स्पष्ट दृष्टि, दृढ प्रतिज्ञा थी पर ह्रदय से कोमल, विनम्र और भावना शील रहे।'

*****

सरदार पटेल के सामाजिक विचारों की प्रासंगिकता

सरदार पटेल भारतीय एकता के शिल्पी थे। उनके पास ऐसी अद्भुत दृष्टि थी जिसके द्वारा वे सशक्त और अखण्ड भारत का निर्माण करना चाहते थे। सरदार पटेल अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियो, नैतिक गुणो एव अपनी व्यापक प्रशासनिक क्षमता के कारण ही भारतीयो मे एकता और अखण्डता के आदर्शो का सूत्रपात कर सके जिसके कारण ही उन्हे भारतीय प्रशासनिक सेवा का पितामह कहा जाता है। यह उनकी नेतृत्व क्षमता ही थी, जिसके बल पर वे तत्कालीन नौकरशाहो को इस प्रकार निर्देशित कर सके और उनके अदर देशभक्ति की भावना इस कदर कूट-कूट कर भर दी कि वे लोग भारत को एक सम्पूर्ण विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिये कटिबद्ध हो गये और इस कार्य मे वह पटेल के साथ-साथ जी जान से जुट गये। अच्छे समाज के लिए आधारभूत मान्यताऍ है—शाति और सहअस्तित्व, वस्तुनिष्ठता की उच्चतम दर, लोगो मे न्याय और समानता की भावना तथा समुदायक जीवन के प्रति आकर्षण एव जीवन के हर पहलू मे तर्कसगत दृष्टिकोण। यही वे धारणानाए है जिनको सरदार पटेल भारत के विकास मे अग्रणी और निर्णायक मानते थे।

12 अक्टूबर 1948 ई० को गुजरात और महाराष्ट्र समाज के अभिनन्दनोत्सव के अवसर पर दिये गये व्याख्यान मे सरदार पटेल ने शान्ति एव सह आस्तित्व पर बल देते हुए कहा कि "हिन्दुस्तान मे विभिन्न धर्म, जाति तथा भाषा के मानने वाले लोग रहते है लेकिन उनकी सस्कृति एक है और वह है हिन्दुस्तानी सस्कृति, हम सभी अनुभव करते है कि हम हिन्दूस्तानी है, तो हमे मिल जुल कर परस्पर सौहार्द, प्रेम, एव बन्धुत्व के आधार पर एक स्वच्छ एव सबल समाज का निर्माण करना है।"[1]

जनवरी 1948 ई० को कलकत्ता क्लब मे दिये व्याख्यान मे सरदार पटेल न्याय और समानता को एक स्वच्छ समाज के निर्माण मे महत्वपूर्ण कारक मानते हुए कहा कि ' पहले उत्पादन करो और फिर समानता के आधार पर बॉटो'। सरदार का विचार था कि यदि बटवारा समानता और न्याय के आधार पर नही होगा तो समाज मे वर्गीय विभाजन के

---

१ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947 से 50), प्रकाशन विभाग दिल्ली, 1970, पृ० 196

फलस्वरूप असन्तोष की भावना का तीव्र गति से विकास होगा जो राष्ट्र की एकता एव अखण्डता मे बाधक होगी ही राष्ट्र की आर्थिक विकास मे भी अवरोधक होगी।[2]

सामुदायिकता के बिना मानव जीवन की कल्पना नही की जा सकती। मानव जीवन का आधार ही सामुदायिकता की भावना है। सामुदायिकता की भावना सकुचित न होकर वृहद होनी चाहिये जिसके अन्दर विभिन्न सकल्पनाओ को समाहित करने की क्षमता हो सरदार पटेल के अनुसार खुशहाल जीवन के लिए समुदाय नही अपितु सामुदायिकता की भावना जरूरी है जिसके द्वारा ही हम विभिन्न समुदायो मे सहआसतित्व की सकलपना कर सकते है।

सरदार पटेल जातिवाद (नस्लवाद), साम्राज्यवाद, सम्प्रदायवाद तथा अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयो के विरुद्ध सतत् सघर्ष किया। वे ''अस्पृश्ता को हिन्दू धर्म पर एक कलक मानते थे।''[3] एक समाज सुधारक के रूप मे उन्होने सामाजिक अन्याय, अत्याचार और उत्पीडन का घोर विरोध किया। सामाजिक न्याय के आदर्शों के साथ उनका गहरा लगाव था किन्त उनका प्रथम कार्य भारत के अन्यापूर्ण आर्थिक एव राजनीतिक शोषण का अन्त करना था। उन्होने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भर्त्सना इसलिए की कि उसके कारण भारत का आर्थिक एव राजनितिक पतन गर्त मे जा रहा था। सरदार पटेल ने सामाजिक कुरीतियो बाल विवाह का विरोध करते हुए कहा, ''बचपन मे लडके लडकियो की शादी कर के कच्ची उम्र मे उठा कर ग्रहस्थी का सारा बोझ लादना अपने बच्चो की हत्या करने जैसा है, अगर मेरे हाथ मे सत्ता होती तो बारह तेरह वर्ष की लडकियो का विवाह करने वालो को फासी पर चढा देने या गोली मारने की सजा देता।''[4] अनमेल विवाह का भी विरोध सरदार पटेल ने किया। दहेज प्रथा का भी उन्होने विरोध किया इस सम्बन्ध मे उनका कहना था कि, ''ये सब झझट छोड कर इस लडके को बाजार मे क्यो नही खडा कर देते साड को पॉच हजार रूपये आये या सात हजार''[5]। समाज मे प्रचलित बलि प्रथा के वे प्रबल विरोधी थे। विधवा पुर्नविवाह का समर्थन करते हुए उन्होने कहा, ''विधवा के लिए लगाये गये समाज के बन्धन और विधवा के साथ समाज का व्यवहार इतना क्रूर और कठोर होता है कि उसका जीवन

---

२ वही, पृ० 101

३ पारीख, नरिहर सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947), अहमदाबद, 1950, पृ० 35

४ पारीख, नरिहर, सरदार पटेल के भाषण (1918 से 1947), अहमदाबद, 1950, पृ० 212

५ पटेल, दिलावर, सिह जैसवार, नवेदित भारत के निर्माता सरदार पटेल, दिल्ली, 2000, पृ० 477

तपस्या बन जाता है''[6] सरदार पटेल अर्न्तजातीय विवाह के समर्थन मे कहते थे। ''बालिग लडके लडकियॉ अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करे इसमे माता-पिता या सगे सम्बन्धियो को रुकावट नही डालनी चाहिये।[7] वे पर्दा प्रथा के विरोधी थे तथा उपरोक्त समस्याओ के समाधान के लिए शिक्षा को उचित माध्यम बताते हुए स्त्री और पुरूषो के लिए समाज शिक्षा पर बल दिया।

वर्तमान समय मे भारत एक ऐसे सक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है, जिसमे एकता, अखण्डता, सामाजिक समरसता जैसी विचारधाराये गौण होती जा रही है और उनके स्थान पर क्षेत्रीयता, जातियता और धार्मिक कट्टरता जैसी विचार धाराये हावी होती जा रही है। दहेज वर्तमान समस्या मे एक विकराल सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है।

सरदार पटेल एक सबल एव सुदृढ राष्ट्र के स्वप्न दृष्टा रहे जो सामाजिक न्याय पर आधारित तथा सामाजिक कुरीतियो से मुक्त होगा। जातीयता, क्षेत्रीयता और धार्मिक कट्टरता के साथ-साथ लोलुपता जैसी सामाजिक बुराइयॉ सरदार पटेल के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करके समाप्त की जा सकती है और शान्ति तथा सहआसतित्व को स्वीकार करते हुए न्याय और समानता की भावना के आधार पर सामुदायिक जीवन की भावना विकसित करेक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा सकता है।

*****

---

६ वही, पृ० 477

७ वही, पृ० 477

आर्थिक विचारों की प्रसांगिकता

आज तीसरी दुनिया से भूख और गरीबी को हटाने के लिए सम्पूर्ण विश्व, सयुक्त राष्ट्रसघ और विश्व बैक सहित कई अन्तर्राष्ट्रीय सगठन भरकस प्रयास कर रहे है। बहुत से सकल्प लिये गये, बहुत सी नीतिया बनायी गयी ताकि उपरोक्त को क्रियान्वित किया जा सके। परन्तु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे अभी सफल नही हुए है।

स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद सरदार पटेल ने राज्यो के विलीनीकरण का विशालकाय कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त, आर्थिक विकास की दिशा मे आवाज उठाई। उन्होने कहा कि—राज्यो को जोडने के बाद अपनी ऊर्जा और समय को अपने देश के आर्थिक विकास को प्राप्त करने मे लगाये। आर्थिक विकास के सम्बन्ध मे सरदार पटेल का अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रहा । सन्तुलित आर्थिक विकास और न्यायपूर्ण वितरण, मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति तथा स्वावलम्बिता उनके आर्थिक विचारो का लक्ष्य था। खाना, कपडा और आवास नागरिको की मूल भूत आवश्यकताये है अत इनके उत्पादन बढाने के लिए पटेल ने "उद्योगपतियो, व्यापारी वर्ग तथा मजूदरो के अनुरोध किया सब के लिए उनका एक ही मूल मत्र था। अधिक से अधिक उत्पान बढाओ"[8] 26 जनवरी 1948 ई० को पटना मे नागरिको रो अपने भाषण मे राजनीतिज्ञ, पूँजीपति, किसान, मजदूर, सबसे अनुरोध किया कि अपने धर्म का अनुपालन करे उत्पादन बढाये और सकीर्ण हितो को राष्ट्रीय हितो के लिए त्याग दे तभी राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा और स्वावलम्बी बन सकेगा।"[9] 20 फरवरी 1948 ई० को बम्बई मे एक सभा को सम्बोधित करते हुए सरदार पटेल ने लोगों से अधिकतम उत्पादन की अपील की। उन्होने इस बात की भी वकालत की कि सरकार, मजदूर और उद्योगपति सभी को मिलकर कार्य करना चाहिये।

सरदार पटेल ने औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ कृषि उत्पादन पर भी बल दिया,

---

८ नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार पटेल बर्थ सेण्टरी वाल्यूम -2, अहमदाबाद, 1975, पृ0 26-27

९ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के भाषण (1947-1950), प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 1970, पृ० 126

वे सदैव कृषि उत्पादन बढाने पर जोर देते थे, उनके दृष्टिकोण मे कृषि को प्रधानता दी जानी चाहिये और उपयुक्त साधनो को उपलब्ध कराया जाना चाहिये। सरदार पटेल ने किसानो से अपील की थी कि वे मेहनत करे ताकि अपनी परेशानियो से अपना उत्तम प्राप्त कर सके और सरकार को अपनी न्यूनतम अवश्यकता से अधिक दे सके। उन्होने किसानो की सुझाव दिया था कि सरकार के कार्यक्रमो को क्रियान्वित करने मे सहयोग करे ताकि खाद्य आपूर्ति एव मॉग मे सामाञ्जस्य स्थापित किया जा सके।

सरदार पटेल ने उद्योगपतियो व्यवसायियो, व्यापारियो और मजदूरो से अपील करते हुए कहा कि "मुझे यह कहने की जरूरत नही कि वर्तमान आर्थिक सकट से निपटने और बढे हुए उत्पादन का क्या महत्व है। यही वह श्रेष्ठ तरीका है जिससे मॉग और आपूर्ति के बीच सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। अतएव सरकार, उद्योगपतियो और मजदूरो सभी को राष्ट्र सेवाभाव से कार्य करना चाहिये।

उद्योगपतियो का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करे। मजदूरो को भी चाहिये कि वे औद्योगिको की मदद करे ताकि राष्ट्र को फायदा हो सके। सरकार का कर्तव्य है कि वह भाई भतीजावाद तथा लालफीताशाही से बचे। व्यापारियो का कर्तव्य है कि उत्पादित किया हुआ माल बिना किसी या कम से कम व्यवधान के उपभोक्ता तक पहुॅचाये।

"उत्पादन करो या फिर मिट जाओ"[10] यह एक कटु सत्य है इस समय इसलिए आप सबको परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए, हमे जो आजादी मिली है हमे, चाहिए कि हम उसे सभाल सके। हमारी मिट्टी मे हमारे देश मे प्राकृतिक साधनो का भण्डार है क्यो न उसका उत्तम ढग से इस्तेमाल किया जाय? क्यो न कपडे, स्टील, सीमेट आदि क्षेत्रो मे उत्पादन बढाकर अपनी गृहस्थी जरूरतो का समाधान किया जाय? क्यो न और कोयला और जरूरत के समानो का उत्पादन किया जाय ताकि भारत एक विशाल और मजबूत राष्ट्र बन सके और कोई भी उसकी सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह न लगा सके इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूॅ कि अगर आप ज्यादा वेतन चाहते तो उत्पादन को बढाईये। देश दो चीजो की मॉग करता है पहली हिन्दु -मुस्लिम एकता, दूसरी मजबूती राज्यो के मिलने से।

---

१० भट्ट, एम०सी०, प्रो०, सरदार पटेल्स, आइडियाज आन एकोनामिक पोलसी - दियर रेलीवेन्सी, अहमदाबाद, 1998, पृ० 10

11 नवम्बर 1949 ई० को व्यापारियो, उद्योगपतियो और मजदूर, नेताओं की बैठक मे आर्थिक समस्याओ के समाधान हेतु कहा, "हमारे आर्थिक विकास की कुजी बढे हुए उत्पादन मे है।[11] उन्होने कहा कि उत्पादन बढाने के लिए दो दृष्टिकोणो को अपनाया जाना चाहिये। प्रथम अपनी औद्योगिक क्षमताओ का भरपूर उपयोग करना चाहिये और द्वितीय हमे अपने औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा पूँजी निवेश की आवश्यकता होगी। बढे हुए पूँजी निवेश से जहॉ हम एक ओर उपभोक्ता की मॉगो से निपट सकते है वही दूसरी ओर हम अपने आयातो पर भी रोक लगा सकते है, जो कि न हमारी विदेशी मुद्रा को बचाने मे सहायक होगा बल्कि नयी औद्योगिक ईकाई के लिए आवश्यक कच्चेमाल की जरूरतो को पूरा कर सकेगे।

सरदार पटेल भारत आर्थिक कठिनाइयो के प्रति सजग थे। वे बराबर इस बात का चिन्तन करते कैसे नागरिक की मूल भूत आवश्यक्ताओं को पूरा किया जाये उनके जीवन को सुखद बनाया जाये तथा देश को आत्म निर्भर बनाया जाये। आर्थिक, पुर्ननिर्माण तथा महगाई नियन्त्रण पर विशेष बल देते थे। अधिक उत्पादन तथा उचित वितरण उनकी आर्थिक नीति की आधार शिला रही उनके अनुसार सरकारी तत्र उद्योग मजदूर को एकजुट होकर राष्ट्र के सन्तुलित विकास मे सक्रिय होना होगा।

अपने कार्यक्रमो को विस्तार देते हुए हमारा लक्ष्य अपने साधनो का परीक्षण होना चाहिये और उसे इस तरह योजनाबद्ध होना चाहिये कि हम भविष्य के प्रति आशान्वित रहे कि उत्पादन एक लम्बा रास्ता तय करेगा। जिससे कि हमारी करेसी पर निर्भरता कम हो।

सरदार पटेल ने खाद्य सामग्री के आयात और अधिक दामो के बारे मे कहा था कि यदि हमारे पास वो पूँजी होती, जो हमने पिछले तीन सालो मे खाद्य सामग्री के आयात पर खर्च कर दी है, तो पाकिस्तान से आये शरणार्थियो को अच्छी जिन्दगी प्रदान कर सकते थे। हम हमेशा भारत की सभ्यता और सस्कृति की बात करते है, पर क्या हमने कभी भी इस बात पर विचार किया कि गरीबो की सहायता करना, पडोसियो की मदद करना तथा दीनहीन लोगो के प्रति दया करना ही सभ्यता एव सस्कृति के चमकते हुए रत्न है। यदि हम ईमानदार है तो हमे उन लोगो का कडा विरोध करना चाहिये जो कि सरकार को दिये

---

११ वही, पृ० 4

हुए एक-एक दाने की कीमत मॉगते है या फिर भूखे पडोसियो को देखता हुआ अपने गेहूँ का भण्डारण करते है या अपनी मिट्टी की एक-एक इच भूमि का भी सही ढग से इस्तेमाल उत्पादन बढाने के लिए नही करते साथ ही उन लोगो का भी विरोध होना चाहिये जो लोग खाद्य सामग्री को सडने के लिए छोड देते है।

सरदार पटेल ने पूँजीवादियो से विशेष तौर पर बचत की अपील की थी उन्होने बचत को राष्ट्रीय विकास से जोडा। उनका कहना था कि कृषक, मजदूर, व्यापारी, वकील, सरकारी कर्मचारी सबको बचत करनी चाहिये जिससे की राष्ट्र निर्माण मे सरकार की मदद हो सके। हमारे पास विकास की बहुत सी योजनाये है पर जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते है तो पाते है कि यदि हमे अपने साधनों के भीतर जीना है, तो हमे अपने विकास कार्यक्रमो मे कटौती करनी पडेगी। जबतक हम राष्ट्रीय आर्थिक नीति मे भारी बदलाव करके इन कार्यक्रमो को लागू करने योग्य स्थिति नही प्राप्त कर लेते तब तक इनको लागू नही किया जा सकता। ये कार्यक्रम ही वर्तमान के साथ-साथ बढती हुई जनसख्या का भरणपोषण कर सकते है। इसके लिए हमे पूँजी की आवश्यकता है जिसे अपने देश मे आना चाहिये। हमे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो से भी उधार लेना चाहिये पर स्वाभाविक है कि हम अपनी रोजमर्रा की आर्थिक आवश्यकताओ के लिए विदेशी उधार पर निर्भर नही रह सकते । इसके लिए मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसमे हमने घोषणा की है कि ऊँचे वेतन और अनिवार्य बचत मे स्वैच्छिक कटौती की जाय। जिसमे की सरकारी कर्मचारियो ने व्यापारियो और दूसरे आय व्यवसायियो को मात दी है। मै यही अपील प्रान्तीय सरकारो से भी करता हूँ।

ये सभी सहयोगात्मक कदम न सिर्फ सहयोगी को भविष्य की बचत से लाभान्वित करते है बल्कि सरकारो की भी सहायता करते है ताकि वे अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। ''कम खर्च, ज्यादा बचत और जितना निवेश कर सको यही एक नागरिक जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिये।''[12]

सरदार पटेल औद्योगिक विकास के लिए मजदूरो के महत्वपूर्ण सहयोग को पहचानते थे, इसलिए उनके भाषणो मे हमेशा ही इस बात पर जोर होता था कि आगे बढे हुए कामो को पूरा करने के लिए पूँजीपति और मजदूरो का साथ जरूरी है, और अगर हम ऐसा नही

१२ भारत की एकता का निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947-50), प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1970, पृ० 100

कर पाते है तो ने सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी बल्कि मुझे इसमे भी कोई दो राय नही दिखती अगर मजदूर और पूँजीपति के बीच का द्वन्द खत्म न हो तो सरकार भी अपने देश के लिए एक अभिशाप साबित होगी'' और मै पूर्व तरह से सहमत हूँ कि अगर इस द्वन्द को किसी तरह का बढावा दिया गया तो भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए यह एक करारा झटका होगा।

इग्लैड मे मजदूरो, पूँजी और सरकार के आपसी सहयोग से उत्पादन को बढाया जा सका था, वही दूसरे स्थान पर भारत मे हम जादू पर विश्वास करते दिखाई पडते कि मजदूर कम उत्पादन करेगा और ज्यादा कीमत पा लेगा और इसका नतीजा होता है हडताल जो कि उत्पादन को कम करती है, और कम उत्पादन मतलब और गरीबी और भूखमरी , हमे इस चक्र को तोडना होगा।

मजदूर आज दोराहे पर खडा है, अगर वह सही राह पकडता है, और अपनी सारी ऊर्जा को राष्ट्र को मजबूत करने के लक्ष्य पर लगा देता है, तो भारत के पास एक उज्ज्वल भविष्य है पर यदि वह गलत राह चुनता है तो सबको बरबादी पर ले जायेगा।

मजदूरो को ये समझाना चाहिए कि वे केवल खुद को व्यवस्थित रखने के लिए काम नही करते है बल्कि उनको अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य बनता है उसको महसूस करना चाहिए, मजदूरो को हमेशा करोडो देशवासियो की आशाओं को सामने रखना चाहिए और तोड-फोड वाली नेतागिरी को छोडकर देश के हित के बारे मे सोचना चाहिए।

पिछले दो वर्षो मे हमने बहुत से ऐसे भयकर खतरो का सामना किया है, जिनका कि किसी भी देश ने इतिहास मे भी सामना नही किया होगा। उन सब खतरो के बावजूद हमने उस एकता और सीमायी मजबूती को प्राप्त किया है जिसका अदाजा हमे पिछले दो हजार सालो से नही था हमे उन प्राप्तियो को यू ही नही खो देना चाहिए बल्कि उनको एक खुशहाल और सफल राष्ट्र के निर्माण मे लगाना चाहिए, मै खुद जो इस प्राप्ति के कारणो मे से एक था इसको बताना चाहता हूँ पर इसके लिए मुझे सहयोग और सहायता प्रत्येक नागरिक की चाहिये।

जो भी विदेशी निवेश के विषय मे पूरी जानकारी रखते है जानते है, कि भारत की विशालतम ताकत है उसकी विदेश निवेश नीति जहा पर अगर एक बार निवेश लागू हो जाता तो लाभ और पूँजी दोनो आने लगता है। भारत का बहुत सी राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय

बैढको ने इस पर बहुत ही साफ रिकार्ड रहा है और इसी से उसने निवेशकर्ताओं का विश्वास जीता है।

नवम्बर 1948 सरदार पटेल ने आवश्यक वस्तु के मूल्यो पर रोक की बात कही क्योकी महगाई हमारी आजादी का सीधा प्रहार करती है।"[13] हम सभी मूल्यो के बढे हुए रूप से परेशान है और जब वो कुछ उचित कीमत पर आते हो एक सुखद अहसास होता है। सरदार पटेल इन बातो से कितना प्रभावित थे ये इस बात से ही पता चल जाता है जो उन्होने 11 नवम्बर 1949 को कही, हम इतने ऊँचे मूल्यो को नही झेल सकते इसलिए मूल्यो को नीचे आना ही चाहिये अपनी सिकुडती हुयी आय और भविष्य के सिकुडन को देखते हुए हम जब तक खुद को उबार न पाये तब तक हमे उन साधनो को उन विदेशी मुद्राओ मे बनाना होगा जिनसे कि हम औद्योगिक जगत को बचा सके और इसके लिए हमे अपने आयातो मे कटौती करनी पडेगी।

सरदार ने हमेशा ही सेवाओ को एक ऊँचा स्थान दिया है और कहा कि एक बुरा काम करने वाला वह है जो अपने औजारो से लडता है। किसी ने भी सेवाओं के अर्थ को नही समझा है, इसलिए मै इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस बारे मे लोगो को जागरूक बनाऊ इसलिए सभी को यकीनन सरकारी कर्मचारियो को अपनी जिम्मेदारीयो को समझना चाहिए और अगर सरकार और विधायिका ने उन्हे यह जिम्मेदारी भरा काम सौपा है तो उन्हे उसे निभाना चाहिए और अगर वे ऐसा करने मे नाकाम रहते है तो न ही वे अपने साथ अन्याय कर रहे है बल्कि वे इस सरकार, उस विधायिका, उस देश के साथ विश्वासघात कर रहे जिन्होने उन पर विश्वास करके अपना ये काम उन पर छोडा था। इसलिए मै उन्हे यह बताना चाहता हूँ कि वे अपने मे सुधार करे ताकि उनकी हर कार्यवाही देश को बिना नुकसान पहुँचाये उसका हर सम्भव फायदा कर सके। अगर वो ऐसा कर पाये तो वे घृणा को चाहत मे बदल सकेगे, अन्धकार को प्रकाशवान कर सकेगे।

तो ये देखा जा सकता है सरदार पटेल एक देशभक्ति का सदेश देते थे, उनकी एक पैनी नजर थी मानव व्यवहार पर अपने देश की आर्थिक दिशा को सवारने के लिए एक मजबूत इच्छा थी ताकि वो अपने देश से गरीबी हटा सके, ताकि इस देश के लोगो

१३ नन्दूरकर, जी०एम०, पूर्वो, पृ० 243

को अपनी जरूरत के अनुसार, खाना, कपडा और आवास मिल सके। राष्ट्र के आर्थिक विकास के सरदार पटेल के विचार आज भी प्रासगिक है। इस सम्बन्ध मे 1986 ई० मे जे० आर० डी० टाटा का कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ''अगर विधाता ने पटेल को जवाहर लाल से उमर मे छोटा बनाया होता तो शायद भारत का पटेल निर्धारित विकास अलग मार्ग पर चलता और उसकी आर्थिक व्यवस्था कही बेहतर होती।''[14]

*****

१४ कृष्णा, बी०, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इण्डीयाज आयरन मैन, नई दिल्ली, 1995, पृ० 525

अध्याय - 7

निष्कर्ष

निष्कर्ष

राष्ट्रनिर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर्मयोगी एव राष्ट्रीय एकता एव अखण्डता के प्रबल समर्थक थे। देश भक्ति के मूर्त स्वरूप थे स्वतन्त्रता सग्राम के महासेनानी, अविश्रान्त राष्ट्रकर्मी परम नैष्ठिक देशभक्त, दूरदर्शी राजपुरुष, दृढ प्रशासक एव सवेदनशील मानव थे। भारत की पावन मिट्टी से जुडे सरल किसान परिवार मे जन्म हुआ उनका बचपन ग्रामीण परिवेश मे बीता। कठिनाइयो और चुनौतियो क सामना करते हुए वे बडे हुए, अन्याय का सदा विरोध किया, निर्भयता और आत्मविश्वास से भरपूर उनका तेजस्वी व्यक्तित्व रहा। त्याग, श्रम, साधना और साहस का अद्भुत सगम था उनका जीवन। यही कारण था कि धरती का यह लाल भारतीय राजनीति रूपी हिमालय के उत्तुग शिखर पर समासीन हुए। स्कूल की परीक्षापास कर, अर्थाभाव के कारण वल्लभ भाई कालेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाओ मे सम्मिलित नही हो पाये। अतएव तीन वर्षो के उपरान्त प्लीडर की परीक्षा पासकर वकालत शुरु की । शीघ्र ही वे अपने व्यवसाय मे ख्याति प्राप्त कर एक सफल वकील की श्रेणी मे आ गये। तद्उपरान्त कुछ धनसग्रह करके विलायत गये और बेरिस्टरी की उपाधि धारण कर भारत वापस आये और अहमदाबाद मे वकालत करने लगे। इसी दौरान महात्मॉ गॉधी के सम्पर्क मे आने के उपरान्त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे जुड गये। त्याग अध्यायवास और सगठनात्मक कला से शीघ्र ही वे शीर्षस्थ नेता बन गये। उनकी आन्तरिम प्रतिभा और निर्मल गुण ही उनमे उत्साह और साहस का प्रवाह करते रहे। लोकमान्य तिलक की भॉति भारतीय राष्ट्र को सप्राण, सशक्त, परमदृढ बनाना ही उनके जीवन का महामत्र था। 1917-18 के खेडा सत्याग्रह, 1922 के नागपुर झण्डा सत्याग्रह 1924 के बोरसद सत्याग्रह, 1927 का गुजरातत बाढ सकट तथा 1935 ई० के बोरसद प्लेग, अहमदाबाद म्युनिसपेलिटी के अध्यक्ष पद आदि ने इस महापुरुष की निर्भयता, वेजोड व्यवस्था शक्ति, सेवा परायण, ध्येयनिष्ठा, निश्चय बल और असामान्यशक्ति का गुजरात और राष्ट्र को परिचय कराया। 1928 ई० के बारदोली आन्दोलन का कुशल नेतृत्व करके सरदार पटेल ने किसानो के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उनके नपे तुले शब्दो मे, किसानो को उनके अधिकारो का चैतन्य कराने वाले छोटे व्याखानो मे गजब की शक्ति थी। काग्रेस

सगठन मे गुजरात प्रान्तीय अध्यक्ष के रूप मे, 1931 ई० के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप मे, प्रान्तीय स्वशासन के वक्त पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे देश के प्रान्तीय प्रधानमण्डलो के सूत्रधार के रूप मे उन्होने अपनी गहरी सूझ-बूझ, दूर दृष्टि, अनुशासन, प्रियता विषय की पकड, व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता आदि का परिचय दिया। सरदार पटेल की अध्यक्षता मे हुए 1931 के काग्रेस अधिवेशन मे मौलिक अधिकार विषयक प्रस्ताव पारित हुआ। अपने सक्षिप्त व्याख्यान मे उन्होने भगतसिह और उनके साथियो के मृत्युदण्ड को कारावास मे नही बदलने पर वायसराय की कडी आलोचना की। 1941 ई० मे वे व्यक्तिगत सत्याग्रह मे जेल गये। 1942 मे भारत छोडो आन्दोलन के दौरान भी उन्हे जेल मे रखा गया। स्वतन्त्रता आन्दोलन मे सरदार पटेल गॉधी जी के सच्चे अनुयायी के रूप मे भाग लिया तथा उनके बताये हुए मार्ग का अनुसरण किया 1939 ई० मे त्रिपुरी काग्रेस मे उनकी सुभाष चन्द्र बोस से जोरदार टक्कर भी हुई।

स्वतन्त्रता सग्राम के दिनो मे सरदार पटेल एक परमदृढ नायक की भूमिका निभाई उसी प्रकार जब शासन की बागडोर सम्भालने की जिम्मेदारी आयी तो उच्चतम शासकीय अधिकारियो को भी अपनी गहन सूझ-बूझ और योग्यता से मन्त्रमुग्ध किया। 2 सितम्बर 1946 ई० को गठित आन्तरिम सरकार मे सरदार पटेल गृह विभाग तथा सूचना एव प्रसारण मत्रालय के मत्री बने । 12 मई 1947 ई० को कैबिनेट मिशन ने देशी राज्यो के सम्बन्ध मे कहा था कि ब्रिटिश शासन का अन्त होने पर देशी राज्यो ने जो सार्वभौमिक अधिकार सम्राट को सौपे थे, उन्हे वापस मिलेगे। 3 जून 1947 ई० को ब्रिटिश सरकार ने इस विज्ञप्ति का समर्थन किया परिणाम 15 अगस्त 1947 ई० को भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप मे आस्तित्व मे आया। सरदार पटेल भारत विभाजिन के विरोधी थी लेकिन अन्तत उन्होने मुस्लिम लीग के साथ एक वर्ष शासन चलाने के अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचे कि साम्प्रदायिकता की आग से देश को बचाने के लिए तथा उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विभाजन अनिवार्य है और उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 5 जुलाई 1947 ई० को सरदार पटेल देशी रियासतो के मत्री के साथ उप प्रधान मत्री भी बने। अपनी मान्त्रिमण्डलीय जिम्मेदारी को सरदार ने बडी योग्यता, दक्षता और निष्ठा से चलाया। 1948 ई० मे हृदयरोग से अक्रान्त होने पर भी वे सर्वदा कार्यरत रहे। प्रशासनिक कार्यों मे उनका व्यक्तित्व मुखरित होता रहा। सरदार पटेल का अविस्मरणीय कार्य देशी रियासतो का भारत मे विलयन कराना है। राजनीतिक सूझ-बूझ, व्यवहार कुशलता और राजनयिक कुशलता

से 554 से भी अधिक छोटे-बडे देशी नरेशो का भारत सघ मे विलय करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार अखण्डता की उन्होने रक्षा की। उनकी तुलना जर्मनी के लौह पुरुष विस्मार्क से की जाती है। जो कार्य विस्मार्क ने "रक्त और अयस" से किया वल्लभ भाई पटेल ने यह कार्य राजनय से किया। हैदराबाद का भारत मे विलयन उनका चिरस्मरणीय राष्ट्रीय योगदान है।

गृहमत्री के रूप मे स्वतन्त्रता उपरान्त अग्रेज प्रशासकीय अधिकारियो के इग्लैण्ड वापसी से उत्पन्न प्रशासको की समस्या का समाधान करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का गठन कर प्रशासन को सुदृढ बनाने कार्य सरदार पटेल ने किया।

भारत के सविधान और सवैधानिक परम्परा के निर्माण और दृढीकरण मे भी सरदार का स्थान है। वे सविधान निर्मात्री सभा की तीन उपसमितियो के अध्यक्ष थे। अल्पसख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप मे उन्होने अल्प सख्यको के लिए आरक्षण का विरोध किया और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियो को छोडकर अन्य वर्गो और अल्पसख्यको के लिए आरक्षण की माग अस्वीकार कर दी गयी। प्रान्तीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप मे, राष्ट्रपति द्वारा सकटकालीन परिस्थितियो मे राज्यो का शासन अपने हाथ मे लेना सरदार पटेल के विचारो से ही समविष्ट हुआ। राज्यो द्वारा सम्पत्ति ग्रहण करने पर, राज्य सम्बद्ध व्यक्तियो को क्षतिपूर्ति की राशि देगा यह बात भी उन्ही के विचार और सुझाव पर स्वीकृत की गयी। नेहरू राष्ट्रपति का चुनाव मात्र ससद द्वारा करवाना चाहते थे जबकि पटेल जिस समिति के अध्यक्ष थे उनका सुझाव था कि ससद के बाहर उसका निर्वाचन हो अन्त मे निर्णय हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव ससद और राज्य विधान मण्डलो द्वारा होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के गरिमामय पद को केवल ससद के ऊपर आश्रित नही किया गया। सघ इकाइयो को भी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया मे शामिल कर राष्ट्रपति को सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि का सम्मान प्राप्त हुआ।

काश्मीर समस्या को देशी रियासतो के विभाग से अलग किये जाने से सरदार पटेल खुश नही थे उन्होने इस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यदि यह समस्या मुझे दे दी जाय तो मै 15 दिनो मे इसे हल कर सकता हूँ इसके अलावा काश्मीर प्रश्न की सयुक्त राष्ट्र सघ मे ली ले जाने के विरोधी थे। मुस्लिम लीग को वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता

मे बाधक समझते थे तथा अन्य हिन्दू सगठनो को भी वे किसी प्रकार की समाज मे अव्यवस्था फैलाने की छूट नही देते । कुछ लोग सरदार पटेल को मुस्लिम विरोधी बताते है लेकिन वास्तव मे वे तटस्थ थे। मुस्लमानो के प्रति उनका विचार अन्य विषयक विचारो की भॉति राष्ट्रीयता से ओत प्रेत था। विदेश नीति के सम्बन्ध मे वे दूरदर्शी थे। राष्ट्र मण्डल की सदस्यता प्राप्त करने के समर्थक थे तथा नेहरू को चीन के सम्भावित खतरो से बार-बार आगाह किया।

सरदार पटेल का सामाजिक विचार गॉधी जी का अनुपूरक है उन्होने जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, अस्पृश्यता, बाल विवाह, अनमेल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियो को जड से उखाड फेकने का आह्वान किया तथा अर्न्तजातीय विवाह एव विधवा पुर्नविवाह का समर्थन किया। साथ ही शान्ति एव सह आस्तित्व, सहनशीलता, न्याय एव समानता तथा सामुदायिकता के अधार पर एक स्वच्छ समाज की स्थापना पर बल दिया तथा वे आर्थिक रूप से गॉधीवादी समाजवाद के समर्थक थे। सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन के प्राय चार दशक अग्रेजी साम्राज्य से लडने मे लग गये और उस युग के समस्त दलो और राष्ट्रकर्मियो का साम्राज्यवाद विरोधी जग जीतना उद्देश्य था। उस वक्त वर्ग सघर्ष को समर्थन देना स्वतन्त्रता आन्दोलन को कमजोर करना होता अतएव पटेल ने अपने ढग से दरिद्रता की समस्या से लडने का कार्य किया। सहयोग समितिया, लघुउद्योगो और कुटीर उद्योगो को प्रश्रय देना उनका लक्ष्य था।

सरदार पटेल ने आर्थिक विषमता, सामाजिक वैमन्स्य और दूरियॉ, राजनीतिक भ्रष्टाचार को उन्मूलन का सतत् प्रयास किया। क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, साप्रदायिकतावाद जैसे सकीर्ण प्रवृत्तियो का विरोध कर अखण्ड और राष्ट्रीय मनोवृत्ति तथा सस्कृति उजागर करने मे सदा अग्रणी रहे।

निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि सरदार पटेल भविष्य द्रष्टा थे। भारत की राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान के उनके अपने मौलिक विचार थे। व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता समन्यवय एवं सन्तुलन और व्यवहारिकता उनके विचारो की मुख्य विशेषता थी। उनकी विचार धारा राष्ट्र की एकता एव अखण्डता से बधी थी, जिसमे राष्ट्रहित सर्वोपरि था।

सरदार पटेल बहुमुखी क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ थे। अन्याय का प्रतिकार उनके कर्मों व सिद्धान्तो की बुनियाद रही। वे कर्मयोगी, व्यवहारिक - राजनीतिज्ञ एव स्पष्टवादी थे।

उनमे न केवल राष्ट्र की जटिल समस्याओ को समझने की अपूर्व क्षमता थी वरन राष्ट्र को सही नेतृत्व देने की अपूर्व क्षमता थी। राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की उनमे गहरी समझ थी और उनके समाधान के बारे मे स्पष्ट योजना थी। निष्काम कर्मयोगी, परम राष्ट्रभक्त, निष्ठावान प्रशासक एव दूरदर्शी राजनेता के रूप मे सरदार पटेल ने भारत के नवनिर्माण मे अभूतपूर्व योगदान किया। उनका जीवन दर्शन, उनका चरित्र एव व्यवहार, उनके निर्णय, उनके सुझाव देश के भावी विकास मे आज भी उतने ही प्रासगिक एव महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय हित पटेल के लिये सदैव सर्वोपरि रहा। पद या सत्ता का लोभ उनको लेशमात्र विचलित नही कर सका। उन्होने समर्पित, साहसी , सत्याग्रही के रूप मे राजनीति मे प्रवेश किया तथा एक सक्षम सगठनकर्ता एव कुशल प्रशासक के रूप मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को सफल नेतृत्व प्रदान किया। अपने निष्पक्ष, भेदभावपूर्णरहित व्यवहार द्वारा एक स्वच्छ, सबल एव सुदृढ प्रशासन की नीव रखी। अन्याय, अनाचार और भ्रष्टाचार का प्रबल विरोध ही नही अपितु उन्मूलन करने का सतत् प्रयास किया। उनकी कार्यप्रणाली, जो कि कार्यकर्ताओ पर विश्वास व सद्भाव पर आधारित थी, आज भी राजनीतिज्ञो एव प्रशासनिक अधिकारियो के गिरते मनोबल को ऊपर उठाने की दिशा मे अनुकरणीय है।

वे समाज को सद्भावना के नीव पर खडा करने मे तत्परता से लगे रहे। उन्होने सामाजिक कुरीतियो की पूर्ण आलोचना की। वे महिलाओ की शिक्षा, बराबर का सम्मान तथा भागीदारी के पक्षधर थे। उन्होने एक सहिष्णु समाज का लक्ष्य सबके सामने रखा। हिन्दू-मुस्लिम मे सद्भाव और एकता के विस्तार के लिए प्रयास किया। सबको जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय जैसी सकीर्ण परिधियो से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय हित के आधार पर एकजुट होने की सदैव प्रेरणा दी। वे भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व समृद्धशाली बनाना चाहते थे। उन्होने सबको एक ही मूलमत्र दिया- "अपने धर्म का पालन करो और श्रम करो।" परिश्रम और निष्ठा से ही देश का विकास सभव है। आपस के सारे लडाई-झगडे भूलकर सबको उत्पादन बढाने, बचत करने की सलाह दी। अनावश्यक खर्चों मे कटौती और मँहगाई पर नियन्त्रण की बात की। देशी रियासतो का भारतीय सघ मे सम्मिलन सरदार पटेल के सुदृढ नेतृत्व और निर्णायक क्षमता द्वारा सभव हुआ। भारत के गृहमंत्री के रूप मे प्रशासनिक सेवाओ का सगठन और लोकतत्रीकरण उनकी ही देन है।

निष्पक्ष एव स्वच्छ चुनाव के सचालन के लिये स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग का गठन तथा हिन्दी को राष्ट्र भाषा का गौरव दिलाने मे भी सरदार पटेल की ही निर्णायक भूमिका रही। उनमे अद्‌भुत दूरदर्शिता थी। 1948-49 मे काश्मीर, चीन, नेपाल, गोवा आदि के मामलो पर उनके विचार व सुझाव आज भी कितने उचित प्रतीत होते है।

सरदार पटेल ने देश, समाज और राजनीति को स्वस्थ, उन्नत, सर्वहितकारी बनाने का सतत् प्रयास किया। त्याग एव सेवा, सदाचार, स्पष्टवादिता, सत्यभाषण, नैतिकता, आत्म-सम्मान, समदृष्टि, सादगी, कर्तव्यपालन आदि के उदात्त जीवन-मूल्यो को अपने आचरण मे उतारा और वे सम्पूर्ण देशवासियो के लिये एक अद्वितीय आदर्श बने। अनुशासन और विश्वास का अनुपम समन्वय कर स्वच्छ और सुदृढ प्रशासन की परम्परा स्थापित की। वे दूरदर्शी राजनेता थे। समय की आवश्यकता के अनुरूप उचित निर्णय लेते तथा एक बार निश्चय कर लेने पर उसे दृढता से लागू करते। राष्ट्रवादी, व्यवहारकुशल राजनेता सरदार पटेल का व्यक्तित्व एव कृतित्व देशवासियो के लिये सर्वदा ज्योति स्तम्भ बने रहेगे।

*****

ग्रन्थ-सूची

1- आजाद, अब्दुल कलाम, आजादी की कहानी, ओरियेन्ट लोगमेस, कलकत्ता, 1965

2- कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल का सत्याग्रही जीवन, राजीव प्रकाशन मन्दिर, मुजफ्फरपुर, 1987

3- कुमार, रवीन्द्र, सरदार पटेल के राजनीतिक एव सामाजिक विचार, मित्तल पब्लिकेशन, नयी दिली, 1991

4- कुमार, सुरेन्द्र, सरदार पटेल, जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली 1998

5- गिरिकर, देव, सरदार पटेल, चरित्र और काल, भारत ग्रन्थ माला, पुणे, 1971

6- जकारिया, रफीक, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1998

7- तारा चन्द्र, भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास, भाग-१, प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982

8- तारा चन्द्र, भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास, भाग-२, प्रकशन विभाग, नयी दिल्ली, 1982

9- दास, सेठ गोविन्द, सरदार पटेल, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1969

10- दास, दुर्गा, (सम्पादित), सरदार पटेल का पत्र व्यवहार, (1945-1950), (सम्बन्धित खण्ड), नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1973

11- देसाई, महादेव, बीर, वल्लभ भाई, सरदार पटेल युनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, 1970

12- देसाई, नारायण, सरदार और गॉधी जी, सरदार वल्लभ भाई, पटेल राष्ट्रीय स्मारक, अहमदाबाद, 1982

13- देसाई, महादेव, बारदोली सत्याग्रह, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1957

14- पटेल, ईश्वर भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरोत्तर बुक्स, आजन्द, 1974

15- पटेल, दिलावर सिह जैसवार, नवेदित भारत के निर्माता सरदार पटल, गीताजलि प्रकाशन दिल्ली, 2000

16- पटेल, बाबू भाई, स्वतन्त्र भारत का निर्माण, सरदार वल्लभ भाई, पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन अहमदाबाद, 1983

17- पटेल, मणि बहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, भाग-एक, सरदार वल्लभ भाई, पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन, अमदाबाद 1981

18- पटेल, मणि बहन, सरदार श्री के विशिष्ट एव अनोखे पत्र, भाग-दो, सरदार पटेल स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1981

19- पटेल मणिबहन, बापू के पत्र सरदार वल्लभ भाई के नाम, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद 1952

20- पटेल, गगुभाई, युग पुरुष सरदार वल्लभ भाई, पाटीदार सशोधन एव प्रकाशन ट्रस्ट अमहदाबाद 1990

21- पटेल, राव जी भाई, मणि भाई, हिन्द के सरदार, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1972

22- पटेल, एच० एम०, सरदार पटेल की सर्वोन्मुखी राष्ट्र सेवा, सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1948

23- परमार रजन, बारदोली के सरदार राष्ट्र भाषा प्रचार, समिति, वर्धा, 1972

24- पाठक, देवव्रत, सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1981

25- प्रभाकर, विष्णु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली, 1982

26- पारीख, नरहरि सरदार वल्लभ भाई पटेल, खण्ड-एक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1950

27- पारीख, नरहरि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खण्ड-दो, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अमदाबाद, 1954

28- पारीख, नरहरि, सरदार पटेल के भाषण (1918-1947) तक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1950

29- बापू के पत्र सरदार वल्लभ भाई के नाम, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद 1956

30- भारत की एकता का निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण (1949 से 1950 तक) प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, 1970

31- मिश्र, ज्योति प्रसाद (सम्पादक), पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ लखनऊ, 1948

32- मेहता, चन्द्र बहन, अनन्य देशभक्त - महाबीर या धर्मबीर वल्लभ भाई, सरदार पटेल स्मारक भवन अहमदाबाद, 1981

33- मेहरोत्रा, एन०सी०, एव कपूर, रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एव विचार, आत्माराम एण्ड सन्स काश्मीरीगेट, दिल्ली 1997

34- रणजीत सिह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शालिनी प्रकाशन, इलाहबाद, 2000

35- सरदार की सीख, सरदार पटेल के पत्रो का उद्धरण, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, 1958

36- सरदार पटेल - सत्याग्रही से राजनीतिज्ञ, निर्देशक, भारतीय अभिलेखागार नयी दिल्ली, स्टेट्स मैन प्रेस नयी दिल्ली,

37- सरदार साहित्य माला सम्पुट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहमदाबाद

38- सरदार शताब्दी स्मारक ग्रन्थ, कुल सचिव, सरदार पटेल युनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, 1978

39- शकर, बी०, सरदार पटेल- चुना हुआ पत्र व्यवहार, भाग-एक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद 1976

40- शकर, वी०, सरदार पटेल- चुना हुआ पत्र व्यवहार, भाग-दो, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1976

41- शंकर, वी, सरदार के सपनों का भारत और वास्तविकतायें, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय स्मारक भवन, अहदाबाद, 1982

42- शर्मा, धर्मपाल, राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत, युगवार्ता प्रसंग लेख सेवा, नयी दिल्ली 1982

43- शरण, गिरिराज, पटेल ने कहा था, प्रभात प्रतिष्ठान नयी दिल्ली, 1982

44- शास्त्री, आचार्य चन्द्रशेखर, राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, सोसाइटी फार पार्लिया मेण्टरी स्टडीज, नय दिल्ली, 1963

*****

अंग्रेजी ग्रन्थ

1- अली, युसुफ, लीडर्स आफ इण्डिया, पदमा पब्लिकेशन, बम्बई 1947

2- आजाद, अब्दुल कलाम, इण्डिया विन्स फ्रीडम, आरियेन्ट लोगमेस, कलकत्ता, 1959

3- अहलू वालिया, बी०के०, फैक्ट्स आफ सरदार, कल्यानी पब्लिकेशन, लुधियाना, 1974

4- कान्स्टीट्येन्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम-III, प्रिन्टेड बाई गर्वमेण्ट आफ इण्डिया प्रेस, फरीदाबाद, 1966

5- कान्स्टीट्येन्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम -IV, प्रिन्टेड बाई गर्वमेन्ट आफ इण्डिया, प्रेस, फरीदावाद 1966

6- कान्स्टीट्येन्ट असेम्बली डिवेट्स, वाल्यूम -V, प्रिन्टेड बाई गर्वमेन्ट आफ इण्डिया, प्रेस, फरीदावाद 1966

7- दास, दुर्गा (सम्पादित), सरदार पटेल कोरेस पोण्डेन्स (1945-50), वाल्यूम-1 से 10 तक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1973

8- दास, एम० एम०, पार्टीशन एण्ड इण्डिपेण्डेन्स ऑफ इण्डिया, विजन बुक्स, दिल्ली, 1982

9- देसाई, महादेव, दि स्टोरी ऑफ बारदोली, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1957

10- देसाई, महादेव, डे टू डे विथ गॉधी, वाल्यूम 1 से 8, सर्व सेवा सघ वाराणसी

11- देसाई, महादेव, महादेव भाई की डायरी, वाल्यूम 7 से 10, सर्व सेवा सघ वाराणसी

12- देसाई, महादेव, महादेवभाई की डायरी, वाल्यूम 12 से 15, सावरमती आश्रम ट्रस्ट, अहमदाबाद,

13- देसाई, महादेव, दि डायरी ऑफ महादेव देसाई, वाल्यूम- 1 नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1953

14- देसाई, महादेव, महादेव भाई की डायरी, वाल्यूम-2, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1949

15- देसाई, महादेव, दि स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैकमिलन, न्यू देल्ही, 1974

16- फार ए यूनाइटेड इण्डिया, स्पीच्स ऑफ सरदार पटेल (1947-1950), पब्लिकेशन डिवीजन, न्यू देल्ही, 1982

17- गुहा, ए०सी०, नेशनल (इण्डियाज) स्ट्रगल क्वार्टर ऑफ एव सेन्चुरी, पब्लिकेशन डिवीजन, न्यू देल्ही, 1982

18- गॉधी, एम० के०, लेटर्स टू सरदार पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1957

19- गॉधी, राजमोहन, पटेल ए लाइफ, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, 1973

20- कृष्णा, बी०, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इण्डियाज आइरन मैन, नयी दिल्ली, 1995

21- लिमये, मधु, प्राइम मूवर्स, रेडियेन्ट, दिल्ली , 1985

22- लोहिया, राम मनोहर, गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज, पार्टीशन, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 1960

23- मेहता, अशोक, इकोनामिक कान्सेन्सेज ऑफ सरदार पटेल, चेतना, हैदराबाद, 1949

24- मेनन, वी०पी०, दि स्टोरी ऑफ दि इन्ट्रीग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स, बम्बई, 1961

25- मेनन, वी०पी०, दि ट्रान्सफर ऑफ पावर इन इण्डिया, ओरियेन्ट लोगमेस, कलकत्ता, 1957

26- मिश्रा, डी०पी०, लिवग इन इरा, वाल्यूम-2, विकास पब्लिसिग हाउस, न्यू देल्ही, 1978

27- मुन्शी, के० एम०, इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमेण्ट्स, वाल्यूम-1 मुन्शी पेपर्स बम्बई, 1967

28- मुन्शी, के० एम०, इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल डाकूमेण्ट्स, वाल्यूम-2 मुन्शी पेपर्स बम्बई, 1967

29- नन्दूरकर, जी० एम०, सरदार्स लेटर्स मोस्टली अननोन (1945-48), वाल्यूम - 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन, अहमदाबाद, 1975

30- नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार्स लेटर्स मोस्टली अननोन, वाल्यूम - 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन अहमदाबाद, 1975

31- नन्दूरकर, जी०एम०, सरदार्स लेटर्स मोस्टली अननोन, वाल्यूम - 4/5, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन अहमदाबाद, 1977-78

32- नन्दूरकर, जी०एम०, इन दि ट्यून विद द मिलियन्स, वाल्यूम-1 अहमदाबाद, 1974

33- नन्दूरकर, जी०एम० इन दि ट्यून विद दि मिलियन्स, वाल्यमू - 2 अहमदाबाद,, 1976

समाचार पत्र और पत्रिकाये :-

I- बाम्बे क्रानिकल

II- हिन्दूस्तान टाइम्स

III- हरिजन

IV- नवजीवन

V- टाइम्स ऑफ इण्डिया

VI- यग इण्डिया

*****

सारणी

देशी रियासतो का विलीनीकरण

(1) सघ मे मिले हुए राज्य

क्रम सख्या	मिलने की तारीख	राज्यो के नाम	राज्यों की संख्या	क्षेत्र का नाम
1	15-2-1948	सौराष्ट्र के विभिन्न राज्य	222	सौराष्ट्र
2	7-4-48	जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर करौली, वासबाडा, उदयपुर, अलवर आदि	18	राजस्थान
3	15-6-48	देवास, ग्वालियर, इन्दौर आदि	25	मध्य भारत
4	30-8-48	पाटियाला, कपूर थला, नाभा, मालेर कोटला, फरीद कोट, जिन्द, नालागढ और कलसिया	8	पटियाला तथा पूर्वी पजाब सघ
5	5-1-49	सिरोही	1	राजस्थान
6	1-7-49	ट्रावनकोर और कोचीन	2	ट्रावनकोर कोचीन
		योग :	276	

2. केन्द्र द्वारा शासित राज्य

क्रम सख्या	मिलने की तारीख	राज्यो के नाम	राज्यों की संख्या	क्षेत्र का नाम
1	15-4-48	पजाब के पहाडी राज्य	21	हिमाचल प्रदेश
2	1-6-48	कच्छ	1	कच्छ
3	12-10-48	बिलासपुर	1	बिलासपुर
4	1-6-49	भोपाल	1	भोपाल
5	1-10-49	त्रिपुरा	1	त्रिपुरा
6	15-10-49	मणिपुर	1	मणिपुर
7	1-1-50	अजयगढ, ओरछा, पन्ना आदि	35	विंध्य प्रदेश
		योग -	61	

<u>प्रान्तो के साथ मिलने वाले राज्य</u>

क्रम सख्या	मिलने की तारीख	राज्यो का नाम	राज्यो की संख्या	किस प्रान्त मे मिले
1	1-1-48	अजयगढ आदि	23	उडीसा
2	1-1-48	बस्तर, चगभाकर आदि	14	मध्य प्रान्त
3	1-2-48	ममरई	1	मध्य प्रान्त
4	23-2-48	लोहा	1	पूर्वी पजाब
5	23-2-48	बगना पल्ले	1	मद्रास
6	3-3-48	पुदुक्कोद्दार्ड	1	मद्रास
7	3-3-48	दुजाना	1	पूर्वी पजाब
8	8-3-48	अलक्कोट, औंछ आदि	17	बम्बई
9	7-4-48	पटौदी	1	पूर्वी पजाब
10	10-6-48	गुजरात के विभिन्न राज्य	144	बम्बई
11	18-7-48	सरायवेला, खारसवान	2	बिहार
12	6-11-48	दाता	1	बम्बई
13	1-1-49	मयूरक्षेत्र	1	उडीसा
14	1-3-49	कोल्हापुर	1	उडीसा
15	11-4-49	सदूर	1	मद्रास
16	1-5-49	बडौदा	1	मद्रास
17	1-8-49	टिहरी गढवाल	1	उत्तर प्रदेश
18	5-10-49	बनारस	1	उत्तर प्रदेश
19	1-12-49	रामपुर	1	उत्तर प्रदेश
20	1-1-50	कूच बिहार	1	पश्चिमी बगाल
	योग	**216**		

राज्यो की संख्या		क्षेत्रफल वर्ग मील मे	जनसंख्या हजारो मे
1 सघ से मिले हुए राज्य	275	2,15,450	34,699
2 केन्द्र शासित राज्य	61	64,604	16,925
3 प्रान्तो से मिले हुए राज्य	216	1,08,739	19,158
योग	**552**	**3,87,893**	**60,783**